खण्ड-437, अंक-5
मंगलवार, 4 वैशाख, शक संवत् 1923
(24 अप्रैल, 2001 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 437 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाये जाने का प्रयास (जारी) ...	1
मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह को सदन में तथा श्री आर्य राम शरण को अध्यक्ष कक्ष में शपथ दिलाये जाने पर आपत्ति... ...	1
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाये जाने का प्रयास ...	2
भारत बंगला देश सीमा पर बी०एस०एफ० के जवानों को अकारण मार दिये जाने की घटना पर चर्चा की मांग	2
प्रश्नोत्तर	2-95
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यगण श्री राम प्रसाद, श्री चन्द्रशेखर, श्री त्रियुगी नारायण मिश्र तथा कुंवर महमूद अली खां के निधन पर शोकोद्गार ...	95-100
भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री चौधरी देवी लाल के निधन पर शोकोद्गार	100-105
आज की कार्यसूची में नत्थी "ख" के ता० प्र० सं०–3 के प्रश्नकर्ता के रूप में श्री जगदम्बिका पाल का नाम जोड़े जाने के कारण उठायी गयी आपत्ति पर श्री अधिष्ठाता का निर्णय	105
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	105-106
जनपद बस्ती के कुआनों नदी पर गोविन्द नगर और टिनिच बाजार के बीच लम्बित पुल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	106
जनपद फिरोजाबाद के ग्राम नरगापुर में अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	106
मथुरा के किसानों को सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता के मद्देनजर मथुरा जनपद के समस्त लोअर कैनाल आगरा के क्षेत्रफल को अपर कैनाल आगरा में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106-107
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	107
लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री कोर्स को विधिक रूप न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	107-109
जनपद महराजगंज एवं गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों की सहायता/अनुदान प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	109-110
प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–165/166 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं का उत्तर निर्धारित समय में प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	110-111
विधान सभा सत्र के दौरान नीतिगत घोषणायें सदन के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	112-114

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर प्रदेश सरकार की कथित उदासीनता से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी) ...	114-133
श्री अब्दुल सलाम, सदस्य, विधान सभा को केन्द्रीय कारागार नैनी, इलाहाबाद में दाखिल किये जाने की सूचना	133
प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर प्रदेश सरकार की कथित उदासीनता से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना ...	133
उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा का प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति (2000-2001) का तेरहवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	134
श्री उबैर्दुरहमान, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपने विरुद्ध कतिपय अधिकारियों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में दी गयी विशेषाधिकार की सूचना (जारी)	134-135
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)– ...	135-138
श्री उबैर्दुरमान, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपने विरुद्ध कतिपय अधिकारियों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में दी गयी विशेषाधिकार की सूचना ...	138
विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले मंगलवार दिनांक 23 जून, 1998 को श्री अक्षयवर लाल के अतारांकित प्रश्न संख्या–54 के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना ...	138-139
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के सिंचाई अनुदानों पर दिनांक 11 मई, 2000 के बजट भाषण में संशोधन हेतु सहकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत शोधन वक्तव्य...	139-141
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)...	141-148
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय सदन में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	148-149
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	149-154
उ० प्र० आबकारी (संशोधन) अध्यादेश 2001 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	154-164
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 2001 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित)	164-169

विषय				पृष्ठ-संख्या
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	...	...	...	169-170
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया)	...	...	...	170
उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया)			...	170
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (सदन के पटल पर रखा गया)		...	...	170
नत्थियां	...	...	...	171-173

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 24-4-2001

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अब्दुल सलाम, श्री	प्रतापगढ़
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कृष्णपाल सिंह, श्री	कानपुर देहात
केशो मेहरा, श्री	आगरा
गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर
चन्द्रमणिकान्त सिंह, श्री	बहराइच
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
चौधरी बाबू लाल, श्री	आगरा
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
दिलीप कुमार, श्री	बहराइच
देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री	कानपुर देहात
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	इटावा
फतेह बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
मोती लाल, श्री	खीरी
रघुराज प्रताप सिंह	
"राजा भईया", कुंवर	प्रतापगढ़
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
राजा गजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम नाथ, श्री	प्रतापगढ़
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम हर्ष सिंह, श्री	सुल्तानपुर
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश जतारिया, श्री	झांसी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सतीश शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
सुशीला अग्रवाल, श्रीमती,	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाये जाने का प्रयास

(सदन की बैठक की कार्यवाही आरम्भ होने पर)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, कल मैंने नियम 311 में एक सूचना दी थी ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दी थी ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरी सूचना किसानों से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना आसन ग्रहण करें । एक-एक करके अपनी बात कहेंगे तो मैं सुन लूंगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

कल मैंने नियम–311 में एक सूचना दी थी । किसानों की दुर्दशा जो आज सारे प्रदेश में है उसके सम्बन्ध में मैंने सूचना दी थी । इससे बड़ी गहन समस्या और कोई नहीं हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुरोध करूंगा कि प्रश्नकाल हो जाने दें उसके बाद आज नियम–301 की जो सूचनाएं हैं उसमें दो-चार मिनट लगेंगे । नियम–56 की सूचनाएं आज नहीं हैं । उसके बाद इस विषय पर आपको और श्री कौकब हमीद को सुन लूंगा ।

मुख्य मंत्री श्री राजनाथ सिंह को सदन में तथा श्री आर्य राम सरन को अध्यक्ष कक्ष में शपथ दिलाये जाने पर आपत्ति

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, सदन के हमारे जो मेम्बर रहे हैं उनका अधिकार एक सा है । कल माननीय राजनाथ सिंह जो हैदरगढ़ से चुनाव जीतकर आये हैं और जो आर्य राम शरन जी सादाबाद से चुनाव जीतकर आये हैं तो मुख्य मंत्री जी ने सदन के अन्दर और आर्य राम शरन जी ने आपके चेम्बर के अन्दर शपथ ली है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं स्पष्ट कर दूं । माननीय सदस्य सादाबाद ने मेरे कक्ष में आकर वहां पर शपथ लेने की इच्छा प्रकट की थी और मैंने उनको वहां शपथ दिला दी । मुख्य मंत्री जी ने अनुरोध किया था कि उनकी शपथ सदन में हो जाय तो मैंने उनको सदन में शपथ दिला दी । जो माननीय सदस्य सादाबाद की इच्छा थी उसकी पूर्ति वहां हो गयी और जो माननीय मुख्य मंत्री जी की इच्छा थी उसकी पूर्ति यहां हो गयी ।

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाये जाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में गेहूं के किसानों की गम्भीर समस्या है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद उठा लीजियेगा।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, प्रदेश के किसानों की गेहूं की बड़ी समस्या है।

श्री अध्यक्ष–

निधन के निर्देश के बाद ले लूंगा।

भारत बंगलादेश सीमा पर बी०एस० एफ० के जवानों को अकारण मार दिये जाने की घटना पर चर्चा की मांग

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, भारत बांगलादेश की सीमा पर भारतवर्ष के 16 जवानों को मारा गया और हमारे पूरे देश के अन्दर उसका शोर मचा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हाउस के अन्दर उसकी चर्चा हो और केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय। केन्द्र सरकार को लिखा जाय, जो भारत के फौजियों के साथ हुआ उसकी निंदा की जाय। इस पर 1 घंटे की चर्चा करायी जाय ताकि पूरे सदन के अन्दर बात आ जाय।

श्री अध्यक्ष–

पूरा प्रदेश इस घटना से मर्माहत है। इस सम्बन्ध में आप प्रस्ताव ला सकते हैं। इस पर चर्चा हमारे सदन का विषय नहीं है। यह केन्द्र का विषय है। आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सम्बद्ध कर लें और एक प्रस्ताव पारित हो जाय। उसमें आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति हो जायगी। आप प्रस्ताव ले आयें उसमें दिक्कत नहीं होगी।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कक्षाओं के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि

**1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट कक्षाओं के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि उनके बैंक खातों में सीधे जमा कराये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है और उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रेम लता कटियार)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पांडेय–

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है । हाईस्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि उनके बैंक खातों में सीधे जमा करने की मामला शासन के विचाराधीन है । मान्यवर, पूरे प्रदेश में ऐसे अनेक मामले आये हैं जहां पर छात्रवृत्ति के वितरण में धांधली हुयी है और एफ०आई०आर० हुयी हैं और लोग जेल भेजे गये हैं । इस सम्बन्ध में पारदर्शिता हो और बच्चों को सुविधा मिले और उनको मिलने वाले धन को बिचौलिये न खा सकें और छात्रवृत्ति वितरण में जो लोग गतिरोध पैदा करते हैं और हेराफेरी करते हैं जिससे छात्रवृत्ति छात्रों तक नहीं पहुंच पाती हैं इस सम्बन्ध में मैं चाहूंगा कि कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनमें ऐसे घोटाले के प्रकरण सामने आये और कितनी एफ०आई०आर० की गयीं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी इसको बताने की मंत्री जी कृपा करें ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, यह प्रश्न मूल प्रश्न से भिन्न है । घोटाले के सम्बन्ध में जानकारी की दृष्टि से जब प्रश्न का उत्तर देंगे तो समुचित दैयारी के साथ इसका उत्तर भी देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न में जो भाव निहित है वह यही है कि कहां-कहां पर दुरुपयोग हो रहा है और छात्र, छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है या नहीं तो शासन ने इसकी जानकारी करायी होगी ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, छात्रवृत्ति वितरण के मामले में बड़े पैमाने पर जांच की गयी और एफ०आई०आर० और गिरफ्तारियां की गयीं हैं । आर०सी० को काटकर धन की वापसी करायी गयी है । लगभग 13 करोड़ रुपये की धनराशि को शिक्षा संस्थाओं ने वापस किया है और 500 के आसपास एफ०आई०आर० की गयीं हैं । 155 प्रिंसिपल, शिक्षकों और समाजकल्याण विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की गिरफ्तारियां हुयीं हैं । जहां तक 9 तथा 12वीं क्लास के बच्चों के सम्बन्ध में स्पेसिफिक वर्गीकरण नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न में यह स्वीकार किया है कि 500 एफ०आई०आर० हुई हैं छात्रवृत्ति में वितरण के घोटाले के सम्बन्ध में ऐसे प्रकरण में शासन को सम्यक् रूप से छानबीन करने की आवश्यकता महसूस हुई । स्वयं मंत्री जी यह स्वीकार करते हैं कि 500 एफ०आई०आर० हुई हैं और 13 करोड़ की धनराशि वापस हुई है । मैं जानना चाहूंगा कि जब शासन के संज्ञान में यह है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की छात्रवृत्ति वितरण में घपले हो रहे हैं तो इसको फुल प्रूफ करने के लिए क्या भविष्य में शासन इन छात्रों की छात्रवृत्ति को उनके बैंक खातों में जमा करने पर तुरन्त विचार करेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहती हूं कि इस गम्भीर प्रकरण पर और गम्भीर वित्तीय अनियमितता पर शासन का ध्यान पूरी तरह गया है । यह व्यवस्था पारदर्शीता हो सके इसलिये सरकार ने ध्यान दिया है और पाईलेट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ युनिवर्सिटी में डिग्री क्लासेज में छात्रों को छात्रवृत्ति देने के सम्बन्ध में समाज कल्याण दफ्तर द्वारा सीधे उनके खातों में चैक जाय । यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है । आवेदन पत्रों को मांगा गया है । इसी के साथ बाकी के क्लासेज के लिए आगे कोई इस तरह की अनियमितता न हो सके इसलिए पंचायत व्यवस्था के अधीन उप प्रधान के अन्तर्गत शिक्षा समिति बनी है उस समिति के माध्यम से पहली क्लास से लेकर आठवीं

क्लास तक छात्रवृत्ति वितरण की जिम्मेदारी दी गयी है। यह 11 सदस्यीय समिति जिसकी देखरेख में यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। हम आशा करते हैं जब से इस व्यवस्था का गठन हुआ है यह सिस्टम फूल प्रूफ होगा। इसी के साथ आगे की कक्षाओं और नगरीय क्षेत्रों में विशेष रूप से यह प्राविधान किया गया है कि हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं जिनका विद्यालयों से विशेष रूप से संबंध है चाहे 15 अगस्त हो, 2 अक्टूबर 14 नवम्बर और 26 जनवरी आगे आने वाले वर्ष में यथा सम्भव इन तिथियों में यह चेक वितरित की जायेंगी क्योंकि इन पर्वों में प्रबुद्धजन, नागरिक, अभिभावक उपस्थित होते हैं इसलिए इन पर्वों से छात्रवृत्ति की व्यवस्था जोड़कर व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की चीज न हो सके।

श्री लालजी वर्मा–

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं अभी माननीया मंत्री जी ने स्वीकार किया कि छात्रवृत्ति वितरण में कहीं न कहीं कमियां आती हैं जिस तरह से डिग्री कालेजों में लखनऊ यूनीवर्सिटी को पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में चुनने का काम किया गया है। ज्यादातर शिकायतें माध्यमिक और जूनियर हाईस्कूल, प्राथमिक स्कूलों में छात्रवृत्ति वितरण में विशेष रूप से शिकायतें आती हैं इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है सीधे-सीधे चेक देने में अगर वह एकाउंट पेयी हो। सीधे-सीधे छात्रों के एकाउंट में चेक चली जाए। इसमें सरकार को क्या परेशानी होगी ? ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न है कि हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट में जो छात्र पढ़ता है उसकी उम्र सामान्यतः 18 वर्ष से कम होगी क्या यह बैंक एकाउंट वगैरह आपरेट कर पाएगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, जितने भी मामले छात्रवृत्ति के संबंध में घोटाले में आये हैं उनमें बच्चे के हाथ में चेक जाने के बाद दुरुपयोग के मामले नहीं हैं। घोटालों की किस्म दूसरी तरह की थी इसलिए आवश्यकता इस बात की नहीं लगती। छोटे-छोटे बच्चों को खातों से सम्बन्धित कठिनाई में न डाला जाए उनके हाथ में सहायता की राशि पहुंच जाए यह प्राथमिकता है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कक्षाओं की जितनी शिकायतें प्रदेश भर में आ रही है इस बात की आ रही है कि लड़के उस नाम के विद्यालय में मौजूद ही नहीं है जिनके नाम छात्रवृत्ति दी जा रही है। यह बहुत बड़ा घपला है इसकी एफ० आई० आर० दर्ज हुई है यह सारी की सारी विजीलेंस को चली गयी हैं अभी तक उनमें कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। तो मान्यवर, मैं माननीया मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की जितनी छात्रवृत्ति है वह छात्रों को वहीं पर जाकर वितरित कर दिये जाने में क्या कठिनाई है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

यह व्यवस्था तो है ही इसको और सुचारु रूप देने के लिये अभी तक आवेदन फार्म पर फोटो नहीं लगते थे वह भी लगने लगे हैं और रजिस्टर प्रिंसिपल के कमरे में ही रखे जाने की व्यवस्था की है।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपनी बात में यह कहा कि कक्षा एक से आठ तक जो छात्रवृत्ति वितरित होती है तो उसमें समिति को यह अधिकार सौंप दिया गया है लेकिन मुझे

भलीभांति जानकारी है कि बहुत से विद्यालयों पर एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक छात्रवृत्ति वितरित नहीं की गई है उदाहरण के लिए औरैया जनपद के ब्लाक विछलंदा में अभी तक छात्रवृत्ति नहीं वितरित की गयी है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, इतने बड़े पैमाने पर प्रदेश में घोटालों के पर्दाफाश होने के कारण समाज कल्याण विभाग पर और साथ ही शिक्षा विभाग पर गम्भीरतापूर्वक काफी बड़ा दायित्व आ गया है। चूंकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच करके संस्तुति करने में कुछ विलम्ब हो रहा है इसलिए ऐसी स्थिति कहीं-कहीं उत्पन्न हो गयी है लेकिन मैं आपको आश्वासन देती हूं कि छात्रों के हितों का ध्यान रखा जायेगा।

श्री धनीराम वर्मा–

मेरी अपेक्षा यह थी कि एक वर्ष पहले जो छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी वह अभी तक वितरित नहीं की गई।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप इसका संज्ञान ले लें।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मैं इसको दिखवा लूंगी।

श्री उदयराज यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति बंटवाने के लिए जिम्मेदार प्रधान और उप प्रधान को छात्रों की कोई सूची उपलब्ध कराने का काम किया है। क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि अनेक जगह फर्जी स्कॉलरशिप भी दी जाती है और दूसरी चीज मैं एक सवाल और करना चाहता हूं जो कि माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और उसके विरुद्ध कार्यवाही हुई है, रिकवरी हुई है और मुकदमें भी पंजीकृत कराये गये हैं। मैं एक बात यह जानना चाहता हूं कि इसके बारे में जो विद्यालय दोषी पाये गये हैं क्या उनके बारे में माननीय मंत्री जी ने शिक्षा विभाग को इन विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने के बारे में दिशा निर्देश देने की कार्यवाही की है ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, पूर्व से ही व्यवस्था है उसको थोड़ा कड़ा किया गया है कि विद्यालय संबंधित छात्रों की सूची शिक्षा विभाग को सौंप दे। शिक्षा विभाग इसकी जांच कराकर संस्तुति समाज कल्याण विभाग को करता है और समाज कल्याण विभाग उस पर धन आवंटित करता है। यह एक सुनिश्चित व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व में ही स्वीकार किया है कि जांच कराकर अभी 31 मार्च बीता है, पूरे प्रदेश का संज्ञान लेते हुए विद्यालय स्तर पर, शिक्षा विभाग के स्तर पर या समाज कल्याण विभाग के स्तर पर ऐसे छात्रों के हितों को अनदेखा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बक्शा नहीं जायेगा। भ्रष्टाचार से मुक्त कराना हमारा उद्देश्य था संबंधित छात्रों को उसके लाभ से वंचित कराना हमारा उद्देश्य नहीं था। यह हमारा संकल्प है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, बहुत छोटा सा सवाल है जिसका सन्तोषजनक उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री जी से यह पूछा गया था जैसा कि आपने स्वयं स्वीकार किया है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है तो इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आपने क्या कोई नई योजना तैयार की है। दूसरी बात यह है कि हाई स्कूल और इण्टरमीडएट के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के

छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति के बारे में भ्रष्टाचार न हो, उस पर अंकुश लग सके इस नीयत से उन छात्रों के बैंक खातों के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित करेंगे कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आ गया है। मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कोई भी योजना तैयार नहीं की है। बैंक खातों के माध्यम से पैसा नहीं दिया जा रहा है जिससे कि भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। संबंधित छात्र को पैसा नहीं मिल रहा है।

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

बच्चों के हाथ से चेक छीनने की कोई सूचना नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, सरकार के इस उपेक्षात्मक रवैये की घोर निन्दा करते हुए हम बहुजन समाज पार्टी के लोग सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

प्रदेश में शराब की नीलामी व ठेकेदारी प्रथा को बन्द करने के उपरान्त लाइसेन्स जारी किये जाने की नीति

**2—डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में शराब की नीलामी व ठेकेदारी प्रथा को बन्द कर दुकानों के लाइसेन्स जारी किये जाने हेतु शासन द्वारा निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इसकी नीति क्या है ? क्या सरकार प्रदेश में बिकने वाली देशी शराब एवं अवैध रूप से बनायी जा रही शराब पर रोक लगाने हेतु कोई ठोस नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जी हां।

मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क के आधार पर किया जाएगा तथा बिक्री के आधार पर अभिकर लिया जायेगा।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, इन्होंने क्या नीति बनायी है ? नीति बनाकर दुकानों की नीलामी कर दी है। जो नीति बनायी है, वह स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने वहां पर लाटरी सिस्टम पैदा करके अपने व्यक्तियों को दुकान दी है। चार-पांच एक ही पार्टी के लोगों की लाटरी डाली है इससे जनता में गलत प्रचार हो रहा है कि एक ही आदमी को 2/3 दुकान मिल गई। यह जनता के हित में नहीं है। अवैध रूप से शराब बनाकर बेची जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न करिये।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

इन्होंने जो नीति बनायी है उसको सदन के सामने स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी इनका अनुरोध पहला तो यह है कि नीति को और स्पष्ट कर दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

धर्मज्ञ मिश्र जी से शराब का कोई वास्ता है यह मैं नहीं जानता था। पहली बार अनुभव हो रहा है कि उनकी भी इसमें रुचि है। मान्यवर, नयी आबकारी नीति में देशी तथा विदेशी मदिरा के अभिकर की चोरी तथा मदिरा की तस्करी को रोकने के लिए मदिरा की बोतलों, पाउचों पर आबकारी विभाग का नम्बरयुक्त होलोग्राफिक स्टीकर लगाया जायेगा तथा आसवनी से मदिरा की निकासी सम्पूर्ण देय अभिकर के उपरान्त ही दी जायेगी। अन्य प्रदेशों से मदिरा की तस्करी पर नियंत्रण हेतु प्रदेश में बिकने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतल भराई प्रदेश के भीतर ही किये जाने को प्रोत्साहित किया जायेगा। मदिरा की अधिकतम फुटकर बिक्री दर निर्धारित की जायेगी तथा उसे मदिरा की बोतल पर अंकित किया जायेगा। नई व्यवस्था लागू होने से एक तो मदिरा के दामों में कमी होने का अनुमान है और दूसरे मदिरा की बोतलों पर अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित होने के कारण दुकानदार मनमाना मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं वसूल पायेंगे। श्रीमन्, जो आबकरी नीति 90 वर्षों से चली आ रही थी ठेकेदारों का जो एकाधिकार था उस प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। ठेकेदार जो अपने हिसाब से करते थे वह अब नहीं हो पाएगा। पहली बार हमारी सरकार ने हिम्मत दिखाई है ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया है तथा निर्धारित लाइसेन्स फीस के आधार पर एक-एक दुकान आवंटन की व्यवस्था की गयी है। धर्मज्ञ मिश्रा जी अगर चाहते थे कि लाइसेन्स मिले, तो वह भी नाम दे सकते थे लाटरी में उनका नाम निकलता तो उनको भी लाइसेन्स दिया जा सकता था।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नीति लागू करने के बाद कितने राजस्व का लाभ प्रदेश को हुआ। दूसरी बात जो होलोग्राम लगवाया है बोतलों पर क्या उसके टेण्डर निकलवाये थे या नहीं ? नियमों में प्राविधान है कि बगैर टेण्डर के कोई निविदा स्वीकृत नहीं होगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इतना पहले बता दूं मान्यवर, पहला काम तो हमने यह किया है कि जो एकाधिकार आबकारी ठेकेदारों का था उसको तोड़ना नितान्त आवश्यक था कई बार ऐसा अनुभव में आया कि जिन जनपदों का निर्धारित लक्ष्य था उसके हिसाब से वहां से अपेक्षित राजस्व नहीं मिल पा रहा है। इसलिये सरकार को विचार करना पड़ा कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था लाई जाए। हमारा यह प्रयास है कि गत वर्ष आबकारी का जो राजस्व था उसको सुरक्षित बनाये रखा जाए। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपेक्षित वृद्धि राजस्व में होगी इसमें संदेह नहीं है दूसरा होलोग्राम के संदर्भ में था पूरे प्रदेश के प्रमुख अखबार में विज्ञापन लगाए और जो टेण्डर में न्यूनतम दर थी उसको ठेका दिया गया।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आज माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं इन्होने आबकारी नीतियों के तहत शराब माफियाओं का शिकंजा तोड़ने की बात कही है। लाटरी के बाद परिणाम आये। तो लखनऊ और अन्य महानगरों में, सभी छोटे जनपदों में इससे पहले शराब की ठेकेदारी होती थी दुकान जितनी हैं 80 फीसदी से ज्यादा दुकान तो उन्हीं ठेकेदारों के पास चली गई हैं। 20 फीसदी वह दुकानें हैं जिसको घाटे की दुकान मानते थे घाटे की दुकानें लाटरी से दूसरों के जिम्मे चली गई और फायदे की दुकानें उन्हीं ठेकेदारों की निकली जो शिकंजे में जकड़े थे तो यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री अपनी आबकारी की घोषित नीति पर सरकार की असफलता स्वीकार करने का काम करेंगे ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो होलोग्राम की बात कही गयी है, इसके लिए शुल्क बढाया गया है। प्रत्येक पाउच या बोतल पर जो होलोग्राम लगाया जायेगा वह मशीन से लगाया जायेगा ताकि उसकी शुद्धता क्वान्टीटी बनी रहे। अभी माननीय आबकारी मंत्री जी ने यह बात बतायी थी कि उसके बारे में निविदा अखबारों के माध्यम से आमंत्रित की गयी थी और जो न्यूनतम था उसको टेन्डर दिया गया था।

लेकिन क्या उसे हाथ से लगाने का काम किया जा रहा है और यदि हां, तो वह किन परिस्थितियों में किया जा रहा है ?

श्री सूर्यप्रताप शाही–

जो पहला सवाल किया गया है उसका उत्तर " जी नहीं" है । हमारी नीति ने आबकारी ठेकेदारों का वर्चस्व तोड़ दिया है । मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमने 70 प्रतिशत सफलता प्राप्त की है । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं । आप भ्रम का निवारण कर लें । दूसरी बात आपने स्टीकर की कही है क्योंकि डिस्टिलरियों में मशीनो की व्यवस्था अभी नहीं हो पायी है इसलिए हाथ से स्टीकर लगाने का काम किया जा रहा है ।

(मुख्य मंत्री जी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पहले मेरा एक सवाल हो जाने दें यह मेरा अनुरोध है उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी बोल लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन खड़े हैं पहले उनको सुन लें और यह परम्परा भी है ।

(मुख्यमंत्री जी के बैठ जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी अब आप सवाल कर लें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया । एक तो मैं श्रीमन्, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नयी आबकारी नीति में एकाधिकार तोड़ने का प्रयास किया है उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं । निसंदेह यह उत्तर प्रदेश में एक कोढ़ की तरह इन लोगों का संगठन चल रहा था । उसमें कुछ कमियां हैं और कुछ नुकसान भी हो रहा है तो वह सरकार व्यापारिक दृष्टिकोण देखती है वह लाभ के लिए चलता है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो दुकानें लाटरी सिस्टम से लोगों को मिली हैं और पारदर्शी तरीके से मिली हैं लेकिन उन दुकानों से जो थोक की है, वह आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं । इसके कारण फुटकर की दुकानों को घाटा होगा और वह राजस्व नहीं दे पायेंगे तो भविष्य में जो एकाधिकार नीति है उसको तोड़ने का काम कर रहा है, उसके सम्बन्ध में विचार करेंगे ? दूसरी बात यह है कि जो थोक लाइसेंस है वह कमिश्नर के माध्यम से दिया जा रहा है वह लाइसेंस लाटरी सिस्टम से नहीं दिया जा रहा है तो क्या लाटरी सिस्टम से देने पर विचार करेंगे ?

श्री सूर्यप्रताप शाही–

मैं सबसे पहले जगदम्बिका पाल जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने नयी नीति का स्वागत किया है । वह इस बात से सहमत हैं कि एकाधिकार टूटा है और नयी नीति पारदर्शी तरीके से लागू की गयी है । यह इन्होने ईमानदारी से स्वीकार किया है और इसके लिए पुनः मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं जो कठिनाईयां रखी है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी समाधान निकालने का प्रयास करेंगे ।

(इस समय 11 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए ।)

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, जो यह एकाधिकार तोड़ने का प्रयास है यह निश्चिय रूप से स्वागत योग्य है । जो हम लोगों ने समाचार पत्रों में और व्यवहारिक रूप से देखा है जो पहले एकाधिकार प्राप्त लाइसेंसी थे उन लोगों ने फर्जी लाइसेंस लेने के लिए लाटरी में सम्मिलित होने का काम किया है । लाभकारी दुकानें जो थीं ज्यादातर प्रत्येक जिलों में उन एकाधिकार प्राप्त लोगों के पास अवशेष बची रह गयी हैं । जो आपका

एकाधिकार तोड़ने का विचार है उसका सही रूप से पालन करने के लिए, विस्तृत जांच कराके, ऐसे लाइसेंसियों की दुकानों को जब्त कराने का कष्ट करें जो यह फर्जी नामों से लाइसेंस लिये हुए हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री राज नाथ सिंह)–

श्रीमन्, सबसे पहले मैं सभी माननीय सदस्यों को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गयी आबकारी नीति की सराहना की है । मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार की यह मंशा रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो धन-बल का प्रभाव बढ़ता जा रहा था उस धन बल के प्रभाव को कम किया जाय । मैं समझता हूं कि उस दिशा में एक सार्थक प्रयास किया गया है । जैसा कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछते समय इसका उल्लेख किया है कि पहले जो लोग ठेके लेते थे अथवा जिन लोगों का शराब के ठेकों पर वर्चस्व था, अभी भी है । मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है । इस सम्भावना से नहीं इंकार किया जा सकता है कि जो लोग पहले शराब के ठेके लेते थे उन लोगों में से कुछ लोगों ने अपने लोगों के नाम लाटरी में डाले हों और उन नामों से लाइसेंस प्राप्त हो गये हों । लेकिन लाइसेंस पद्धति के आधार पर दुकानें आवंटित करने में जितनी पारदर्शिता उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है उतनी पारदर्शी व्यवस्था करने की कोशिश की है । मैं आमंत्रित करता हूं माननीय सदस्यों के सुझाव, इससे भी अच्छी कोई पारदर्शी व्यवस्था उनके द्वारा सुझायी जायेगी तो मैं आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार उस पर अमल करेगी और वह पारदर्शी व्यवस्था लागू करेगी ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या मान्यवर, इस शराब नीति के अन्तर्गत शराब बन्द करने की भी नीति है अथवा नहीं । यदि शराब का प्रचार प्रसार करके उत्तर प्रदेश को चीन जैसा अफीमची बनाने की कोई नीति है । चले राम भजन को ओटन लगे कपास । कहां राम मंदिर की बात थी, कहां शराब नीति तो क्या प्रदेश में शराब का प्रचार प्रसार करके श्रम शक्ति को चौपट करेंगे ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

श्रीमन्, वैसे जो माननीय वर्मा जी ने प्रश्न किया है वह इस मूल प्रश्न से सीधा सम्बन्धित नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि शराब के प्रचार की कोई नीति नहीं है और न ही इस तरह का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है ।

(नत्थी "ख" प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री राज नाथ सिंह–

श्रीमन्, इस सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा किया है । मैं, उन्हें बताना चाहता हूं कि मद्य निषेध विभाग भी प्रभावी तरीके से काम कर रहा है यह सच बात है कि देश के कुछ ऐसे राज्य रहे हैं जिससे एक उल्लेखनीय राज्य का नाम उल्लेख करना चाहता हूं वह है हरियाणा राज्य, जहां पर पूरी तरह से शराब बन्दी लागू कर दी गयी लेकिन बाद में हरियाणा सरकार को उस शराब बन्दी को समाप्त करना पड़ा और फिर वहां शराब की बिक्री शुरू हो गयी है । हमारी सरकार का मत है कि दबाव डालकर कोई काम नहीं कराया जा सकता । हमारा मद्य निषेध विभाग लोगों में कन्सेसनेस पैदा करने का, जागृति पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि शराब पीना ठीक नहीं है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाता है और मैं समझता हूं कि यह कन्सेसनेस डेबलप करके ही शराब की लत छुड़ाई जा सकती है । लेकिन जब कभी मैं शराब के बारे में बोलता हूं तो जरूर शंका हो जाती है कुछ हमारे मित्र होंगे जिनके मुंह से पानी आने लगता है (हंसी) मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि लोगों के मन में जागृति पैदा करने का काम मद्य निषेध विभाग प्रभावी तरीके से कर रहा है ।

(श्री राम विशुन आजाद, डा० धर्मज्ञ मिश्र एवं श्री रामपाल द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, [x x x]

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं, जो कुछ बोला जा रहा है वह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में अवैध रूप से जहरीली शराब बनाई जा रही है और वह शराब के जो ठेकेदार हैं, वह बनाकर उसको बोतल में भर रहे हैं तो क्या सरकार इसकी जांच करके इसको बन्द करायेगी या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, इसमें कोई कठोर कार्रवाई करने की बात सरकार सदन में नहीं कह पाई है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

श्रीमन्, प्रदेश में कही भी जहरीली शराब की बिक्री नहीं हो रही है अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। अगर माननीय सदस्य की जानकारी में कुछ हो तो वह लिखकर दे दें उस पर फौरन कार्यवाही की जायेगी।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, तारांकित प्रश्न का जो भाग बाकी है वह भी प्रदेश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। मान्यवर, समय की सीमा को आप देखें।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि कोई भी माननीय सदस्य अगर कोई अच्छी नीति के बारे में बतायेंगे तो उसको भी सरकार लागू कर सकती है इस संदर्भ में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश मद्य निषेध कार्यक्रम के अन्तर्गत शराब छोड़ने और शराब न पीने के बारे में सरकार प्रचार-प्रसार करती है। जो लोग शराब नहीं पीते हैं, या शराब पीकर छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने के लिए अथवा सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के लिए सरकार ने कोई नीति बनायी है ?

श्री अधिष्ठाता–

यह मूल प्रश्न से बहुत अलग है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आपने व्यवस्था दे दी है। अलग से माननीय सदस्य प्रश्न कर लेंगे, उसका जवाब दे दिया जायेगा।

नोट :–[xxx] श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में प्रावमिक एवं उच्च प्रावमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाये जाने संबंधी सरकार की नीति

*1—श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए सरकार कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं । इनके माध्यम से लक्ष्य वय वर्ग के बच्चों को पहुंच के अन्दर विद्यालयों की स्थापना करना एवं शैक्षिक वातावरण को आकर्षक एवं रोचक बनाने का कार्यक्रम संचालित हो रहा है ताकि बच्चों का विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित हो सके । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शिक्षा जगत से जुड़ा सवाल है । आप इस बात से सहमत होंगे कि विश्व की दौड़ में उत्तर प्रदेश का शिक्षा स्तर बहुत नीचा है । एक सर्वेक्षण के आधार पर 1951 से 1999 के बीच में छात्रों की संख्या में 16 गुना वृद्धि हुई है जबकि इस दौरान अध्यापकों की बढ़ोत्तरी मात्र 4 गुना हुई है । मैंने सवाल किया कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा को क्या सरकार अनिवार्य करेगी ? इसका गोलमोल उत्तर आया है । इसके संबंध में और निवेदन कर दूँ कि यह उत्तर प्रदेश शासन की नीति है कि 800 की आबादी और 3 किमी० की दूरी पर एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय होगा, अगर इस मानक को ही मान लिया जाय तो 2 हजार विद्यालयों की आवश्यकता है । इसी प्रकार जो प्राथमिक विद्यालयों को जो मानक है, उसके अनुसार 5 हजार विद्यालयों की आवश्यकता है, इस संबंध में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस मानक के अनुरूप इस वित्तीय वर्ष में विद्यालयों की स्थापना कर देगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जो मानक है, उस मानक के हिसाब से यदि 2 हजार विद्यालय स्थापित हो जाय तो हम उस मानक को प्राप्त कर लेंगे, इसके लिये भारत सरकार से अनुरोध किया गया है । जहाँ तक प्राथमिक विद्यालयों की बात है, उसको जो मानक है, उस मानक को लगभग हमने पूरा कर लिया है, 5 कि०मी० की परिधि और 300 की आबादी, हम उस मानक के पास हैं और बाकी के लिये भारत सरकार से अनुरोध किया है, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिये ।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मूल प्रश्न में प्रश्नकर्ता ने पूछा था, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के संबंध में और मंत्री जी ने बता दिया कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु तमाम कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है और इसे प्रत्येक नागरिक को देने की बात संविधान में कही गई है, यह नीति निर्देशक सिद्धान्त है । मान्यवर, प्रदेश में सब के लिए शिक्षा कार्यक्रम लम्बे अरसे से चलाया जा रहा है । मान्यवर, प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि क्या सरकार द्वारा शिक्षा की अनिवार्यता के लिए कोई नीति बनाने का प्रयास किया जा रहा है । इसका स्पष्ट उत्तर माननीय मंत्री जी की तरफ से आना चाहिए था, उन्होंने इसका घुमा फिरा कर उत्तर दे दिया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में सरकार को क्या कठिनाई है ? जो विद्यालय खोले जा रहे हैं और जो अनुपात शिक्षकों और विद्यार्थियों

का होना चाहिए, उसका पालन नहीं हो रहा है। विद्यार्थियों के प्रवेश तो हो जाते हैं लेकिन उनका शिक्षा प्रबन्धन बहुत ही खराब है। क्या सरकार इसको भी सुनिश्चित करेगी कि जैसा अनुपात होना चाहिए उस अनुपात में अगले जुलाई सत्र से अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जायेगी। क्या ऐसा आश्वासन सरकार देगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि केवल अनिवार्य शिक्षा के लिए कानून बनाना ही काफी नहीं है। उसके लिए आवश्यक है कि बच्चों की पहुँच में विद्यालयो की स्थापना, उन विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध कराना अध्यापकों की नियुक्ति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। केवल मुकदमा दर्ज कराने से काम नहीं चलेगा। इसके लिये आवश्यक है कि अभिभावकों को जागृत किया जाय कि वे बाल–बालिकाओं को स्कूल भेजें और स्कूल के लिए सारी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे। यह इस योजना को चौतरफा प्रयास है और इससे हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। हमने जुलाई में स्कूल चलों अभियान चलाया था और 74 लाख नए बच्चों का नामांकन इस वर्ष हुआ था जो गत वर्ष से साढ़े चार गुना अधिक है। इसलिए इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में अवगत कराना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अब एक भी बी०टी०सी० बेरोजगार नहीं है, सबको घर से बुलाकर सेवा में लिया गया है। उसके बाद भी अध्यापकों की कमी को देखते हुए 27000 बी०एड० प्रशिक्षकों में से चयन किया गया है और पारदर्शी नीति के आधार पर उनको 3 महीने का प्रशिक्षण देकर उन्हें विद्यालयों में नियुक्त कर दिया गया है। प्रदेश में 20 हजार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की कार्यवाही चल रही है तांकि हम मानक के अनुसार अध्यापक दे सकें. यह हमारा प्रयास है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी बाजपेयी जी का सीधा–सीधा प्रश्न है कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की अनिवार्यता संविधान में है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, सार्वभौमिकरण अनिवार्य शिक्षा का ही एक प्रकार से पार्यायवाची है। हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध हो सके।

कुँवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी यह नहीं बता पा रहे हैं कि अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने में उन्हें क्या कठिनाई है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा और पूर्व माध्यमिक शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। लेकिन मान्यवर, इधर विगत कई वर्षों से इसका स्तर इतना खराब हो गया है कि कोई भी अभिभावक प्राथमिक विद्यालय में अपने बच्चे-बच्ची को भेजने के लिए तैयार नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में एक विद्यालय में कितने अध्यापक रखने का मानक है और कितने हैं ? दूसरी बात यह जानना चाहूँगा कि शिक्षा मित्र और शिक्षा आचार्य रखने का प्राविधान किया गया है इसकी क्या आवश्यकता हुई जब बी०टी०सी० और बी०एड० ट्रेण्ड बच्चे उपलब्ध हैं तो अनट्रेन्ड युवक को शिक्षा मित्र के रुप में रखने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी बता चुके हैं कि जब एक भी बी०टी०सी० का व्यक्ति बरोजगार नहीं बचा है।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, माननीय सदस्यगण कई बार माननीय सदन में इस बात की चिन्ता व्यक्त करते हैं कि अध्यापकों की समय से उपस्थित विद्यालयों में नहीं होती है, अध्यापक दूर जाना नहीं चाहते हैं इसीलिए यह व्यवस्था की गयी कि गाँव के किसी शिक्षित नौजवान को, गाँव की पंचायत मेरिट के आधार पर

चयन करे और वह गाँव में प्रत्येक दिन रहे और पढ़ाये इस व्यवस्था से जो हमारा एक और चालीस का मानक है उसको भी प्राप्त कर सकेंगे और स्थानीय स्तर पर अध्यापक भी उपलब्ध करा सकेंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह सत्य है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में, विद्यालय होने के बावजूद बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, वहीं गाँव या मोहल्ले में जो नर्सरी विद्यालय हैं उनमें बच्चे जा रहे हैं । इसका कारण यह है कि जो मूलभूत सुविधायें और अवस्थापना सुविधायें मिलनी चाहिये वह प्राइमरी विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाना या संकल्प करना अलग बात है, क्या आपने कोई समयबद्ध योजना शिक्षा की मूलभूत सुविधायें यथा अध्यापक विद्यालय ब्लैक-बोर्ड टाट-पट्टी इत्यादि के लिए बनाया है ? यदि है, तो कितना समय रखा है और उस योजना को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष कितने धन की आवश्यकता होगी जो आप उपलब्ध करा सकेंगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो बात कही है यह बात आंशिक रूप से सत्य है कि संसाधनों के अभाव के कारण हमारे विद्यालय आकर्षक नहीं हैं । विद्यालयों को संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश में सहायतित योजना चल रही है । 54 जनपदो में वाह्य सहायतित योजनायें चल रही हैं जिसमें विद्यालय खोलने, संसाधन उपलब्ध कराने, हैण्ड पम्प, शौचालय निर्माण आदि शमिल है । 17 जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ हो रहा है जिसमें अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करायें जायेंगे ताकि अपने विद्यालयों को भी आकर्षक और सुन्दर बना सकें । सर्व–शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2003 तक 5वीं कक्षा में सभी बच्चों का नामांकन और 2007 तक 8वीं कक्षा में शत–प्रतिशत बच्चों के नामांकन का लक्ष्य रखा गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से दो प्रश्न पूछे हैं पहला यह है कि विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध कराने के लिए आपने कोई योजना बनायी है, समयबद्ध कार्यक्रम रखा है तो उसमें कितना पैसा खर्च होगा तथा उस पैसे की क्या व्यवस्था की है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, यह सतत् प्रक्रिया है, जो भवन बनाये जा रहे हैं उनमें मरम्मत होगी कुछ नये विद्यालय खुलेंगे । जिस योजना का उल्लेख मैंने किया है उसमें आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध कराया जा रहा है और उस लक्ष्य को भी इंगित किया है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इस संबंध में क्या आपने मुझे दोनों का उत्तर देने का कष्ट करेंगे ? मैं आपसे चाहूँगा सारी योजना सामने रखें कि इतने धन का प्राविधान किया गया है ?

श्री अधिष्ठाता–

मा० मंत्री जी सीधा प्रश्न है क्या कार्य योजना समयबद्ध बनायी है ? क्या उसके लिए धन की व्यवस्था की है ?

श्री बालेश्वर त्यागी –

मान्यवर, योजना में धन की व्यवस्था है । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में 627 करोड़ रुपये की व्यवस्था है । सर्व शिक्षा अभियान की प्रक्रिया को चलाया गया और उसके लिए धन दिया गया ।

श्री जगदम्बिका पाल –

ये प्रश्न बुनियादी शिक्षा के संबंध में है और इसकी महत्ता को देखने के लिए स्वयं मा० मंत्री जी ने स्वीकार किया है । 54 जिलों में प्रदेश में बी०एड० विद्यालय चल रहे हैं और आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना के माध्यम से बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने का प्रयास हो रहा है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आज भी प्रदेश में बी०एड० प्रशिक्षण में लगभग 25 हजार लोग ट्रेंड हैं, तो क्या उनको प्राथमिकता एजुकेशन के आधार पर उनकी सीधी भर्ती करेगे ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, प्रदेश में शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए 1997 में जो बी०टी०सी० की परीक्षा हुई थी उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है । 1991 में जो परीक्षा हुई है उसका परिणाम घोषित करने उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है । अध्यापक और छात्र जो 50–50 हैं उसको बढाक़र 100 कर दिया ताकि ट्रेंड अध्यापक सुनिश्चित हो सके । यह व्यवस्था की जा रही है जो शिक्षा मित्र व्यवस्था है उसमें भी बी०एड० प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध हैं उनको प्राथमिकता दी जायेगी और शिक्षा मित्र पर रखे जायेंगे, उनको भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है । (व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

मा० अधिष्ठाता महोदय, हमारे पास जो आंकड़े हैं जो पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें जो छात्र और अध्यापक के आंकड़े हैं आपके पास होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कक्षा 5 तक कितने प्रदेश में ऐसे छात्र हैं जो स्कूल को छोड़ जाते हैं । आपके आंकड़े यह कहते हैं कि ठहराव आ गया है, ठहराव की स्थिति का क्या कारण है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

माननीय सदस्य ने जो कहा है कि वह कक्षा 8 तक का ड्राप आउट रेट है वह 40 प्रतिशत है ।

श्री धनीराम वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में बहुत से लोग बेरोजगार हैं । उनको रोजगार देने के लिये शिक्षा मित्र नियुक्त किये गये हैं । जानना चाहता हूँ क्या अब भी बेरोजगार बी०टी०सी० हैं और बी०एड० के लोग बेरोजगार हैं ? यदि हां तो उनकी नियुक्ति न करके अनट्रेंड लोगों को क्यों रखा जा रहा है ? दूसरी बात मंत्री जी ने बताया कि 1–40 का अनुपात है अध्यापक और छात्रों का तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस अनुपात के अनुसार कितने अध्यापकों की आवश्यकता है ? कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां पर अभी हेडमास्टर नियुक्त नहीं है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने जानकारी चाही है कि कितने बी०टी०सी० बेरोजगार हैं । तो उत्तर प्रदेश में 33–44 अवसर प्रदान किये गये हैं जिससे अब कोई बी०टी०सी० का व्यक्ति बेरोजगार नही है । एक विशेष अभियान सरकार ने चलाया था और बी०टी०सी० अध्यापकों 27 हजार लोगों को चयनित किया था, उनको ट्रेनिंग देकर विशिष्ठ बी०टी०सी० का प्रमाण पत्र देकर सेवा में लेकर व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है ।

जो बी०एड० पास हैं वह ज्यादातर शहरों में रहना चाहते हैं । हमारे ऊपर दबाव भी डलवाते हैं कि शहरों के पास नियुक्त किया जाय । मान्यवर, अध्यापकों के आरक्षण में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण है । दूर दराज के गांवों में महिलाओं को जाने में कठिनाई होती है । हमारे जो दूर–दराज के विद्यालय हैं उनमें जो अध्यापक हैं वह शहरों में रहना चाहते हैं किसी न किसी कारण से वह शहरों में रहना चाहते हैं । इसलिये हमने शिक्षा मित्र योजना पर विचार किया और गांवों के नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा इसीलिये शिक्षा मित्र की व्यवस्था की गयी है ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया लेकिन स्पष्ट उत्तर मेरे प्रश्न का नहीं दिया है मैंने कहा था कि कृपा करके यह बतलाने का कष्ट करें कि बी०एड० प्रशिक्षण प्राप्त किये हुये कितने लोग अब भी बेरोजगार हैं और कितने लोग अब भी बी०टी०सी० प्रशिक्षण प्राप्त किये हुये बेरोजगार हैं। आपने उत्तर दिया है कि बी०टी०सी० और बी०एड० प्रशिक्षित लोग देहातों में जाना नहीं चाहते हैं। यह बात सही है कि देहात में जाना नहीं चाहते हैं लेकिन देहात में अब भी बी०एड० बेरोजगार हैं तो आप उनको देहात में नियुक्त करिये। आप सख्ती कीजिये और शहर के आदमी को देहात भेजिये। अगर वह इंकार करते हैं तो उनके ऊपर सख्ती करें नौकरी करनी होगी तो जायेंगे। लेकिन सरकार टालने वाली बात कर रही है। शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पहली बात यह है कि मानकों के अनुसार शिक्षक नहीं हैं। हजारों विद्यालय ऐसे हैं जहां पर हेड मास्टर नहीं है। जो शिक्षा का आर०एस०एस०सी० करण करने के लिये शिक्षा मंत्री जी ने यह व्यवस्था की है। शिक्षा में पार्टी बंदी करने की कोशिश किया है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(नेता विरोधी दल श्री धनीराम वर्मा ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने सम्बन्धी विचाराधीन प्रकरण

*2—श्री श्याम देव राय चौधुरी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां। प्रकरण मा० वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए पंचम वेतन आयोग की सिफारिशें लागूं करने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए वर्तमान सरकार बधाई की पात्र है। मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन सिफारिशों को लागू करने से कितने शिक्षक लाभान्वित होंगे और उन पर कितना अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सिफारिशों को लागू करने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गयी है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

माननीय सदस्य ने जो जिज्ञासा व्यक्त की है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपनी घोषणा में कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए 6 माह का समय दिया है। छह माह में समिति अपनी रिपोर्ट मुख्य मंत्री जी और मंत्रि-परिषद् को सौंप देगी। तदनुसार उस पर निर्णय किया जाएगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

यह 6 माह कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

यह जून तक पूरा हो जाएगा।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि यह सिफारिशें लागू कर दी जाती हैं तो प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की वह संख्या क्या होगी जो इससे लाभार्थी होंगे तथा उन पर कितना अतिरिक्त व्यय भार आएगा ?

श्री अधिष्ठाता–

रिपोर्ट में यही सब बिन्दु हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

यह सही है कि संस्तुति पक्ष में भी आ सकती है और विपक्ष में भी। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह संख्या क्या है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

पांचवें वेतन आयोग का विषय केवल प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों तक नहीं है इसमें सभी अध्यापकों के बारे में विचाराधीन है।

श्री अधिष्ठाता–

अध्यापकों की संख्या क्या है और कितना व्यय भार आएगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जो कमेटी की रिपोर्ट आयेगी उसमें यह सब समाहित होगा जहां तक संख्या का सवाल है यह साढ़े तीन लाख है। साढ़े तीन लाख प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या है। कितना व्यय भार आएगा इसमें प्रारम्भिक अनुमान है यह अन्तिम अनुमान नहीं है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार 4 अरब 64 करोड़ से ज्यादा व्यय भार केवल प्राथमिक शिक्षकों पर आएगा प्रतिवर्ष यह होगा। बकाया देने पर 16 अरब 8 करोड़ से अधिक व्यय भार आएगा। इसका अन्तिम आंकलन वित्त विभाग वाले कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसी के साथ मेरा प्रश्न भी था।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

इसी तरह का मेरा प्रश्न था कि क्या शिक्षा मंत्री शिक्षकों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर विचार कर रहे हैं। यह सचिवालय में मेरा प्रश्न इस प्रश्न के साथ नत्थी नहीं हुआ। मैं इस व्यवस्था की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसको दिखवा लूंगा।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग द्वारा दी गयी संस्तुतियों का लाभ दिये जाने सम्बन्धी विचाराधीन प्रकरण

*3—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों का लाभ दिये जाने पर निर्णय ले लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों का लाभ दिये जाने के संबंध में विचार करने हेतु मा० वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 12-1-2001 के शासनादेश द्वारा किया गया है। सम्प्रति प्रकरण विचाराधीन है।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, सरकार ने एक निर्णय लिया और समिति का गठन किया। समिति को जो रिपोर्ट देनी है क्या उसकी समयावधि निर्धारित है ? अगर निर्धारित हुई है तो कब तक हो जाएगी ?

श्री चन्द्र किशोर–

6 माह में।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट :–नत्थी "ख" तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

[तीसरे मंगलवार के लिए स्थगित]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बढ़ती हुई शिक्षित बेरोजगारों की संख्या के कारण लोक सेवकों की आयु घटाने सम्बन्धी कथित प्रकरण

*1—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उनके (शिक्षित बेरोजगारों) के लिये सेवा के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से लोक सेवकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो किस तिथि से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, लखनऊ द्वारा जातिवाद व सम्प्रदायवाद को समाप्त करने हेतु साहित्य प्रकाशन पर व्यय का विवरण

*2—श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे मंगलवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद को समाप्त करने के लिये दिनांक 1 अप्रैल, 1997 से 31-12-1998 तक कौन-कौन प्रगतिशील साहित्य प्रकाशित किये गये तथा उस पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

जातिवाद एवं सम्प्रदायवाद को समाप्त करने की दिशा में दिनांक 01 अप्रैल, 1997 से 31-12-98 के मध्य कुल 22 प्रगतिशील साहित्य का प्रकाशन किया गया ।

कुल रु० 7,55,522.00 धनराशि व्यय की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं एवं उच्च अधिकारियों की चल एवं अचल सम्पत्तियों की जांच की मांग

*3—श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ताओं एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों ने सेवा में आने से पूर्व अपनी चल व अचल सम्पत्ति का ब्यौरा विभाग में प्रस्तुत किया था ? क्या उस समय तथा सेवा में आने के बाद उनकी सम्पत्ति की स्थिति की जांच उनकी आय को दृष्टिगत रखते हुये करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी हां, सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति के समय चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा दिया जाना अनिवार्य है ।

विभाग के समस्त अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच सामान्य रूप से कराये जाने का सेवा नियमावली में कोई नियम नहीं है, किन्तु यदि कोई प्रकरण विशेष, शासन के संज्ञान में आता है, तो जांच कराये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में हरे भरे पेड़ों के कटान को रोकने के लिए वानिकी पुलिस बल को बढ़ाये जाने की मांग

*4—श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हरे भरे एवं सरकारी पेड़ों की बड़े पैमाने पर कटान स्थानीय पुलिस की अनुमति एवं संरक्षण में हो रहा है ? क्या इसको रोक न पाने का कारण वानिकी संरक्षण पुलिस की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार वानिकी संरक्षण सुरक्षा दल बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

जी नहीं ।

वानिकी संरक्षण पुलिस का कोई गठन नहीं किया गया है ।

वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वानिकी संरक्षण सुरक्षा दल बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की मांग

*5–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 1-1-1986 के उपरान्त तथा 1-1-1996 से पूर्व विश्वविद्यालय के सेवा निवृत्त एवं मृतक शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये पारिवारिक पेंशन की धनराशि दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के 50 प्रतिशत से कम न होने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत प्रकरण अभी शासन के विचाराधीन है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा की सादी उत्तर पुस्तिकाएं इलाहाबाद पुलिस द्वारा प्राप्त होने पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

*6–श्री हरदेव सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्रयोग करने हेतु गत वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी सादी उत्तर पुस्तकें जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजी गई ? उत्तर पुस्तिकाओं में से अवशेष सादी उत्तर पुस्तिकाओं का डिस्पोजल किस प्रकार किया जाता है ? क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की 40 हजार उत्तर पुस्तिकायें इलाहाबाद के थार्न हिल पुलिस चौकी के उपनिरीक्षक श्री हरि शंकर उपाध्याय एवं कांस्टेबिल श्री रामाराव द्वारा जनवरी, 1999 में पकड़ी गयी थी ? यदि हां, तो इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराने हेतु कौन अधिकारी दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

गत तीन वर्षों में हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में प्रयोग करने हेतु निम्नांकित संख्या में सादी उत्तरपुस्तिकाओं का निर्माण कराकर प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजा गया :–

वर्ष	हाईस्कूल	इण्टरमीडिएट
1998	37400000	15050000
1999	35500000	14300000
2000	38300000	15800000

परीक्षणोपरान्त अवशेष सादी उत्तर पुस्तिकायें जिला विद्यालय निरीक्षक से वापस मंगाकर उन्हें राजकीय मुद्रणालय को इस निर्देश के साथ वापस कर दी जाती हैं कि इन उत्तर पुस्तिकाओं को आगामी वर्ष का परिछिद्रण कराकर परीक्षा प्रयोग हेतु सुरक्षित रखे ।

जी नहीं । लगभग 5000 सादी उत्तर पुस्तिकायें थार्न हिल रोड पुलिस चौकी के उपनिरीक्षक एवं कान्स्टेबिल को लावारिस प्राप्त हुयी थी ।

प्रकरण में विभागीय जांच के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में गिद्ध प्रजाति के लुप्त होने की संभावना को देखते हुये सरकार द्वारा बचाने हेतु किये गये प्रयासों की जानकारी

*7–श्री फरीद महफूज किदवई–

क्या सरकार को ज्ञात है कि गिद्ध प्रजाति का पक्षी लुप्त होने की कगार पर है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसे लुप्त होने से बचाने हेतु कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

उत्तर प्रदेश में गिद्धों की संख्या कम होने का आभास विभिन्न स्तरों पर किया गया है । किन्तु अभी तक इनकी प्रजाति के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न होने के प्रमाण नहीं है । विभिन्न पक्षी प्रजातियों की वंश वृद्धि एवं संरक्षण के लिये उत्तर प्रदेश में 12 पक्षी विहार स्थापित किये गये हैं । पक्षी विहारों के अतिरिक्त अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भी गिद्ध सहित लगभग सभी पक्षी प्रजातियों को तथा उनके प्राकृतवास को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है ।

जनपद एवं तहसील फिरोजाबाद के ग्रामों में सिंचाई के लिए नहर में पानी की व्यवस्था की मांग

*8–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि राजवाहा, फिरोजाबाद के आखिरी छोर पर स्थित फिरोजाबाद तहसील के ग्राम सैलई आसफाबाद, गाजीपुर, पहाड़पुर, बरगदपुर, जमालपुर, नगला मुल्ला–फटोंहपुर आदि ग्रामों में सिंचाई के लिये नहर में पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त गांवों तक सिंचाई के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

फिरोजाबाद शहर नया जनपद बन जाने के कारण फिरोजाबाद राजवाहा के कि०मी० 36.0 से 42.1 के बीच में दोनों पटरियों तक गहन आबादी के निर्माण होने के कारण कृषि योग्य भूमि नहीं रह गई है । इस आबादी के कारण आबादी का कबाड़ भी कालोनीवालों द्वारा राजवाहे में डाल दिया जाता है । फिरोजाबाद राजवाहे के कि०मी० 36.0 से 42.1 के बीच फिरोजाबाद जनपद के ग्राम–सैलई, आसफाबाद पड़ते हैं शेष ग्राम फिरोजाबाद राजवाहे के 42.1 कि०मी० के नीचे पड़ते हैं । फिरोजाबाद राजवाहा की शीर्ष पर कम पानी उपलब्ध होने तथा कि०मी० 36.0 के नीचे बसी आबादी द्वारा राजवाहा में कबाड़ डाल दिये जाने के कारण 36.0 कि०मी० से नीचे पानी पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है ।

जी हां ।

मध्य गंगा परियोजना के अन्तर्गत समानान्तर हाथरस शाखा के किमी० 62.4 पर अतिरिक्त जल उपलब्ध होने पर पानी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा । पानी पहुंचने के लिये फिरोजाबाद राजवाहे के किमी० 36.0 से 42.1 की बीच लाईनिंग की भी आवश्यकता होगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*9–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[3 सरे सोमवार में ता० प्र० सं०–10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में नहरों व राजकीय नलकूपों से सिंचाई शुल्क निर्धारण की व्यवस्था की मांग

*10–श्री श्रीराम पाल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नहरों व राजकीय नलकूपों से कृषि भूमि के पलेवा व सिंचाई शुल्क के निर्धारण की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्या और क्यों ? क्या राजस्व विभाग के लेखपालों द्वारा पुराने खसरों में दर्ज जिन्स व सिंचाई को ही आधार मानकर बिना पड़ताल के ही सिंचाई शुल्क का निर्धारण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या पड़ताल कराकर ही सिंचाई शुल्क निर्धारण की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । राजकीय नलकूपों के ग्राम पंचायतों का स्थानान्तरण के फलस्वरूप इनसे सिंचाई हेतु जल मूल्य का निर्धारण करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है, परन्तु वर्तमान में नहरों से सिंचाई हेतु जल मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

यह सही नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

*11–श्री संजय गर्ग–

[3रे सोमवार में तारां० प्र० सं०–6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में कन्या डिग्री कालेज की स्थापना का प्रकरण

*12–श्री शिव सिंह चक–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद–फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में कन्या डिग्री कालेज न होने के कारण यहां से कन्याओं को आगरा व फिरोजाबाद 30 कि०मी० दूर जाना पड़ता हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार टूण्डला में कन्या डिग्री कालेज की स्थापना करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

ठाकुर वीरी सिंह महाविद्यालय, टूण्डला में सह शिक्षा की व्यवस्था है ।

प्रदेश के वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण की मांग

*13–श्री लालजी वर्मा–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 27-9-99 को वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण किये जाने का आदेश दिया था ? क्या शासन द्वारा समूह "ग" के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण एक माह के भीतर किये जाने हेतु दिनांक 28-12-99 को एक शासनादेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27-9-99 द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित करने की अनुमति प्रदान की गयी थी ।

सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 28-12-99 को नहीं बल्कि दिनांक 20-12-99 को जारी किया गया है ।

विनियमितीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है ।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों के लिए लोक सेवाओं में घटते अवसरों को देखते हुए उनकी अधिवर्षता आयु घटाने संबंधी कथित प्रकरण

*14–श्री राम ललित चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने विभिन्न विभागों के दस हजार पद प्रतिवर्ष समाप्त करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या शिक्षित बेरोजगारों के लिये लोक सेवाओं में घटते अवसरों को देखते हुये उनके लिये लोक सेवाओं में अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से लोक सेवकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से घटाकर 55 वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*15–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री रमेश राही तथा श्री जगदम्बिका पाल–

[3सरे सोम० में ता० प्र० सं०–20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा में गड्ढा मुक्त योजना के अन्तर्गत नवीनीकरण योजना में धन आवंटित करने की मांग

*16–श्री राम विशुन आजाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा में मनकापुर-मसकनवा-बभनान मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं ? क्या सरकार गड्ढा मुक्त योजना के अन्तर्गत/नवीनीकरण योजना में धन आवंटित कर उक्त सड़कों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत मार्ग को गड्ढा मुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में एक्सप्रेस हाइवे योजना बनाने संबंधी प्रकरण

*17–डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एक्सप्रेस हाइवे बनाने की कोई योजना भारत सरकार को भेजी गयी हैं ? यदि हां, तो उनमें कौन-कौन से मार्ग है ? उनकी अद्यतन स्थिति क्या है ? उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के उप अभियन्ताओं के वेतनमान में संशोधन की मांग

*18–श्री बनवारी लाल दोहरे–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत लगभग 300 उप-अभियन्ताओं को, लोक निर्माण विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ताओं को 5 वर्ष की सेवा के उपरान्त वेतनमान रु० 1640-2900 का लाभ न दिये जाने से निर्माण निगम के उप अभियन्ताओं का वेतनमान लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ताओं से कम हो गया है ? क्या यह सही है कि पूर्व में लोक निर्माण विभाग में अवर अभियंन्ताओं का वेतनमान रु०550–950 था जबकि निर्माण निगम के उप अभियन्ताओं का वेतनमान रु० 620–1100 था ? यदि हां,तो क्या सरकार निगम के उप अभियन्ताओं को वेतनमान को संशोधित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

समता समिति 1989 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता पद एवं उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० के उप अभियन्ता पद के लिए अलग-अलग वेतनमान क्रमशः रुपये 1400-2300 एवं रुपये 1400-2600 स्वीकृत किये गये । लोक निर्माण विभाग में 5 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूरी होने के पश्चात् अवर अभियन्ताओं के 75 प्रतिशत पदों पर रुपये 1640-2900 का वेतनमान स्वीकृत किया गया तथा निर्माण निगम के उप-अभियन्ताओं को 10 वर्ष की सेवा के बाद रुपये 2060–2900 का वेतनमान स्वीकृत किया गया । इस कारण उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम के उप-अभियन्ताओं एवं लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ताओं के वेतनमान की तुलना नहीं की जा सकती है ।

पूर्व में लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ताओं का वेतनमान रुपये 515–860 था तथा निर्माण निगम के उप अभियन्ताओं का वेतनमान रुपये 620–1100 था ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समता समिति, 1989 द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ही राजकीय निर्माण निगम के उप अभियन्ताओं तथा लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ताओं के लिए अलग-अलग वेतनमानों की संस्तुति की गयी जिसे शासन द्वारा स्वीकार किया गया है ।

प्रदेश में संचालित प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं के अल्प वेतनमान एवं छात्र-छात्राओं से लिये गये मनमानी फीस पर नियंत्रण की मांग

*19—श्री उदय राज यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित प्राइवेट इंगलिश मीडियम स्कूलों में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं के अल्प वेतन एवं छात्र/छात्राओं से लिये जा रहे मनमाने फीस को नियंत्रित करने हेतु कोई नीति निर्धारित की जायेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

इस संबंध में विचार किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में राज्य जल परिषद् द्वारा पेयजल नीति बनाये जाने की मांग

*20–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गम्भीर पेयजल समस्या को देखते हुये केन्द्र सरकार द्वारा फरवरी 1995 में एक राज्य जल परिषद् का गठन कराया गया था ? यदि हां, तो क्या राज्य जल परिषद् ने प्रदेश में पेयजल संकट को हल करने के लिये कोई जल नीति तैयार की है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां,

भारत सरकार ने "राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद्" के तत्वावधान में वर्ष 1987 में राज्यों और संघीय क्षेत्रों द्वारा ग्राह्य राष्ट्रीय जल नीति अपनायी है तथा उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या–184/96-27-सि–4-3डब्लू/96, दिनांक 5-2-1996 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जल परिषद् की स्थापना की गयी है ।

राज्य जल परिषद् ने पेयजल एवं जल के अन्य उपयोग जैसे सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा उत्पादन आदि के व्यापक एवं इष्टतम उपयोग के उद्देश्य हेतु मई 1999 में राज्य जल नीति तैयार की है ।

राज्य जल नीति के प्रस्तर 10.1 में निम्नानुसार प्राविधान किया गया है :–

"वर्ष 2025 तक की पूर्ण नगरीय तथा ग्रामीण आबादी के लिये पेयजल तथा घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होनी है । वर्तमान में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों की आपूर्ति क्रमशः 1.7 अरब घनमीटर तथा 2.6 अरब घनमीटर है । नगरीय तथा ग्रामीण आबादी की परियोजनान्तर्गत मांग लगभग क्रमशः 3.2 अरब घनमीटर तथा 4.6 अरब घनमीटर होगी । इन मांगों/आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जल वितरण करना ही राज्य के जल संसाधनों पर सर्वप्रथम भार (बोझ) होगा ।"

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में राजकीय शिक्षकों के वेतनमान के सम्बन्ध में पूर्व की भांति लागू शर्तें व प्रतिबन्ध

1–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतनमान में चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान देने की समयावधि का निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो वह समयावधि क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त निर्धारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री चन्द्र किशोर–

जी नहीं ।

चयन वेतनमान एवं प्रोन्नति वेतन के संबंध में निर्धारित शर्तें व प्रतिबन्ध पूर्व की भांति ही लागू हैं । इसमें कोई परिवर्तन/संशोधन आदि नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महर्षि दयानन्द शिक्षा संस्थान, सोंख, जनपद मथुरा को स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने की मांग

2—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महर्षि दयानन्द शिक्षा संस्थान सोंख जनपद मथुरा को स्थाई मान्यता प्रदान करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–29719/मथुरा/99, दिनांक 1-1-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

पत्र अध्यापकों के अनुमोदन से सम्बन्धित है। अनुमोदन हेतु संस्था के प्रधानाध्यापक से पत्रजात मांगे गये हैं जो अद्यावधिक अप्राप्त है।

मकतब प्राइमरी पाठशाला कम्हरियां, क्षेत्र पंचायत मेंहदावल, जनपद सन्त कबीर नगर में परिषदीय विद्यालय में ग्राम पंचायतों को नियुक्ति के अधिकार की मांग

3—श्री अब्दुल कलाम–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मकतब प्राइमरी पाठशाला कम्हरियां क्षेत्र पंचायत मेंहदावल जनपद–सन्त कबीर नगर में वर्तमान समय में कुल 9 (नौ) अध्यापक एवं कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत छात्रों की संख्या 470 है ? क्या उक्त मकतब में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा वांछित योग्यता के अनुसार अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या सरकार उन्हें बी० टी० सी० ट्रेन्ड के समकक्ष मानते हुए परिषदीय विद्यालय की भांति वेतन आदि के भुगतान की प्रक्रिया में लेगी ? क्या त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था में उक्त विद्यालयों को परिषदीय विद्यालय घोषित कर विद्यालय में छात्रों की संख्या के अनुपात में ग्राम पंचायतों को नियुक्ति का अधिकार सरकार देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

समय-समय पर यथा संशोधित उ० प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन शासन द्वारा प्रदेश को समस्त जिला पंचायत या नगर पालिकाओं के नियंत्रणाधीन उक्त अधिनियम के प्रभावी होने के पूर्व संचालित बेसिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों को उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन अन्तरित किया गया है। उक्त निकायों के अन्तरित प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य कोई विद्यालय उक्त परिषद् के अधीन अन्तरित करने के संबंध में कोई प्राविधान नहीं है। उक्त स्थिति में प्रश्न में इंगित विद्यालय को उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन लिया जाना अथवा परिषदीय विद्यालय घोषित करना अथवा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत परिषद् के अधीन ग्रहण किया जाना सम्भव नहीं है। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

नेशनल इण्टर कालेज, शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर में रिकार्ड में हेराफेरी में अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

4—श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री एवं उनके द्वारा नेशनल इण्टर कालेज शिकारपुर जिला बुलन्दशहर में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा रिकार्ड में हेराफेरी की जांच जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से करायी गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त जांच जिलाधिकारी बुलन्दशहर के अर्ध शासकीय पत्रांक 504(1) एस०टी०डी०एम०/98 दिनांक 15 सितम्बर, 1998 द्वारा

सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षा निदेशक माध्यमिक को प्रेषित की गयी ? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये ? क्या दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री कृष्ण लाल विश्नोई, लेखाकार, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, लखनऊ के विरुद्ध कथित गबन के मामले में कार्यवाही की मांग

5—श्री अक्षयवर लाल–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना लखनऊ के पत्रांक 212/दो–सम्प्रेक्षण–विविध/ गबन/91–92 दिनांक 4-5-91 के अनुसार श्री कृष्ण लाल विश्नोई लेखाकार की 10 लाख रुपये के गबन के मामले में सत्यनिष्ठा सन्देहास्पद एवं कर्तव्यों की अनदेखी का दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लेखाकार को मुख्यालय से तत्काल स्थानान्तरित करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, लखनऊ के पत्रांक : 212/दो-सम्प्रे०-विविध/गबन/91-92 दिनांक 4-5-91 द्वारा प्रारम्भिक जांच आख्या प्रस्तुत की गयी है जिसमें श्री कृष्ण लाल विश्नोई, लेखाकार की सत्यनिष्ठा सन्देहास्पद एवं कर्तव्यों की अनदेखी का उल्लेख है । इस संबंध में सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

सतर्कता विभाग की जांच आख्या प्राप्त होने पर इस प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही यथासमय सुनिश्चित की जायेगी ।

जनपद मथुरा, ग्राम सेहा, पो० कोसी खुर्द पर पुल के निर्माण की मांग

6—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सेहा, पो० कोसी खुर्द, जनपद मथुरा के निवासियों का पत्र जो नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक है विधायक कोष्ठक के पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/22927/मथुरा/99, दिनांक 29-4-1999 द्वारा प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत पुल का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक फरह के ग्राम खेस्ट में सिंचाई की व्यवस्था

7—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक फरह के ग्राम खेस्ट में सिंचाई की व्यवस्था न होने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/22929/मथुरा/99, दिनांक 29-4-99 प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र पर प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग से आख्या प्राप्त की गई । प्राप्त आख्या के अनुसार गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक फरह में ग्राम खेरट यमुना नदी के समीप स्थित है । सिंचाई विभाग द्वारा यमुना नदी पर डाल पम्प नहर बनाकर पाईप लाइन के माध्यम से ग्राम खेरट के कृषि योग्य क्षेत्र की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि रिट याचिका संख्या–537/92 कमांडर सुरेश्वर डी० सिन्हा बनाम भारत सरकार में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के अन्तर्गत ओखला बैराज से नीचे 100 क्यूसेक का जल प्रवाह किया जाना अपरिहार्य है । अतः ओखला बैराज से नीचे यमुना नदी से पानी को लिफ्ट नहीं किया जा सकता ।

जनपद हरदोई, तहसील बिलग्राम के 58 ग्रामों में टेल तक पानी न पहुंचने एवं सींचपालों द्वारा फर्जी सिंचाई दर्ज किये जाने की जांच एवं कृत कार्यवाही

8—डा० धर्मज्ञ मिश्र

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई के 158 ग्रामों में टेल तक पानी न पहुंचने एवं सींचपालों द्वारा फर्जी सिंचाई दर्ज किये जाने की जांच कराये जाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या सी०एम/वि०को०/एम–2/26888/हरदोई, दिनांक 8-9-1999 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, तहसील बिलग्राम, जनपद–हरदोई के 158 ग्रामों में टेल तक पानी न पहुंचने एवं सींचपालों द्वारा फर्जी सिंचाई दर्ज किये जाने की जांच कराये जाने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्र सं०–सी०एम०/वि०को०/एक–2/26888/हरदोई/दिनांक 8--9-1999 प्राप्त नहीं हुआ है । बल्कि तहसील बिलग्राम के 160 ग्रामों में पिछले 10 वर्षों से टेल तक पानी न पहुंचने तथा सींचपालों द्वारा कृषकों पर फर्जी सिंचाई शुल्क लगाने विषयक मा० मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं०–सी०एम०/वि०को०/एम–2/26808/हरदोई/99, दिनांक 30-9-99 प्राप्त हुआ है ।

रबी 1406 फसली तक वास्तविक रूप से जो सींच हुई, वही विभागीय कर्मियों द्वारा दर्ज की गयी है। पूर्व में फर्जी सिंचाई के प्रकरण इन ग्रामों के काश्तकारों से प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरदोई जनपद के बिलग्राम राजबहा की सफाई हेतु धनराशि आवंटित करने की मांग

9–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–2/26889/हरदोई/99 जो हरदोई जनपद के बिलग्राम राजबहा जिसकी लम्बाई 28 कि०मी० है की सफाई हेतु धनराशि आवंटित करने के संबंध में है, पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बिलग्राम राजबहा की सफाई हेतु धनराशि आवंटित करने विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–2/26889/हरदोई/99, नहीं बल्कि मा० मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–2/26809/हरदोई, 99 दिनांक 30-9-99 प्राप्त हुआ है । बिलग्राम राजबहा की लम्बाई–28 कि०मी० नहीं बल्कि इसकी लम्बाई 26.14 कि०मी० है । उक्त पत्र में वर्णित नहरों पर

उपलब्ध वित्तीय सीमित संसाधनों में से वरीयता के आधार पर सफाई कराकर नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

जनपद हरदोई बिलग्राम–राजवहा की सफाई धनराशि आवंटित करने की मांग

10–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्प्यूटर संख्या–सी 1882/887 पत्र संख्या सी०एम०/वि०को०/एम–2/126887/99 जो बिलग्राम–राजवहा जिसकी लम्बाई 28 कि०मी० है की सफाई कराने के संबंध में है मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं। बिलग्राम राजवहा की सफाई हेतु धनराशि आवंटित कराने विषयक कम्प्यूटर संख्या सी–1882/887 पत्र संख्या सी० एम०/वि०को०/एम–2126887/99 प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मा० मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं० सी०एम०वि०को०/एम–2/26807, हरदोई/99 दिनांक 30-9-99 प्राप्त हुआ है। बिलग्राम राजवहा की लम्बाई 28 कि०मी० नहीं है, बल्कि इसकी लम्बाई 26.14 कि०मी० है।

माननीय विधायक जी के सम्बन्धित पत्र दिनांक 29-8-99 में वर्णित नहरों पर उपलब्ध वित्तीय सीमित संसाधनों में से वरीयता के आधार पर सफाई कराकर नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

11–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हरदोई के अन्तर्गत बिलग्राम राजवहा की सफाई हेतु धनराशि आवंटित कराने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को/एम–2/26889/हरदोई/99, दिनांक 8-9-1999 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, बिलग्राम राजबहा की सफाई हेतु धनराशि आवंटित कराने विषयक विधायक प्रकोष्ठ का पत्र सं०–सी०एम०/वि०को०/एम–2/26889/हरदोई/99, दिनांक 8-9-99 प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि विधायक प्रकोष्ठ का पत्र सं० सी० एम०/वि०को०/एम–2/26809/हरदोई/99 दिनांक 30-9-99 प्राप्त हुआ है।

उत पत्र में वर्णित नहरों पर उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों में से आवश्यकता के आधार पर सफाई कराकर नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

12–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[तीसरे मंगलवार के लिए स्थगित]

जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में किसानों का सिंचाई हेतु लोअर कैनाल आगरा द्वारा पानी उपलब्ध कराये जाने की मांग

13–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के लिये किसानों को सिंचाई हेतु लोअर कैनाल आगरा द्वारा पानी उपलब्ध कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक

का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/29609/मथुरा/99, दिनांक 29-12-99 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

लोअर खण्ड, आगरा नहर, आगरा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन की नहरों को जल मांग होते ही माह नवम्बर 1999 के प्रथम सप्ताह तथा माह दिसम्बर, 1999 के द्वितीय सप्ताहों में चला दिया गया था ।

चौधरी चरण सिंह कन्या इण्टर कालेज पीपीगंज गोरखपुर का भूमि क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि

14—श्री समर पाल सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि चौधरी चरण सिंह कन्या इण्टर कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर को भूमि क्रय करने हेतु 5,00,000/–(पांच लाख रुपया मात्र) मार्च/अप्रैल, 1996 में शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि अवमुक्त करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं, महामहिम द्वारा आदेश दिये गये थे परन्तु धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक में न हो पाने के कारण वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद श्रावस्ती में बेसिक शिक्षा अधिकारी/लिपिकों के स्थानान्तरण की मांग

15—डा० वकार अहमद शाह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान में जनपद श्रावस्ती में बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/लिपिकों की तैनाती नहीं की गयी है ? क्या यह सही है कि बहराइच जनपद में सृजित पदों में से 5 पद श्रावस्ती के लिये विभाजित कर दिये गये हैं किन्तु सभी लिपिक बहराइच में ही कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त लिपिकों को जनपद श्रावस्ती में स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जनपद–श्रावस्ती में उप बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद अभी सृजित नहीं हुआ है । कामचलाऊ व्यवस्था के तहत दिनांक 22-2-2002 के आदेश द्वारा श्री अब्दुल मुजीब, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच की तैनाती की गयी है तथा शासनादेश दिनांक 25-6-1997 के द्वारा दो वरिष्ठ लिपिकों के पद जनपद में स्थानान्तरित किये गये हैं तथा एक कनिष्ठ लिपिक का पद सृजित किया गया है ।

जी नहीं, शासनादेश दिनांक 25-6-1997 द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद–बहराइच से श्रावस्ती के लिये वरिष्ठ लिपिक के दो पद विभाजित किये गये हैं तथा एक पद टंकक-कम-लिपिक का सृजित किया गया है ।

जनपद–श्रावस्ती में इस समय एक वरिष्ठ लिपिक तथा एक कनिष्ठ लिपिक कार्यरत है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

16—डा० वकार अहमद शाह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अन्तर्राष्ट्रीय दिव्य शिक्षा समिति संस्थान (नाबा) के कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग

17—श्री समर पाल सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय दिव्य शिक्षा समिति संस्थान (नाबा) राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 2(20) 27 तथा 44 के अधीन स्थापित संस्था है ? क्या यह बी० टी० सी० एन० पत्राचारी प्रशिक्षण संस्था है ? क्या इसके कार्यालय कोठी ठाकुर गोपाल सिंह, ग्राम करेंद, डाकघर गहदो, जनपद–लखनऊ में वर्ष 1996 से लगभग 50–60 कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या उनको विगत चार वर्षों से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त अवशेष वेतन कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । यह संस्था उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित नहीं है ।

जी नहीं ।

इस संस्था की स्थलीय जांच कराई गई । यह संस्था राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन स्थापित न होने तथा राज्य के किसी राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त न होने के कारण उक्त संस्थान में तथा कथित रूप से कार्यरत कर्मचारियों के वेतन की देनदारी राज्य सरकार की नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डी०ए०वी० इण्टर कालेज बिल्थरा रोड बलिया में लिपिक/चौकीदार की नियुक्तियों में दोषी प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कार्यवाही

18—श्री अफजाल अहमद–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी०ए०वी० इण्टर कालेज बिल्थरा रोड, बलिया की प्रबन्ध समिति द्वारा वर्ष 1999 में दो प्रवक्ता, एक लिपिक व एक चौकीदार की नियुक्ति की गई है ? क्या इसके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह शासनादेश का उल्लंघन है ? यदि हां, तो क्या इन नियुक्तियों को निरस्त करते हुए इस अनियमितता में दोषी प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा आहरित वेतन की रिकवरी प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों से करने का आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

कोई नियुक्त नहीं हुई अतः विज्ञापन तथा शासनादेश के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा महर्षि दयानन्द शिक्षा संस्थान, सोख को स्थायी मान्यता का प्रकरण

19–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महर्षि दयानन्द शिक्षा संस्थान, सोंख, मथुरा को स्थाई मान्यता प्रदान करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/

एम–/29719/मथुरा/00, दिनांक 1-1-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

पत्र अध्यापकों के अनुमोदन से सम्बन्धित है । अनुमोदन हेतु संस्था के प्रधानाध्यापक से पत्रजात मांगे गये हैं । जो अधावधिक अप्राप्त है ।

विधान सभा क्षेत्र सफीपुर (उन्नाव) में माइनरों की सफाई कराने तथा पानी को आखिर टेल तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग

20–श्री बाबूलाल कुरील–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सफीपुर (उन्नाव) में वर्ष 1997-98 और वर्ष 1998-99 में माइनरों की सफाई आदि के नाम पर कितना धन आवंटित हुआ है ? क्या आवंटित धन से सभी माइनरों की सफाई कराकर नहरों का पानी आखिरी टेल तक पहुंचाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विधान सभा क्षेत्र सफीपुर (उन्नाव) में वर्ष 1997-98 और वर्ष 1998-99 में नहरों की सिल्ट सफाई के नाम पर क्रमशः रु० 2.971 लाख एवं 2.935 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ ।

उपलब्ध वित्तीय साधनों से नहरों की सिल्ट सफाई करवाकर नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के नगर पंचायत ऊगू के पश्चिम खेतों पर पानी न पहुंचने के बावजूद सींचपाल द्वारा किसानों का नाम दर्ज करने की शिकायत

21–श्री बाबूलाल कुरील–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र सफीपुर उन्नाव के अन्तर्गत आने वाली नगर पंचायत ऊगू के पश्चिमी खेतों पर पानी न पहुंचने के बावजूद भी वहां के सींचपाल द्वारा मौके पर गये बगैर ही वर्ष 1998-99 की सिंचाई किसानों के नाम दर्ज कर दी है ?क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी कर्मचारी को दण्डित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ के इंदारा रजबाहा के रिमाइलिंग एवं पारा सहरोज ख्वाजा जहांपुर बांध के निर्माण में किसानों की ली गयी भूमि के मुआवजे की जानकारी

22–श्री समर पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ के जिलाधिकारी द्वारा प्रमुख सचिव सिंचाई को इंदारा रजबाहा के रिमाइलिंग एवं पारा सहरोज ख्वाजाजहांपुर बांध के निर्माण में किसानों की ली गयी भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु धन उपलब्ध कराने के संबंध में भेजे गये पत्र संख्या–2192 दिनांक 27-11-97 एवं पत्र संख्या–201 दिनांक 5-2-99 प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान धन की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

गाजीपुर जनपद के देवकली खण्ड प्रथम के नवली रजबाहा पर नहर की पटरी का लेपन स्तर तक कार्य कराने हेतु स्वीकृत धनराशि

23–श्री सिंहासन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के देवकली खण्ड–प्रथम के नवली रजबाहा पर शून्य से 6 कि०मी० तक नहर की पटरी को लेपन स्तर तक का कार्य कराने हेतु 48 लाख रुपये स्वीकृत हुये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत कार्य हेतु कुल 41.92 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है ।

जी नहीं ।

अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु रु० 35.44 लाख अतिरिक्त धन की आवश्यकता है । कार्य पूर्ण कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद उन्नाव विकास खण्ड सिकन्दरपुर करन के ग्राम कठार व रुझई विकास खण्ड बीघापुर उन्नाव से निकलने वाले नाले की सफाई की मांग

24–श्री कृपाशंकर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम कठार विकास खण्ड सिकन्दरपुर करन तथा ग्राम रुझई विकास खण्ड बीघापुर जनपद उन्नाव से निकलने वाले नाले की सफाई विगत कई वर्षों से नहीं कराई गई है ? क्या यह सही है कि उक्त नाले की सफाई न होने से किसानों की हजारों बीघे जमीन की फसल नष्ट हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावित हुये किसानों को उनकी फसल का मुआवजा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? उक्त नाले की सफाई कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

ग्राम कठार विकास खण्ड सिकन्दरपुर करन तथा रूझई विकास खण्ड बीघापुर जनपद उन्नाव से निकलने वाले नाले की सफाई वर्ष 1996-97 में करायी गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकताओं के आधार पर चिन्हित प्राथमिकता में यह नाला नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां में सुल्तानपुर माइनर की सिल्ट सफाई की मांग

25–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में 5.33 कि०मी० लम्बे सुल्तानपुर माइनर की केवल 0.80 कि०मी० ही सिल्ट सफाई करवाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की पूरी सिल्ट सफाई करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाली सुल्तानपुर माइनर की कुल लम्बाई 5.364 कि०मी० है तथा वर्ष 1999-2000 में इस माइनर की सिल्ट सफाई का कार्य प्रस्तावित नहीं था।

आवश्यकता नहीं है।

आवश्यकतानुसार सिल्ट सफाई का कार्यक्रम बनाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के जमानियां पम्प नहर की क्षमता बढ़ाने तथा खराब पड़े पम्पों को ठीक कराने की मांग

26–श्री सिंहासन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गाजीपुर जनपद के जमानियां पम्प नहर के 3 पम्प बेकार हो चुके हैं एवं शेष चार की क्षमता आधे से भी कम हो चुकी है ? क्या इस कारण सिंचाई कार्य बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खराब पड़े पम्पों को ठीक करने तथा शेष चार पम्पों की क्षमता बढ़ाने हेतु आदेशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

वर्तमान में सभी 8 पम्प क्रियाशील है।

वर्तमान वर्ष में रबी फसल हेतु मांग के अनुरूप पम्पों को सुचारु रूप से चलाया जा रहा है।

जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गौतरा माइनर शहब्दा से गौतरा तक कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु माइनर की सफाई की मांग

27–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गौतरा माइनर जो शहब्दा से गौतरा तक $5\frac{1}{2}$ कि०मी० लम्बा है क्या सरकार कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पूरे माइनर की सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली गौतरा माइनर की कुल लम्बाई 5.13 कि०मी० है ।

वर्ष 1999-2000 में गौतरा माइनर की कि०मी० 0.00 से कि०मी० 2.50 तक सफाई करायी जा चुकी है तथा इसकी टेल तक पानी पहुंच रहा है । शेष रीच में सफाई कराने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां में पुरवाया से देवनपुर तक माइनर को सिल्ट सफाई कराने तथा कृषकों को सिंचाई सुविधा देने की मांग

28–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में पुरवाया से देवनपुर तक 3.90 कि०मी० लम्बे माइनर की सिल्ट सफाई न कराये जाने से कृषकों को सिंचाई सुविधा से वंचित रहना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, पुरवाया माइनर की कुल लम्बाई 3.935 कि०मी० है । इसमें सिल्ट सफाई की आवश्यकता नहीं थी ।

इसकी टेल तक पानी पहुंच रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के सोनहार रजवाहा ऐंचामऊ से खुर्दामदारपुर तक सफाई कराकर हेड से टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था

29–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में सोनहार रजवाहा ऐचामऊ से खुर्दामदारपुर तक जिसकी लम्बाई 23.60 कि०मी० है ? क्या उसके मात्र दो कि०मी० की सिल्ट सफाई की गयी है जिससे टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या

सरकार इसकी पूरी सफाई कराकर हेड से टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले सोनहार राजवहा की कुल लम्बाई 25.75 कि०मी० है । सोनहार राजवहा की वर्ष 1999-2000 में हेड से टेल तक (कि०मी० 25.75) सफाई करायी गयी है तथा इसके टेल तक पानी पहुंच रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर में राजपुर, रामपुर, अमदिया, मुडुई, परसौनी, परफौली, लक्ष्मीपुर माइनर की सफाई से सम्बन्धित दोषी अभियन्ता/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

30–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रामकोला, जनपद कुशीनगर में राजपुर, रामपुर, अमदिया, मुडुई, परसौनी, परफौली, लक्ष्मीपुर माइनर की सफाई पर वर्ष 1998-99 से अब तक वर्षवार कितना-कितना धन व्यय किया गया है ? क्या उक्त माइनरों की बिना सफाई कराये ही सम्बन्धित अभियन्ता/कर्मचारियों द्वारा लाखों रुपया निकाल लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी जनों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रामकोला जनपद–कुशीनगर में वर्ष 1998-99 से अब तक वर्षवार माइनरों की सफाई के कार्यों पर व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र०सं०	नहर का नाम	व्यय लाख रु० में		
		वर्ष 98-99	वर्ष 99-2000	वर्ष 2000-2001
1–	राजपुर माइनर	—	0.39	0.72
2–	रामपुर राजवहा	0.45	—	0.30
3–	अमदिया राजवहा	—	0.60	—
4–	महुई माइनर	—	—	0.24
5–	परसौनी माइनर	—	—	0.27
6–	परफौली माइनर	32	—	0.51
7–	लक्ष्मीपुर माइनर	—	—	0.15

जी नहीं ।

नहरों की सफाई कराने के उपरान्त ही भुगतान किया गया है ।

जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बलिया ब्लाक तरछापार के प्राथमिक विद्यालयों के चहारदीवारी का निर्माण

31–श्री अफजाल अहमद तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राथमिक विद्यालय तरछापार ब्लाक सीयर जनपद बलिया के चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने हेतु सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सीयर बलिया द्वारा एक लाख पांच हजार पांच सौ रुपये का प्राक्कलन बनाकर खण्ड विकास अधिकारी सीयर के माध्यम से जिला मुख्यालय को भेजा गया था जिला मुख्यालय पर स्वीकृति हेतु लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल धन स्वीकृति पर कार्य शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । सम्प्रति डी०पी०ई०पी० के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के लिये चहारदीवारी बनाने की कोई योजना नहीं है । अतः शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद रामपुर खेतान फर्टिलाइजर फैक्ट्री द्वारा किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआबजा

32–श्री काशीराम–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री को जानकारी है कि खेतान फर्टिलाइजर फैक्ट्री विधान सभा क्षेत्र शाहाबाद जनपद रामपुर द्वारा किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआबजा का अभी तक उन्हें भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त भूमि का मुआवजा उन्हें कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री राजनाथ सिंह–

खेतान फर्टिलाइजर फैक्ट्री जनपद रामपुर के लिये शाहाबाद क्षेत्र में भूमि शासन द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गई है, इसलिये कृषकों को मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

33–श्री काशीराम–

[दिनांक 23-4-2001 को अता० प्र० सं०–139 द्वारा उत्तरित]

मुम्बई के उद्योग पतियों का उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश

34–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या औद्योगिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 2000 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने मुम्बई के उद्योगपतियों से उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश करने हेतु प्रयास किये थे ? यदि हां, तो कुल कितने करोड़ पूंजी निवेश हेतु आशय पत्र प्राप्त हुए थे और कितने निवेशकर्ताओं ने वास्तविक रूप से कार्य रूप में परिणित किया ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश हेतु कुल 25.825 करोड़ रुपये के निवेश के संबंध में विचार हुआ था ।

प्रस्तावित योजनाओं की कार्यरूप में परिणति समयागत संभव होगी ।

लखनऊ मोतीझील सचिवालय कालोनी, ऐशबाग में अनाधिकृत कब्जे

35–श्री चेतराम तथा डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य सम्पत्ति विभाग की मोती झील सचिवालय कालोनी, ऐशबाग लखनऊ में लगभग 3 दर्जन भवन विगत एक वर्ष से खाली रहने के कारण सरकार को कई हजार रुपये की हानि हुई है ? क्या यह सही है कि उक्त कालोनी के कई भवनों में अनाधिकृत रूप से

अध्यासी रह रहे हैं जो मूल आवंटियों के किरायेदार हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

केवल 5 आवास किरायेदारी पर पाये गये, जिनके मूल आवंटियों के आवंटन निरस्त कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ की राजकीय कालोनियों में कालोनी दिवस आयोजित करके अध्यासियों की समस्याओं का समाधान

36–श्रीमती विजमा यादव तथा श्री रमेश राही–

क्या मुख्य मंत्री तहसील दिवस की भांति लखनऊ की राजकीय कालोनियों में कालोनी दिवस आयोजित करने का निदेश राज्य सम्पत्ति अधिकारी को देने पर विचार करेंगे जिससे कालोनी में रहने वाले अध्यासियों की समस्याओं का समाधान किया जा सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

राज्य सम्पत्ति विभाग की समस्त राजकीय कालोनियों में सिविल व विद्युत कार्यों हेतु कालोनी परिसर में ही साइट कार्यालय स्थापित हैं । इन साइट कार्यालयों में सिविल कार्य व विद्युत कार्यों से संबंधित अध्यासियों की समस्याओं का पंजीयन शिकायत पंजिका में किया जाता है तथा समस्या के समाधान हेतु त्वरित कार्यवाही की जाती है । साइट आफिस पर सिविल व विद्युत से संबंधित अनुरक्षण कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकारी व कर्मचारी प्रत्येक दिन उपलब्ध रहते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के राजकीय कन्या आदर्श विद्यालयों की शिक्षिकाओं के स्थायीकरण करने के साथ कतिपय सुविधाओं को लागू करने की मांग

37–डा० वकार अहमद शाह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के राजकीय कन्या आदर्श विद्यालय की शिक्षिकाओं के स्थायीकरण, एल० टी० में संविलीनीकरण, चयन वेतनमान, पी०पी०ए० एल० टी० सी० अवकाश स्वीकृति वेतन निर्धारण, अवशेष भुगतान दक्षता रोक पारण, पदोन्नति आदि के कई प्रकरण जनपद मण्डल एवं निदेशालय स्तर पर लम्बित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी प्रकरणों को तत्काल निस्तारित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बहराइच के राजकीय कन्या विद्यालय की शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों का वेतन का भुगतान विलम्ब से किये जाने पर उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

38–डा० वकार अहमद शाह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के राजकीय कन्या आदर्श विद्यालय की शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों को मासिक वेतन लगातार विलम्ब से भुगतान किया जा रहा है ? यदि

हां, तो क्यों ? सरकार इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए समय से वेतन के भुगतान की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में बोनस वितरण

39–डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 1998-99 के बोनस का वितरण किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार 1998-99 एवं 1999-2000 के बोनस का वितरण तत्काल करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र किशोर–

जी हां ।

माह मार्च, 2001 में भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आलोच्य अवधि के बोनस का वितरण कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में ग्राम हिलौली वाया चण्डीखेड़ा मार्ग के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

40–श्री उदय राज यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पुरवा जनपद उन्नाव में ग्राम हिलौली, वाया चन्दीखेड़ा मार्ग जिसकी लम्बाई 8.85 किलोमीटर है के निर्माण हेतु धनराशि रु० 33.520 हजार वर्ष 1995-96 में स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त मार्ग का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

स्वीकृति के सापेक्ष लगभग 80% कार्य पूर्ण है ।

लागत दरों में वृद्धि ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

परमहंसानन्द शिक्षा मन्दिर आश्रम बरहज देवरिया द्वारा संचालित सरोजनी बालिका विद्यालय आश्रम में लिपिक के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने के निर्देश

41–श्री अक्षयवर लाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परमहंसानन्द शिक्षा मन्दिर आश्रम बरहज, देवरिया द्वारा संचालित सरोजनी बालिका विद्यालय आश्रम बरहज देवरिया में क्या इस समय लिपिक के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

पद की पूर्ति हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कुशीनगर में जिला योजना तथा पंडित दीन दयाल योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

42–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र राम कोला, जनपद कुशीनगर में जिला योजना तथा पंडित दीन दयाल योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उन सड़कों का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

रामकोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जिला योजना में वर्ष 1998–99 में पांच एवं वर्ष 99–2000 में एक तथा पं० दीन दयाल योजना में वर्ष 98–99 में दो, वर्ष 99–2000 में एक अर्थात कुल 9 स्वीकृत सड़कों में से 01 सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है और शेष कार्यों की भौतिक प्रगति 70 प्रतिशत से अधिक है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

शिव सुन्दरी मान्टेसरी स्कूल कुमारगंज मुरादाबाद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के कर्मधारियों को वेतन आदि का भुगतान न किये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

43–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिव सुन्दरी मान्टेसरी स्कूल, कुमारगंज, मुरादाबाद क्या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है ? क्या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की याचिका संख्या 22106/89 एवं अवमानना याचिका संख्या 757/96 द्वारा इस संस्था के कर्मचारियों के लिए वेतन के बकाये एवं वेतन के निर्धारण के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनके वेतन एरियर का भुगतान और फिक्शेसन उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुसार करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिए दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रबन्ध तंत्र द्वारा विद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों के सेवा अभिलेख एवं वेतन निर्धारण संबंधी संगत अभिलेख तथा औचित्यपूर्ण मांग व उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध न कराये जाने के कारण अवशेष आंशिक वेतन का भुगतान नहीं कराया जा सका है ।

जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

44–श्री सीलत अली एडवोकेट–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शिव सुन्दरी मान्टेसरी स्कूल, कुमारगंज, मुरादाबाद को आंशिक अनुदान के रूप में रु० 40,00,000/- (चालीस लाख रुपया मात्र) शासन द्वारा स्वीकृत हुआ था, जो दिनांक 3-7-99 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद के खाते में प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो यह धन अभी तक आंशिक अनुदान के रूप में स्कूल की सहायक अध्यापिकाओं को वितरित न किये जाने का क्या कारण है ? इसके लिए कौन-कौन दोषी है ? उक्त आंशिक अनुदान का वितरण कब तक हो जायेगा ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

विद्यालय प्रबन्धतन्त्र से शिक्षिकाओं की सेवा सम्बन्धी अभिलेख एवं उनके वेतन निर्धारण के साथ, औचित्य पूर्ण मांग न प्राप्त होने के कारण हैं । प्रबन्धतन्त्र और सम्बन्धित शिक्षिकाएं दोषी हैं ।

प्रबन्धतन्त्र से शिक्षिकाओं के सेवा अभिलेख सहित औचित्यपूर्ण मांग प्राप्त होने पर अनुदान वितरण सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में जन विकास उ० मा० विद्यालय पपनामऊ-अनौरा के सहायक अध्यापक को वेतन अनुमन्यता का लाभ न दिये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

45–श्री सूर्यभान सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जन विकास उ० मा० विद्यालय पपनामऊ-अनौरा जनपद लखनऊ के विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक को वेतन अनुमन्यता का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री बिन्दुलाल, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 24 मार्च, 2000 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव ब्लाक व तहसील बीघापुर ग्राम इन्देमऊ से वन विभाग का अनधिकृत कब्जा हटाने व दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

46–श्री सूर्यभान सिंह–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि ग्राम इन्देमऊ ब्लाक व तहसील बीघापुर जनपद उन्नाव में भूमि संख्या–1044 रकबा–0.518 पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया है ? यदि हां, तो कृषि भूमि पर वृक्ष लगाये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त भूमि से वन विभाग का अनाधिकृत कब्जा हटाने व दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा पिछले चार वर्ष से हुई भू-स्वामी को आर्थिक क्षति का मुआवजा दिये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

ग्राम इन्देमऊ, बीघापुर रेंज, सा०वा० वन प्रभाग, उन्नाव के अन्तर्गत वर्णित भूमि संख्या व रकबा में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण नहीं किया गया है ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया, परमहंसानन्द शिक्षा मन्दिर आश्रम बरहज में अनियमित नियुक्ति निरस्त करने सम्बन्धी जानकारी

47–श्री अक्षयवर लाल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–29 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक एम–1/26710/बहराइच/99, दिनांक 20 सितम्बर, 1999 में परमहंसानन्द शिक्षा मंदिर आश्रम बरहज, देवरिया में व्याप्त अनियमितता की जांच, प्रबन्ध समिति भंग करने एवं अनियमित तरीके से की गयी नियुक्तियों को निरस्त करने सम्बन्धी लगाये गये आरोप सही पाये जाने पर क्या उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति को भंग करके अनियमित तरीके से की गयी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद देवरिया, श्री कृष्ण इण्टर कालेज, बरहज की सहायक अध्यापिका की मा० उच्च न्यायालय के समादर में निस्तारित प्रकरण

48–श्री अक्षयवर लाल–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–182 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण इण्टर कालेज, बरहज, देवरिया से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका सुनीता यादव जिनकी उम्र नियुक्ति के समय 18 वर्ष से कम थी, के विरुद्ध जांचोपरान्त अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 जुलाई, 2000 भी उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

नियुक्ति तिथि को श्रीमती सुनीता यादव की उम्र 18 वर्ष में 9 दिन कम रही, परन्तु उनके द्वारा विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 21-1-98 को उनकी उम्र 18 वर्ष की हो चुकी थी।

जी हां।

प्रकरण में मा० उच्च न्यायालय व मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय के समादर में निस्तारित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद हिन्दू कालेज में लिपिक के पद पर श्री गिरिवर सिंह की नियम के विरुद्ध की गयी नियुक्ति

49–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि हिन्दू कालेज, मुरादाबाद में दिसम्बर, 1999 में लिपिक के पद पर श्री गिरिवर सिंह की नियुक्ति का बिना चयन समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के ही क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली द्वारा अनुमोदन कर दिया गया ? क्या यह सही है कि इसी चयन समिति

द्वारा आरक्षण के नियमों के विरुद्ध कार्यशाला सहायक के पद पर नियमों के विरुद्ध नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर नियम विरुद्ध की गयी नियुक्तियों को रद्द कर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

उक्त महाविद्यालय में कार्यशाला सहायक का कोई पद नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली के महानगर बरेली व ग्रामीण अंचल के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति करने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

50–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-9-2000 जो जनपद बरेली के महानगर बरेली व ग्रामीण अंचल के विकास खण्डों भदपुरा, शेरगढ़, बहेड़ी व राम नगर के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुसार अध्यापकों को नियुक्त करने के सम्बन्ध में था, मुख्य विकास अधिकारी बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत उ० प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के प्राविधानों के अनुसार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाती है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद उन्नाव के ग्राम हिलौली, सन्दना, करदहा, चन्दीखेड़ा तक सड़क निर्माण हेतु धनराशि की मांग तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

51–श्री उदय राज यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र पुरवा जनपद उन्नाव के ग्राम हिलौली, सन्दना, करदहा, चन्दीखेड़ा तक 4 कि०मी० सड़क के निर्माण हेतु वर्ष 1993-94 में कुल रु० 22 लाख स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर शासकीय धन के दुरुपयोग हेतु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उपरोक्त मार्ग का निर्माण यथा शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

केवल 4 कि०मी० लम्बाई के सापेक्ष 3.85 कि०मी० लम्बाई में मिट्टी का कार्य तथा एक कि०मी० लम्बाई में खड़ण्जा का कार्य पूर्ण हो गया है । जिस पर रु० 23.90 लाख का व्यय हुआ है ।

जांच करायी जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद महाराजगंज में करमैनी बेलसड बन्धों की मरम्मत कराने की मांग

52–श्री विनोद मणि–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद–महराजगंज में वर्ष 2000-2001 में करमैनी बेलसड बन्धे के तीन जगहों पर टूट जाने के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या समय से बन्धों की मरम्मत न कराने व सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जनपद महराजगंज में करमैनी बेलसड नाम का कोई बांध नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महाराजगंज में नगवा व लेहड़ा बन्धे की मरम्मत हेतु वित्तीय अनियमितता का प्रकरण

53–श्री विनोद मणि–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महाराजगंज में गत वर्ष 1999-2000 में नगवा व लेहड़ा बन्धे की मरम्मत के लिए शासन द्वारा कितना धन अवमुक्त किया गया था ? क्या सरकार इंजीनेज खण्ड–1 गोरखपुर द्वारा उक्त बन्धे हेतु अवमुक्त धनराशि से कराये गये कार्यों में की गयी भारी अनियमितताओं की जांच टी०ए०सी० से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद महाराजगंज में वर्ष 1999-2000 में नगवा व लेहड़ा बन्धे की मरम्मत के लिए शासन द्वारा कोई धन अवमुक्त नहीं किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय ढिढ़यी का निर्माण कार्य

54–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए स्वीकृत राजकीय कन्या महाविद्यालय ढिढ़यी का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो स्वीकृत धनराशि एवं उससे कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण क्या है ? उक्त महाविद्यालय का निर्माण कराकर शिक्षण कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाविद्यालय के लिए शासनादेश दिनांक 19 जून, 2000 द्वारा रु० 88.21 लाख के आगणन पर प्रथम किश्त रु० 40.00 लाख की धनराशि भवन निर्माण हेतु स्वीकृत करते हुए निर्माण एजेन्सी उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम को दिनांक 23-8-2000 को उपलब्ध करा दी गयी है । निर्माण एजेन्सी से प्राप्त सूचना के अनुसार भवन निर्माण पर रु० 18.81 लाख व्यय माह जनवरी, 2000 तक किया जा चुका है ।

महाविद्यालय में शिक्षण कार्य जुलाई, 2000 के शिक्षण-सत्र से प्रारम्भ कर दिया गया था किन्तु छात्रों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण शिक्षण कार्य बन्द कर दिया गया । पर्याप्त छात्रों के उपलब्ध हो जाने पर आगामी शिक्षण-सत्र से शिक्षण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ।

प्रदेश में दीन दयाल ग्रामीण सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत स्वीकृतियों की संख्या

55–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में दीन दयाल ग्रामीण सम्पर्क मार्ग योजना वर्तमान समय में प्रभावी है ? यदि हां, तो वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में कुल कितनी स्वीकृतियां जारी हुई तथा कितनी अवशेष हैं ? उन्हें कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

नाबार्ड पोषित आर०आई०डी०एफ० फेज–5 में वर्ष 1999-2000 में 791 ग्रामीण सम्पर्क मार्ग कार्यों एवं वर्ष 2000-2001 में 211 ग्रामीण सम्पर्क मार्गों, अर्थात् कुल 1002 सम्पर्क मार्गों के निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां निर्गत की गयी हैं । आर०आई०डी०एफ० फेज–6 योजना के अन्तर्गत 1698 ग्रामीण सम्पर्क मार्ग कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1214 कार्यों पर नाबार्ड द्वारा ऋण दिये जाने की सहमति प्रदान की गयी है । चूंकि शासन की वर्तमान नीति के तहत 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों के मार्गों के निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से ग्राम विकास विभाग द्वारा कराया जायगा अतएव नाबार्ड से सहमति प्राप्त 1214 मार्ग कार्यों का परीक्षण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मानकों के अनुसार कराया जा रहा है जो कार्य प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के मानकों में नहीं आयेंगे, उनकी स्वीकृति नाबार्ड योजना के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्गत की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद नाबार्ड योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

56–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों का निर्माण नाबार्ड योजना के अन्तर्गत कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-6-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित कार्यों के प्रस्ताव नाबार्ड–5 योजना के अन्तर्गत वित्त विभाग के माध्यम से नाबार्ड की सहमति हेतु सन्दर्भित किये गये थे । नाबार्ड द्वारा आर०आई०डी०एफ–5 योजना के अन्तर्गत उक्त कार्यों हेतु ऋण दिये जाने की सहमति नहीं दी गयी है एक कार्य नाबार्ड–6 योजना के अन्तर्गत नाबार्ड की सहमति हेतु सन्दर्भित किया गया है नाबार्ड की सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । फलस्वरूप उक्त कार्यों की स्वीकृति नहीं की जा सकी है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद सीतापुर की सड़क अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गैर मानक के बनाये जाने की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

57–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लियाकत अली जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल लखीमपुर खीरी का शिकायती-पत्र दिनांक 4-9-99 जो जनपद सीतापुर की सड़क जो गैर मानक के बनाये जाने की जांच के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस पत्र की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर किन-किन अधिकारी/ कर्मचारियों को दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जांच में तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता तथा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया है जिनके विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता, श्री आर० एन० सिंह निर्माण खण्ड प्रथम बस्ती द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच सी०डी०ओ०, बस्ती से कराने की मांग

58–श्री अक्षयवर लाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता श्री आर० एन० सिंह, निर्माण खण्ड–प्रथम, बस्ती द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री अनन्त कृष्ण पाण्डेय, प्रतिनिधि, श्रीराम चौहान, राज्य मंत्री, भारत सरकार का फैक्स दिनांक 25 सितम्बर, 2000 एवं 02 अक्टूबर, 2000 मा० मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती के पत्र दिनांक 26-9-2000 द्वारा सी० डी० ओ० बस्ती से भी जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पत्र दिनांक 25-9-2000 प्राप्त हुआ है ।

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर को जांच के निर्देश दिये गये हैं ।

मण्डलायुक्त, बस्ती के पत्र दिनांक 26-9-2000 के द्वारा शिकायती-पत्र दिनांक 25-9-2000 मुख्य विकास अधिकारी को जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा शिकायती-पत्र पर अधीक्षण अभियन्ता, बस्ती से आख्या मांगी गयी है । जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोण्डा श्रीमती हनीफा खातून शिक्षिका जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान दर्जी कुआं के बकाया देयों के भुगतान न होने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही

59–श्री वसीम अहमद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दर्जी कुआं, जनपद गोण्डा से श्रीमती हनीफा खातून (कार्यानुभव) शिक्षिका दिनांक 30 जून, 1998 को सेवानिवृत्त हुई थीं ? यदि हां, तो क्या इनके जी०पी०एफ० नकदीकरण सामूहिक बीमा तथा अन्य देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? उक्त के बकाया देयों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र किशोर–

जी हां ।

श्रीमती हनीफा खातून का जी०पी०एफ० का 90% तथा सामूहिक जीवन बीमा का भुगतान दिनांक 12-3-2001 को कर दिया गया है । श्रीमती खातून द्वारा दिनांक 12-3-2001 को अपने अवकाश नकदीकरण हेतु आवेदन-पत्र दिया है जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

कोई नहीं ।

कार्यवाही गतिमान हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

60–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

61–श्री राधेश्याम सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद कुशीनगर में कप्तानगंज-नौरंगिया मार्ग पर छोटी गण्डक नदी पर पुल निर्माण की मांग

62–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर में कप्तानगंज–नौरंगिया मार्ग पर छोटी गण्डक नदी पर पुल न होने के कारण जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर छोटी गण्डक नदी पर पुल निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, कप्तानगंज घाट पर प्रत्येक वर्ष पान्टून सेतु का निर्माण किया जाता है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जिला सिद्धार्थनगर की श्रीमती फूलमती देवी बेवा निवासी ग्राम व पोस्ट मदनपुर का पेंशन भुगतान की मांग

63–श्री अक्षयवर लाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती फूलमती निवासी ग्राम व पोस्ट–मदनपुर सिद्धार्थनगर का प्रार्थना-पत्र जो श्री राम प्यारे प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला सजनापार जनपद

सिद्धार्थनगर की बेवा श्रीमती फूलमती देवी को माह 12/97 से 3/99 तक के बकाया पेंशन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में था, उनके कार्यालय में दिनांक 6-7-1999 को प्राप्त कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । स्व० श्री राम प्यारे, प्रधानाध्यापक की मृत्यु दिनांक 21-12-97 को हुई थी । इनकी विधवा पत्नी श्रीमती फूलमती देवी की देय पारिवारिक पेंशन को दिसम्बर, 1997 से मार्च, 1999 तक की बकाया धनराशि रु० 48,599.00 का भुगतान उन्हें चेक द्वारा दिनांक 5-10-2000 को कर दिया गया है और अप्रैल, 1999 से उन्हें नियमित पेंशन का भुगतान किया जा रहा है । शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

श्रीकृष्ण इण्टर कालेज, बरहज देवरिया में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर व्यय धनराशि का विवरण

64–श्री अक्षयवर लाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण इण्टर कालेज बरहज देवरिया में वर्ष 1998-99 में कुल कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत थे ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय में मात्र 16 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद सृजित होने के बाद भी एक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बिना पद स्वीकृति के ही नियुक्त कर लिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ? उसके वेतन भत्ते पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

डा० नैपाल सिंह–

कुल 16 ।

जी नहीं ।

विद्यालय में कुल 17 पद चतुर्थ श्रेणी के सृजित हैं ।

रुपया 14,092/- मात्र ।

श्रीकृष्ण इण्टर कालेज बरहज देवरिया के 16 अध्यापकों की निरीक्षण आख्या की जांच

65–श्री अक्षयवर लाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया के निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 5 फरवरी, 1990 के अनुसार श्री कृष्ण इण्टर कालेज बरहज देवरिया से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालय में उस समय कितने अध्यापक कार्यरत थे ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र दिनांक 12-5-89 और 16-9-89 तथा अध्यापक उपस्थित पंजिका के अनुसार उक्त विद्यालय में 10 अध्यापक कार्यरत थे ? यदि हां, तो क्या एक नाबालिग अध्यापिका सहित 16 अध्यापकों का अनुमोदन उक्त निरीक्षण आख्या में कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषीजनों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया की रिपोर्ट दिनांक 5-2-90 के अनुसार 16 अध्यापक नियुक्त रहें ।

जी नहीं । कुल 13 अध्यापक की सूची रही ।

जी नहीं । नियमानुसार अई मात्र 8 अध्यापिकाओं का वेतन भुगतान हेतु उसे अनुमन्य किया गया ।

उक्तवत् ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के मंगला प्रसाद इण्टर कालेज में प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति का प्रकरण

66–डा० अशोक बाजपेयी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंगला प्रसाद इण्टर कालेज, बामपुर, इलाहाबाद में प्रवक्ता (इतिहास) के पद को नियमानुसार पदोन्नति से भरा जाना था ? यदि हां, तो क्या उक्त पद पदोन्नति से भरा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पद पर कब तक पदोन्नति कर दी जायेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं द्वारा प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, बदायूं तथा प्रमोद इण्टर कालेज, सहसवान में व्यवसायिक शिक्षा में विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति के संबंध में वेतन भुगतान की मांग

67–श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं ने प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, बदायूं तथा प्रमोद इण्टर कालेज, सहसवान में व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति के सम्बन्ध में पत्रांक न्या०/शि०/2989–90/2000-2001, दिनांक 12-9-2000 प्रेषित किया गया था ? क्या उक्त कालेजों में विषय विशेषज्ञों को कार्यभार ग्रहण कराकर उनका वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बदायूं के इण्टर कालेजों में संचालित व्यावसायिक शिक्षा के नाम पर फर्जी भुगतान के संबंध में जांच

68–श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जनपद बदायूं के राजकीय कालेज, श्री कृष्ण इण्टर कालेज, केदार नाथ इण्टर कालेज, बदायूं, ननहूमत्त इण्टर कालेज, सहसवान, राष्ट्र सेवा सदन इण्टर कालेज, मखरौली व आर्य कन्या इण्टर कालेज, इस्लाम नगर में वर्ष 1998 में व्यवसायिक शिक्षा संचालित है ? क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत घटिया सामान खरीद कर तथा फर्जी नामों से मानदेय की धनराशि भुगतान दिखाकर शासन को लाखों रुपये की हानि पहुंचायी गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर उक्त कृत्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

69–श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

[विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

70—श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

[विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

71–श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

[विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया]

जनपद एटा राम मनोहर लोहिया डिग्री कालेज ढोलना, का भवन निर्माण

72–श्री नेतराम सिंह

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राम मनोहर लोहिया डिग्री कालेज, ढोलना, एटा का भवन निर्माण विद्यालय की भूमि पर न कराकर किसी अन्य भूमि पर किया गया है ? यदि हां, तो भूमि का मालिक कौन है ? इसके लिए कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पुनः जांच कराई जा रही है । जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जौनपुर मुफ्तीगंज-बलान मार्ग पर नाले के पुल निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

73–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में जौनपुर मुफ्तीगंज-बलान मार्ग पर पड़ने वाले नाले का पुल नाबार्ड की योजना फेज–5 में प्रस्तावित था ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

उक्त सेतु का प्रस्ताव आर०आई०डी०एफ०–5 योजना में सम्मिलित था, परन्तु स्वीकृति न हो पाने के कारण पुनः आर०आई०डी० एफ–6 में सम्मिलित कर प्रस्ताव वित्त विभाग के माध्यम से नाबार्ड को सहमति हेतु भेजने का अनुरोध वित्त विभाग से किया गया है । नाबार्ड की सहमति प्राप्त होने की दशा में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सेतु की स्वीकृति होने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव होगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद जौनपुर में ग्रामीण आबादी के पास बड़े पुलों के निर्माण कराये जाने की मांग

74–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में काफी पूर्व में बनी नहरों पर ग्रामीण आबादी के पास सकरे पैदल पुल का निर्माण कराया गया था जो अब अधिक आबादी होने पर उपयोगी नहीं है ? क्या सरकार जनपद जौनपुर के खण्ड–36 के केराकत रजवाहा पर कुर्सियां अनु० जाति बस्ती, पूरबे अनु० जाति बस्ती, महरी मुसहर जाति बस्ती, जगापुर के नहर मार्ग पर बड़े पुलों का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । परन्तु यह सत्य नहीं है कि ये पुल अब उपयोगी नहीं हैं ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये फिलहाल यह सम्भव नहीं है ।

प्रदेश में सरकारी आवासों के धनाभाव के कारण मरम्मत संबंधी लम्बित प्राक्कलन

75–श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य सम्पत्ति अनुभाग–4 में कितने सरकारी आवासों के मरम्मत सम्बन्धी प्राक्कलन स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2000-2001 में अब तक लम्बित हैं ? इसको अब तक स्वीकार न किये जाने का क्या कारण हैं ? क्या विभाग ने सम्बन्धित अध्यासियों को स्वीकृति में विलम्ब के कारणों से अवगत कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिए दोषी को दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

वित्तीय वर्ष 2000–2001 में कुल 942 प्राक्कलन लम्बित हैं ।

धनाभाव के कारण स्वीकार किया जाना संभव नहीं हो सका ।

जी नहीं ।

अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है, धनाभाव के कारण जिन प्राक्कलनों पर स्वीकृति नहीं हो पाती है , उन पर आगामी वित्तीय वर्ष में पुनः विचार किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपर्युक्तानुसार ।

लखनऊ नगर की सचिवालय कालोनियों की मरम्मत/अनुरक्षण पर हुये व्यय का विवरण

76–श्री चेतराम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के सभी सचिवालय कालोनियों की मरम्मत/अनुरक्षण में वित्तीय वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में अब तक अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा व्यय की गयी है ? इस व्यय का क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । वर्ष 1999–2000 एवं 2000–2001 में राज्य सम्पत्ति विभाग की विभिन्न कालोनियों पर निम्नानुसार धनराशि व्यय की गई :–

	(लाख रुपये में)
1999–2000	2000–2001 (जनवरी, 2001 तक)
152.47	122.82

सिविल अनुरक्षण कार्यों हेतु रु० 30.40 प्रति वर्ग मीटर तथा विद्युत अनुरक्षण कार्यों हेतु रु० 7.60 प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय का मापदण्ड निर्धारित है ।

जनपद सुल्तानपुर ब्लाक जामो के ग्राम ऐंथी में प्राथमिक पाठशाला के भवन के निर्माण की जांच

77–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता० प्र० सं०–4 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में सम्बन्धित विद्यालय की जांच कब और किससे करायी गयी थी ? क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिलाधिकारी

द्वारा स्वयं जाकर इसका निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच जनपद अथवा मण्डल स्तर के अधिकारी से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय बादूगंज विकास क्षेत्र जामो, जनपद सुल्तानपुर के नवनिर्मित भवन की जांच दिनांक 25-9-99 को तत्कालीन सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जामो द्वारा तथा विद्यालय का निरीक्षण दिनांक 11-10-2000 को पूर्वाह्न 11.30 बजे तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा किया गया था। जांच से विद्यालय में शिक्षण कार्य नियमित रूप से संचालित होना और भवन में किसी का कोई अवैध कब्जा होना नहीं पाया गया था। अतः शेष प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फैजाबाद में ग्राम तुलसमपुर तक लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

78–श्री राम चन्द्र यादव तथा श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के खाक खण्डासा के अन्तर्गत ग्राम सिधारी बाजार से ग्राम तुलसमपुर को जाने वाली सड़क का ग्राम सितकमी का पुरवा तक लेपन स्तर का कार्य हो चुका है परन्तु ग्राम तुलसमपुर तक सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है ? क्या सरकार उक्त सड़क का अवशेष कार्य लेपन स्तर तक शीघ्र पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

ग्राम तुलसमपुर तक मार्ग पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

79–80 व 81–श्री धर्मराज निषाद–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जिला एटा के०के० डिग्री कालेज कासगंज में कम्प्यूटर क्रय किये जाने संबंधी कथित अनियमितता

82–श्री नेतराम सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि के० के० डिग्री कालेज, कासगंज, जिला एटा में वर्ष 1999-2000 में कम्प्यूटर क्रय किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त कम्प्यूटर किस रेट से तथा किस कम्पनी से क्रय किये गये ? क्या यह सत्य है कि रेट से अधिक भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कासगंज एटा में कोई के०के० डिग्री कालेज नहीं है बल्कि के०ए० डिग्री कालेज है जिसमें वर्ष 1999–2000 में कम्प्यूटर क्रय नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ०प्र० सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान हेतु गठित समिति की रिपोर्ट

83–श्री नेतराम सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री राम औतार शाक्य स०वि०स० के अतारांकित प्रश्न संख्या–13 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने हेतु सचिवों की समिति गठित कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतनमान कब तक संशोधित करते हुए पुनरीक्षित वेतनमान दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने हेतु सचिवों की समिति गठित किये जाने का निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 23-3-2000 को हुई बैठक में लिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के संबंध में हुई सचिवों की समिति की बैठक दिनांक 27-4-2000 में इस संबंध में विचार किया गया और इसका औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद कुमारगंज से सत्थिन घाट धाया देवगांव सड़क की कुल लम्बाई एवं निर्माण कार्य

84–श्री राम चन्द्र यादव तथा श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में तहसील मिल्कीपुर के ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत कुमारगंज बाजार से ग्राम देवगांव होते हुए क्या कोई सड़क गोमती नदी के सत्थिन घाट को जाती है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की कुल लम्बाई क्या है और कितनी दूर तक लेपन स्तर तक निर्माण किया जा चुका है ? अवशेष सड़क का निर्माण कार्य लेपन स्तर तक कितने समय में पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

तहसील मिल्कीपुर के ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत कुमारगंज बाजार से ग्राम देवगांव होते हुये सत्थिन घाट तक की कुल लम्बाई 24 कि०मी० है । जिसमें से 19.80 कि०मी० मार्ग लेपन स्तर तक पूर्ण है ।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर शेष 4.29 कि०मी० मार्ग का निर्माण निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

85–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में राज्य सेतु निगम में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमित किये जाने का प्रकरण

86–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि राज्य सेतु निगम में हजारों की संख्या में दैनिक वेतन कर्मचारी 8-8, 10-10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

निगम में रिक्त पद उपलब्ध होने पर।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर में अनौपचारिक शिक्षा हेतु विभिन्न मदों में उपभोग हुई धनराशि की जानकारी

87–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में जनपद कुशीनगर में अनौपचारिक शिक्षा हेतु कितना-कितना धन दिया गया है और उसका उपभोग किन-किन मदों में कितना-कितना किया गया है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

जनपद कुशीनगर में अनौपचारिक शिक्षा हेतु वर्ष 1998–99 में रु० 30,73,000/–व वर्ष 1999-2000 में रु० 33,53,000/- दिया गया जिसके उपभोग का वर्षवार एवं मदवार विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	मद का नाम	उपभोग की गई धनराशि
1998–99	वेतन	12,78,796/–
	मानदेय	15.20.471/–
	पर्यवेक्षण	52,000/–
	कार्यालय आकस्मिक व्यय	35,000/–
	केन्द्र आकस्मिक व्यय	1,75,000/–
	यात्रा भत्ता	11,733/–
		योग : 30.73,000/–
1999–2000	वेतन	10,81,244/–
	यात्रा भत्ता	9,168/–
	शासन/विभाग को समर्पित	22,62,588/–
		योग : 33,53,000/–

जनपद महराजगंज में राप्ती नदी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि संबंधी कथित प्रकरण

88–श्री विनोद मणि–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–महराजगंज में राप्ती नदी पर बने करमैनी बेलौली व करमैनी-बेलसड बन्धों के निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि के मुआवजे की धनराशि क्या शासन द्वारा विभाग को अवमुक्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या अवमुक्त धनराशि का

वितरण किसानों में कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त धनराशि का वितरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद महराजगंज में राप्ती नदी पर करमैनी बेलौली व करमैनी वेलसइ नाम का कोई बांध निर्मित नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के अन्तर्गत मौजा मेवापुर में असिंचित भूमि हेतु नलकूप स्थापित करने की मांग

89–श्री राम चन्द्र यादव तथा श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत मौजा मेवापुर मुतालेक देवगांव में कोई राजकीय ट्यूबवेल न होने के कारण हजारों एकड़ भूमि असिंचित रहती है ? क्या सरकार उक्त मौजे में एक राजकीय नलकूप स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के ब्लाक खण्डासा (अमानीगंज ब्ल.क) के अन्तर्गत मौजा मेवापुर में एक राजकीय नलकूप संख्या 316 बी०जी० तथा मुतालेक देवगांव में दो राजकीय नलकूप संख्या 167 वी०जी० व 168 वी० जी० स्थापित हैं, जिनसे सिंचाई होती है । अवशेष लगभग 275 हेक्टेयर क्षेत्र में से 180 हेक्टेयर गोमती नदी का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, 20 हेक्टेयर क्षेत्र की आबादी, तालाब एवं बाग है । शेष 75 हेक्टेयर असिंचित कृषि योग्य क्षेत्र, नये नलकूप की स्थापना हेतु अपर्याप्त है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ०प्र० क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद के अधीनस्थ जनपदों के टेबुलेशन रजिस्टर के पृष्ठों को बदलने व हेरा-फेरी संबंधी प्रकरण की जांच

90–श्री हरदेव सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद के अधीनस्थ जनपदों के टेबुलेशन रजिस्टर के पृष्ठों को बदलने तथा अंकों में हेराफेरी करके परीक्षाफल प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश, स०वि०स० तथा श्री तीरथ सिंह रावत स०वि०प० का प्रश्नकर्ता का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 30-10-2000, जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

जी हां ।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० इलाहाबाद से जांच कराई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय कन्या हाई स्कूल पट्टी एवं आसपुर देवसरा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

91–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय के आदेश संख्या सी०एम०/वि०का०/एम–2/28532/प्रतापगढ़/99, जो जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा पट्टी के अन्तर्गत स्थित राजकीय कन्या हाई स्कूल पट्टी एवं आसपुर देवसरा के भवन निर्माण हेतु धनराशि की वित्तीय वर्ष 2000-2001 में व्यवस्था के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

राजकीय कन्या हाई स्कूल पट्टी एवं आसपुर देवसरा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2000–2001 में धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु पत्रावली वित्त विभाग की सहमति हेतु भेजी गई थी परन्तु देरी से प्राप्त होने के कारण आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि समाप्त हो चुकी थी। इसलिये स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी। अब उक्त विद्यालय को वर्तमान वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करने पर विचार कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर एवं हरदुआगंज राजवाहे के किनारे निर्मित नलकूपों के सिविल कार्य को चालू किये जाने की मांग

92–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बुलन्दशहर एवं हरदुआगंज राजवाहे के किनारे वर्ष 1994-95 तक 2.74 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नलकूपों के सिविल कार्य, पम्प हाउस, डिलेवरी टैंक का निर्माण तथा उसका विद्युतीकरण न किये जाने के कारण उक्त नलकूप चालू नहीं किये जा सके हैं जिसके कारण उक्त धन का व्यय निरर्थक हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए दोषी को दण्डित करते हुए उक्त अवशेष कार्यों को पूर्ण कराकर प्रश्नगत नलकूप चालू करायेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

समानान्तर ऊपरी गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत बुलन्दशहर एवं हरदुआगंज राजवाहे के किनारे वर्ष 1994–95 तक क्रमशः 13 व 16 संवर्धन नलकूपों का निर्माण कराया गया है इन नलकूपों का निर्माण में लगभग 2.86 करोड़ रुपये की लागत आयी। इन नलकूपों के सिविल कार्य, पम्प हाउस, डिलेवरी टैंक का कार्य पूर्ण हो चुका है। इन नलकूपों में से बुलन्दशहर राजवाहे के 2 नलकूपों एवं हरदुआगंज राजवाहे के 11 नलकूपों का उर्जीकरण विद्युत विभाग द्वारा किया गया। परन्तु विद्युत लाइन चोरी हो जाने, विद्युत विभाग द्वारा इन नलकूपों का पूर्ण ऊर्जीकरण न किये जाने के कारण संवर्धन नलकूप चालू नहीं किये जा सके। इन नलकूपों के ऊर्जीकरण के पश्चात् नलकूप चालू हो जाने पर उक्त धन का लाभ मिलना प्रारम्भ हो जायेगा। अतः व्यय किये गये धन को निरर्थक नहीं कहा जा सकता। संवर्धन नलकूपों को टेस्टिंग एवं चालू कराने एवं ऊर्जीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जनपद उन्नाव के कस्बा मौरावां से मोहनलालगंज, लखनऊ में आवागमन की समस्या पर विचार

93–श्री उदय राज यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद–उन्नाव के कस्बा मौरावां से मोहनलालगंज जनपद लखनऊ आने वाले मार्ग पर आवागमन अत्यधिक बढ़ जाने तथा उक्त मार्ग कम चौड़ा होने के कारण आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु उक्त मार्ग को चौड़ा करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मार्ग कम चौड़ा होने के कारण यातायात अपेक्षाकृत कम सुगम है लेकिन बाधित नहीं है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद उन्नाव के कस्बा मौरावां मोहनलालगंज मार्ग से ग्राम मुसंडी तक राज्य योजना द्वारा स्वीकृत धनराशि

94–श्री उदय राज यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद–उन्नाव के कस्बा मौरावां मोहनलालगंज मार्ग से ग्राम मुसंडी तक वर्ष 1997 में राज्य योजना द्वारा स्वीकृत मार्ग हेतु दिनांक 5 जनवरी, 2000 को उनके द्वारा धनराशि स्वीकृत कर कार्य पूर्ण कराने के आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ? यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं ? कब तक उपरोक्त धनराशि अवमुक्त कराकर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव से बनी मोहनलालगंज मार्ग से ग्राम बिलौरा तक के मार्ग का चौड़ीकरण

95–श्री उदय राज यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद उन्नाव से बनी मोहनलालगंज मार्ग से ग्राम बिलौरा तक के मार्ग के चौड़ीकरण के अवशेष कार्य को पूरा करने हेतु 5 जनवरी, 2000 को लो०नि० मंत्री द्वारा प्रमुख सचिव को आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त कर कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद उन्नाव के ग्राम कालूखेड़ा, असोहा होते हुए भल्ला फार्म नवाबगंज तक की सड़क का पुनर्निर्माण

96–श्री उदय राज यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के ग्राम कालूखेड़ा, असोहा होते हुए भल्ला फार्म नवाबगंज तक की सड़क में जगह-जगह गड्ढे साइट कटिंग के कारण आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त सड़क को गड्ढा मुक्त कराते हुए इसका पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद उन्नाव में भूमि सुधार निगम आदि के सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

97–श्री उदय राज यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र जनपद उन्नाव में भूमि सुधार निगम द्वारा ग्राम सरवन, कृपालखेड़ा, कुशलीखेड़ा आदि सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? क्या इस हेतु निविदायें लगभग एक वर्ष पूर्व लो० नि० वि० निर्माण खण्ड–2 उन्नाव द्वारा आमंत्रित की गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त निर्माण हेतु अभी तक धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कर निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

केवल कुशली खेड़ा मार्ग की निविदा लो०नि०वि० निर्माण खण्ड–2 उन्नाव द्वारा फरवरी, 1999 में आमंत्रित की गयी थी । न्यूनतम निविदा लागत लगभग 9 प्रतिशत अधिक होने के कारण वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गयी । भूमि सुधार निगम द्वारा इस पथ पर पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति माह अगस्त, 2000 में प्रदान की गयी । कुशली खेड़ा मार्ग पर 3.50 कि०मी० लम्बाई में मिट्टी तथा पुलिया का कार्य भूमि सुधार निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि के अन्तर्गत कराया गया । ई०ई०सी० परियोजना का कार्यकाल सितम्बर, 2000 में समाप्त हो गया है । अतः वर्तमान में इस योजनान्तर्गत कोई नया कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कौशाम्बी कड़ाधाम, कड़ेमानिकपुर शीतला मां के धाम को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग

98–श्री कोविद कुमार सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कड़ाधाम, कड़ेमानिकपुर, शीतला मां का धाम जनपद कौशाम्बी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने विषयक आचार्य राम देव वैश्य विधायक का पत्र दिनांक 25-8-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री अशोक यादव)–

जी हां ।

विभाग द्वारा किसी स्थल विशेष की पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है । विभाग द्वारा विभिन्न पर्यटक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए मूलभूत अवस्थापना सुविधा का विकास किया जाता है । इस दृष्टि से कड़ेमानिकपुर स्थित शीतला धाम के विकास हेतु रु० 10.00 लाख की लागत से गंगाघाट तथा रु० 4.00 लाख की लागत से सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया है । जिला योजना वर्ष 2000-2001 के अन्तर्गत कड़ा धाम के स्थानीय पर्यटन विकास हेतु रु० 10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद से लखनऊ की तरफ बरई खुर्द गांव के पास स्थित गौरैया देव तक पक्की सड़क बनाये जाने की मांग

99–श्री कोविद कुमार सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दीपलाल भारती, विधायक का पत्र सं०–क–1 नं०–201003 दिनांक 18 अक्टूबर, 2000 जो लखनऊ-फैजाबाद राष्ट्रीय राज मार्ग पर फैजाबाद से लखनऊ की तरफ 32वें कि०मी० पर बरई खुर्द गांव के पास स्थित गौरैया देव तक पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, लो०नि०वि०, को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वर्तमान में स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

व्यवसायिक शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच हेतु माध्यमिक व्यवसायिक शिक्षक संघ के पत्र पर जांच रिपोर्ट की जानकारी

100–श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल, बरेली, अपर शिक्षा निदेशक, (मा०) शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखनऊ आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली तथा जिलाधिकारी बरेली, बदायूं शाहजहांपुर को माध्यमिक व्यवसायिक शिक्षक संघ उ० प्र० का पत्र माह सितम्बर, 2000 में प्राप्त हुआ है, जो व्यवसायिक शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में था ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि जांच नहीं हुई, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ मोहान रजबहा की सफाई हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण

101–श्रीमती विजमा यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नहरों की सफाई व्यवस्था कितने दिनों के अन्तराल पर कराये जाने की व्यवस्था हैं ? मोहान रजबहा जो शारदा नहर खंड लखनऊ के अन्तर्गत आता है की सफाई हेतु पिछले पांच वर्षों में कब-कब और कितना कितना धन अवमुक्त किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त नहर की सफाई विगत पांच वर्ष से न कराने के कारण ग्राम ऐन गोदौली आजीपुर सरेहा, सादुल्ला नगर, कन्नीखेड़ा तेरबा काजीखेड़ा रामदासपुर, शाहिजनपुर मोहान के पास नहर घास मिट्टी आदि से अवरुद्ध हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहर की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सामान्यतः नहरों की सफाई प्रत्येक तीसरे वर्ष कराई जाती है । आवश्यकतानुसार कुछ नहरों में सफाई प्रतिवर्ष कराई जाती है ।

विगत पांच वर्षों में अवमुक्त धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	अवमुक्त धनराशि (लाख रुपये में)
1–1996–97	——
2–1997–98	——
3–1998–99	——
4–1999–2000	2.97
5–2000–2001	1.53

जी हां, मोहान रजवहा के टेल भाग में पानी की उपलब्धता न होने के कारण सफाई का कार्य नहीं कराया गया ।

शीर्ष सींच में प्रस्तावित से अधिक सींच होने के कारण टेल भाग हेतु जल उपलब्ध नहीं रहता है अतः सफाई का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उक्तानुसार ।

उक्तानुसार ।

लखनऊ में शारदा नहर के अधीन सिंचाई न होने के बावजूद किसानों से राजस्व वसूली की शिकायत

102–श्रीमती विजमा यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शारदा नहर के अधीन मोहान रजवहा के 14 मील के आगे पानी वर्ष भर नहीं पहुंचता है फिर भी वहां के किसानों से राजस्व की वसूली बिना सिंचाई कार्य किये ही की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त अनियमित सिंचाई राजस्व वसूली निरस्त की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शारदा नहर के अधीन मोहान रजवहा के मील 14 के आगे पानी पूरे वर्ष लगातार नहीं पहुंचा है, किन्तु रबी 1407 फसली एवं 1408 फसली में मील 19-3-0 तक एवं खरीफ 1407 एवं 1408 में मील 17-0-0 तक पानी पहुंचा है ।

सिंचाई राजस्व की वसूली 1406 फसली में दर्ज की गई सींच के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है ।

जी नहीं । वसूली नियमित सिंचाई के लिये ही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत जौनपुर के विकास खण्डों में निर्मित ट्यूबवेल की नालियां

103–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत जनपद जौनपुर के विकास खण्ड जलालपुर, करदहा, धर्मापुर में भरमही, मुफ्तीगंज में रामपुर में निर्मित ट्यूबवेल

की नालियां बनवा दी गयी है और यह ट्यूबवेल कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इन ट्यूबवेलों को कब तक चालू करा देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । वर्ष 1997–98 में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत किसी नलकूप का निर्माण इन विकास खण्डों में नहीं हुआ है । इसलिये नालियां बनवाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जिलों में नये विद्यालयों के निर्माण हेतु कमेटी गठित कर विधायकों को कमेटी में रखे जाने की मांग

104–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलों में नये विद्यालयों के चयन, जर्जर भवनों के निर्माण हेतु चयन के संबंध में अंतिम स्वीकृति हेतु कोई कमेटी कठित की गयी है ? यदि हां, तो क्या उनमें विधायकों को भी रखा जाता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कमेटी में विधायकों को भी रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

उ०प्र० बेसिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 10 के अनुसार विद्यालयों के चयन, जर्जर भवनों के निर्माण हेतु विद्यालयों के चयन का अधिकार जिला पंचायत का है ।

उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा–64 (उ०प्र० अधिनियम संख्या–33 सन् 1999 में यथा संशोधित) के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक जिला पंचायत में गठित 6 समितियों) जिसमें शिक्षा समिति भी एक समिति है) में प्रत्येक में एक सभापति और 6 अन्य सदस्य होंगे जो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किये जायेंगे । प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक समिति में कम से कम एक महिला सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य और पिछड़े वर्ग का एक सदस्य होगा । अधिसूचना संख्या–4077 (1) 33–2–99–48 जो/99 दिनांक 29-7-99 के अनुसार शिक्षा समिति का सभापति उपाध्यक्ष जिला पंचायत होगा । शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

सचिवालय कालोनी मोतीझील के छतों की मरम्मत सामग्री बेचने की जांच

105–श्री शिव सिंह चक–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के पहले मंगल के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–131 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार को जानकारी है कि निकाली गई पुरानी ईंट व सरिया तथा राबिश 90 प्रतिशत संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा बेच दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

उपर्युक्तानुसार ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ मोतीझील सचिवालय कालोनी, ऐशबाग में अनधिकृत रूप से रह रहे कर्मचारियों से किराया वसूली संबंधी कथित प्रकरण

106–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि मोतीझील सचिवालय कालोनी, ऐशबाग, लखनऊ के 48 ऊपरी भवनों के छतों की मरम्मत हेतु लगे कई कर्मचारी अनाधिकृत रूप से उन्हीं सरकारी आवासों में बिना किराये के रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनसे आवासीय समय का किराया वसूल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नलकूप खण्ड में किये गये कार्यों की जांच की मांग

107–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-11-97 जो नलकूप खण्ड शाहजहांपुर में किये गये कार्यों की जांच के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

सूचना प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

108–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

लोक सेवा आयोग में कतिपय कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने से अवर वर्ग सहायक से टंकक के पद पर परिवर्तित किये जाने संबंधी जानकारी

109–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग में कार्यरत कर्मचारी श्री राजकुमार श्रीवास्तव, पदमनाथ शुक्ला, कृष्ण मुरारी यादव व श्रीमती गायत्री शर्मा को किस विज्ञापन के विरुद्ध कब अवर वर्ग सहायक के पदों पर कार्य भार ग्रहण कराया गया था ? उक्त कर्मचारियों को आयोग कार्यालय के किन परिस्थितियों में और कब तथा किन नियमों के अन्तर्गत अवर वर्ग सहायक से टंकक के पद पर प्रत्यावर्तित किया गया ? क्या उक्त चारों कर्मचारियों की मौलिक नियुक्ति टंकक के पद पर की गयी थी ? यदि नहीं, तो उन्हें टंकक के पद पर प्रत्यावर्तित करने के क्या कारण थे ? क्या मंत्री जी उक्त अनियमितता की जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

श्री राजकुमार श्रीवास्तव, श्री पद्मनाथ शुक्ला, श्री कृष्ण मुरारी यादव एवं श्रीमती गायत्री शर्मा को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टंकण टेस्ट के आधार पर अवर वर्ग सहायक के पद पर, तदर्थ रूप से दिनांक 15-6-1989 को कार्यभार ग्रहण कराया गया था।

उत्तर प्रदेश सचिवालय/लोक सेवा आयोग प्रवर/अवर वर्ग सहायक परीक्षा, 1987 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने के कारण उक्त कर्मचारियों की सेवायें वर्ष 1991 में समाप्त कर दी गई थीं। सेवा समाप्ति के विरुद्ध दायर रिट याचिका संख्या–17965/1991 में दिनांक 5-7-1991 को पारित अन्तरिम निर्णय, जिसमें अवर वर्ग सहायक अथवा टंकक की उपलब्ध रिक्तियों में याचीगण को समायोजित करने के आदेश दिये गये थे, के समादर में उक्त कर्मचारियों को दिनांक 9-7-1991 को पुनः अवर वर्ग सहायक के पदों पर तदर्थ रूप से तैनात किया गया। लोक सेवा आयोग/उ०प्र० सचिवालय प्रवर/अवर वर्ग सहायक परीक्षा, 1995 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कर्मचारियों की सेवायें मार्च, 1999 में पुनः समाप्त कर दी गई, किन्तु मा० उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका में पारित अन्तरिम आदेश के प्रभावी रहने के कारण, उक्त कर्मचारियों को टंकक के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद के श्री जहीर आलम, ए०बी०एस०ए० का मूढ़ा पाण्डेय में स्थानान्तरण करने की मांग

110–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री जहीर आलम ए० बी० एस० ए० मुरादाबाद एक ही क्षेत्र मूढ़ा पांडेय में विगत 13 वर्षों से अधिक समय से तैनात हैं ? यदि हां, तो विभाग की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या सरकार श्री जहीर आलम ए० बी० एस० ए० का स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं।

सामान्यतः एक जनपद में कम से कम 3 वर्ष पर तथा अधिकतम 10 वर्ष पर स्थानान्तरण किये जाने का प्राविधान है।

मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के प्रभावी होने के कारण स्थानान्तरण नीति का अनुपालन संभव नहीं है।

जनपद जौनपुर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोबहिता के दोनों परिचारकों के वेतन भुगतान संबंधी जानकारी

111–श्री विश्वनाथ–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के द्वितीय मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–34 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नियुक्ति की वैधता की जांच कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? यदि हां, तो अवशेष वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी की जांच आख्यानुसार संस्था में परिचारकों के कुल आठ (8) पद की वैधता स्वीकार करते हुये मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी ने अपने आदेश दिनांक 5-11-98 द्वारा सितम्बर, 97 में श्री राजबहादुर परिचारक के सेवानिवृत्त होने तथा श्री अरविन्द कुमार सिंह दफ्तरी की पदोन्नति सहायक लिपिक के पद पर होने से रिक्त पद पर परिचारक के पद पर श्री राजकृपाल गौड़ व श्री दिवाकर सिंह को समायोजित मानते हुये वेतन भुगतान पत्र निर्गमन की तिथि से अनुमन्य किया। जिसके अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर ने अपने पत्र दिनांक 21-3-99 द्वारा वेतन भुगतान का आदेश प्रदान किया और तब से इन दोनों परिचारकों का वेतन भुगतान हो रहा है। इस प्रकार मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी के आदेशानुसार 5-11-98 की पूर्व की तिथि से बिना पद के वेतन देने एवं अवशेष भुगतान का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

श्री भोलानाथ स्टेनो जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा एवं श्री कुंवर जी लाल द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में कार्यवाही

112–श्री उबैर्दुरहमान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरीशंकर माहौर स० वि० स० का पत्र दिनांक 6-4-2000 जो श्री भोला नाथ स्टेनो जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा एवं श्री कुंवर जी लाल के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में धांधली करवाने, आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के संबंध में था और जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र किशेर–

जी हां।

मा० विधायक के पत्र में अंकित शिकायतों की जांच कराने हेतु निदेशक मा० शिक्षा को निर्देशित किया गया। जांच आख्या 28 मार्च, 2001 को प्राप्त हो गई है, जो परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला रायबरेली के खीरो ब्लाक के अतरहर होते हुए जिला उन्नाव के मौरावां–बिहार मार्ग पर स्थित मलौना मार्ग पूर्ण कराने तथा मार्ग पर बाबू बैजनाथ कुरील के नाम का पत्थर लगाने की मांग

113–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि तथा श्री उदयराज यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला रायबरेली के खीरो ब्लाक से अतरहर होते हुये जिला उन्नाव के मौरावां–बिहार मार्ग पर स्थिति मलौना में मिलाने वाला वर्ष 1982 में स्वीकृत मार्ग क्या पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त मार्ग को बाबू बैजनाथ कुरील के नामकरण करने से संबंधित अवर आयुक्त प्रशासन लखनऊ मण्डल के पत्रांक–4983-84/21 एम-74/94-95/31-3-95 तथा अधिशासी अभियन्ता खण्ड–2 लो० नि० वि० रायबरेली के पत्र संख्या–174/कैम्प-1/96 दिनांक 22-3-96 द्वारा निर्णय लेकर नाम का पत्थर लगा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पत्थर कब तक लगा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नामकरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है तथा नामकरण का पत्थर लगाये जाने हेतु जिलाधिकारी रायबरेली को निर्देशित कर दिया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

सहायक अभियन्ता के पद पर मृतक आश्रित के रूप में श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति न किये जाने के संबंध में

114–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक श्री वीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पुत्र श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव की मृतक आश्रित के रूप में सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति हेतु उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम व उ० प्र० राज्य सेतु निगम के लिये क्रमशः शासनादेश संख्या–1250/ इ०बी०आर०/23-3-96-1(19)/94, दिनांक 2-7-96 तथा शासनादेश संख्या एम–22/इ०बी०आर०/23-3-97-1(19)/94–टी०सी०, दिनांक 15-6-97 द्वारा आदेश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त शासन के आदेशों का अनुपालन किया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

स्वर्गीय श्री वीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव अवर अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के पुत्र श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव की मृतक आश्रित के रूप में सहायक अभियन्ता के पद पर सेवायोजित किये जाने का आवेदन-पत्र शासन में प्राप्त हुआ था । चूंकि उत्तर प्रदेश सेवाकाल मृतक कर्मचारी सेवा के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 यथा संशोधित 1994 के अधीन लोक निर्माण विभाग में लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति का प्राविधान नियमों में न होने के कारण श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को राजकीय निर्माण निगम/राज्य सेतु निगम में सहायक अभियन्ता के पद पर सेवायोजित किये जाने का अनुरोध शासन के पत्रांक 1250 ईवीआर/23-3-96–1(19)94, दिनांक 2-7-1996 एवं एम०–22/ईवीआर 23-3-97–1(19)94 टीसी, दिनांक 10-6-1997 द्वारा क्रमशः उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम एवं उ० प्र० राज्य सेतु निगम लिमिटेड से किए गए थे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को सहायक अभियन्ता के पद पर अधोलिखित कारणों के आधार पर सेवायोजित किया जाना संभव नहीं बताया गया ।

(क) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में नियमित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मियों के सेवाकाल में आकस्मिक निधन हो जाने पर निर्माण निगम कर्मी के मृतक आश्रित को ही निगम में सेवायोजित किया जाता है ।

(ख) उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में सहायक स्थानिक अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती/पदोन्नति के कोटे में पद उपलब्ध नहीं थे ।

(ग) उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम में पहले से कार्यरत सहायक स्थानिक अभियन्ता (मस्टर रोल) द्वारा योजित रिट याचिकाओं संख्या–9567/1993 एवं 1321ए०सी/1994 में मा० उच्च न्यायालय ने अन्तरिम आदेश दिये हैं कि निर्माण निगम में नयी नियुक्ति करने के पहले निगम में पहले से कार्यरत सहायक स्थानिक अभियन्ता (मस्टर रोल) को नियमित किया जाए ।

उ० प्र० राज्य सेतु निगम द्वारा भी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव को इनके पिता के उ० प्र० राज्य सेतु निगम में कभी भी कार्यरत न होने के कारण सहायक अभियन्ता के पद पर सेवायोजित नहीं किया गया ।

जनपद चित्रकूट में नहर पटरी डामरीकरण योजना के अन्तर्गत नहर पट्टी को पक्का कराये जाने की मांग

115–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में नहर पटरी डामरीकरण योजना में वर्ष 1999-2000 के लिये कौन-कौन प्रस्ताव किस नहर पटरी को कितने कि०मी० पक्का कराये जाने हेतु जिले से प्राप्त हुये हैं ? क्या प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार स्वीकृत प्रदान करके धन दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त योजना से अब प्रस्तावित कार्य कराये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1999-2000 में नहर पटरी डामरीकरण योजना अन्तर्गत जनपद चित्रकूट की निम्न नहर पटरियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे–

(1) ओहन पश्चिमी शाखा नहर पटरी–लम्बाई–	2.70 किमी०
(2) बरूवा मुख्य नहर पटरी लम्बाई–	3.00 किमी०
(3) गुन्ता नहर पटरी, लम्बाई–	1.30 किमी०
योग–	7.00 किमी०

जी नहीं ।

वर्ष 1999-2000 में सीमित संसाधनों के कारण स्वीकृत नहीं प्रदान की जा सकी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यह योजना अब समाप्त कर दी गई है ।

लोक सेवा आयोग उ० प्र० में आगजनी के बाबत आयोग द्वारा जांचोपरान्त दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

116–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2000 में लोक सेवा आयोग उ० प्र० में आग लगी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त आगजनी के बाबत आयोग द्वारा जांच के आदेश निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो जांच समिति में कौन-कौन से अधिकारी नामित किये गये थे तथा किन-किन कर्मचारियों के बयान लिये गये और जांच आख्या आयोग को कब उपलब्ध हुई ? क्या यह भी सत्य है कि जांचोपरान्त दोषी पाये गये कर्मियों के विरुद्ध शासन/प्रशासन द्वारा कार्यवाही किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो मा० मुख्य मंत्री जी दोषी व्यक्तियों के नाम पदनाम एवं उनके विरुद्ध कृत कार्यवाही से मा० सदन को भी अवगत करायेंगे ? क्या मा० मुख्य मंत्री जी जांचाख्या की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

श्री अशोक कुमार, अपर सचिव (विधि) की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया, जिसमें संयुक्त सचिव, श्री बी०के० सिंह एवं श्री एस०एन० श्रीवास्तव को नामित किया गया । जांच की कार्यवाही के दौरान श्री एस०एन० श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव का साक्ष्य लिये जाने हेतु उन्हें जांच समिति से पृथक कर दिया गया । जांच समिति द्वारा श्री एस०एन० श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव सहित, संयुक्त सचिव, वित्त श्री तापस बनर्जी, अनुभाग अधिकारी श्री टी०पी० भटनागर, अवर वर्ग सहायक श्री बसन्त बल्लभ पन्त, श्री विनयशील शर्मा, टंकक श्री हरी लाल यादव, श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, श्री वकार अहमद अंसारी, श्री अशोक कुमार मिश्र, श्री सुधीर पन्त, श्री सुनील कुमार सिंह, प्रवर वर्ग सहायक श्री गिरीश चन्द्र वर्मा एवं श्री गोविन्द कुमार वैश्य के बयान लिये गये । जांच आख्या दिनांक 17-11-2000 को आयोग को उपलब्ध करायी गयी ।

उक्त कार्यवाही विचाराधीन है ।

उपर्युक्तानुसार ।

जांच आख्या के आधार पर अभी अन्तिम निर्णय न लिये जाने के कारण, जांच आख्या की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है ।

उपर्युक्तानुसार ।

सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय, नरायनपुर, प्रीतमपुर (हीरापुर) अम्बेडकरनगर में भ्रष्टाचार में पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

117–श्री सीलत अली एडवोकेट–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रियाज अहमद पुत्र श्री मो० अयाज खां निवासी ग्राम नरायनपुर प्रीतम, पोस्ट–मुंडेरा रसूलपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर का शिकायती पत्र जो कि श्री भवानी भीख सिंह सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालय, नरायनपुर प्रीतमपुर (हीरापुर), अम्बेडकर नगर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है, दिनांक 25-9-2000 को बेसिक शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकरनगर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में वर्णित शिकायतों की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो

क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब और क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

जी हां ।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अम्बेडकरनगर को दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न जिलों से प्राप्त समाचार-पत्रों की नीलामी से प्राप्त राजस्व को संबंधित मद में जमा किये जाने की जानकारी

118–श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रकाशित समाचार-पत्र जन सम्पर्क एवं सूचना निदेशालय उ० प्र० को निरन्तर भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1998-99, 1999-2000 माह सितम्बर तक कितने समाचार पत्र प्राप्त हुये हैं ? क्या प्राप्त हुये समाचार पत्रों की नीलामी की जाती हैं ? यदि हां, तो प्राप्त राजस्व किस मद में वर्ष 1999 से वर्ष सितम्बर, 2000 तक जमा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1998-99 तथा वित्तीय वर्ष 1999-2000 (सितम्बर तक) लगभग 2,16,000 समाचार-पत्र प्राप्त हुये ।

जी हां ।

रद्दी से प्राप्त राजस्व "058 मुद्रण एवं लेखन सामग्री एवं मुद्रण (ग) अन्य प्राप्तियां रद्दी कागज की बिक्री से आय" मद में जमा किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

119–श्री संजय गर्ग तथा श्री विजय पाल सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बदायूं के नलकूप खण्ड में पी०वी०सी० टेप पर अंकित खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीद की शिकायत

120–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड प्रथम बदायूं में वर्ष 1999-2000 में स्टील ग्रिप ब्राण्ड पी०वी०सी० टेप 19 एमएम 10 मीटर लम्बाई के किन-किन फर्मों से किस-किस दर पर किस-किस माह में तथा कितनी मात्रा में क्रय किये गये ? उक्त पी० वी० सी० टेप स्टील ग्रिप ब्राण्ड पर मूल निर्माता द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य क्या अंकित है ? क्या उक्त टेप की खरीद उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर की गयी है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1999-2000 में नलकूप खण्ड–प्रथम, बदायूं में स्टील ग्रिप ब्रांड पी०वी०सी० टेप 19 एम०एम०x 10 मीटर लंबाई का निम्नानुसार क्रय किया गया :–

क्र०सं०	फर्म का नाम	दर	माह	मात्रा
1	योगेन्द्र पाल सिंह बदायूं	25/–प्रति रोल कर सहित	जून, 1999	146 नग
2	ईस्टर्लैंड इण्डिया 15, श्याम भवन नेताजी सुभाष रोड, दरियागंज, नई दिल्ली ।	9.40 प्रति रोल व्यापार कर सहित	अगस्त, 1999	480 नग

समस्त पी०वी०सी० टेप का उपयोग हो चुका है । अतः इन पर निर्माता द्वारा अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य बताया जाना संभव नहीं है ।

चूंकि समस्त पी०वी०सी० टेप का उपयोग हो चुका है । अतः स्टील ग्रिप टेप के मूल्य निर्माता के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर मै० ईस्टलैण्ड इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा दी गयी दरों रु० 9.40 प्रति रोल व्यापार कर अतिरिक्त को आधार मानते हुये उसके सापेक्ष मै० योगेन्द्र पाल सिंह बदायूं से रु० 25/= प्रति रोल की दर से किया गया है । जो अधिक है ।

उपरोक्तानुसार मै० योगेन्द्र पाल सिंह बदायूं को अधिक भुगतान की गयी धनराशि रु० 2222/= की उनसे पूर्ण वसूली कर ली गई है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

नलकूप मण्डल बरेली एवं अधीनस्थ खण्डों में उच्च दरों पर पुर्जों की खरीद

121–श्री भोला शंकर मौर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप मण्डल, बरेली एवं अधीनस्थ खण्डों में वर्ष 1992-93 में लाखों रुपयों के उच्च दरों पर नलकूपों के मोटर, स्टार्टर पम्प आदि के पुर्जों की खरीद प्रकरण की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच की गयी थी ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहे ? उक्त उपकरण किन-किन फर्मों से खरीदे गये ? क्या इन्हीं फर्मों से वर्ष 1999-2000 में माह 4/2000 से 8/2000 तक पुनः पुर्जों की आपूर्ति के आदेश अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल बरेली एवं मंडल के अधीनस्थ अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा निर्गत किये गये हैं ? यदि हां, तो निर्गत किये गये पुर्जों को अधीनस्थ खंडों में वर्ष 1998-99 में किस दर से खरीदे गये हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । वर्ष 19991-92 में प्रश्नगत मण्डल में उपकरणों की खरीद की जांच वर्ष 1992-93 में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गई ।

जांच में एक अधीक्षण अभियन्ता, चार अधिशासी अभियन्ता, छः सहायक अभियन्ता, दो अवर अभियन्ता तथा एक खण्डीय लेखाकार को दोषी पाते हुये उन्हें लघु दण्ड दिये जाने तथा एक अधिशासी अभियन्ता से रु० 2,002/– की वसूली की संस्तुति की गयी जिस पर प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई की आख्या/संस्तुति प्राप्त हो गयी है । विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

1–मै० भारत इंजीनियरिंग एण्ड मैकेनिकल वर्क्स, कानपुर ।

2–सोनी इंजीनियरिंग वर्क्स, मेरठ ।

3–मै० सजल सेल्स कारपोरेशन, कानपुर ।

4–मै० चन्द्रा सेल्स कारपोरेशन, कानपुर ।

5–मै० दुर्गा इन्टरप्राइजेज, कानपुर ।

6–मै० रामा इलेक्ट्रानिक्स, बरेली ।

7–मै० सरस्वती मोटर्स बरेली ।

8–मै० संजय ट्रेडिंग कम्पनी, बरेली ।

9–मै० दि हिन्दुस्तान कारपोरेशन, बरेली ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव प्रवक्ता क्रिश्चियन डिग्री कालेज, लखनऊ की संशोधित पेंशन का भुगतान किये जाने की मांग

122–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव, प्रवक्ता, लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कालेज, लखनऊ जो दिनांक 1-7-1984 को सेवा निवृत्त हुये थे, दिनांक 1-1-1986 तथा दिनांक 1-1-1996 से संशोधित पेन्शन की धनराशि का भुगतान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त को संशोधित पेंशन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव अवकाश प्राप्त प्रवक्ता, लखनऊ क्रिश्चियन डिग्री कालेज, लखनऊ को दिनांक 1-1-86 से संशोधित पेंशन का भुगतान किये जाने हेतु प्राधिकार-पत्र निर्गत किया जा चुका है । जहां तक दिनांक 1-1-96 से पेंशन संशोधित कर भुगतान का प्रश्न है, शासनादेश दिनांक 18-12-98 द्वारा कोषाधिकारी को भुगतान हेतु अधिकृत किया गया है अतः कोषाधिकारी, बाराबंकी द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई के राजकीय बालिका इण्टर कालेज, सण्डीला में कार्यरत अध्यापिकाओं/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के एरियर भुगतान का प्रकरण

123–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के राजकीय बालिका इण्टर कालेज, सण्डीला में कार्यरत अध्यापिकाओं एवं प्रवक्ताओं को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नवीन वेतनमान 1996 के एरियर का भुगतान मात्र प्रधानाचार्य तथा 6 शिक्षिकाओं एवं लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? शेष शिक्षिकाओं के एरियर का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र किशोर–

जी हां ।

अनुदान की कमी होने के कारण।

कालातीत बिलों का अनुसंधान होने के पश्चात् शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के सण्डीला के अन्तर्गत असही अजमपुर से गोगांवा सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण

124–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत असही अजमपुर से गोगांवा 1.5 कि०मी० सम्पर्क मार्ग वर्ष 1991-92 में डामरीकरण हेतु स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण अब तक न कराये जाने का कारण क्या है ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

डामरीकरण हो चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित अमीरुद्दौला इस्लामिया डिग्री कालेज में नियुक्त स्नातक प्रवक्ताओं को निर्धारित वेतनमान दिये जाने की मांग

125–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ स्थिति अमीरुद्दौला इस्लामिया डिग्री कालेज में नियुक्त स्नातक प्रवक्ताओं को अनुमन्य वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यो ? क्या सरकार उन प्रवक्ताओं को निर्धारित वेतनमान दिलाये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

अनानुदानित संस्था है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

अनानुदानित संस्था है।

जनपद हरदोई के सण्डीला के अन्तर्गत कासिमपुर से असई आजमपुर तथा गौरीगंज सण्डीला से सरसन्ड सम्पर्क मार्ग गड्ढा मुक्त योजना के अन्तर्गत ठीक कराये जाने की मांग

126–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत कासिमपुर से असई आजमपुर का किलोमीटर 1 से किमी०.2.5 मार्ग, माडर सम्पर्क मार्ग किमी० 1 से 3 तक तथा गौसगंज-सण्डीला मार्ग से सम्पर्क मार्ग सरसंड लगभग 1200 मीटर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त

हो जाने के कारण आवागमन पूर्ण रूप से बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों को गड्ढा मुक्त योजना के अन्तर्गत ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत मार्गों के कुछ भाग क्षतिग्रस्त हैं । कासिमपुर से असई आजमपुर मार्ग तथा कासिमपुर से माडर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत प्रगति पर है । गौसगंज सण्डीला मार्ग से सरसंड मार्ग राज्य से सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्प्रति ठीक कराया जाना सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के कतिपय सम्पर्क मार्गों पर डामरीकरण का कार्य

127–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में वित्तीय वर्ष 1998-99 में सरसंड से रसूलपुर आंट मार्ग, गौरी सैय्यद तालिब से सिंधवल मार्ग, गौरी दायमपुर से असई आजमपुर मार्ग, मांडर से अटिया मार्ग बहलोलपुर से सिरौली मार्ग, अलदादपुर नेवादा सम्पर्क मार्ग तथा बेंहदर कला से बहंदर खुर्द मार्ग डामरीकरण हेतु स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों का डामरीकरण का कार्य करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मार्गों के डामरीकरण का कार्य कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

कार्य प्रगति में है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपदों के दीक्षा विद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थाओं को समाप्त कर राजकीय विद्यालय खोले जाने की मांग

128–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं०–482/15-(13)/95-1499(60)/91 दिनांक 17 अप्रैल, 1995 द्वारा 40 जनपदों के दीक्षा विद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थाओं को समाप्त करके उनमें राजकीय विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो प्रदेश में ऐसे कितने विद्यालय अब तक खोले जा चुके हैं ?

डा० नैपाल सिंह–

जी हां ।

कोई नहीं ।

वर्तमान में राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड में राजकीय या मान्यता प्राप्त कन्या हाईस्कूल स्थापित हो चुके हैं/विद्यमान हैं, राज्य सरकार के पास वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अब दीक्षा विद्यालयों के स्थान पर राजकीय कन्या हाईस्कूल, इण्टर कालेज खोले जाने का औचित्य नहीं रह गया है ।

जनपद सीतापुर के खैराबाद माइनर की उप शाखा रौना ब्रांच के बन्द होने के बावजूद भी किसानों से अवैध रूप से सिंचाई शुल्क लिये जाने की शिकायत

129–श्री रमेश राही–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के खैराबाद माइनर (शारदा नहर डिवी०) की उप शाखा रौना ब्रांच लगभग पांच वर्षों से बन्द पड़ी है किन्तु सिंचाई शुल्क प्रतिवर्ष किसानों से अवैध रूप से वसूला जा रहा है ? क्या सरकार इस ब्रांच के लगे सभी ग्रामों का सिंचाई शुल्क माफ करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

खैराबाद राजवहा की उपशाखा रौना राजवाहा विगत 5 वर्षों से बन्द नहीं है । अतः सिंचाई शुल्क किसानों से अवैध रूप से वसूले जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रौना राजवहा गत वर्षों में चली है और सींच हुई है । अतः सिंचाई शुल्क माफ करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मिर्जापुर के श्री सूर्यभान सिंह ग्राम धवहां चुनार का शिकायती-पत्र जांच परिणाम के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

130–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, पूर्वी क्षेत्र, लो० नि० वि०, वाराणसी का अ० शा० पत्रांक–60/कैम्प/एस०एस०ओ०पू०क्षे० परि 5/2000 दिनांक 7 अप्रैल, 2000, जो श्री सूर्य भान सिंह ग्राम धवहां (चुनार) जिला मिर्जापुर के शिकायती पत्र दिनांक 28-3-2000 में वर्णित आरोपों की जांच करने विषयक है, अधीक्षण अभियन्ता नि० सो० भ० वृत्त, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त के क्रम में अधीक्षण अभियन्ता के पत्रांक 5722/56 कैम्प शि० नि० खण्ड मी-मि० सो० भ० वृत्त/2000 दिनांक 19-4-2000 द्वारा वांछित साक्ष्य एवं शपथ पत्र शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 17-5-2000 को ही प्रस्तुत कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण कर ली गयी ? यदि हां, तो जांच परिणाम के आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां । शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

जांच कार्यवाही क्रमित है ।

जांच पूर्ण होने के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों को शासनादेश द्वारा इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट के अन्तर्गत मौलिक सुविधाएं दिये जाने की मांग

131–श्रीमती सीमा द्विवेदी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों को दिनांक 26 फरवरी, 1993 को जारी शासनादेश द्वारा इण्टरमीडियेट एजूकेशन एक्ट, 1921 से अलग करने के साथ ही इनके शिक्षकों को पूर्व से प्राप्त पेंशन, पदोन्नति एवं मृतक आश्रितों को सेवा आदि मौलिक सुविधाओं से भी वंचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त सुविधाओं को बहाल किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

26 फरवरी, 1993 का कोई शासनादेश नहीं है, अपितु एक अधिसूचना है जिसके द्वारा माध्यमिक विद्यालयों के साथ संलग्न प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों हेतु शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताओं संबंधी प्रविष्टियां निकाल दी गयी है ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

उक्तवत् ।

उक्तवत् ।

प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों को शासन द्वारा इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट के अन्तर्गत सुविधाएं प्रदान करने संबंधी कथित प्रकरण

132–श्रीमती सीमा द्विवेदी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षक संगठन का पत्र दिनांक 4 सितम्बर, 2000 जो शासन के दिनांक 23-1-96 के निर्णयानुसार प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों को इण्टरमीडियेट एजूकेशन एक्ट, 1921 के अन्तर्गत सम्मिलित करने तथा इनके शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को सेवा निवृत्ति पेंशन, पारिवारिक पेंशन, मृतक आश्रितों को सेवा तथा पदोन्नति आदि सुविधायें प्रदान करने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में केराकत थाना गद्दी मार्ग पर गोमती नदी पर बने नये पुल की अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

133–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर में केराकत थाना-गद्दी मार्ग पर गोमती नदी पर बने नये पुल का उद्घाटन 1999 में हुआ है ? क्या यह सही है कि उसकी अप्रोच रोड क्षति ग्रस्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा मार्ग को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पुल का उद्घाटन दिनांक 6-5-2000 को किया गया है ।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में द्वितीय सतह लेपन का कार्य न होने के कारण पहुंच मार्ग कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है । कार्य अपूर्ण होने तथा यातायात के आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त होना स्वाभाविक है । अतः कोई दोषी नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के श्री मुरारी दत्त त्रिपाठी, प्रधानाध्यापक, प्रा०पा० बरौली गौरीगंज की मृत्यु के उपरान्त आश्रित को नौकरी तथा पारिवारिक पेंशन के भुगतान की मांग

134–श्री तेजभान सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि मुरारी दत्त त्रिपाठी, प्रधानाध्यापक, प्रा० पा० बरौली गौरीगंज, सुल्तानपुर की मृत्यु दिनांक 18-2-2000 को सेवाकाल में हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा आदि का भुगतान करते हुये उनके आश्रित को नौकरी दे दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उनके आश्रित का दिनांक 11-5-2000 का कोई प्रार्थना-पत्र मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने हेतु बेसिक शिक्षाधिकारी, सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । स्व० मुरारी दत्त त्रिपाठी की विधवा पत्नी श्रीमती सम्पदा देवी को माह दिसम्बर, 2000 से रु० 3640.00 मासिक पेंशन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा है । उन्हें ग्रेच्युटी देय नहीं है । इनके बीमा धनराशि का क्लेम वित्त एवं लेखाधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र दिनांक 6-12-2000 द्वारा जीवन बीमा निगम इलाहाबाद को भेजा जा चुका है । इनके सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि रु० 1,99,655.00 चेक के माध्यम से दिनांक 24-10-2000 को दी जा चुकी है । स्व० त्रिपाठी के पुत्र श्री हरि गोविन्द त्रिपाठी की मृतक आश्रित के रूप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र दिनांक 4-11-2000 द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पद पर की जा चुकी है । शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र दिनांक 4-11-2000 द्वारा श्री हरि गोविन्द त्रिपाठी को मृतक आश्रित के रूप में पूर्व माध्यमिक विद्यालय अपुइया–शाहगढ़ में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है । शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सुल्तानपुर के राजकीय डिग्री कालेज मुसाफिरखाना के अध्यापकों के प्राइवेट कोचिंग चलाने संबंधी कथित प्रकरण

135–श्री तेजभान सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–सुल्तापुर के राजकीय डिग्री कालेज मुसाफिरखाना के कुछ अध्यापकों के विरुद्ध प्राइवेट कोचिंग चलाने की शिकायत उक्त विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाचार्य ने पत्रांक–28/गोपनीय/1995-96 दि० 11-11-1995 द्वारा शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा को, की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

136–श्री तेजभान सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

रामगंगा कमाण्ड इकाई उरई, जालौन में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा बनाये गये नये बन्धों का पुनर्निर्माण दिखाकर फर्जी भुगतान

137–श्री श्रीराम पाल–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामगंगा कमाण्ड इकाई उरई, जालौन द्वारा कालपी तहसील के ग्राम पाल, सरैनी, खडमुई, मुस्तकिम, नियनियां आदि में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा बनाये गये बन्धों को क्षतिग्रस्त करके नये बन्धे का निर्माण दिखाकर फर्जी माप करके करोड़ों रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि कार्य नियमानुसार किया गया है ।

लोक निर्माण विभाग अनुरक्षण खण्ड (विद्युत) पर तैनात सहायक अभियन्ता की सतर्कता जांच

138–श्री अफजाल अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 39वां वृत्त (राजभवन) लो० नि० विभाग अनुरक्षण खण्ड (विद्युत) पर तैनात किस सहायक अभियन्ता द्वारा वर्ष 1999-2000 में फर्जी आदेश करके ए० आई० आर० से 74 लाख रुपये का भुगतान ले लिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त खण्ड में तैनात सहायक अभियन्ता की शिकायत होने पर उसका स्थानान्तरण कर दिया गया था ? यदि हां, तो वह अभियन्ता किन परिस्थितियों में लखनऊ में ही तैनात है ? क्या सरकार इसकी सतर्कता जांच कराकर अनियमितता करने वाले अभियन्ता को निलम्बित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

फर्जी आदेश करके किसी सहायक अभियन्ता द्वारा भुगतान करने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है ।

जी नहीं, संबंधित सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत अ०वि०नि० अनु० खण्ड से अ० यांत्रिक खण्ड, लखनऊ किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के सण्डीला में सरेहरी पुलिया से दमनापुर मार्ग तक डामरीकरण कार्य

139–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में वित्तीय वर्ष 1997-98 में सरेहरी पुलिया से गौरी बदूर मार्ग, गौसगंज से हसनापुर मार्ग डामरीकरण हेतु स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्गों का डामरीकरण कार्य पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मार्गों का डामरीकरण कब तक करा दिया जावेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

गौसगंज–हसनापुर मार्ग पूर्ण हो चुका है । सरेहरी पुलिया से गौरी–विदूर मार्ग का कार्य प्रगति पर है ।

उपरोक्तानुसार ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद हरदोई के सण्डीला में बांगरमऊ से दिवारी सम्पर्क मार्ग पर डामरीकरण कार्य

140–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में वित्तीय वर्ष 1996-97 में बांगरमऊ से फत्तेपुर पथरौली मार्ग, महमूदपुर लालता सम्पर्क मार्ग तथा दिवारी सम्पर्क मार्ग डामरीकरण हेतु स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या उन मार्गों का डामरीकरण कार्य करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मार्गों का डामरीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

दिवारी सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण करा दिया गया है, शेष दो मार्गों का निर्माण प्रगति में है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

मिर्जापुर निर्माण खण्ड लो०नि०वि० में जांचोपरान्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

141–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के तीसरे मंगल हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–31 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 में मार्च, 99 तक, वर्ष 1999-2000 में मार्च, 2000 तक एवं वर्ष 2000-2001 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष क्रमशः वर्षवार क्या-क्या कार्य कराये गये और कराये गये कार्यों पर वर्षवार कितना-कितना धन व्यय किया गया ? उक्त कार्यों की प्राविधिक स्वीकृति कब और किससे प्राप्त की गयी ? यदि नहीं, तो बिना प्राविधिक स्वीकृति के धनराशि व्यय किये जाने का औचित्य क्या है ? इसके लिये उत्तरदायी कौन है ? क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1998-99 में प्रश्नगत मार्ग में रु० 3.95 लाख आवंटन के सापेक्ष सामग्रियों की आपूर्ति तथा गिट्टी आदि कार्य कराया गया तथा रु० 3.95 लाख व्यय किया गया। वर्ष 1999-2000 में रु० 7.40 लाख धनावंटन के सापेक्ष सामग्री की आपूर्ति, कुटाई, ग्रिट की प्रीकोटिंग, मैकफाल्ट, ह्यूम पाइप की आपूर्ति आदि के मद में व्यय करते हुए रु० 5.00 लाख की धनराशि का कार्य कराया गया। वर्ष 2000-2001 में रु० 28.15 लाख आवंटन के सापेक्ष निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० मिर्जापुर के पत्रांक–11/2000–2001, दिनांक 2-8-2000 द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच आख्या आने पर गुण/अवगुण के आधार पर निर्णय लेकर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित चिड़ियाघर में वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वन दरोगा की नियुक्ति किये जाने का औचित्य

142–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित चिड़ियाघर में क्या वन क्षेत्राधिकारी के पद पर वन दरोगा की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां,तो क्या यह दोनों पद एक दूसरे के समानान्तर हैं ? क्या अन्य किसी रेंज में वन क्षेत्राधिकारी के स्थान पर वन दरोगा की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो यह तैनाती उक्त चिड़ियाघर में ही किये जाने का औचित्य क्या है ?

श्री राजधारी सिंह–

लखनऊ प्राणि उद्यान में वन क्षेत्राधिकारी का न तो पद सृजित है और न ही उक्त पद के विरुद्ध वन दरोगा की तैनाती की गयी है।

वन क्षेत्राधिकारी का पद वन दरोगा के पद से उच्चतर पद है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा कूलर एवं फ्रिज क्रय करने में कथित अनियमितता

143–डा० ज्ञानवती सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के चौथे मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–15 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा कूलर एवं फ्रिज क्रय करने हेतु कब एवं किस माध्यम से निविदा आमंत्रित की गयी थी ?

श्री राजनाथ सिंह–

उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा कूलर एवं फ्रिज क्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी। निविदा की प्रक्रिया में लगभग 15 से 30 दिन का समय लगने की संभावना एवं अत्यधिक

गर्मी को दृष्टिगत रखते हुये मा० सदस्यों को तत्काल कूलर एवं फ्रिज उपलब्ध कराने के लिये शासन ने राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को निविदा आमंत्रित करने की बाध्यता से शिथिलता प्रदान की थी।

सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा विधान भवन रक्षकों की भर्ती के लिए भर्ती प्रकोष्ठ का गठन

144–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा विगत वर्ष 1998 में विधान भवन रक्षकों की भर्ती के लिये विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या भर्ती के लिये भर्ती प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया था ? यदि हां, तो उसमें कितने कर्मचारी लगाये गये और उनके वेतन आदि में कितना धन व्यय हुआ ? अब तक चयन प्रक्रिया पूरी न होने का कारण क्या है ? चयन प्रक्रिया कब तक पूरी करा ली जायेगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी, हां।

जी, हां।

दिनांक 31-01-2001 तक कुल 18 कर्मचारी लगाये गये तथा उनके वेतन आदि पर कुल रु० 13,86,353/–की धनराशि व्यय हो चुकी है। किन्तु यह कर्मचारी सचिवालय प्रशासन शाखा में सृजित पदों के विरुद्ध ही कार्यरत हैं। कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं किया गया है।

विधान भवन रक्षक/अग्नि रक्षक के पदों पर चयन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराया जाता था। आयोग के भंग हो जाने के कारण तथा अन्य कारणों से पुरानी सेवा नियमावली के स्थान पर उ० प्र० सचिवालय सुरक्षा और अग्निशमन सेवा नियमावली, 2000 बनायी गयी, जिसका प्रख्यापन दिनांक 20-1-2000 को कर दिया गया था, किन्तु चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व उत्तरांचल विकास अनुभाग–12 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–152/28-12-2000-22(6)/2000, दिनांक 1 अक्टूबर, 2000 द्वारा यह निर्देश दिये गये कि उत्तरांचल राज्य के लिए कर्मियों के अनन्तिम/अन्तिम आवंटन की कार्यवाही पूरी होने तक रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियों की प्रक्रिया को स्थगित रखा जाय।

चयन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी कर ली जायेगी।

हरदोई नगर के जी०एम०एम० रोड की मरम्मत

145–श्री संजय गर्ग–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि हरदोई नगर के जी० एम० एम० रोड की जर्जर स्थिति के कारण वर्ष 1995-96 में राज्य सेक्टर द्वारा इस मार्ग को मरम्मत कराने हेतु धन निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो कितना ? क्या उस धन से उक्त मार्ग की मरम्मत की गयी ? यदि नहीं, तो उक्त मार्ग की अब तक मरम्मत न कराये जाने के लिये दोषी कौन हैं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद हरदोई के टाउन एरिया कुरसठ में मंशाखेड़ा होते हुए बांसा तक के मार्ग पर लेपन कार्य

146–श्री संजय गर्ग–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के टाउन एरिया कुरसठ से मंशाखेड़ा होते हुये बांसा तक मिट्टी डालकर मार्ग बनाया गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का अब तक लेपन न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त सड़क को डामर युक्त कराया जायेगा ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । लगभग 7-8 वर्ष पूर्व अन्य विभाग द्वारा मिट्टी का कार्य कराया गया था ।

प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण संभव नहीं है ।

147 व 148–श्री परवेज हलीम–

[3 सरे बुधवार के अता० प्र० सं०–174 व 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खरबई, प्रतापगढ़ में परिचालन कार्य न करते हुए भी वेतन का भुगतान

149–श्री परदेज हलीम–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खरबई, प्रतापगढ़ में बस चालक के पद पर तैनात कर्मचारी द्वारा कब से परिचालन का कार्य नहीं किया जा रहा है ? क्या उक्त विद्यालय में कोई वाहन चालू हालत में उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त कर्मचारी द्वारा परिचालन कार्य न करते हुये भी उसे वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार को अब तक कितनी राजस्व की क्षति हुयी ? क्या मंत्री जी उक्त की जांच कर दोषी के वेतन से कटौती कर उक्त धनराशि की क्षतिपूर्ति करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र किशोर–

राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खरबई, प्रतापगढ़ में बस चालक के पद पर तैनात कर्मचारी द्वारा दिनांक 3-3-1990 से परिचालन का कार्य नहीं किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

जी हां ।

बस चालक को अब तक वेतन के रूप में रु० 4,40,520=00 का भुगतान किया गया ।

समायोजन हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल राज्य के बनने के पश्चात् प्रदेश में वन क्षेत्रफल बढ़ाये जाने की कार्य योजना

150–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री फरीद महफूज किदवाई–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उत्तरांचल राज्य के बनने के बाद प्रदेश में क्या वन का क्षेत्रफल निर्धारित मानक से कम हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वन क्षेत्रफल बढ़ाये जाने के लिये कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा निदेशालय उ० प्र० एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० में मृतक आश्रित के रूप में तैनात आशुलिपिक

151–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय उ० प्र० एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ० प्र० में ऐसे कितने कर्मचारी आशुलिपिक के पद पर तैनात हैं जिन्हें मृतक आश्रित के रूप में सीधे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कराया गया है ? उसके क्या कारण हैं ? क्या आशुलिपिकों को विभाग द्वारा द्विभाषित भत्ते का अनवरत भुगतान किया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने ऐसे आशुलिपिक हैं जिन्हें अंग्रेजी भाषा के टंकण एवं आशुलिपिक का समुचित ज्ञान नहीं है ? क्या मंत्री जी ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित करते हुये उन्हें निर्गत की गयी द्विभाषीय भत्ते की धनराशियों की वसूली करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र किशोर–

शिक्षा निदेशालय, उ० प्र० में एक मृतक आश्रित की भर्ती वर्ष 1990 में करके कार्यभार ग्रहण कराया गया है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० में किसी भी मृतक आश्रित की नियुक्ति नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश मृतक आश्रितों की नियमावली, 1974 का अनुपालन किया गया है।

जी हां।

शिक्षा निदेशालय के अर्ह आशुलिपिकों को द्विभाषी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के गड्ढा मुक्ति योजना में सम्मिलित मार्गों पर कार्य न कराकर धन का दुरुपयोग करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

152–श्री श्रीराम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 में जनपद जालौन के गड्ढा मुक्ति कार्यक्रम में सम्मिलित मार्गों पर कार्य कराने हेतु लो० नि० वि० प्रान्तीय खण्ड तथा विभागीय

निर्माण इकाई, उरई को कितना-कितना धन उपलब्ध कराया गया है ? क्या यह सच है कि 40 किलोमीटर कालपी-मदारीपुर मार्ग जो क्षतिग्रस्त है, पर कोई कार्य न कराकर धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उरई को रु० 29.51 लाख व निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, उरई को रु० 29,47 लाख की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सामान्य अनुरक्षण एवं पैच मरम्मत मद में दी गयी है ।

मार्ग की पूरी लम्बाई में पैच मरम्मत का कार्य कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद जालौन के कालपी–हमीरपुर तथा कदौरा–चतैला एवं कदौरा–मेडी मार्गों की मरम्मत हेतु धन उपलब्ध कराने की मांग

153–श्री श्रीराम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बालू व मोरंग खनन क्षेत्रों से जुड़े मार्गों पर निरन्तर ट्रकों के आवागमन से क्षतिग्रस्त हो रहे मार्गों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण हेतु धन उपलब्ध कराये जाने का क्या कोई कार्य योजना सरकार द्वारा तैयार की गयी है ? यदि हां, तो क्या जनपद जालौन के कालपी हमीरपुर मार्ग तथा कदौरा चतैला मार्ग एवं कदौरा-मेडी मार्गों की मरम्मत हेतु धन उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । धन की उपलब्धता एवं कार्य की आवश्यकतानुसार मार्गों की मरम्मत/सुदृढ़ीकरण के प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाता है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बरेली ग्राम मुंडिया भीकमपुर, तहसील नवाबगंज निवासी अध्यापक श्री प्रेम शंकर व श्री रमेश द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्रों के सहारे जनपद पीलीभीत नौरंगाबाद में कार्यरत होने का प्रकरण

154–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक तृतीय मण्डल बरेली को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17 जुलाई, 2000 जो ग्राम मुंडिया भीकमपुर, तहसील नबाबगंज, जिला बरेली निवासी दो अध्यापक श्री प्रेमशंकर व श्री रमेश जो फर्जी प्रमाण-पत्रों से जनपद पीलीभीत के पूरनपुर ब्लाक के ग्राम सुखदासपुर व नौरंगाबाद में कार्यरत होने के संबंध था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या

उक्त पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच कराकर दोषी जनों को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच वित्त एवं लेखाधिकारी (बे०शि० परिषद), पीलीभीत से कराई गई और जांच से प्रकाश में आए तथ्यों के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत के आदेश दिनांक 18-12-2000 द्वारा दोनों अध्यापकों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० उरई की सड़कों की मरम्मत हेतु दी गयी धनराशि का गबन

155–श्री श्रीराम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 में प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० उरई को सड़कों की मरम्मत हेतु कुल कितना अनुदान दिया गया था ? उस धनराशि से किन-किन मार्गों पर कहां-कहां मरम्मत कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि मरम्मत के लिये दी गयी धनराशि उक्त खण्ड के अभियन्तागण व कर्मचारियों ने आपस में बांट कर धन का गबन किया है ? यदि हां, तो क्या दोषी जनों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० उरई को वर्ष 1998-99 में मार्गों की मम्मत हेतु दिये गये अनुदान का विवरण निम्न है :–

1–मरम्मत व रख-रखाव–	रु० 87.86 लाख
2–गड्ढामुक्त–	रु० 33.80 लाख
	रु० 121.66 लाख

कराये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :–

1–नवीनीकरण से मार्ग–	68.05 कि०मी० (सूची संलग्न)
2–एम०एस०एस०–1 मार्ग–	2.65 कि०मी० कोंच–नदी गांव मार्ग
3–गड्ढामुक्त–10 मार्ग–	73.00 कि०मी० (सूची † संलग्न) ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

---

† छापी नहीं गई ।

बहराइच शिक्षण सामग्री के क्रय हेतु आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि

156–श्री विजय पाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27 मार्च, 1999 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच द्वारा जिलाधिकारी बहराइच की अध्यक्षता में जिला क्रय समिति की बैठक हुई थी ? क्या उक्त बैठक में जिला क्रय समिति के अनुमोदन के उपरान्त आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत रुपये बारह लाख की शिक्षा सामग्री क्रय किये जाने की स्वीकृति ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से हुई थी ? यदि हां, तो क्या 30 मार्च, 1999 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच द्वारा इस मद से रुपये अट्ठारह लाख का चेक स्वयं के नाम से प्राप्त कर ट्रेजरी में पास होने के लिये भेजा गया था ? क्या इसकी जानकारी जिलाधिकारी को होने पर उक्त चेक को ट्रेजरी से पास नहीं किया गया और वापस कर दिया गया था ? यदि हां, तो इस मामले में दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बहराइच में शिक्षण सामग्री के क्रय हेतु जिलाधिकारी, बहराइच की अध्यक्षता में मार्च, 1999 में आयोजित क्रय समिति की बैठक में रु० 5,54,300.00 की पाठ्य-पुस्तकें तथा रु० 85,500.00 के श्यामपट क्रय करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था, जिसके फलस्वरूप उक्त शिक्षण सामग्री क्रय की गयी थी ।

तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच द्वारा रु० 18.00 लाख का कोई चेक स्वयं के नाम से काटकर पारण हेतु ट्रेजरी नहीं भेजा गया था । अतः जिलाधिकारी, बहराइच के संज्ञान में आने, ट्रेजरी द्वारा जमा करने और चेक वापस करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सूचना विभाग के समूह "ग" के रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के संबंध में जानकारी

157–श्री विजय पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सूचना विभाग के समूह "ग" के रिक्त 80 पदों हेतु दिसम्बर, 1998 में परीक्षा आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उन रिक्त पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां कब तक कर दी जायेगी ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

मा० न्यायालय के आदेशों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी ।

लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा के०के० रोड बुढ़ाना से खतौली सड़क के दोनों तरफ खड़ञ्जा निर्माण का कार्य मानक के आधार पर न कराये जाने पर सी०ए०सी० से जांच कराये जाने की मांग

158–श्री विजय पाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के० के० रोड बुढ़ाना से खतौली तक वर्ष 1998-1999 में सड़क के दोनों ओर खड़ञ्जा निर्माण लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा कराया गया है ?

यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य मानक के अनुसार नहीं कराया गया है ? क्या सरकार उक्त कार्य की जांच टी० ए० सी० से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत मार्ग के 15.60 कि०मी० लम्बाई में खड़न्जा लगाने का कार्य वर्ष 1999-2000 में कराया गया है ।

समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टयों के अनुरूप ही कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

उत्तर प्रदेश में अनधिकृत रूप से कतिपय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का संचालन

159–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में कतिपय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय अनधिकृत रूप से बिना मान्यता प्राप्त किये चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक के भवन निर्माण तथा अन्य योजनाओं हेतु व्यय धनराशि का विवरण

160–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक शाहजहांपुर को एक अप्रैल, 1997 से फरवरी, 99 तक उ० प्र० शासन तथा जिला योजना से प्रत्येक वर्षों में भवन निर्माण हेतु तथा अन्य योजनाओं हेतु कितनी-कितनी धनराशि किन-किन मदों में प्राप्त हुई तथा कब-कब कहां-कहां विद्यालय भवनों का निर्माण कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर को एक अप्रैल, 1997 से फरवरी, 99 तक जिला योजनान्तर्गत भवन निर्माण हेतु वर्ष 97-98 में रु० 40.00 लाख प्राप्त हुई ।

अन्य योजनाओं में

वर्ष 1997-98

1–राज०उ०मा० विद्यालय, कांठ	काष्ठोपकरण एवं साज-सज्जा हेतु	25,000
	विज्ञान उपकरण हेतु	50,000
	गृह विज्ञान उपकरण हेतु	1,000

2–मकरन्द सिंह इण्टर कालेज कलान	ग्रामीण क्षेत्र में बालकों के सहायता प्राप्त उ०मा०वि० में पढ़ रही बालिकाओं को विशेष सुविधा हेतु अनुदान	60,000
3–विनोबाभावे इण्टर कालेज, कांठ	–तदैव–	60,000
	वर्ष 1998-99	
1–रा०कं०इं०का० पुवांया शाहजहांपुर	काष्ठोपकरण एवं साज-सज्जा हेतु	25,000
	विज्ञान उपकरण हेतु	15,000
	यात्रा व्यय हेतु	5,000
	कार्यालय व्यय हेतु	5,000
2–रघुराज सिंह इण्टर कालेज, खेड़ा, बरेड़ा	ग्रामीण क्षेत्र के बालकों के सहायता प्राप्त उ०मा०वि० में पढ़ रही बालिकाओं को विशेष सुविधा हेतु अनुदान	60,000

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कांठ जनपद शाहजहांपुर का भवन निर्माण दिसम्बर, 1996 में प्रारम्भ किया गया जो जून, 1999 में पूर्ण हो गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

161–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बरेली विकास खण्ड भदपुरा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

162–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली को प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1 जून, 2000 जो विकास खण्ड भदपुरा के उच्च प्राथमिक विद्यालयों बरसिया पनवड़िया, इलाका जलालपुर, नकटी नरायनपुर, भौआ बाजार, दकिया बरकली, बिलास नगर, ज्योति जागीर में अध्यापकों की नियुक्ति करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां । जनपद बरेली के विकास खण्ड भदपुरा के अन्तर्गत संचालित परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरसिया, नकटी नारायनपुर, भौआ बाजार, बिलासनगर तथा ज्योति जागीर में क्रमशः सर्वश्री भागीरथ, रामपाल शर्मा, सुमेर लाल, तुला राम तथा कीरतराम को अध्यापक के पद पर दिनांक 25-8-2000 को पदस्थ कर दिया गया है ।

ग्राम ढकिया बरकली एवं पनबढ़िया इलाका जलालपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत न होने के कारण वहां किसी अध्यापक को पदस्थ करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बरेली के ग्रामीण अंचल व नगरीय क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों व छात्रों का अनुपात सुनिश्चित करने की मांग

163–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बरेली के महानगर बरेली में प्राथमिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं और कितने अध्यापक कार्यरत हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं और कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या ग्रामीण अंचल व नगरीय अंचल में छात्रों व अध्यापकों का अनुपात समान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में अध्यापकों व छात्रों का अनुपात सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जनपद बरेली के नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में 11,350 छात्र अध्ययनरत एवं 252 शिक्षक कार्यरत हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में 3,33,175 छात्र अध्ययनरत तथा 4185 शिक्षक कार्यरत हैं।

सम्प्रति नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों व अध्यापकों का अनुपात 40:1 है परन्तु जनपद बरेली में शिक्षकों की कमी के कारण ग्रामीण व नगरीय अंचल में छात्रों व अध्यापकों का अनुपात असमान है।

जी हां।

अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत उ०प्र० बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के प्राविधानों के अनुसार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाती है। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

आर्य कन्या इन्टर कालेज, लखीमपुर खीरी में श्रीमती सईद जाफरी पत्नी श्री अब्दुल हफीज जाफरी की प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति तथा विनियमितीकरण तथा वेतन के भुगतान की मांग

164–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पांचवें मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं०–181 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, लखीमपुर खीरी के इंटरमीडिएट सेक्शन में मा० उच्च न्यायालय की स्पेशल रिट पिटीशन संख्या–494/99 एस० बी० के निर्णय दिनांक 19-1-2000 के क्रम में श्रीमती सईदा जाफरी पत्नी श्री अब्दुल हफीज जाफरी की प्रवक्ता पद पर नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन्हें अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या सरकार श्रीमती जाफरी को विनियमित कर उनके वेतन का नियमित भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

165–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[दिनांक 22-3-2001 को अता०प्र०सं०–172 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में भारतीय वन सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों की तैनातियों में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति को पर्याप्त प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में जानकारी

166–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने भारतीय वन सेवा के प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत हैं ? उनमें कितने अनुसूचित जाति और कितने पिछड़ी जाति के हैं ? क्या उनकी तैनातियों में इन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है ? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां तैनात हैं ?

श्री राजधारी सिंह–

प्रदेश में भारतीय वन सेवा के 177 अधिकारी आवंटित हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश में 157 कार्यरत हैं। 11 केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं, 3 अवकाश पर हैं तथा 6 प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

उपरोक्त में 20 अनुसूचित जाति एवं 2 पिछड़ी जाति के अधिकारी कार्यरत हैं। पिछड़ी जाति का चिन्हीकरण भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 से प्रारम्भ किया गया है। 1995 से पूर्व के पिछड़ी जाति के अधिकारियों को चिन्हित नहीं किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की विभिन्न पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में कोई प्रतिनिधित्व कोटा निर्धारित नहीं है। अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के अधिकारियों की तैनाती की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 171 पर।)

प्रदेश में जिला वन प्रभागीय अधिकारी अनुसूचित/पिछड़ी जाति के तैनातियों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी

167–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जिला वन प्रभागीय अधिकारी तैनात हैं ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति और कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री राजधारी सिंह–

वन विभाग में जिला वन अधिकारी का कोई पद नहीं है। जनपद स्तरीय पद का नाम प्रभागीय वनाधिकारी है। वर्तमान में प्रदेश में 74 प्रभागीय वनाधिकारी तैनात हैं।

उपरोक्त में 10 अनुसूचित जाति एवं 2 पिछड़ी जाति के हैं।

आर्य कन्या इण्टर कालेज न्यू हैदराबाद लखनऊ से उत्तीर्ण कु० अन्नू पुत्री श्री मुन्ना लाल जन्म तिथि सही अंकित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही

168–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, न्यू हैदराबाद, लखनऊ से हाई स्कूल परीक्षा 1995 में उत्तीर्ण कु० अन्नू पुत्री श्री मुन्ना लाल जिनका अनुक्रमांक 533745 है, का माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में कार्यालय त्रुटि एवं लापरवाही के कारण अंक तालिका में जन्म तिथि गलत दर्ज कर दी गयी थी ? क्या यह सही है अभिभावक के द्वारा जन्म तिथि सही अंकित किये जाने हेतु समस्त औपचारिकतायें पूरी करके दिनांक 8-9-98 को माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद

को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? जन्म तिथि सही अंकित करने की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं । विद्यालय से प्राप्त विवरणों के आधार पर छात्रा की जन्मतिथि अंकित की गयी थी ।

जी हां ।

तद्नुसार संशोधित अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्ण की जा चुकी है ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग में नियमित नियुक्ति समूह ''ग'' के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

169–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग में वर्ष 1996-97 में नियमित नियुक्त समूह ''ग'' के कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है ? क्या उनसे कनिष्ठ वर्ष 1994-95 के नियमित कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? शेष वरिष्ठ कर्मचारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, मात्र एक अनुपयुक्त कर्मचारी को छोड़कर सभी को स्थायी कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत भरतपुर से मानपुर मड़का एवं भौरी से नांदी बाया पहाड़ी मार्गों की मरम्मत का कार्य

170–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत भरतपुर से मानपुर मड़का एवं भौरी से नांदी बाया पहाड़ी मार्गों की मरम्मत का कार्य कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

भरतकूप–मानपुर–महफा मार्ग के कि०मी० 1 से 5 तक की मरम्मत कर दी गयी है शेष भाग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । भंवरी से नांदी बाया पहाड़ी मार्ग में पहाड़ी से 6 कि०मी० की मरम्मत कर दी गयी है । शेष पर कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पी०डब्लू०डी० केन्द्रीय गोदाम ऐशबाग लखनऊ के कतिपय कर्मचारियों द्वारा गोदाम का सामान बेचने सम्बन्धी कथित प्रकरण

171–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० डब्लू० डी० केन्द्रीय गोदाम ऐशबाग लखनऊ के कतिपय कर्मचारियों द्वारा गोदाम का सामान बाजार में बेचने विषयक वहां के चौकीदार का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र सहित उक्त गोदाम के अधिशासी अभियन्ता को माह सितम्बर/अक्टूबर, 2000 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांच करायी गयी । जांच में शिकायत की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रमुख वन संरक्षक उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में पति य पत्नी द्वारा मकान किराये भत्ते के रूप में आहरित की गयी धनराशि की वसूली

172–श्री मुराद लारी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख वन संरक्षक उ० प्र० लखनऊ के कार्यालय में कितने अधिकारी/कर्मचारी ऐसे हैं जो पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं ? उनके नाम और पद क्या हैं ? क्या दोनों के द्वारा मकान किराया भत्ता लिया जा रहा है ? क्या ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मकान किराये भत्ते की आहरण की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी–

प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय, उ०प्र० में एक अधिकारी और 8 कर्मचारी हैं जिनके पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं ।

उक्त अधिकारी/कर्मचारियों के नाम एवं पदनाम की सूची संलग्न है ।

एक अधिकारी और एक कर्मचारी के पति/पत्नी दोनों द्वारा मकान किराया भत्ता नियमतः आहरित किया जा रहा है क्यों कि वे अलग-अलग जनपद में कार्यरत हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 172 पर ।)

जनपद आगरा के फतेहाबाद के अन्तर्गत किसानों से जबरन सिंचाई शुल्क वसूल करने की कार्यवाही

173–श्री विजय पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-11-2000 जो जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के अन्तर्गत आगरा टर्मीनल राजबाहा, इरादतनगर माइनर राजबाहा स्यामो बांगुरी माइनर की टेलों तक विगत कई वर्षों से पानी न पहुंचने तथा जबरिया किसानों से

सिंचाई शुल्क वसूल किये जाने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 1-11-2000 से दिनांक 1-12-2000 के मध्य मा० मुख्यमंत्री जी को प्रश्नगत आशय का मा० प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 8-11-2000 नहीं प्राप्त हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक विद्यालय हरिपालपुर विकास क्षेत्र मछरेहटा जनपद सीतापुर के पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग

174–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे मंगलवार के प्रश्नकर्ता के अता० प्रश्न संख्या–5 के उत्तर के संदर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत प्राइमरी पाठशाला, हरिपालपुर, जिला–सीतापुर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत रु० 2.15 लाख से भवन निर्माण कराये जाने हेतु दिये गये आदेशों का क्रियान्वयन किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक इसका निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्राप्त सूचना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय हरिपालपुर, विकास क्षेत्र मछरेहटा जनपद सीतापुर के पुनर्निर्माण हेतु वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत रु० 2.15 लाख की धनराशि में से पेयजल की धनराशि रु० 22,000-00 घटाते हुए रु० 1.93 लाख की धनराशि विद्यालय के ग्राम निधि के खाते में हस्तान्तरित कर भवन निर्माण का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है । सम्प्रति भवन निर्माण का 25 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है । शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद जालौन में कालपी–हमीरपुर प्रमुख जिला मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु आवंटित धनराशि

175–श्री श्रीराम पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख जिला मार्गों को गड्ढा मुक्त व विशेष मरम्मत कराने हेतु विधायकों/सांसदों के प्रस्ताव भी शामिल किये जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जनपद जालौन में कालपी हमीरपुर जर्जर प्रमुख जिला मार्ग का सुदृढ़ीकरण व विशेष मरम्मत/गड्ढा मुक्त हेतु धनराशि आवंटित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और प्रस्तावों की उपयुक्तता के आधार पर निर्णय लिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जिला चित्रकूट में 2500 से अधिक आबादी वाले गांवों में डामरीकरण

176–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-7-2000 जो जिला चित्रकूट में 2500 से अधिक आबादी वाले गांवों को डामरीकरण करके मुख्य मार्गों से जोड़े जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उ० प्र० वन निगम के प्रबन्ध मण्डल समिति में जातियों के आधार पर सदस्यों को नामित किये जाने संबंधी प्रकरण

177–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वन निगम की गठित कमेटी में कुल कितने प्रतिनिधियों को नामित किया गया है ? क्या उक्त गठित कमेटी में नियमानुसार सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

उत्तर प्रदेश वन निगम के प्रबन्ध मण्डल समिति में अध्यक्ष सहित कुल 09 सदस्य नियुक्त किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उद्यम विभाग एवं नियोजन विभाग के एक-एक प्रतिनिधि प्रबन्ध मण्डल समिति में सदस्य के रूप में नामित होते हैं ।

उत्तर प्रदेश वन निगम के प्रबन्ध मण्डल समिति में जातियों के आधार पर सदस्यों को नामित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

वन क्षेत्राधिकारियों में अनुसूचित/पिछड़ी जाति/अन्य जातियों की संख्या की जानकारी

178–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने वन रेंज हैं तथा उनमें तैनात वन क्षेत्राधिकारियों में से कितने पिछड़ी जाति, कितने अनुसूचित जाति तथा कितने अन्य जातियों के हैं ?

श्री राजधारी सिंह–

प्रदेश में कुल 529 रेंज हैं, इनके सापेक्ष तैनात 509 वन क्षेत्राधिकारियों में से 100 पिछड़ी जाति, 80 अनुसूचित जाति तथा 329 अन्य जातियों के हैं ।

ग्राम लल्ला खेड़ा जनपद रायबरेली में राजकीय हाईस्कूल को इण्टरमीडिएट कालेज स्तर पर नियमानुसार उच्चीकृत की जानकारी

179–श्री उदय राज यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग– 1 के आदेश सं०–ए/1503/रा०क०–1/95 दि० 14-12-95 आदेश सं०–ए/805/सी एम–1/96 दि० 1-4-97 तथा आदेश सं०–ए/805/सी एम–1/96 दि० 25-5-97 द्वारा महापुरुष बाबू बैजनाथ कुरील की स्मृति में उनके

पैतृक गांव लल्ला खेड़ा ब्लाक खीरो जिला रायबरेली में सरकारी जूनियर हाई स्कूल लल्ला खेड़ा को उच्चीकृत करके बाबू बैजनाथ कुरील राजकीय इण्टर कालेज लल्ला खेड़ा खोले जाने के आदेशों का पालन किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आदेशों का पालन कब तक कराया जायेगा ?

डा० नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

ग्राम लल्ला खेड़ा जनपद रायबरेली में कोई राजकीय जूनियर हाईस्कूल संचालित नहीं है । विद्यमान जूनियर हाईस्कूल बेसिक शिक्षा परिषद् का है, जिसे राजकीय हाईस्कूल/इण्टर कालेज स्तर पर नियमानुसार उच्चीकृत नहीं किया जा सकता है ।

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत सरयू ड्रेनेज खण्ड–2 बलरामपुर द्वारा पिपरा ताल ड्रेन की सफाई व खुदाई में नजरअन्दाज करने व कथित फर्जी भुगतान की शिकायत

180–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत सरयू ड्रेनेज खण्ड–2 बलरामपुर द्वारा पिपरा ताल ड्रेन की सफाई व खुदाई के लिये कराये गये अनुबन्ध संख्या–17/ई०ई०/98-99 अनुबंध संख्या 15/ई०ई०/98-99 तथा अनुबंध संख्या 18/ई०ई०/98-99 के माध्यम से कराये गये कार्य मानक व गुणवत्ता के आधार पर न कराकर फर्जी भुगतान आहरित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच टी०ए०सी० द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित अनुबन्ध के माध्यम से कराये गये कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुसार कराये गये सूचित किये गये हैं । किसी प्रकार का फर्जी भुगतान नहीं हुआ है ।

आवश्यकता नहीं पाई गई ।

उक्तानुसार ।

जनपद बहराइच के अन्तर्गत सरयू नहर खण्ड नानपारा के डाउन स्ट्रीम लाट सं०–4 तथा अपस्ट्रीम लाट सं०–7 में नीलामी की प्रक्रिया

181–श्री समर पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–बहराइच अन्तर्गत सरयू नहर खण्ड नानपारा द्वारा सरयू बैराज डाउनस्ट्रीम लाट संख्या 4 तथा अपस्ट्रीम लाट संख्या 7 मत्स्य आखेट नीलामी वर्ष 2000-2001 दिनांक 28-2-2000 में की गयी थी जिसमें अध्यक्ष–मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड चहलवा, विकास खण्ड मिहीपुरवा, बहराइच द्वारा अधिकतम धनराशि रुपया 36,000.00 विभागीय कार्यालय में जमा किया जा चुका है, जो विगत वर्षों से की जा रही नीलामी की तुलना में अधिक है ? यदि हां, तो अब तक मत्स्य जीवी सहकारी समिति के पक्ष में सीज पत्र अनुबन्ध न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त प्रकरण में दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बहराइच के अन्तर्गत सरयू नहर खण्ड नानपारा के डाउन स्ट्रीम लाट सं०–4 तथा अपस्ट्रीम लाट सं०–7 में दिनांक 28-2-2000 को कोई नीलामी नहीं की गयी थी बल्कि उक्त स्थल में दिनांक

28-6-2000 को नीलामी की गयी थी जिसमें अध्यक्ष मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड ने नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था।

नीलामी प्रक्रिया में रु० 36,000.00 से अधिक रु० 97.000.00 की बोली प्राप्त होने के कारण निम्न बोलीदाता मत्स्य जीवी सहकारी समिति लिमिटेड के पक्ष में रु० 36,000.00 पर अनुबन्ध नहीं किया गया।

उपरोक्त के दृष्टिगत कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

182–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[पहले शुक्रवार में अता० प्र० सं०–26 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधायक आवासों की सड़कों को गड्ढामुक्त करने हेतु वित्तीय सुविधा

183–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार गड्ढा मुक्त सड़क नीति के अन्तर्गत विधायक आवासों की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

लोक निर्माण विभाग से आगणन मांगा गया है तदनुसार वित्तीय प्राविधान कराकर कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ में डी०आर०डी०ए० द्वारा एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना के अधीन प्रोजेक्ट के तहत धनराशि अवमुक्त किये जाने में अनियमितता की जांच

184–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में डी०आर०डी०ए० द्वारा एकीकृत बंजर भूमि विकास योजना के अधीन 483.40 लाख रुपये के प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में 72.51 लाख रुपये की धनराशि अवमुक्त किये जाने की अनियमितता की जांच हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या ख–2/59962825/11/99 पर पारित मा० मुख्य मंत्री के आदेश दिनांक 27-11-99 का अनुपालन करते हुए जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहा ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में जांचोपरान्त आरोप निराधार पाया गया।

विधायक आवासों में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु ट्यूबवेल की व्यवस्था

185–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि विधायक आवासों में पेयजल की समस्या बनी हुई है ? यदि हां, तो उसका निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं।

विधायक निवास–1 व 2 में पेयजल आपूर्ति की समस्या थी, जिसका निराकरण एक नये ट्यूबवेल का बोर कराकर किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

समस्या का निराकरण किया जा चुका है।

रामगंगा कमाण्ड परियोजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारियों को क्षेत्रीय मण्डलों में अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत सौंपा गया उपनिदेशक, भू०सं० का कार्य एवं दायित्व

186–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम गंगा कमांड उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत श्रेणी एक (उपनिदेशक) के पदों पर कितने भूमि संरक्षण अधिकारियों को मण्डल उरई, मेरठ, बुलन्दशहर, झांसी, बांदा के अन्तर्गत प्रभारी उपनिदेशक बनाया गया है ? क्या उक्त प्रभारी उपनिदेशक भूमि संरक्षण अधिकारियों में वरिष्ठतम् है ? यदि नहीं, तो बनाए गये उपनिदेशकों को किस मानक व शासनादेश के तहत प्रभारी बनाया गया है ?

श्री मण्डलेश्वर सिंह–

वर्ष 1999-2000 में रामगंगा कमाण्ड परियोजना के अन्तर्गत 5 भूमि संरक्षण अधिकारियों को उनके वर्तमान पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ श्रेणी–एक (उप निदेशक, भू०सं०) मण्डल–उरई, मेरठ, बुलन्दशहर, झांसी एवं बांदा के रिक्त पद का कार्य एवं दायित्व पूर्णतः अस्थाई एवं काम चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत शासन के अग्रिम आदेशों तक के लिए सौंपा गया है।

उक्त अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर पूर्णतः तदर्थ एवं अस्थाई रूप से नियुक्त हैं और इनकी वरिष्ठता का निर्धारण विचाराधीन है। अतः शासकीय कार्यहित/जनहित में उक्त भूमि संरक्षण अधिकारियों को उनके वर्तमान पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ उपनिदेशक (भू०सं०) के पद का कार्य एवं दायित्व पूर्णतः अस्थाई एवं काम चलाऊ व्यवस्था में उक्तानुसार सौंपा गया है जिसके लिए उन्हें कोई अन्य लाभ यथा वेतन भत्ते, ज्येष्ठता आदि अनुमन्य नहीं किया गया है।

विभागीय अधिकारियों की उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति/नियुक्ति संबंधी सेवा नियमावली के अभाव तथा पोषक पद पर उनकी ज्येष्ठता अन्तिम रूप से निर्धारित न होने के कारण संबंधित मण्डलीय इकाई में उपलब्धता, अनुभव एवं अन्य सुसंगत सेवा अभिलेखों के आधार पर उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शासकीय कार्यहित/जनहित में भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग–2 के निम्नलिखित शासनादेशों के अन्तर्गत की गयी है :–

1–5337/54–2–99–5(7)/99 टी०सी० दिनांक 30-12-99

2–5046/54–2–2000–9(131)/99 दिनांक 24-1-2000

3–505/54–2–2000–5(3)/2000 दिनांक 17-2-2000

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आपका विवेक है यदि आप चाहे तो एक मिनट हमको दे सकते हैं । ऐसा नहीं है कि 12.20 से एक मिनट ज्यादा नहीं हो ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अगली मद ले चुका है ।

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यगण श्री राम प्रसाद, श्री चन्द्रशेखर, श्री त्रियुगी नारायण मिश्र तथा कुंवर महमूद अली खां के निधन पर शोकोद्गार

* संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी बहुत पीड़ा के साथ इस सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे चार भूतपूर्व सदस्य जिन्होंने किसी न किसी रूप में इस सदन की शोभा बढ़ाई है, आज हमारे बीच नहीं हैं । वैसे तो नियति का चक्र है और कहा भी गया है "आये हैं सो जायेंगे राजा रंक फकीर" । पहले भूतपूर्व सदस्य श्री राम प्रसाद जो कि 1980 में चुनाव जीतकर आये थे और मुजफ्फरनगर से बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहे उनका जन्म 1932 में हुआ था । उनकी सेवाओं के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जायेगा। मुजफ्फरनगर ने बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ और समाज सेवी खो दिया है । मैं स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जी की आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को यह महान दुख वहन करने की शक्ति दे । मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे दल व इस सदन की ओर से शोक संतप्त भावनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

दूसरे हमारे भूतपूर्व सदस्य श्री चन्द्रशेखर जी का निधन 6 अप्रैल, 2001 को हुआ । वर्ष 74 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र धुरियापार, जिला गोरखपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए । श्री चन्द्रशेखर के निधन से जनपद गोरखपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनके शोक संतप्त परिवार को यह महान दुख वहन करने की शक्ति दे । मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी, मेरे दल व इस सदन की ओर से हमारी शोक संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र का निधन दिनांक 18 अप्रैल, 2001 को हुआ वे 55 वर्ष के थे । वर्ष 85 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र सहजनवां, जिला गोरखपुर से कांग्रेस (ई) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । श्री त्रियुगी नारायण मिश्र के निधन से जनपद गोरखपुर ने एक और कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है । मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस महान दुख को वहन करने की शक्ति प्रदान करें । मेरा आपसे निवेदन है कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी, हमारे दल व इस सदन की शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री कुंवर महमूद अली खां काफी चर्चित हस्ती थे उनका निधन 22 अप्रैल, 2001 को हुआ । श्री कुंवर महमूद अली खां वर्ष 57 में निर्वाचन क्षेत्र दसना, जिला मेरठ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे वे 1977 में लोक सभा सदस्य भी निर्वाचित हुए थे । कुंवर महमूद अली खां के निधन से जनपद मेरठ ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस महान दुख को वहन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करने की शक्ति दे । मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी, मेरे दल व इस सदन की शोक संवेदनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विचार स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जी, स्वर्गीय श्री चन्द्रशेखर जी, स्वर्गीय श्री त्रियुगी नारायण मिश्र और स्वर्गीय श्री कुंवर महमूद अली खां के संबंध में रखे हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और कहना चाहता हूं कि श्रीमन् दुनिया में आने-जाने का क्रम शाश्वत् है । लिखा भी है कि "दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहां की आनी जानी देखी", इसके भी आगे जो लिखा है उसको कहने की जरूरत नहीं है । वह सभी पर लागू होती है । श्रीमन्, श्री राम प्रसाद जी 1980 में इस माननीय सदन के सदस्य निर्वाचित होकर आये और 1974 में श्री चन्द्रशेखर जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदन के सदस्य निर्वाचित हुए और 1985 में कांग्रेस (आई) से ही श्री त्रियुगी नारायण मिश्र इस माननीय सदन के सदस्य निर्वाचित हुए। 1957 में कुंवर महमूद अली खां इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए । हमारे सभी चारों भूतपूर्व स्वर्गीय सदस्यों ने इस सदन में रहकर समाज और देश और प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं के प्रति विचार रखे और उनके समाधान की रूपरेखा रखी और समाज को परिष्कृत और उन्नतिशील बनाने के लिए प्रयास किये । वे अपने में अलग-अलग क्षमता वाले व्यक्ति थे । अगर कोई सहकारिता के क्षेत्र में अग्रणी था तो कोई शिक्षा के क्षेत्र में और कोई समाज सेवा के क्षेत्र में । लेकिन यह सत्य है कि सभी ने अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार इस देश और प्रदेश की सेवा की है ।

हमारे सभी चार माननीय भूतपूर्व सदस्य जो हमसे विदा ले गये हैं, हमारे परिवार के सदस्य इसलिये रहे हैं क्योंकि यह विधान सभा एक परिवार है और वे हमारे इस परिवार से आज विदा हो गये हैं । हम सब उनकी जुदाई में गमगीन हैं और ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शाश्वत् शांति और उनके परिवारजनों को धैर्य धारण करने की क्षमता प्रदान करे । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे और मेरे दल की भावनाओं को उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वर्गीय राम प्रसाद जी, चन्द्रशेखर जी, त्रियुगी नारायण मिश्र जी, कुंवर महमूद अली खां के निधन पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने जो भावनायें व्यक्त की हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं एवं निवेदन करता हूं कि राम प्रसाद जी जो 1980 में इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत ग्राम प्रधान से शुरू की जिले के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए इन्होंने मुजफ्फरनगर के लोगों की आवाज को बुलन्द किया था आज हमारे बीच में नहीं हैं । इससे मुजफ्फरनगर को ही नहीं, अपितु पूरे प्रदेश को क्षति पहुंची है । हमारा राजनीतिक सदस्य हमारा एक अच्छा साथी हमसे बिछड़ गया है । हम सभी उनके निधन से दुखी हैं । मैं उनके निधन पर अपनी ओर से और बहुजन समाज पार्टी की ओर से शोक संवेदनायें प्रकट करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्रीमन्, चन्द्र शेखर जी धुरियापार गोरखपुर से निर्वाचित होकर इस सदन के सदस्य के रूप में आये थे । वह आज हमारे बीच नहीं हैं । श्री चन्द्रशेखर जी छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़े हुए थे और यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी । गांव के प्रधान से लेकर अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर रहकर इन्होंने समाजसेवा की । यह अविस्मरणीय है । इनके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निधन से गोरखपुर ने अच्छा कुशल राजनीतिज्ञ खोया है। वहीं हमारे बीच से ऐसा अनुभवी व्यक्ति न रहने से हम सभी को आधात पहुंचा है। हम सब उनके निधन पर अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से शोक संवेदनायें प्रकट करते हैं हमारा अनुरोध है कि आप हमारी भावनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्रीमन्, त्रियुगी नारायण मिश्र जी 1985 में सहजनवा गोरखपुर से विधान सभा के सदस्य थे तमाम राजनीतिक उतार चढ़ाव उन्होंने देखे थे। उन्होंने विभिन्न आन्दोलनों के माध्यम से लोगों की सेवा की उनकी सेवा को गोरखपुर की जनता भुला नहीं सकती है। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं उनके निधन पर हम सभी दुखी हैं। मेरा अनुरोध है कि मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवारजनों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

कुंवर महमूद अली खां 1957 में दसना विधान सभा क्षेत्र से मेरठ से चुनकर आये थे वह हमारे बीच में नहीं हैं वह 1977 में लोक सभा में भी निर्वाचित होकर गये थे। विभिन्न राजनीतिक महत्वपूर्ण पदों पर पदारूढ़ हुए थे। राष्ट्रीय कार्य समिति और राजनीतिक पार्टी के पदों पर रहे। मध्य प्रदेश में महामहिम राज्यपाल के रूप में कार्य करने का भी उन्हें मौका मिला। आज वह हमारे बीच नहीं हैं। कुंवर महमूद अली खां के निधन से केवल मेरठ ही नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश को आघात पहुंचा है। हमारे बीच से एक बहुत अनुभवी वरिष्ठ और अच्छा समाजसेवी उठ गया है। इस अपूर्णनीय क्षति से हम सब दुखी हैं और उनके निधन पर अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से शोक संवेदनायें व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

कारागार राज्य मंत्री (श्री विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू")–

श्री राम प्रसाद जी, श्री चन्द्रशेखर जी, श्री त्रियुगी नारायण मिश्र जी, श्री कुंवर महमूद अली खां जी ये चार भूतपूर्व सदस्य आज हमारे बीच में नहीं हैं। मैं अपनी ओर से एवं अपने दल की ओर से आपके माध्यम से इनके शोक संतप्त परिवारों तक हमारी शोक संवेदनायें प्रेषित करने का अनुरोध कर रहा हूं।

सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री जय नारायण तिवारी)–

मान्यवर, आज इस सदन के चार भूतपूर्व सदस्य हमारे बीच में नहीं हैं। श्री राम प्रसाद जी मुजफ्फरनगर, श्री चन्द्रशेखर, गोरखपुर, श्री त्रियुगीनारायण मिश्र, गोरखपुर तथा कुंवर महमूद अली खां, मेरठ के सदस्य थे। इस धरा का अंतिम सत्य महाप्रयाण है और जो भी इस धरा में आया है, तो उसे जाना पड़ता है और अगर ईश्वर धरती पर मानव रूप में आये हैं तो उनका भी प्रयाण सुनिश्चित होता है। लेकिन जो अपने पीछे अच्छे कार्य, संस्कृतियां, जो समाज के अच्छे कृत्य होते हैं उनको छोड़कर जाते हैं तो हम उनकी याद करते हैं। ये भी हमारे चारों साथी अपने-अपने क्षेत्र में, अपने-अपने जैनपदों में हमेशा समर्पित रहे हैं विकास के लिए, शिक्षा के लिए और सामाजिक संरचना के वातावरण के सृजन के लिए। उनके निधन से अपूर्णनीय क्षति हुई उसके लिए आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, श्री राम प्रसाद जी, श्री चन्द्रशेखर जी, श्री त्रियुगी नारायण मिश्र जी एवं कुंवर महमूद अली खां जी के चार हमारे भूतपूर्व सदस्य जिन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में सेवा की थी आज हमारे बीच में नहीं है। उनके निधन पर माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी, नेता विरोधी दल, नेता बसपा तथा अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। इन चारों के जीवन परिचय पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि ये कर्मठ लोग थे जिन्होंने

अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नीचे के पायदान से शुरू की और तब ऊपर तक पहुंचे। कुंवर महमूद अली खां तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। चन्द्रशेखर जी सदैव संघर्ष करते रहे और पूर्वांचल की मजबूत आवाज रहे। श्री राम प्रसाद जी ने न केवल राजनीतिक क्षेत्र में, बल्कि हर क्षेत्र में काम किया। श्री त्रियुगी नारायण मिश्र जी के बारे में यह कहना है कि वह सदन के बहुत मुखर सदस्य होते थे और कार्यवाही में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। वे पूरी दृढ़ता के साथ अपनी बातों को कहा करते थे। इन्होंने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी तथा अपने दल की शोक संवेदनायें, जिन्होंने यहां पर कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, इनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राजा राम पाण्डेय)–

मान्यवर, सदन के भूतपूर्व सदस्य माननीय श्री राम प्रसाद जी, माननीय श्री चन्द्र शेखर जी, श्री त्रियुगी नारायण मिश्र जी, श्री कुंवर महमूद अली खां साहब जी आप हमारे बीच में नहीं हैं उनके निधन से उत्तर प्रदेश के कर्मठ समाजसेवी, जो इस सदन के सदस्य के रूप में रहे हैं, खो दिया है, इसकी अपूर्णनीय क्षति प्रदेश को हुई है। मान्यवर, मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनायें प्रकट करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचा दी जायें।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, श्री राम प्रसाद जी मुजफ्फरनगर से थे, श्री चन्द्रशेखर जी गोरखपुर शहर से, त्रियुगी नारायण जी गोरखपुर से और कुंवर महमूद अली खां साहब मेरठ से इस सदन के सदस्य रहे। मान्यवर, ये तमाम लोग अपने-अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इनकी अपनी छवि थी इनके न रहने से समाज में कमी रह जायेगी।

मान्यवर, कुंवर महमूद अली साहब को मैं पारिवारिक रूप से जानता था मेरठ के रहने वाले थे। 1957 में वे इस सदन के सदस्य बने, 1977 में संसद के सदस्य रहे और वे मध्य प्रदेश सरकार के गवर्नर भी रहे तथा यू० पी० लोक सेवा आयोग के मेम्बर भी रहे। मान्यवर, अपने आखिरी वक्त से पहले कुंवर साहब 22 तारीख को मेरठ कालेज के फंक्शन में मेरठ आये थे। वहां ये कहा कि हमारा समय आ गया है हो सकता है कभी भी टिकट कट जाये और ऊपर जाना पड़े। आप नवजवानों को ही सब कुछ संभालना है और उसके 15–20 मिनट बाद ही उन्हें हार्टअटैक हुआ और वे इस दनिया में नहीं रहे। मेरा अनुरोध है कि मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से हमारी शोक संवेदनायें इनके परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

* श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, इस सदन के अपने भूतपूर्व 4 सदस्यों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मान्यवर, श्री राम प्रसाद जी, श्री चन्द्रशेखर जी, श्री त्रियुगी नारायण मिश्र जी, श्री कुंवर महमूद अली खां साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। मान्यवर, इन भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। श्री राम प्रसाद जी मुजफ्फरनगर से 1980 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित होकर आये आज हमारे बीच में नहीं रहे उनके निधन से न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि प्रदेश की राजनीति में एक शून्यता आयी है। उनके निधन पर अपनी ओर से और अपने दल की ओर से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्रीमन्, श्री चन्द्रशेखर जी 1974 के सामान्य निर्वाचन में गोरखपुर के धुरियापार निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर आये थे वे आज हमारे बीच में नहीं हैं उनके निधन पर हम अपनी शोक संवेदनायें व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र जी गोरखपुर से ही सहजनवा विधान सभा क्षेत्र से 1985 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित होकर सदन में आये थे वे आज हमारे बीच में नहीं हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि गोरखपुर जनपद में किसान, मजदूर और गरीब तबके के लोगों के लिए काम किया उनके लिए जीवन भर वे संघर्ष करते रहे उनके प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्रीमन्, कुंवर महमूद अली खां साहब जो मेरठ से 1957 में कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित होकर आये थे। वह 1977 में लोक सभा के भी सदस्य रहे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। उनके निधन से सम्पूर्ण प्रदेश की राजनीति में शून्यता आयी है। उनके निधन से जो क्षति प्रदेश की राजनीति को हुई है उसकी भरपाई बहुत जल्दी सम्भव नहीं है। हम अपनी ओर से, अपने दल की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी शोकसंवेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री राम प्रसाद जी, श्री चन्द्रशेखर जी, श्री त्रियुगी नारायण मिश्र जी एवं श्री कुंवर महमूद अली खां आज हमारे बीच में नहीं रहे। यह सभी हमारे सम्मानित सदस्य, राजनीतिक व सामाजिक जीवन में गांव से लेकर जनपद और प्रदेश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान था और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के मरने के बाद पूरे प्रदेश में और संबंधित जनपदों की राजनीतिक में शून्यता आयी है। इनके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने जो शोक संवेदना प्रकट की है, मैं उनसे अपने दल को और अपनी भावना को सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी भावनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय भूतपूर्व सदस्य श्री राम प्रसाद जी उत्तर प्रदेश विधान सभा में 1980 में सामान्य निर्वाचन में चुनकर चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर से कांग्रेस आई के टिकट पर आये थे और उनका 13 मार्च, 2001 को हृदय गति रुक जाने के कारण मुजफ्फरनगर में निधन हो गया। श्री राम प्रसाद एक कुशल कर्मठ और सामाजिक कार्यकर्ता थे। कई बार वह कारागार में निरुद्ध रहे और सक्रिय राजनीति में उनकी भागीदारी रही।

श्री चन्द्रशेखर जी जिनका निधन 6 अप्रैल, 2001 को हुआ, वह 69 वर्ष के थे। 1932 में ग्राम ककरही, जिला गोरखपुर में उनका जन्म हुआ था। उनके राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ काशी विद्यापीठ में छात्रसंघ के रूप में हुआ। वे 1974 के सामान्य निर्वाचन में धुरियापार जिला गोरखपुर से चुनकर आये थे।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र जिनका निधन 18 अप्रैल, 2001 को हुआ है वे 55 वर्ष के थे। उनका जन्म एक अगस्त, 1946 को ग्राम टन्डवा खुर्द जनपद गोरखपुर में हुआ था। 1985 के सामान्य निर्वाचन

में वह सहजनवा विधान सभा क्षेत्र जिला गोरखपुर से चुनकर आये थे । उनका राजनीतिक जीवन बड़ी सक्रियता के साथ चला है, समाज को उन्होंने एक दिशा दी है ।

कुंवर महसूद अली खां जिनका निधन 22 अप्रैल, 2001 को हृदय गति के रुक जाने के कारण हुआ, वह 81 वर्ष के थे । वह 16 जून, 1920 को ग्राम जोगीपुरा, जिला मेरठ में पैदा हुए थे । जहां वह विधान सभा के सदस्य रहे वही उनका जीवन मजदूर सुधार आन्दोलन से भी जुड़ा रहा है । वह कुशल राजनीतिज्ञ और मार्गदर्शक रहे हैं । इन सभी महानुभावों के निधन से निश्चित रूप से एक रिक्तता आई है । हम सभी जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन बड़ी साधना और संघर्ष के बाद उसकी भट्ठी में तपकर निखरता है । निश्चित रूस से उनके निधन से सामजिक जीवन में एक शून्यता आई है । जो विचार माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता, उत्तर प्रदेश लोकतांत्रिक कांग्रेस, माननीय नेता जनतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय नेता लोक जनशक्ति पार्टी, माननीय नेता लोकदल, माननीय नेता, जनता दल, माननीय नेता समता पार्टी ने व्यक्त किये हैं, उनके साथ मैं अपने विचारों को सम्बद्ध करता हूं और आप सबकी तरफ से, मैं आपकी भवनाओं से शोक संतप्त परिवारों को अवगत करा दूंगा, उनके परिवारों तक पहुंचा दूंगा । कृपा करके दो मिनट खड़े होकर श्रद्धांजलि देने का कष्ट करें ।

(सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये)

भूतपूर्व उप प्रधान मंत्री चौधरी देवी लाल के निधन पर शोकोद्‌गार

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, भारतीय राजनीति का एक ऐसा शिखर पुरुष, जिसने देश के तमाम किसानों को जगाया, किसानों को संगठित किया और अपने 87 साल के जीवन में सदैव संघर्ष करते रहे, चौधरी देवीलाल जी, उनका निधन 6 अप्रैल, 2001 को हो गया । चौधरी देवीलाल जी का राजनैतिक जीवन 15 वर्ष की आयु में ही शुरू हो गया था । 1914 में उनका जन्म हुआ और 1929 में महात्मा गांधी के सम्पर्क में आकर सारे जीवन को उन्होंने समाजसेवा के लिये समर्पित कर दिया । मान्यवर, देवीलाल जी का ऐसा व्यक्तित्व था, जहां भी जाते थे, अपार भीड़ उनको सुनने के लिए इकट्ठी होती थी । दिल्ली में कम से कम उन्होंने जब चाहा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और दिल्ली की सरकारों को यह अहसास करा दिया कि उनके समर्थन के बिना किसी के लिये भी सरकार चलाना सम्भव नहीं था । मान्यवर, जब संयुक्त पंजाब और हरियाना था, उस समय दो बार वहां की विधान सभा के सदस्य चुने गये, तत्पश्चात् 4 बार हरियाना विधान सभा से चुने गये, मुख्य मंत्री भी वहां पर हुये और 1989 से लेकर 1991 तक इस देश के उप प्रधान मंत्री के पद को सुशोभित किया । निधन के बाद जब उनकी अस्थियां संगम प्रयागराज में लाई गई, प्रदेश सरकार की ओर से मुझे उपस्थित होना था, मैं वहां गया, जितना भी जनमानस वहां था, श्रद्धा से उनका कोई नाम नहीं ले रहा था, उनको लोग ताऊ जी पुकारते थे, और यही कह रहे थे, "जब तक सूरज चांद रहेगा, ताऊ जी तेरा नाम रहेगा" ऐसी विशेषता चौधरी देवीलाल जी ने अपने जीवन में प्राप्त की थी । उनके निधन से पूरे देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ खोया है और किसानों ने एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक खोया है मान, सम्मान और स्वाभिमान की भावना तमाम देश के किसानों में उन्होंने पैदा की थी । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शान्ति दे और आपसे मान्यवर, निवेदन करता हूं कि मेरी ओर से, हमारे दल की ओर से, तमाम सदन की ओर से, उनके परिवार को हमारी भावनाएं पहुंचाने की कृपा करें ।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

अधिष्ठाता महोदय, स्वर्गीय देवी लाल जी के प्रति जो शोक संवेदनाएं हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत की हैं । मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब

जनसाधारण के नेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों को इस देश से भगाने में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और आजाद देश में दो बार संयुक्त पंजाब के विधायक और 5 बार हरियाणा विधान सभा के विधायक रहे, 79 से 91 तक उप प्रधानमंत्री भी रहे। इस तरह उन्होंने मुख्य मंत्री सहित, उप प्रधान मंत्री सहित और विधायक की हैसियत से अनेक पदों पर रहकर देश और समाज की सेवा की। उनके न रहने से एक अपूर्णनीय क्षति हुई है। इस क्षति की पूर्ति निकट भविष्य में सम्भव नहीं है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से और सम्पूर्ण सदन की ओर से उनकी दिवंगत आत्मा को शाश्वत शान्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और साथ ही साथ उनके परिवारजनों को इस दुःख को सहन करने की क्षमता परम पिता परमात्मा दे, यह हमारी कामना है और आपसे निवेदन है कि मेरी शोक संवेदनाएं उनके परिवारजनों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, स्वर्गीय देवीलाल जी के निधन संदेश पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल ने जो शोक अभिव्यक्ति की है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं एवं मान्यवर, आज ऐसी घड़ी में जो इस भारतीय राजनीति का एक महान राजनीतिक और सामाजिक योद्धा थे, भारत जैसे देश के उप प्रधान मंत्री के पद पर भी रह चुके थे, ऐसी महान प्रतिभा हमारे बीच में अब नहीं रही। 6 अप्रैल, 2001 को इस महान विभूति का निधन हुआ। स्वर्गीय देवी लाल जी माटी से जुड़े हुए उन महान सपूतों में से थे जो इस देश के किसानों की बात को उठाने में कभी कोई कोताही नहीं करते थे और साथ ही साथ उनमें देश प्रेम की भावना इसी से झलकती है कि मात्र 15 साल की अवस्था में ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन और भारत छोड़ो आन्दोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभायी। मान्यवर, वह संयुक्त पंजाब में पहली बार 1952 में और दोबारा 1962 में निर्वाचित होकर गये। वह 1974, 1977, 1982, 1985 और 1987 में लगातार हरियाणा विधान सभा के सदस्य होते रहे जो इस बात को जाहिर करती है कि वह हरियाणा के जनमानस के नेता थे, जन-जन की आवाज थे और लोगों की हर सांस में देवी लाल जी समाये हुए थे। हरियाणा के दो बार मुख्य मंत्री भी रहे। पहली बार 1977 से 1980 तक और दोबारा 1987 से 1989 तक। यही नहीं वह 1980 से 1984 तक लोकसभा के सदस्य रहे। 1989 से 1991 तक उप प्रधान मंत्री के पद पर रहकर उन्होंने पूरे देश स्तर पर किसानों की एक पहचान बनायी वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा, अमिट रहेगा। आज देवीलाल जी के निधन से हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का किसान हताहत हुआ है। गांव--गंवई की राजनीति से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति उनके निधन से दुखित है। चौधरी देवीलाल जी जैसा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ और किसानों के महान योद्धा आज हमारे बीच में नहीं है। इससे हम सभी लोग दुखित हैं। आज उनके निधन पर हम सभी लोग अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से शोक-संवेदना व्यक्त करते हैं और मान्यवर, आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी इस भावना को उनके परिवार तक प्रेषित करने का कष्ट करें।

कारागार राज्य मंत्री (श्री विनय कुमार पाण्डेय "विन्नू")–

मान्यवर, पूर्व उप प्रधान मंत्री चौधरी देवीलाल जी के निधन पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं नेता बहुजन समाज पार्टी ने जो शोक संवेदना व्यक्त की है मैं उससे अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे और मेरे दल की शोक-संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री जय नारायण तिवारी)–

मान्यवर, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी, जो जीवन के कई सोपानों को निरन्तर तय करते हुए प्रगति के शीर्ष स्थान पर, इस देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे। वह जनमानस से जुड़े हुए

नेता थे, जन-साधारण तक उनकी बराबर पहुंच रहती थी । उनके निधन के संदर्भ में जो शोकोद्गार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनकी भावनाओं से अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें प्रेषित करने की कृपा करें जिससे उनका शोक में उद्वेलित परिवार, पीड़ा से गुजर रहा परिवार उस महान दुःख को सहन करने की क्षमता प्राप्त करे । मान्यवर, उन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिस पद पर रहकर अपने प्रान्त और देश की सेवा न की हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें उनके शोक-संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय भारत की राजनीति में कुछ ऐसे व्यक्ति उभर कर आये हैं जिन्होंने अपने श्रम से लोकप्रियता से जनता के दिलों में ऐसा स्थान बना लिया जिसको काल का कोई प्रवाह बाधित नहीं कर पाया । चौधरी देवीलाल जी की लोकप्रियता का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे सात बार विधान सभा सदस्य रहे, लोक सभा के सदस्य रहे, राज्य सभा के सदस्य रहे और दो बार वह मुख्य मंत्री रहे । मान्यवर, हरियाणा हो या पंजाब या बिहार हो, सभी जगह उनके प्रशंसक थे और वह ताऊ नाम से जाने जाते थे जो आदर का सूचक था । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वह एक जाति विशेष के नेता थे । उनको जाट नेता कहना उचित नहीं है । वह किसानों के नेता थे और जाट परिवार में पैदा हुए थे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी पार्टी की ओर से उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आपसे अनुग्रह करता हूं कि मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

खादी एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)–

अधिष्ठाता महोदय आज चौधरी देवीलाल जी हमारे बीच में नहीं हैं । उनका 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ । सबसे कम उम्र में 15 साल की उम्र में ही महात्मा गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया । लगभग 70 वर्ष तक उनका राजनीतिक जीवन रहा । वह 7 बार हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे, दो बार मुख्य मंत्री रहे, लोक सभा के सदस्य रहे, राज्य सभा के सदस्य रहे, पार्लियामेन्ट के सदस्य रहे, भारतवर्ष के उप प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे । इन्होंने देश के किसानों की जो सेवा की वह अविस्मरणीय है । मान्यवर, उनके निधन से देश ने एक किसान नेता को खो दिया है । मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनके शोक संतप्त परिवार को शोक संवेदना प्रकट करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी और हमारे दल की तरफ से उनके परिवार तक हमारी शोक संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, चौधरी देवी लाल जी के बारे में जो संवेदनायें माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने प्रकट की हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, चौधरी देवी लाल जी उन महापुरुषों में थे जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया । 15 साल की आयु में उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और जीवन पर्यन्त वह संघर्ष करते रहे उन लोगों के प्रति जो गांव में रहने वाले किसान थे, मजदूर थे । मान्यवर, वह अनेक पदों पर आसीन रहे । 2 बार हरियाणा के मुख्य मंत्री रहे । एक बार ऐसा अवसर आया कि देश के इतिहास में ऐसा अवसर कम मिलेंगे कि किसी ने दूसरे के लिये इतनी बड़ी कुरबानी की हो । मान्यवर, एक बार ऐसा अवसर आया कि लोक सभा के सदस्यों ने सर्व सम्मति से उन्हें प्रधान मंत्री पद के लिये चुना लेकिन चौधरी देवीलाल ने बहुत ही नम्रता

के साथ उसको अस्वीकार कर दिया और विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम प्रधान मंत्री के लिये प्रस्तावित किया अगर वह स्वीकार कर लेते तो निश्चित रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रहे होते । यह त्याग की अद्भुत मिसाल है । मान्यवर, चौधरी देवी लाल जी की लोकप्रियता का यह आलम था कि लोग उन्हें ताऊ के नाम से पुकारते थे बच्चा-बच्चा उनसे स्नेह करता था । जब उनका देहावसान हुआ तो दिल्ली में लाखों लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा । मान्यवर, मैं अपनी तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपसे अनुरोध करता हूँ कि उनके शोक संतप्त परिवार तक मेरी संवेदनाओं को पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के निधन पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने और माननीय नेता विपक्ष ने और अन्य दलों के नेताओं ने जो शोकोद्गार प्रकट किये हैं मैं उनसे अपने को और अपने दल के लोगों को संबद्ध करता हूं । मान्यवर, चौधरी देवी लाल ने महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अल्प आयु में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे । चौधरी देवी लाल की शख्शियत पर सबसे जयादा प्रभाव महात्मा गांधी का था । सम्पूर्ण जीवन उन्होंने देश के किसानों के प्रति उनके हितों के लिये समर्पित किया और संघर्ष में लगा दिया । यह कहना कि चौधरी देवी लाल का चिंतन केवल जाति हित में था यह कहना किसी महापुरुष के प्रति सम्मानजनक नहीं होगा । मेरा यह मानना है कि चौधरी चरण सिंह के बाद हिन्दुस्तान में किसानों के मन में यदि किसी के प्रति सम्मान था तो वह चौधरी देवी लाल जी थे । उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि हरियाणा और पंजाब विधान सभा के वह 2 बार सदस्य रहे और 5 बार हरियाणा विधान सभा के सदस्य रहे । दो बार मुख्य मंत्री रहे और 80, 89 में लोक सभा 89 से 91 तक उन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया । आज चौधरी देवी लाल के निधन से सम्पूर्ण हरियाणा ही नहीं सम्पूर्ण हिन्दुस्तान के किसान परिवारों में उदासी छायी है । जिस आदमी ने पूरी जिन्दगी किसान के हित के लिए अर्पित कर दी हो उसके निधन से सम्पूर्ण देश की राजनीति में रिक्तिता आई है श्री देवीलाल के निधन पर हम सब दुखी हैं । मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें ।

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

अधिष्ठाता महोदय, स्व० चौधरी देवी लाल जी की मत्यु पर जो विचार संसदीय कार्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष और अन्य दलों के नेताओं ने प्रकट किए हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ । श्री देवी लाल भारतीय राजनीति के एक स्तम्भ थे । गांव की राजनीति से शुरू करके दिल्ली की राजनीति तक का अनुभव उन्हें प्राप्त था । उन्होंने अपनी पूरी राजनीति गांव गरीब और किसानों को लक्ष्य बनाया । राजनीतिक अनुभव भी उनको बहुत बड़ा था । स्वतंत्रता आन्दोलन से लेकर संयुक्त पंजाब की विधान सभा के सदस्य और हरियाणा विधान सभा के सदस्य और मुख्य मंत्री से लेकर दिल्ली की पार्लियामेंट तक का एक लम्बा अनुभव उन्हें था । विगत वर्षो में दिल्ली की राजनीति में उनका ऐसा प्रभाव था कि वह जिधर चाहते थे उधर मोड़ देते थे । उन्होंने किसानों की बात सदन से लेकर सड़कों तक उठाई । उनके निधन से निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी रिक्तिता आई है । मैं उनकी मृत्यु पर अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से शोक संवेदना प्रकट करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी भावनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें ।

(नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेता समाजवादी जनता पार्टी, नेता अपना दल, नेता राष्ट्रीय लोक दल का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर ।)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

स्व० चौधरी देवी लाल जी के निधन पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य माननीय नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किए हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुये आपसे निवेदन करता हूँ कि चौधरी देवी लाल जी ने हिन्दुस्तान की राजनीति में जो नए आयाम पैदा किए थे वह तमाम जिन्दगी भर याद किए जाते रहेंगे । श्री चौधरी देवी लाल जी अपने वचन के पक्के थे । 1989 में उन्हें लोक सभा में सदन का नेता चुन लिया गया था लेकिन चुनावों के दौरान उन्होंने जगह-जगह भाषणों में कहा था कि देश का प्रधान मंत्री वी०पी० सिंह को बनाऐंगे इसलिए जब उन्हें नेता चुन लिया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिया था कि वी०पी० सिंह को प्रधान मंत्री बनाऐंगे । इसलिए मैं अपने वचन को पूरा करूंगा तथा इस पद से अपने आपको पीछे हटाता हूँ । यह उनकी वचनबद्धता थी जो आदर्श स्व० देवी लाल जी ने उपस्थित किया वह अन्य नेताओं में दिखाई नहीं देता । किसानों के लिए उन्होंने जो नए-नए परिवर्तन करके हरियाणा से लेकर भारतवर्ष की राजनीति में जो क्रान्ति दिखाई उससे वह एक महापुरुष के रूप में किसानों के बीच हमेशा याद किए जाते रहेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ में उनके श्रीचरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी शोक संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें ।

* मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

अधिष्ठाता जी स्व० चौधरी देवी लाल जी के निधन के संबंध में जो शोकोद्गार मा० संसदीय कार्य मंत्री जी ने, नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किए हैं उससे मैं अपने को जोड़ता हूँ । रघुकुल रीति सदा चल आई प्राण जाय पर वचन न जाई । इतने बड़े पद, प्रधान मंत्री के पद पर उनका सर्वसम्मति से चुनाव हो जाना और उसके बाद में राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऊपर वह पगड़ी रख देना कोई साधारण बात नहीं है । आज की राजनीति जिस तरह से चल रही है जितनी पदों के लिए मारा मारी हो रही है इतना बड़ा त्याग इतिहास में शायद ही मिलेगा । जो जाग्रति उन्होंने किसानों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के बीच जगाई वह उन्हें कभी नहीं भूल सकते । इसका जीता जागता उदाहरण है जब उनकी शव यात्रा जा रही थी तो लोग विलख-विलख कर रो रहे थे कि हमारा नेता चला गया ऐसे नेताओं की देश को जरूरत है जो त्यागी हों, देश भक्त हों । स्व० चौधरी देवी लाल जी को इतिहास की आने वाली पीढ़ी याद करती रहेगी । उनके निधन पर हम सब दुखी हैं । मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी शोक संवेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचाने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता–

भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष चौधरी देवीलाल का 6 अप्रैल, 2001 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया वे 87 वर्ष के थे । वास्तव में कुछ लोग सामाजिक जीवन में ऐसे आते हैं जो लीक से हट कर काम करतें हैं । मेरी कुछ पंक्तियाँ ही उनके लिए है :–

"कोई चलता पद चिन्हें पर कोई पद चिन्ह बनाते है, पदचिन्ह बनाने वाले ही दुनियाँ में आदर पाते हैं ।"

चौधरी देवी लाल जी इन पंक्तियों को पूरी तरह से चरितार्थ करते थे । उन्होंने भारतीय राजनीति के शिखर पर पहुँचने का काम किया । उन्होंने सारे हिन्दुस्तान के मजदूरों, गरीबों और किसानों के हृदय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में अपना स्थान बनाने का काम किया । वह केवल हरियाणा या संयुक्त पंजाब के नेता नहीं थे । जब मैं बचपन में गाँव में रहता था जहाँ से 12 किलोमीटर तक सड़क नहीं थी वहाँ भी मैंने चौधरी जी का नाम सुना था और मैं उनसे बहुत प्रभावित रहता था । निश्चित रूप से उनके निधन से भारतीय राजनीति में जो रिक्तिता आई है, जो शून्यता आई है उसको भरने में बहुत समय लगेगा । उनकी सारी स्मृतियाँ भारतीय राजनीति के पटल पर हमेशा अमर रहेगी यह हमारा मानना है । उनके संबंध में जो विचार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता उत्तर प्रदेश लोकतांत्रिक कांग्रेस, माननीय नेता जनतांत्रिक बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, माननीय नेता लोक जन शक्ति, नेता लोक दल, नेता जनता, नेता समता पार्टी, नेता राष्ट्रीय क्रान्ति पार्टी ने जो विचार और शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं और माननीय सदस्य ने जो अपनी शोक संवेदनायें व्यक्त की हैं उनको श्री चौधरी जी के शोक संतप्त परिवार तक मैं अवश्य पहुँचा दूँगा । उनके निधन से हम सब दुखी हैं । अब दो मिनट मौन रहकर उनके शोक संतप्त परिवार के धैर्य धारण के लिए और उनकी आत्मा को सद्गति प्रदान के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ।

(सदन के सभी सदस्यों द्वारा दो मिनट का मौन रखा गया ।)

आज की कार्यसूची में नत्थी 'ख' के ता०प्रश्न संख्या 3 के प्रश्नकर्ता के रूप में श्री जगदम्बिका पाल का नाम न जोड़े जाने के कारण उठायी गयी आपत्ति पर निर्णय

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकाल में श्री जगदम्बिका पाल ने आज की कार्यसूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न 3 के बारे में यह आपत्ति की थी कि उनका प्रश्न भी इसी बारे में है परन्तु उनका नाम प्रश्नकर्ता के रूप में नहीं जुड़ा । मैंने सचिवालय के अभिलेख देखकर यह पुष्टि की है कि श्री पाल ने प्रदेश के शिक्षकों के लिए पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में दिनांक 2 मार्च, 2001 को एक अल्पसूचित प्रश्न की सूचना दी थी । अल्पसूचित प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि वह बेसिक, माध्यमिक या उच्च शिक्षा के शिक्षकों में से किसके बारे में है । अतः उक्त प्रश्न को अग्राह्य किया जाता है।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 24 अप्रैल, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं स्वीकार की गई । श्री रमेश राही और श्री उदय राज यादव की व्यक्तिगत सूचनाएं हैं जो कि नियम–301 के अन्तर्गत नहीं थीं इस कारण से वे निरस्त कर दी गयी हैं । (पहली सूचना पर श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, दूसरी सूचना पर श्री शिव सिंह चक व तीसरी सूचना पर श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना का नाम पुकारे जाने पर यह तीनों माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे) चूंकि यह माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिए इनकी सूचना निरस्त समझी जायं । श्री राम ललित चौधरी की सूचना जनपद बस्ती में कुआनों नदी पर गोविन्द नगर और टिनिच बाजार के बीच लम्बित पुल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार किया गया । श्री रघुवर दयाल वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के ग्राम नरमापुर में अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को अनुदान दिये जाने के संबंध में है इस पर भी ध्यानाकर्षण किया गया । श्री अजय कुमार पोइया जी की सूचना मथुरा किसानों को सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता के मद्दे नजर मथुरा जनपद के समस्त लोवर कैनाल आगरा के क्षेत्रफल को अपर कैनाल आगरा में

सम्मिलित करने के सम्बन्ध में है यह भी ध्यान आकर्षण हेतु स्वीकार की गयी । (स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

जनपद बस्ती के कुआनों नदी पर गोविन्द नगर और टिनिच बाजार के बीच लम्बित पुल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी–

[महोदय, मैं लोक महत्व के इस विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद बस्ती में लोक निर्माण विभाग द्वारा कुआनों नदी पर गोविन्द नगर और टिनिच बाजार के बीच पुल का निर्माण लम्बे समय से लम्बित है । कुआनों नदी पर पुल निर्माण के स्थान के दोनों तरफ लम्बा लेपन मार्ग लगभग दस वर्ष से तैयार है लेकिन पुल के अभाव में उक्त मार्ग की कोई उपयोगिता नहीं है । इस पुल के साथ के जितने पुल लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत थे लगभग सभी बन चुके हैं । लेकिन इस पुल के निर्माण की अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है ।

इस बात को लेकर पूरे बस्ती जनपद के लोगों में एक जबरदस्त रोष है । अतः लोक महत्व के इस विषय की ओर सदन का ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि इसका निर्माण बरसात से पहले आरम्भ कराया जाय ।]

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम नरगापुर में अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को अनुदान दिये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

[महोदय, माननीय सदन को अति अविलम्बनीय लोक महत्व की हृदय विदारक घटना से अवगत कराते हुए गहरा दुःख है कि दिनांक 21-4-2001 को फिरोजाबाद के ग्राम–नरगापुर में अचानक लगी आग से दर्जनों मकान जलकर राख हो गये, लाखों की सम्पत्ति स्वाहा हो गई । बर्तन, कपड़ा, नगदी, सोने चांदी के आभूषण घर गृहस्थी का सभी सामान, गल्ला और खेती के औजार सभी जल कर राख हो गये हैं ।

खुले आसमान में, खाली हाथ इस तपती धूप में तपते, अपने बाल-बच्चों के साथ दुखी पड़े हैं । खाना बनाने को और खाना खाने को कुछ भी नहीं है । दैवी आपदा की इस दशा में गांव में भारी दुःख और शोक व्याप्त है, बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जाती है ।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि तत्काल दैवी आपदा से राहत सामग्री और मकान आदि को अनुदान सहायता दिलाकर आग से उजड़ गये दुखियों की सहायता दिलाने के सरकार को आदेश निर्गत कर सकेंगे ।]

मथुरा के किसानों को सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता के मद्देनजर मथुरा जनपद के समस्त लोवर कैनाल आगरा के क्षेत्रफल को अपर कैनाल आगरा में सम्मिलित करने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

[महोदय, आपके माध्यम से लोकहित के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मथुरा जनपद में गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र–फरह मथुरा तथा छाता क्षेत्र के किसानों को सिंचाई लोअर कैनाल आगरा द्वारा करायी जाती है जबकि इसके अधिकारी अधिशासी अभियन्ता आगरा में बैठते हैं, किसानों को अपनी समस्याओं के लिए आगरा जाना पड़ता है, मथुरा के किसानों को अपर कैनाल आगरा, लोअर कैनाल आगरा, गंगा भाट ब्रांच तीन स्थानों पर बांटा गया है जोकि भौगोलिक दृष्टि से उचित भी नहीं है । इसके लिए यह आवश्यक है कि पलवल के क्षेत्र को ओखला से जोड़ कर अपर कैनाल आगरा से काट कर लोअर कैनाल के गोवर्धन–फरह–मथुरा के सम्पूर्ण क्षेत्र को अपर कैनाल आगरा जिसका मुख्यालय मथुरा है लोअर कैनाल आगरा से काट दिया जाय साथ ही टूण्डला का क्षेत्र जोकि हाथरस से जोड़ रखा है उसे लोअर कैनाल आगरा से जोड़ने से किसान कास्तकार जिस क्षेत्र का निवासी है उसी जनपद में अपनी समस्याओं को पहुंचाकर निराकरण तत्काल कराकर सुविधा प्राप्त कर सकता है उसके समय की बर्बादी को रोका जा सकता है तथा गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र सम्पूर्ण जिसको सिंचाई का पानी किसानों को नहीं मिल पाता है जिसको अपर कैनाल आगरा का नीचा एवं प्रारम्भिक क्षेत्र होने पर हरियाणा के किसानों द्वारा जबरन मथुरा के पानी को सिंचाई हेतु प्रयोग में ले लिया जाता है ढेल जो कि सम्पूर्ण गोवर्धन–फरह–मथुरा ब्लाकों को पानी सिंचाई से किसान कास्तकार परेशान रहते हैं उपलब्ध नहीं होने से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है ।

अतः आपके माध्यम से उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मथुरा के किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सके, प्रभावी कार्यवाही के समय मथुरा जनपद के समस्त लोअर आगरा के क्षेत्र को अपर कैनाल आगरा सम्मिलित किये जाने की मांग करता हूं ।]

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

ऐसा है, अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि जैसे ही नियम–301 ले लिया जायेगा विशेष उल्लेख के रूप में हम लोगों ने 311 में जो सूचनाएं दी हैं उनको टेक अप कर लिया जायेगा । श्रीमन्, यही मेरा निवेदन था ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 300 की सूचना लेने के बाद ले लेंगे ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम–300 के अन्तर्गत 24 अप्रैल, 2001 को कुल पांच सूचनाएं प्राप्त हुईं । पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई की, दूसरी सूचना श्री विनोदमणि तिवारी की, तीसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की और चौथी सूचना श्री प्रमोद कुमार और जगदम्बिका पाल की है और एक सूचना जो अस्वीकृत हुई वह डा० धर्मज्ञ मिश्र जी की है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री कोर्स को विधिक रूप से न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

मान्यवर, मैंने औचित्य के प्रश्न के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका संरक्षण प्राप्त करने के लिए उठाया है । लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री कोर्स को विधिक रूप न दिये जाने के संबंध में मैंने प्रश्न किया था और उस पर चर्चा हुई थी और मेरे आग्रह पर सुनिश्चित किया गया था कि न्याय विभाग की राय इस पर ले ली जाय । काफी समय बाद न्याय विभाग को इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संबंध में पत्रावली गई कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित फार्मास्यूटिकल कैमिस्ट्री कोर्स को विधिक रूप देने के लिए ए० आई० सी० टी० ई० की आवश्यकता है । उसके बाद ए० आई० सी० टी० ई० के एप्रूवल की व्यवस्था न्याय विभाग ने मान ली । फिर विभाग ने 9 अगस्त, 2000 को एक पत्र विश्वविद्यालय को भेजा, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की साम्यता है उन्होंने जो लिखा वह बताना चाहूंगा–"इस संबंध में न्याय विभाग की राय ली गयी जिससे यह निष्कर्ष निकला कि विश्वविद्यालय यह जानता है कि प्रश्नगत पाठ्यक्रम वस्तुतः फार्मेसी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है तथा विश्वविद्यालय के एम० एस० सी० फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री पाठ्यक्रम एवं ए० आई० सी० टी० ई० के एम० फार्मा पाठ्यक्रम में अनेकानेक समानताएं हैं । अतः शासन के द्वारा इस कोर्स को ए० आई० सी० टी० ई० के निर्देशों के अनुसार संशोधित करने तथा अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिए" मान्यवर, इस निर्देश के बाद भी लखनऊ विश्वविद्यालय में फार्मास्यूटिकल केमेस्ट्री पाठ्यक्रम को ए० आई० सी० टी० ई० से मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं समझी जा रही है । इससे भी ज्यादा करेला नीम चढ़ा समझा जा रहा है । दो वर्ष से इसमें प्रवेश बन्द कर दिया । अन्ततः इस कोर्स को बन्द करने का निर्णय ले लिया । बिना ए० आई० सी० टी० ई० के एप्रूवल के कोर्स चलाना चाहते हैं । न्याय विभाग और सदन के निर्देश के बाद भी ए० आई० सी० टी० ई० का एप्रूवल नहीं लिया गया और कोर्स बन्द कर लिया । क्या इस सदन के ऊपर कुल सचिव हैं ? मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, मा० मंत्रि-परिषद् में निर्णय लिया गया माननीय मंत्रि-परिषद् उ० प्र० शासन द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के संबंध में लिये गये निर्णय के अनुसार "किसी व्यवसायिक कालेज को यह अधिकार नहीं होगा कि प्रथम प्रवेश समाप्त कर वह किसी भी समय बिना उपरोक्त परिषद् अथवा राज्य सरकार की अनुमति के बन्द कर सके । यदि किसी कोर्स को बन्द किया जाना आवश्यक हो तो राज्य सरकार के माध्यम से अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् को पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्तुत किया जायेगा ।" श्रीमन्, यह निर्णय जो मंत्रि-परिषद् का था प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के द्वारा जारी किया गया । तो या तो कोर्स अवैधानिक तरीके से चलेगा या फिर जो सदन के निर्देश हैं कि ए० आई० सी० टी० ई० से एप्रूवल लिया जाएगा उसको न ले करके कोर्स को बन्द कर लिया जाएगा ? जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं करेंगे और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, इसका क्या औचित्य है ? इसमें मेरा अनुरोध है कि सदन की एक समिति बनाकर सारे प्रकरण की जांच करा ली जाए या सारी पत्रावली को मंगाकर अध्यक्ष जी देख लें तब उस पर निर्णय हो । मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही से अपने को ऊपर समझने वाले और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ कार्यवाही हो ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने तथ्य प्रस्तुत किये हैं उसमें विवाद नहीं है उन तथ्यों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको अवगत करा दूंगा । मैंने सारी की सारी रिपोर्ट मांगी है । दोनों विभागों से रिपोर्ट आएगी तो उसका निरीक्षण कर लूंगा आवश्यकता पड़ेगी तो उसको आपको भी दिखा लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

रिपोर्ट वांछित है इसलिए निर्णय अभी स्थगित करता हूं । निर्णय को रिजर्व रखा है । कई यूनिवर्सिटी ऐसे कोर्स चला रही हैं उसकी मान्यता ए० आई० सी० टी० ई० से होनी है इस बारे में पूरे प्रदेश का परीक्षण करा लें ।

श्री हुकुम सिंह–

स्वीकृति की आवश्यकता है । मैंने सारी बातों की जानकारी की है । इसको देख लें ।

श्री अधिष्ठाता–

कई बच्चों के साथ कई यूनिवर्सिटियां खिलवाड़ कर रही हैं इसको देख लें ।

जनपद महराजगंज एवं गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों को सहायता/अनुदान प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है 20 अक्टूबर, 2000 को इस सदन में पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ से हुई धान आदि की हानि की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया था । मान्यवर, कार्य-स्थगन की सूचना पर 20 अक्टूबर को संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया था कि 1500 का जो मानक है एक हजार रुपया बाढ़ पीड़ितों में और 500 रुपया खाद्यान्न में वितरण के निर्देश सभी जिलाधिकारियों को दिये गये हैं । श्रीमन्, आप 20 अक्टूबर की कार्यवाही निकालकर देख लें माननीय मंत्री जी ने बताया कि धन की कमी नहीं रहेगी । टी० आर० 27 से धन को निकालने के निर्देश हैं 20 अक्टूबर से लेकर आज तक, खासतौर से मेरे जनपद महराजगंज, गोरखपुर पूरी तरह से बाढ़ से डूबा रहा ढाई महीने तक । मान्यवर, मैंने तभी कहा था कि 10 किलो चावल और पांच लीटर मिट्टी का तेल इन्होंने सिर्फ दिया है । आज भी कह रहा हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चाहे जो आंकड़ा दे दें, लेकिन मैं इस बात को जानकारी में लाना चाहता हूं कि 85 रुपये के अलावा और कुछ बाढ़ पीड़ितों को महाराजगंज, गोरखपुर में नहीं दिया गया है । अगर 1500/- की आर्थिक सहायता इन्होंने दी है तो मैं आज ही त्याग-पत्र दे दूंगा । मैंने जिलाधिकारी से कहा था कि शासन का निर्णय है टी० आर० 27 से पैसा निकालने के लिए, सदन में यह माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की घोषणा है अगर वह काम नहीं आयेगी तो फिर शासनादेश का क्या मतलब । मेरे जिलाधिकारी ने 1 करोड़ 40 लाख रुपया मांगा है अहेतुक सहायता के लिए, फिर अनुग्रह राशि के लिए एक करोड़ छब्बीस हजार, फिर गृह निर्माण के लिए 43 लाख 68 हजार रुपया मांगा है । जो नाव चलाने वाले नाविक हैं जिन्होंने लोगों की जान बचायी उनकी मजदूरी नहीं दी गयी है । यह सदन कैसे चलेगा । हमारा अधिकार है सरकार का जवाब सुनने का, सदन में कही गयी बातों का अनुपालन होना चाहिए । अगर इसका अनुपालन नहीं होता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है । इसमें हम आपका संरक्षण चाहेंगे । जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने 20 अक्टूबर को कहा था या जो पहले के शासनादेश हैं उसके अनुसार वितरण कराया जाय । मान्यवर, माननीय हरिशंकर तिवारी, माननीय मारकण्डेय चन्द जी, माननीया गौरी देवी जी और तमाम मंत्री हमारे क्षेत्र के हैं वे ही अगर इस बात को स्वीकार कर लें कि शासन के निर्णय के अनुरूप किसानों को पैसा बंटा है तो मैं अपनी बात को नहीं कहूंगा । आपकी पीठ से इसमें कोई स्पष्ट निर्देश हो ताकि उनको राहत मिल सके ।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह केवल यहीं की समस्या नहीं है बल्कि पूरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्या है । स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी गये थे और उन्होंने बाढ़ की समीक्षा की थी । उस दिन सिंचाई मंत्री जी मीटिंग में नहीं आये थे । सदन में यह बात कही गयी कि टी० आर०–27 से पैसा बांट दिया जाय लेकिन उसके बाद भी पिछली बाढ़ का पैसा नहीं बंटा है और फिर बाढ़ आसन्न है यह महत्वपूर्ण मामला है इसमें आप निर्देशित करें । यह कोई राजनीतिक समस्या नहीं । यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की नियत बन चुकी है । उसकी समस्या के निदान के लिए कोई प्रभावी कदम उठाये जायें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन तथा मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जो टी० आर०–27 की बात है यह सामान्य प्रक्रिया है । प्रदेश सरकार ने शासन को अधिकार दिया था कि पैसा निकाल लीजिये बाद में उसका नियमितीकरण कर लिया जायेगा । यह निर्देश थे । यहां पर यह कहा गया कि निर्देश हुए लेकिन उन निर्देशों के होने के बावजूद भी उनके क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पालन नहीं हुआ । बस्ती सिद्धार्थनगर में उसका पालन नहीं हुआ । बहुत से परिवार ऐसे

रहे जहां पर धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी आपने यह भी कहा कि मुख्य मंत्री जी ने समीक्षा की थी उनके समक्ष शिकायतें की गयी थीं। विभिन्न स्तरों पर शिकायतें की गयीं आज सदन में यह मामला उठा है। आपकी इच्छा और अपेक्षा के अनुरूप परीक्षण करायेंगे और जिला अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से जानकारी करेंगे, कितने लोग वंचित रहे हैं और अगर वंचित रहे हैं तो उनकी इसकी व्यवस्था की जायेगी।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, 85,600 आबादी हमारी विधान सभा की एक आदमी को आज तक एक पैसा नहीं दिया गया है अब किस बात की जांच होगी ? गोरखपुर और महराजगंज में 1500 रुपये के मानक से किसी को सहायता दी हो तो आप नाम बता दें।

श्री अधिष्ठाता–

आप संसदीय कार्य-मंत्री जी से अलग से बात कर लीजिएगा यह आपकी सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है मैं इसे निरस्त करता हूं। माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, यह सरकार बाढ़ पीड़ित विरोधी है किसानों को एक पैसे की आर्थिक सहायता नहीं देना चाहते हैं इसके विरोध में मैं सदन का परित्याग करता हूं।

(श्री विनोद मणि सदन का त्याग कर चले गये।)

प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश सं०–165/166 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं का उत्तर निर्धारित समय में प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैंने 8-3-99 को नियम–56 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी उसकी ग्राह्यता पर बोलते हुए मैंने यह कहा था कि एक महिला की लाश मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ी हुई है सम्भवतः उसके साथ बलात्कार करके ये बर्बर कार्यवाही हुई है। माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने उसका प्रतिवाद किया था और कहा था कि वह सुअर की लाश बोरे में बन्द हैं महिला की लाश नहीं है उन्होंने कहा कि क्या सुअर के साथ बालत्कार हो सकता है ? मान्यवर, जब इसमें इन्क्वायरी हुई तो आई०जी० जोन की जांच से यह साबित हुआ कि महिला की लाश थी उसमें थानाध्यक्ष सस्पेंड हुआ। एस०एस०पी० ने जब जांच की तो वह तथ्य छिपा लिया कि महिला की लाश थी या सुअर की लाश बोरे में बंद थी यह दोनों तथ्य वह नकार गये। जब सी०बी०सी०आई०डी० की जांच करायी गयी तो यह बात आयी कि वहां पर महिला की लाश थी। पुलिस ने उसे कब्जे में नहीं लिया। मान्यवर, हमने निदेश 165-166 के अन्तर्गत सूचना दी कि गलत वक्तव्य दिया गया है। उसमें गृह विभाग से सूचना आ गयी है कि यह महिला की लाश थी अतः सरकार को शोधित वक्तव्य देना है। जैसा कि निदेश संख्या 165-166 में है।

मेरा आपसे कहना है कि यह सिर कटी लाश के संबंध में जब सचिवालय में यह सूचना आ गयी आपका ध्यान निदेश 165-166 के अन्तर्गत आकृष्ट कर दिया मान्यवर, जब विधान सभा डिजाल्व हो जाती या समाप्त हो जाती...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और इस तरह की सूचनाएं लैप्स हो जाया करती है इस तरह की परम्परा रही है तो मैं आपके माध्यम से व्यवस्था चाहता हूं कि जब विधान सभा से यह अवगत हो जाय कि सरकार द्वारा दिया गया वक्तव्य गलत है या विधान सभा की कार्यवाही गलत है और आने वाली पीढ़ियां गलत उत्तर पढ़ती रहें तो यह स्वास्थ्य परम्परा नहीं है। हमने 29-10-98 को निर्देश 165-166 के अन्तर्गत सूचना दी थी और यह कहा था कि सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं की है और माफियाओं को बचाने के कारण यह गलत उत्तर दिया है। इस निदेश 165-166 में गृह मंत्रालय द्वारा विधान सभा को अवगत करा दिया गया है कि पहले वाला विधान सभा में दिया गया उत्तर गलत है, त्रुटिपूर्ण है तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि इस तरह की सूचनाएं जिन निदेशों में विधान सभा सचिवालय अवगत हो जाय कि पहले दिया हुआ वक्तव्य, पहले दिया हुआ उत्तर गलत है तो वह किसी भी कीमत पर व्यपगत नहीं होना चाहिए। दूसरा जो निदेश है उनकी जो समय सीमा है उनका पालन होना चाहिए। समय सीमा के अन्तर्गत यह सरकार अधिकारियों को बचाने का काम करती है क्योंकि संशोधित उत्तर की बात है, जब संशोधित उत्तर आयेंगे तो संबंधित अधिकारियों को दण्डित किये जाने की सूचना भी सदन मे देनी होगी। इसमें 2 आई०पी०एस० अधिकारी फंस रहे हैं, दो आई०पी०एस० अधिकारियों को दण्ड दिया जाना है तथा अन्य अधिकारियों को दण्ड दिया जाना है इसलिए जानबूझकर सरकार इसको टाल रही है। मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय राम औतार शाक्य जी इतने सजग और सचेत हैं, मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि सरकार संवेदनशील है, पारदर्शी है। एक प्रकरण यहां आया, जो हमारी जानकारी थी उसके आधार पर उत्तर दिया, फिर आपने उठाया उसके बाद तुरन्त हमने इस पर जांच के आदेश दिये जांच में कुछ तथ्य हमारे सामने आये हैं। उन तथ्यों में यह परिलक्षित होता है कि जो पहले उत्तर आया था वह सही नहीं था। यह बात सही है कि हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया और सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराई। आज जो रिपोर्ट आई है हम अक्षरशः उसका परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षण करने के बाद जो दोषी कर्मचारी/अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाई भी की जायेगी। कार्यवाई करने के बाद हम सदन को अवगत करायें तो ठीक रहेगा हर स्टेट पर अवगत कराना और प्रगति बताना, शायद आप भी इससे सहमत नहीं होंगे। दोनों प्रकरण की जांच कराई है और यह दोनों प्रकरण विचाराधीन है। हम कार्यवाई सुनिश्चित कर लें, कार्यवाई सुनिश्चित करने के बाद अंतिम रूप से इसका उत्तर देंगे।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, इस विधान सभा का यह आखिरी सत्र होगा कम से कम आपकी व्यवस्था आ जाये कि इस सत्र के दौरान यह संशोधित उत्तर आ जाय।

श्री अधिष्ठाता–

शासन यह सुनिश्चित करे कि निदेश 165, 166 की जो सूचना है उसका उत्तर समयबद्ध, जो समय इसके लिए निर्धारित है कम से कम उसके अन्दर आ जाना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि यह जो सूचना है जिसको माननीय श्री राम औतार शाक्य जी ने इंगित किया है यह सूचना इस सत्र के अन्त तक, इसकी पूरी सूचना का जो उत्तर है, वह आ जाय।

विधान सभा सत्र के दौरान नीतिगत घोषणायें सदन के बाहर किए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय, नियम 300 के औचित्य प्रश्न जो होते हैं, वह कदाचित् इसी परिधि में हैं कि यदि ऐसा कोई कार्य हो जो सदन को अधिनियमित करता हो, सदन के प्रति मंत्रि-मण्डल की जो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है, उसमें निहित होता हो। जो विषय आज हम लोगों ने आपके समक्ष रखा है, इस संबंध में कई बार इस पीठ से, इस आदरणीय सदन में मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को निर्देश दिया जा चुका है कि यदि श्री राज्यपाल जी ने सदन के सत्र को आहूत कर लिया है तो कोई भी नीतिगत घोषणा इस सम्मानित सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा को देखते हुये सदन के बाहर नहीं की जायेगी और जो माननीय मंत्रीगण अपने संबंधित विभागों की जो भी नीतियों की घोषणा करेंगे, वह सर्वप्रथम इस सम्मानित सदन के समक्ष करेंगे। मैं समझता हूं कि आज इस 13वीं विधान सभा का आखिरी वर्ष है, जब माननीय मंत्रीगण नये बनते हैं, उस समय मैं मान सकता हूं कि उन्हें इस बात की अज्ञानता होती है, लेकिन कम से कम इस 13वीं विधान सभा में जबकि कई बार इस पीठ से माननीय मंत्रीगणों को निर्देश दिया जा चुका है कि वह नीतिगत वक्तव्य सदन के बाहर नहीं देंगे, उसके बावजूद विगत दिनों माननीय दुग्ध राज्य मंत्री ने एक घोषणा की और कहा कि जो हमारे प्राइवेट दुग्ध उत्पादक हैं उन पर अधिभार लगाने का सरकार ने निर्णय लिया है, उन्होंने केवल निर्णय की ही घोषणा नहीं की, बल्कि यह भी बताया कि कितना अधिभार लगायेंगे, 2 रु० प्रति लीटर और इससे 10 करोड़ रुपये की आय सरकार को होगी, यह भी बताया। इस तरह की घोषणा वाराणसी में दो दिन पूर्व उन्होंने की और प्रदेश के सारे समाचार-पत्रों में यह बात आई। मान्यवर, आप इस पीठ पर हैं और इस सदन के सम्मान की, मर्यादा की और महत्व की रक्षा करने का दायित्व आपके ऊपर है। हम लोगों से यदि कोई कमियां या गलतियां हो जाती हैं तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर माननीय मंत्रि-परिषद् के जिम्मेदार मंत्री इस पीठ के समय-समय पर निर्देशों के बावजूद इस तरह की नीतिगत घोषणायें सदन के बाहर करते हैं तो कदाचित् मैं यह महसूस करता हूं और यह सदन महसूस करता है कि कहीं यह कृत्य सदन के प्रति आदर नहीं है और जो सम्मान उन्हें इस सदन के प्रति प्रदर्शित करना चाहिये, जो जवाबदेही मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य की होती है, कदाचित् उसका पालन उन्होंने नहीं किया है और वह उससे विमुख हुये हैं। यह मामला स्पष्ट रूप से नियम 300 की परिधि में आता है और इसे आप स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री प्रगोद कुमार–

मान्यवर, यह सदन कुछ नियमों से, कुछ परम्पराओं से और कुछ आपकी पीठ के निर्देशों से निर्देशित होता है, इसीलिये सदन की गरिमा है, सम्मानित सदस्यों की गरिमा है। मौजूदा सरकार जब से आई है, इस सरकार का हर कदम इसकी गरिमा को गिरा रहा है और यह सरकार सदन के सदस्यों के सम्मान की रक्षा करने में असफल रही है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रदेश में जो सरकार है, वह गठबंधन की सरकार है और इसके माननीय मंत्रीगण अपने दल के प्रति ज्यादा जिम्मेदार हैं, बनिस्बत मुख्य मंत्री के प्रति, इसीलिये संविधान की अवहेलना करते हैं। इस सम्बन्ध में एक बार नहीं, दर्जनों बार स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है कि जब सदन की बैठक आहूत हो, बीच में मध्यान्तर हो तो कोई भी नीतिगत घोषणा सदन के बाहर न की जाय जिससे सदन की गरिमा बनी रहे। मान्यवर, इस सदन के प्रति मंत्रिपरिषद् का उत्तरदायित्व होता है। अभी पिछले दिनों 22 तारीख को वाराणसी में माननीय मंत्री जी ने यह घोषणा कर दी और कह दिया कि अब दूधिये कर के दायरे में होंगे। कर कितना लगेगा, उससे कितना लाभ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगा, यह भी बता दिया । मैंने राज्यपाल जी का पूरा अभिभाषण देख डाला, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, उसके बावजूद माननीय मंत्री जी द्वारा यह घोषणा करना इस सदन का अपमान है और सदन की परम्पराओं का अपमान है । आप यदि थोड़ा सचेत हों उस पीठ का भी अपमान है, आपकी बात कोई सुनता नहीं है । यह एक गम्भीर प्रकरण है और माननीय मंत्री ने इस प्रकार सदन की पीठ की अवमानना की है और उस परम्परा और निर्देशों के विरुद्ध जाकर कार्य किया है और सदन की गरिमा गिराई है । मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं, जब पिछला सत्र था, जिस दिन महामहिम राज्यपाल जी ने हम लोगों को सम्बोधित किया था, तो निरस्त करने का निर्णय नहीं हुआ था, बल्कि स्थगित हुआ था, मैं यह तकनीकी रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अतः यह वही सत्र है मैं समझता हूं कि मान्यवर, इससे ज्यादा आपकी पीठ की गरिमा को आहूत करने वाला, सदन की गरिमा को आहूत करने वाला कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता ।

संसदीय कार्य,स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने सम्भवतः किसी समाचार पत्र में कोई समाचार पढ़ा है उसके आधार पर शायद आप कह रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, समाचार पत्रों में तो छपा ही है । लेकिन हमारी जो स्थानीय इकाई है उससे भी पूछ लेता हूं । मैंने उनसे जानकारी कर ली है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जानकारी प्राप्त की है उन्होंने यह बताया कि वे अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर रहे थे, विचार-विमर्श में एक बिन्दु यह भी आया कि यदि टैक्स लगाया जाए तो इससे कितनी आमदनी होगी और हमारे योग्यतम सदस्य, योग्यतम सदस्य इसलिये कह रहा हूं कि इन्हें तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर रखने में कोई दिक्कत नहीं आती । समाचार पत्र में भी लिखा है कि इसके लिए कोई बैठक होगी और आगे इस पर विचार किया जा सकता है । हमारे दोनों माननीय सदस्य विभिन्न समय पर और कभी-कभी इकट्ठे भी सरकार में इन्होंने जिम्मेदारी निभायी है । इन्हें मालूम कि टैक्स लगाने का काम घोषणाओं से नहीं होता है, वह मंत्रिपरिषद् के निर्णय से होता है । मैं स्पष्ट करता हूं कि मंत्रि-परिषद् में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है । मैंने माननीय मंत्री जी से भी पूछा है और उन्होंने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव भी उन्होंने नहीं भेजा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मुझे योग्यतम सदस्य कहा । मान्यवर, यदि अपने से योग्य किसी को मानता हूं तो मैं इन्हीं को मानता हूं यदि मैं थोड़ा करता हूं तो यह पूरा कर देते हैं । मान्यवर, वहां मेरे कार्यकर्ता भी मौजूद थे यदि नहीं थे तो वहां राष्ट्रीय सहारा के संवाददाता कैसे मौजूद थे । अखबार में साफ-साफ लिखा है कि वह राष्ट्रीय सहारा से औपचारिक बातचीत कर रहे थे । उसमें स्पष्ट लिखा है कि दुग्ध उत्पादकों से 7 पैसे प्रति लीटर प्रतिकर लेने का फैसला किया है ।

श्री हुकुम सिंह–

इसके आगे जो लिखा है उसे भी आप पढ़ दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसके आगे फोटो छपा है । मान्यवर, उसमें आगे यह भी लिखा है कि इसके पहले भी 15 पैसे प्रतिकर लगाया गया था लेकिन दुग्ध उत्पादक न्यायालय की शरण में चले गये थे । मान्यवर, ये

रोज गलती करेंगे और मानेंगे भी नहीं । यही कह दें कि मंत्री जी भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे । यह अच्छी परम्परा नहीं है । मान्यवर, सदन की गरिमा के लिए आप सम्बन्धित मंत्रियों को निर्देश दे दें कि वह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सदन की अवमानना न करें । जब सदन चल रहा हो तब ऐसी घोषणा करना उचित नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

निश्चित रूप से जिस समय सदन चल रहा होता है उस समय बाहर घोषणाएं नहीं की जानी चाहिए । इस प्रकरण में ऐसा कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है न ही ऐसा कोई नीतिगत फैसला है, न कोई ऐसा निर्णय लिया गया है । इसलिए इस घोषणा का कोई औचित्य नहीं है और न इससे सदन की गरिमा पर कोई प्रभाव पड़ा है ।

प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर प्रदेश सरकार की कथित उदासीनता से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नियम–311 में हम लोगों ने सूचना दी थी सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने के लिए । माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया था कि शोक-सन्देश के बाद इसको ले लिया जायेगा । फिर यह बात आयी कि नियम–300 की सूचनायें हो जायं । नियम–300 की सूचनायें भी हो गयी हैं अब इसे सुन लिया जाये ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर यह कहने लगे कि माननीय अध्यक्ष ने सुनने का आश्वासन दिया था ।)

श्री अधिष्ठाता–

वैसे कोई सूचना तो है नहीं परन्तु माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है इसलिए सुन लेते हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसी प्रश्न को लेकर कल सदन की कार्यवाही बाधित हुई थी इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने कृपापूर्वक कहा था कि इसको सुन लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

सूचना नहीं है उसके बाद भी मैं अनुमति दे रहा हूं ।

श्री धनीराम वर्मा–

इसकी सूचना 9.00 से 10.00 बजे के बीच ही पहुंचा दी थी ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसको दिखवा लेता हूं ।

श्री धनीराम वर्मा–

आज सारे देश और प्रदेश का किसान बुरी तरह से मर्माहत है और भयंकर आर्थिक संकट से गुजर रहा है । कृषि की उत्पादन लागत इतनी ज्यादा हो गयी है कि किसान लागत लगाने के लिए मजबूर है और किसी तरह से लागत लगा भी देता है तो लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है, घाटे का मूल्य मिल रहा है इससे बुरी तरह से वह स्वयं और उसका परिवार प्रभावित है । न तो वह बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो पा रहा है न बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाने में सक्षम हो रहा है, न कपड़े पहनाने में सक्षम हो रहा

है । श्रीमन्, आपने देखा होगा पिछले सत्र में भी हम लोगों ने प्रश्न उठाया था जब आलू आया तो पुराना आलू सड़कों पर फेंका गया । जानवरों ने भी उसे नहीं खाया । कोल्ड स्टोरेज वाले आह्वान करते रहे कि अपना आलू ऐसे ही ले जाओ लेकिन किसी भी किसान ने कोल्ड स्टोरेज से आलू नहीं निकाला । जब नई फसल आयी तो इतना सस्ता हुआ कि किसानों ने कच्ची फसल खोद डाली और गेहूं बो दिया । बाजार में आलू कोई 70-80 रुपया बोरा लेने को तैयार नहीं हुआ और किसानों ने कच्ची फसल-खोद कर गेहूं बोया । अब जब किसान के पास आलू नहीं बचा तो जो थोड़ा बहुत आलू था तो उनके पूंजीपति जिनको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं उन्होंने खरीद लिया और अब आलू का भाव बढ़ने लगा । श्रीमन्, हमारे बड़बोले मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम आलू श्रीलंका भेजेंगे । वह बात जब मुख्य मंत्री जी कुर्सी पर बैठे थे तो अक्टूबर लास्ट में कही थी उस वक्त कोल्ड स्टोरेज में आलू भरा पड़ा था । लेकिन घोषणा के बाद एक आलू भी विदेश नहीं भिजवा पाये । उसके बाद घोषणा की कि 10 लाख मीट्रिक टन आलू दूसरे देशों और प्रदेशों में भेजेंगे । श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण में भी कहा है जो इस सरकार की नीतिगत घोषणा है उसमें कहा है कि 10 लाख मीट्रिक टन दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में भेजा जा चुका है । श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, माननीय मुख्य मंत्री जी से कि किसी देश या दूसरे प्रदेश को जो भेजा गया है तो आलू भेजने के लिए कोई समझौता हुआ है । खाली घोषणाएं सदन में किसान और देश की जनता को गुमराह करने वाली यह बात है । श्रीमन् इस सदन में पिछली बार भी मैंने प्रश्न रखा था जिसमें पिछले वर्ष गेहूं 500 रुपये में बिका था । जब कि इसका समर्थन मूल्य 580 रुपये रखा गया था और जो खरीदा गया था उसका बहुत सा भुगतान आज तक नहीं हुआ है । पीलीभीत में सहसपुर सोसाइटी, औरैय्या जनपद में ताजपुर सोसायटी और याकूब पुर सोसाइटी के पैसे का भुगतान आज तक नहीं किया गया । इसी प्रकार से गेहूं के मूल्य का भी भुगतान नहीं हुआ है । श्रीमान यहीं मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जब तक किसानों के पास धान मौजूद रहेगा 510 रुपये पर मोटा धान खरीदा जायेगा । मैं समझता हूं कि यहां पर 80 परसेन्ट तो काश्तकार होंगे ही जिनका धान नहीं खरीदा गया । मैं नहीं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का धान खरीदा गया । लेकिन विपक्ष में बैठे हुए लोगों का धान नहीं खरीदा गया । 5.40 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया । श्रीमन् धान की पैदावार कितनी हुई इसके बारे में मंत्री जी ने बताया कि 2.13 लाख मीट्रिक टन धान की पैदावार हुई और श्रीमन् 5.50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया और श्रीमन् चावल भी इन्होंने खरीदा उसका भी भुगतान आज तक नहीं किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि बिचौलियों ने धान खरीदा और बिचौलियों का धान सरकार ने खरीदा किसानों का धान नहीं खरीदा गया और जो किसानों का धान खरीदा भी गया उसका आज तक भुगतान नहीं किया गया । श्रीमान, आपने अखबारों में देखा होगा कि अब धान एक समय सीमा तक ही खरीदा जायेगा । एक तरफ मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि जब तक धान मिलेगा खरीदा जायेगा और दूसरी तरफ समय सीमा भी बांध दी गयी है । आखिर किसानों के लिए यह समय सीमा क्यों निर्धारित की गयी है ।

मान्यवर, किसान के धान की स्थिति यह रही कि वह साढ़े 3 सौ से ज्यादा पर नहीं बिका । अगर बिका है तो सदन में माननीय सदस्य बैठे हैं वह जानकारी दे दें । किसान का धान नहीं खरीदा गया । वह 3 सौ साढ़े तीन सौ रुपये पर धान को बेचने पर मजबूर हो गया और किसान को पैसा भी नहीं मिला । यह सरकार झूठ बोलती है । ओविल्स के सारे सदस्य भा०ज०पा० में आ गये हैं और सबसे झूठ बोलने की कसम खा रखी है । श्रीमन् बार-बार मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से क्रय केन्द्र खोले जायेंगे और गेहूं की खरीद की जायेगी । गेहूं खरीद की सारी व्यवस्था कर ली गयी है । लेकिन गेहूं एक टन भी खरीदा गया हो तो बतायें । आप बतायें कि कितने क्रय केन्द्र चालू हैं और उनमें कितना गेहूं खरीदा गया है । मान्यवर, यह भी बताया जाय कि गेहूं के भण्डारण की क्या व्यवस्था है । आज आपस में विवाद खड़ा हो गया है । केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार में । एफ०सी०आई० का कहना है कि मेरे

पास इतना गेहूं है कि साल भर चल सकता है । सरकार दूसरी तरफ एक अप्रैल से गेहूं खरीदने की घोषणा करती है । झूठ बोलने की कसम खा रखी है । किसान ने 18-19 रुपये पर डीजल खरीद कर, मंहगी यूरिया डालकर, मंहगी बिजली लगाकर गेहूं पैदा किया और आज मड़ाई मंहगा डीजल खरीद कर रहा है ।

एक मा० सदस्य–

मैं नेता विरोधी दल जी से जानकारी चाहूंगा कि क्या प्रदेश में गेहूं की कटाई हो गयी है । अभी कटाई ही नहीं हुयी है तो खरीद कैसे होगी ।

(शोर)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, यह बीच में कैसे बोल रहे हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, बाजार में हजारों बोरे गेहूं आ गया है अगर नहीं आया होगा तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हर मण्डी में हर बाजार में गेहूं आ रहा है और कोई खरीदने वाला नहीं है । मंत्री जी एक समिति बना दें । स्वयं चलें आपको ले चलें । हमारे तिवारी जी चलें, मौर्या जी चलें और गेहूं उपलब्ध हो तो वह इस्तीफा दे दें नहीं तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं । तैयार हो जाइये इस शर्त पर ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद कुमार–

अधिष्ठाता महोदय, यह बड़ी गलत परम्परा है कि जब नेता विरोधी दल एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हों उन्होंने धान के बारे में बताया, उन्होंने आलू के बारे में बताया उन्होंने गेहूं के बारे में भी बताया तो बीच में कोई बोलें । मा० मुख्य मंत्री और मा० नेता प्रतिपक्ष के पद की एक गरिमा होती है । नेता प्रतिपक्ष किसानों की समस्या उठा रहे हैं उनकी बात पूरी होने के पहले ही एक ऐसे माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं जिनको मंत्री बनने का अवसर नहीं मिला । कृपया नेता विरोधी दल के पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सदन में शांति बनाई जाए । उनकी बात पूरी होने दें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

बुलन्दशहर के वह नए सदस्य हैं उनकी एक जिज्ञासा थी बुलन्दशहर उन जनपदों में एक है जहां गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है । उनका कहना था कि बारिस हो गई, इसलिए अभी गेहूं बाजार में नहीं आ रहा है वह एक जिज्ञासा थी वह कभी भी कर सकते हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, तथ्यों को तोड़-मरोड़कर और मिथ्या भाषण की आदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्होंने कसम खा ली है कि वह [xxx] ही बोलेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो कई बार असंसदीय घोषित हो चुका है । [xxx] शब्द का इस्तेमाल न करें तो अच्छा ही है ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री धनीराम वर्मा–

जब आप बार-बार मिथ्या भाषण करके जनता को गुमराह कर रहे हैं तो मैं सत्य भी नहीं बोल सकता हूं। श्रीमन्, आज सारा गेहूं कास्तकार परेशान है शादी विवाह के लिए पैसे की मजबूरी में जैसे ही गेहूं काटा जाता है वैसे ही माड़ना भी शुरू हो जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का 50 प्रतिशत से अधिक गेहूं कट चुका है। बुन्देलखण्ड में मैं समझता हूं 90 प्रतिशत गेहूं कट चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं। 15-20 प्रतिशत गेहूं की मड़ाई हो चुकी है। लेकिन आज तक क्रय केन्द्र नहीं खोले गए हैं। कब खोले जायेंगे जब बिचौलियों के स्टाक में चला जाएगा। जब बिचौलिए 500 रुपये में खरीद लेंगे तब क्रय केन्द्र खोले जायेंगे और बिचौलिए 610 में उसे बेचेंगे। मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं वह शायद इसीलिए सदन के बाहर चले गए। जब कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न इस विधान सभा में रखा जाता है तो मुख्य मंत्री जी गायब ही ज्यादातर मिला करते हैं।

श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि क्या गेहूं खरीद प्रारम्भ हो गई है। आज तक गेहूं कितना खरीदा गया, कितने क्रय केन्द्र खोले जा चुके हैं और कितने खोलने की मंशा है यह सारी बातें आ जानी चाहिए। साथ ही पूरे प्रदेश के हर जिले का विवरण दे दें कि कितने क्रय किस जिले में इटावा में औरैया में गोरखपुर में झांसी में हर जगह का ब्योरा दें कि कहां-कहां कितने क्रय केन्द्र खोले जा रहे हैं। इस किसान विरोधी सरकार की किसान विरोधी नीतियां जो उजागर हो चुकी हैं इसकी कड़ी आलोचना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। किसानों की कई समस्यायें हैं। मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष की किसी भी बात को दोहराऊंगा नहीं बस दो तीन बातें जो जोड़ना चाहता हूं। किसानों को आज समय से बिजली नहीं मिल रही है। मौसम खराब है किसान की सारी कमाई खेतों में पड़ी है उसकी क्षति हो रही है। इस सरकार के कार्यकाल में डीजल तीन रुपया पेट्रोल तीन रुपया बढ़ा दिया गया। इसका सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है। किसान की आज लागत तो बढ़ रही है पर आय कुल कम हो रही है। मेरा स्पष्ट कहना है कि इस सरकार के कार्यकाल में किसानों पर जितनी ज्यादतियां हुई हैं और किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई है। किसानों के मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्णय के अनुपालन में उनको ब्याज तक नहीं दिया जा रहा है और सबसे दुखद बात तो यह है कि इस सरकार के कार्यकाल में जो छोटे बकायेदार किसान हैं वह इतने ज्यादा प्रताड़ित किये गये कि वे मर गये। अभी पडरौना में किसान गन्ने के मूल्य के भुगतान की मांग कर रहे थे उन पर गोलियां बरसाई गई। जौनपुर में एक किसान मारा गया। खाद बिजली डीजल के दाम सिंचाई के दाम यह सरकार बढ़ाती चली जा रहा है। पिछली बार इस सरकार ने समर्थन मूल्य 500 रुपये रखा जरूर था लेकिन उसे केवल 400-450 रुपये ही मिला। किसान विक्रय के लिए कितने दिन रुक सकता है। उसके घर में बेटी की शादी है, बच्चे की फीस है बदन ढकना है।

इन सारी समस्याओं के लिये किसान जब फसल तैयार होती है उसको बाजार में ले जाना चाहता है कि उसके एवज में उसको धन मिलता है जो कि उसकी जीविका का साधन है। इनकी नीति क्या है ? इनकी नीति यह है कि किसान को किस तरह से सही समय पर उसका मूल्य न मिल सके। मैं एक चुनौती देकर इस सरकार से कहना चाहता हूं कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने जिनका धान खरीदा है उनकी सूची श्वेत पत्र जारी कर दें। मान्यवर, आप आश्चर्य करेंगे ऐसे-ऐसे किसान हैं जिनके पास एक बिसवा जमीन नहीं हैं और उन्होंने 10-10 लाख का धान बेचा है। यह धान इन्होंने बिचौलियों से खरीदा है जिन्होंने किसानों का धान खरीद कर इतनी मात्रा में इकट्ठा कर लिया। यह तो पकड़े इसलिये गये क्योंकि इन्होंने चेक से उनको पेमेन्ट किया है। यह खसरा खतौनी मंगवाकर देख लें।

किसान जिसके पास 10-15 एकड़ जमीन है वह भी 10-20 लाख का धान नहीं बेच सकता है । इस तरीके से बिचौलियों से इन्होंने धान खरीद कर दिखाया कि किसानों से खरीदा है । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं सरकार से कि जिनसे धान खरीदा है उनकी सूची सदन में प्रस्तुत करें ।

* श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया है वह सही है आज प्रदेश के किसानों के सामने भयंकर समस्या है । पिछली बार धान के क्रय केन्द्र खोलने की बात आई थी और राज्यपाल के अभिभाषण में भी इस बात का उल्लेख किया गया था कि धान के उपलब्ध रहने तक क्रय जारी रखने का कार्य किया जायेगा । मान्यवर, ऐसा कहने के बाद भी किसानों से धान नहीं खरीदा गया । तमाम जगहों पर किसान को धान बेचने के लिये तमाम तरह के आन्दोलन करने पड़े । लाठियां खानी पड़ी हैं, मार खानी पड़ी है । तब जाकर उसका धान 300-350 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है । अभी कहा जा रहा था कि गेहूं आया नहीं । मान्यवर, पूर्वांचल में लगभग 70 फीसदी गेहूं किसानों के घर में आ गया है । मौसम का यह हाल है कि आये दिन रुख बदल रहा है इससे किसान जल्दी-जल्दी करके अपनी फसल को खलिहान में लाकर गेहूं को अपने घरों में रख रहा है । शादी ब्याह का समय है । किसान को अपनी बेटी-बेटे की शादी करनी है ऐसी स्थिति में मजबूर होकर औने-पौने दाम पर फसल बेचने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है । एक तरफ लागत मूल्य बढ़ा है सरकार की गलत नीतियों के चलते वहीं विश्व व्यापार संगठन से समझौता करने के कारण खाद्यान्न का आयात बाहर से सस्ते दामों पर हुआ है जिस कारण से भी किसान को मजबूर होना पड़ रहा है । आज भी एक क्रय केन्द्र नहीं खोला गया है, कहीं खरीद नहीं हो रही है । कहीं-कहीं पट्टिका जरूर लगी है किसान को इन सब कारणों के चलते सस्ते दाम पर गेहूं बेचना पड़ रहा है । इस देश का जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं होगा । यह लोग बाजीगरी की तरह से काम कर रहे हैं । बाजीगरों की तरह बाजीगरी और मदारी का सा काम कर रहे हैं । किसान पंचायत, व्यापार पंचायत, शिक्षक पंचायत बुलाने की बात करते हैं और इस तरह से बाजीगरी करके किसानों का शोषण कर रहे हैं । लागत मूल्य 600 रुपये क्विंटल हो गया है और किसान को 300-350 और 400 में बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है । आज बहुत भयानक समस्या हो गई है । मेरा निवेदन है कि यह तात्कालिक समस्या है इसका सही निदान हो सके इसलिये इस पर चर्चा की आवश्यकता है । सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय । जिससे इसका निदान हो सके ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । हमारे यहां लगभग 75 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं और उससे अपनी जीविका चलाते हैं ।

बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के चलते किसान भुखमरी के कगार पर है । पहले भी किसानों के सामने मुश्किल आती थी लेकिन पहले जब दैवी आपदा आती थी, बाढ़ आई, सूखा आया, कोई दैवी आपदा आ जाए तो बात समझ में आती है लेकिन पिछले तीन सालों से लगातार किसानों द्वारा रिकार्ड उत्पादन किया जा रहा है चाहे आलू हो, चाहे गन्ना हो चाहे धान अथवा गेहूं हो । उत्तर प्रदेश के किसान रिकार्ड उत्पादन कर रहे हैं लेकिन रिकार्ड उत्पादन के बावजूद किसान भुखमरी के कगार पर पहुंचा है । मान्यवर, यह जो प्रश्न उठाया गया है यह त्वरित और लोकमहत्व का प्रश्न है आज पूरे प्रदेश में गेहूं की कटाई का काम चल रहा है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में कटाई समाप्त होने वाली है, मड़ाई का काम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समाप्त होने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कटाई शुरू हो गई है। मड़ाई होनी है। बिजली दो घण्टे आ रही है किसान कैसे अपने घर तक आलू ले जाएगा। मौसम रंग बदलता है बिजली दो-तीन घण्टे आती है। किसान के सामने समस्या है कमाई किसान की सारी खेत में पड़ी है। वह कैसे उसको घर लेकर जाएगा। जहां गेहूं की कटाई होगी वहां क्रय केन्द्र खोलने का नाम सरकार नहीं ले रही है। धान और आलू के समय कहीं धान की खरीद नहीं हुई। क्रय केन्द्रों पर धान बिचौलियों द्वारा खरीदा गया। गेहूं में भी यही होगा किसान औने-पौने दाम में बिचौलियों को दे देंगे इसलिए मान्यवर, यह लोकमहत्व का तात्कालिक प्रश्न है मैं अनुरोध करूंगा समस्त कार्यवाही को रोक कर इस पर कार्यवाही करायें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जो अन्य माननीय सदस्यों ने कही है यह गंभीर स्थिति है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया है। सरकार को यह भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए कि वह कीमत किसानों की जेब में जाए बिचौलियों को न मिले। 610 रुपया कुन्तल समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः कटाई की जा चुकी है। मड़ाई का काम पूरा हो चुका है। कागजों में क्रय केन्द्रों की स्थापना हो गई। क्रय केन्द्र कहीं चालू नहीं है। धान के क्रय केन्द्रों की तरह गेहूं के क्रय केन्द्रों की स्थिति होगी तो किसानों की हालत इस बार पतली हो जायेगी। यह गंभीर चिन्ता का मामला है। आज प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर है। खेती में प्रदेश को अगर प्रगति के रास्ते पर बढ़ाना है तो प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि 70 फीसदी जनता जो खेती पर निर्भर करती है उसके लिए क्रय केन्द्र बढ़ायें। आज सरकार की नीतियों के चलते, व्यवस्था के चलते जो वह क्रय केन्द्रों की बढ़ोत्तरी करने जा रही है वह नहीं हो रही है। इसलिए इस महत्वपूर्ण और तात्कालिक विषय पर इस सदन में चर्चा कराई जाए। आप सरकार को निर्देश दें जो समर्थन मूल्य घोषित हुआ है 610 रुपये का उसका लाभ किसानों को मिल सके और उसका लाभ बिचौलिये न लेने पाएं।

श्रीमन्, मैं यह चाहूंगा कि किसानों के प्रति यह सरकार अगर समर्पित है तो उसके द्वारा जो घोषणा की गयी है उसका पूरा लाभ किसानों को दिया जाय यह सुनिश्चित कराया जाय।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता, विधान सभा में हम लोग निर्वाचित होकर आते हैं तो हम उन मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं और सरकार की भी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। पूरे प्रदेश में इस सदन की सार्थकता और उपादेयता इस बात की है कि 70 प्रतिशत लोग जो ग्रामीण अंचलों में रहते हैं, उन पर इस विषय को राजनीतिक विषय से ऊपर उठाकर यह बहस हो जाय कि आज प्रदेश के किसान चाहे वह रबी की, खरीफ की, गेहूं की या अन्य कोई उपज चाहे गन्ना, आलू कुछ भी हो उसकी उत्पादन लागत क्या है। मान्यवर, मैं भारी मन से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से यह सरकार सत्ता में आयी थी उस समय डीजल का मूल्य 10/–रुपया था आज वह 18 या 19 रुपये में है। इसमें दो गुना बढ़ोत्तरी हो गयी है। खाद के दामों में सब्सिडी खत्म कर दी गयी है। कीटनाशक, उन्नतिशील बीजों में बढ़ोत्तरी हो गयी है। जिस तरह से किसानों के काम में आने वाली चीजों में दो गुना बढ़ोत्तरी हुई है उस तरह से समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। मान्यवर, कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व होता है कि उत्पादन मूल्य को बनाये रखने के लिये समर्थन मूल्य की जो घोषणा होती है उसी समर्थन मूल्य में किसानों की उत्पाद की खरीददारी हो। पहले यह कहा गया कि 15 अप्रैल से खरीदेंगे फिर 25 अप्रैल कर दिया। क्योंकि केन्द्रीय पूल में 20 लाख टन देना होगा और पिछले साल का 45 लाख का भण्डारण कैरी फारवर्ड हो रहा है तो यह सरकार किसानों का गेहूं कहां रखेगी। किसान के पास बहुत अधिक क्षमता है नहीं कि वह उसका भण्डारण कर सके। केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपदों को छोड़कर। मान्यवर, आज

कटाई, मशीनों से हो रही है जो 200/–रुपया प्रति बीघा करती है । आप कही चले जाइये । लखनऊ से देवरिया तक सब खाली हो चुके हैं । पिछले साल का उनको कटु अनुभव है । पिछले साल हम घरों पर नहीं ला पाये थे और पिछले साल से किसान डरा हुआ है उसके कारण कटाई और मढ़ाई का काम शुरू किया । आज वह चार सौ या साढ़े चार सौ रुपया में बेच रहा है और व्यापारी उसे खरीद रहे है और फिर समर्थन मूल्य किसानों को नहीं दिया जायेगा । आज व्यापारी किसानों से सस्ते दाम पर खरीद रहे हैं और वह फिर मंहगें दामों पर बेच देंगे इससे किसानों का शोषण हो रहा है । इस पर तो सरकार को स्वयं वक्तव्य लाना चाहिए था कि कौन-कौन सी एजेन्सी खरीद रही हैं । आज इस सरकार को घोषणा करनी होगी तब तक खरीदेंगे ।

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट के खड़े होने पर)

श्री जगम्बिका पाल–

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं । जो नयी आयात निर्यात नीति बनी है उसमें आपने और 715 आइटमों पर से प्रतिबन्ध उठा लिया है अब डेनमार्क का दूध आयेगा कहीं का चिकन आयेगा । मैं तो चाहता हूं कि यहां किसानों को दुर्दशा से बचाने के लिए किसानों के गेहूं के खरीद की सुनिश्चित घोषणा माननीय संसदीय कार्य मंत्री और सरकार की तरफ से आनी चाहिये ।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, पिछले 4-5 वर्षों में जो सरकारें रही हैं उसमें किसान बरबाद हुआ है । धान का किसान, आलू का किसान, मटर पैदा करने वाला किसान बरबाद हुआ है । किसान यूरिया आदि सारी ताकत लगाकर पैदावार करता है लेकिन जब वह बाजार में जाता है, आपके क्रय केन्द्र पर जाता है तो वहां उसे धन नहीं मिलता है । आपका गन्ना किसान बरबाद हो गया आपने जब से यह बैंक सिस्टम लागू कर दिया है । प्रत्येक मिल पर दो करोड़, डेढ़ करोड़ का बकाया है बैंकों में वह जा नहीं रहा है बेटे बेटी की शादी होनी है तो पैसा नहीं है । खेती से जो भी हम लोग पैदा करते हैं खुले बाजार में चला जाये उसे सही मूल्य नहीं मिल रहा है । प्रदेश में कहीं कोई क्रय केन्द्र नहीं है । हमारे बहराइच में कैसरगंज, महसी, फखरपुर, नानपारा है, एक भी क्रय केन्द्र गेहूं का खुला नहीं है । आपने हैदरगढ़ में जरूर व्यवस्था कर ली हो, 70 जिलों में 75 प्रतिशत ऐसा होगा कहीं पर व्यवस्था नहीं है । हमारे जिले में किसान बरबाद है । बहराइच नदियों नालों से घिरा हुआ है । कहीं कोई क्रय केन्द्र नहीं है । तराई के जो इलाके हैं गोण्डा हो सब जगह हालत खराब है । मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है किसानों को बरबाद होने से बचाया जाय । भा०ज०पा० की दृष्टि में किसान की कोई कीमत नहीं है, गल्ले की कीमत नही है । यह चाहते हैं कि किसान तबाही के कगार पर चला जाये । इसमें समय देकर चर्चा करायी जाये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जो गेहूं क्रय केन्द्रों पर खरीद की बात है, भण्डारण के लिए स्थान नहीं है एफ०सी०आई० ने गेहूं लेने से इंकार कर दिया है । आप किसानों का ध्यान लेंगे नहीं, गेहूं लेंगे नहीं । आपके पी०सी०एफ० के पास भण्डारण की जगह नहीं है । वह परेशान हैं भण्डारण की जगह के लिये । क्रय केन्द्रों पर न बोरी है न कांटा है । न पैसा है खाली कोई कुत्ता भी वहां नहीं बैठा है । यह सारे प्रदेश की स्थिति है । आपकी प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार 610 की कीमत पर किसी तरह से लेने के लिये तैयार नहीं दिखती । आज जो स्थिति है वह शायद इसलिये बन गयी है कि सरकार की मंशा किसानों को मिनिमम प्राईज देने का इरादा नहीं है । आज किसान का जो लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है वह सरकार की गलत नीतियों के कारण ऐसा हो रहा है । अब बढ़ते मूल्य में भी किसान को समर्थन मूल्य न मिले तो सरकार को समर्थन मूल्य घोषित नहीं करना चाहिये था । सम्पूर्ण कार्य की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर जाती है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे मंत्री हैं खाद्य और रसद मंत्री उन्होंने

एफ०सी०आई० से खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने इनको दुत्कार दिया इनको जगह नहीं मिली तो अब वह गेहूं खरीदेंगे नहीं तो वे गेहूं कहां ले जायेंगे । ऐसा लगता है कि इनकी गेहूं खरीदने की मंत्रणा नहीं है । यही हालत हुई धान के खरीदने के मामले में, धान की खरीद का मामला, गेहूं की खरीद का मामला, गन्ने की खरीद का मामला जहां सपोर्टप्राइज तब की जाती है उस सरकार का दायित्व है कि उसकी खरीद करे और यह बहुत महत्वपूर्ण मसला हैं, किसान से सम्बन्धित है इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, एक बात साफ तौर पर तय हो जानी चाहिए कि यह सरकार किसानों के हित की सरकार है या नहीं है । मेरा मानना यह है कि यह किसानों का खात्मा करना चाहते हैं । अगर इनकी बात मान ली जाय तो इनसे यह पूंछा जाय कि जब आपने धान के केन्द्र खोलें तो उसको खरीदा क्यों नहीं । आपने किसानों से कहा कि धान खरीदेंगे और खरीदा नहीं, जब आलू सड़ता फिरा तो जब उसका पुस्ताहाल नहीं था तो इन्होंने किसानों के साथ क्या किया कुछ पैसे दिये, कुछ समर्थन मूल्य दिया जो घटा था वह दिया । मान्यवर, जहां कटाई हो गयी है वहां 610 रुपये में गेहूं खरीदने की बात सरकार कर रही थी लेकिन वह 450 रुपये में बिक रहा है । गन्ने के मामले में मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी तक गन्ने की फसल खत्म हो गयी, मिलें बन्द हैं 4 ऐसी सरकारी फैक्ट्री हैं इनमें मोदीनगर में 36 करोड़ का देना है, 22 करोड़ रुपया मानिकपुर में देना है और 10 करोड़ अगौता का देना है और यह कहते हैं कि सरकार किसानों के हित में काम कर रही है । मान्यवर, बिजली की समस्या है यह किसानों के हित की सरकार 3 घंटे बिजली देगी उसमें मड़ाई भी हो जाये और थ्रेसिंग भी हो जायेगी । नहरों में पानी नहीं दे पा रहे हैं, पूरे साल नहरों में पानी नहीं आया है वहां के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है । मैं चाहूंगा कि इसमें यह सरकार या तो व्हाईट पेपर दे या इस पर चर्चा हो ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, धान की खरीद जो हुई उसमें पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर धांधले बाजी हुई है । मैं दो सेन्टरों का नाम उदाहरण के रूप में बता रहा हूं एक तो बीगरामऊ और दूसरा सेमरियाव, इन दोनों केन्द्रों की 15-16 चेक को मैं लाया हूं जिसका पैसा अभी तक किसानों को नहीं मिला है । इन दो सेन्टरों पर तमाम ऐसे किसान हैं जिनका चेक नहीं ला पाया हूं । चेक कटा लेकिन ऐसे लोगों को दे दिया गया, जिन्होंने अपना धान सेन्टरों पर नहीं बेचा, वह लोग पैसा बैंकों से निकाल लिये । लेकिन जिन लोगों ने अपना धान दिया था, उनको पैसा नहीं मिला । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसानों के धन का पेमेन्ट अविलम्ब करायें नहीं तो किसान बेहद परेशान है और किसान आन्दोलन पर उत्तारू है ।

श्री गोपाल कृष्ण–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन में चर्चा हो रही है । मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, हमारे पूरनपुर जनपद पीलीभीत में पूरे उत्तर प्रदेश में रिकार्ड उत्पादन होता है । पूरनपुर का गेहूं सर्वप्रथम नम्बर पर है । आज किसान वहां बरबादी की कगार पर है । मैं पिछले दिनों क्रय केन्द्रों पर घूमा । समाजवादी पार्टी के हल्ला बोल के तहत जिला मजिस्ट्रेट से कहा तो उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने में क्रय केन्द्र खोल दिये जायेंगे । माननीय सहकारिता मंत्री जी बैठे हैं, वहां वास्दाने का कोई इन्तजाम नहीं है, न कोई भुगतान की व्यवस्था है । यह सरकार लोक कल्याणकारी होने की बात करती है, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में रायपुर बिचपुरी ब्लाक खुटार में किसान के गेहूं का पिछले वर्ष का 50 लाख का भुगतान अभी तक नहीं मिला है, इसी प्रकार जमुनियां ब्लाक में

कोआपरेटिव सोसाइटी है, वहां भी 22 लाख रुपया धान का बाकी है, किसान उन चेकों को लेकर घूम रहा है।

आज यदि किसान के ऊपर सरकार का कोई पैसा बकाया है तो उसे उठवाकर जेल में बन्द कर दिया जाता है, लेकिन किसान का जो बकाया है, उसके लिये इनके कान पर जूं तक रेंग नहीं रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन किसानों का पूरा भुगतान मय ब्याज के किया जाये। यह विभाग पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और इसके चलते भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी एजेन्सियां खोल लिये हैं, जिनका कार्यालय तक नहीं है, ऐसे लोगों के लिये तमाम क्रय केन्द्र आवंटित हुये हैं, इससे आगे चलकर बहुत बड़ा घोटाला होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कसकजा ग्राम ब्लाक पूरनपुर में ठेकेदार 22 लाख रुपया गेहूं के भुगतान का लेकर फरार है, इस मामले में अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पी०सी०एफ०, एग्रो व आवश्यक वस्तु निगम के क्रय केन्द्र जो ठेके पर दिये गये हैं, वह अधिकारियों ने व्यापारियों से सांठगांठ करके बेचा है और अधिकांश क्रय केन्द्र केवल कागज पर खोले गये हैं जबकि माल व्यापारियों के गोदामों में भरा हुआ है। यह सरकार किसानों के कपड़े उतारने का काम कर रही है, मुझे साफ लगता है कि इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है, यह सरकार किसानों को लूटने का काम कर रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक तरफ एफ०सी०आई० के गोदामों में गेहूं सड़ रहा है और दूसरी तरफ उड़ीसा प्रदेश में लोग भुखमरी से मर रहे हैं, पता नहीं कैसी संवेदनशील सरकार है। मान्यवर, पी०सी०एफ० के लोगों ने पैसा लेकर ऐसे लोगों को सेन्टर दिए हैं, ऐसे सेन्टर व्यापारी लोग अपने घरों में खोले हुए हैं, आप इसकी जांच करायें और किसानों के जो कर्जे हैं उनको माफ किया जाए।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर जो सूचना माननीय नेता विरोधी दल ने दी है उस पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, यह सरकार जो इस सूबे में बैठी हुई है इस प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को, देश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ जो खेती और किसानी है उसको तोड़ने का काम यह सरकार कर रही है। डब्लू०टी०ओ० की शर्तों के अधीन जो काम केन्द्र सरकार कर रही है उसी के निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की रीढ़ को पूरी तरह से तोड़ने का काम कर रही है। जिन बातों को हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है मैं उन्हें रिपीट नहीं करूंगा। मान्यवर, धान के क्रय के सम्बन्ध में लम्बे-लम्बे दावे किए गये। करोड़ों रुपये के एडवरटीजमेंट अखबारों में छपे, शायद किसी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया गया होगा। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं, यद्यपि धान का सीजन बीत गया है, कितने धान के उत्पादन का आंकड़ा सरकारी अखबारों में हैं और कितने प्रतिशत आपने क्रय किया है। यदि वे देख लिया जाए तो असलियत मालूम हो जायेगी। क्रय केन्द्र तो खोले नहीं गये और जो खुले भी वहां बिचौलियों से क्रय किया गया। कुल खरीद का जो 25 प्रतिशत किसानों से लिया भी गया वे आज भी चेक लिए घूम रहे हैं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आज इस स्थिति में है कि वह कह सके कि जो भी धान क्रय किया गया है जो चेक दी गयीं हैं उनमें से प्रत्येक चेक का भुगतान हो चुका है या कितने प्रतिशत का भुगतान हो चुका है ? यदि मंत्री जी कहें तो हम हाउस में चेक लाकर उन्हें दिखा सकते हैं। मान्यवर, आलू किसानों की भी यही स्थिति है, बलिया में किसानों का 50 प्रतिशत भी आलू कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा गया है। गन्ना किसानों का जिक्र बार-बार करने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी बैठे हुए हैं, बड़ी गम्भीरता से बात को नोट करते हैं गेहूं की खरीद से सम्बन्धित प्रकरण है। बीपीएल का गेहूं बलिया जनपद के भगौली बार्डर से स्मगलिंग हो रहा है, पूरे 365 दिन स्मगलिंग हो रहा है। यह बीपीएल का सारा गेहूं वहां स्टाक किया

जा रहा है ताकि बलिया में जब गेहूं क्रय केन्द्र खोले जायें उसे तत्काल यहां बेच दिया जाए । मान्यवर, यह मौजूदा सरकार वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन जिसके दबाव में केन्द्र सरकार काम कर रही है उसके निर्देश पर किसानों की रीढ़ को तोड़ने में लगी हुई है । माननीय अधिष्ठाता जी, इस लोक महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के सभी नियमों को स्थगित करते हुये चर्चा कराने की कृपा करें । धन्यवाद ।

* श्री आर्य राम सरन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । आज किसान की हालत बहुत खराब है । किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के बाद किसानों की बात कोई भी इस देश में सुनने वाला नहीं है, किसान की हालत बहुत जर्जर हो गयी है । नहरों में पानी 20 सालों से नहीं आ रहा है । पहले जहां ईखें होती थी वहां गोबरों के ढेर रखे हुये हैं । पानी की टंकियां खड़ी हुई हैं, पाइप डाले गये । लेकिन कोई भी टंकी काम नहीं कर रही है इनका पैसा सब अधिकारी खा गये । नहरों की सफाई नहीं होती है सत्ता पक्ष के विधायक प्रमाण-पत्र दे देते हैं कि सफाई हो गयी और पैसा खा जाते हैं । साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात की जांच करायी जानी चाहिए कि जो नेता राजनीति में आये हैं पहले उनके पास कितना पैसा था और अब कितना है, इसकी सी०बी०आई० से जांच करायी जाये और ऐसे लोगों को जेलों में भेजा जाये । करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है । हमारे जिले मथुरा के 3 मंत्री हैं । उनकी जांच करायी जाये । हमारे पास तो न कोई मकान है न घर है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठिये ।

श्री आर्य राम सरन–

मान्यवर, मैं सही कह रहा हूं । खाद्य निगम के गेहूं के बिक्री केन्द्र नहीं खुले हैं । बिक्री केन्द्र खोला जाये । माननीय अधिष्ठाता–जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(श्री भीम प्रसाद सोनकर जी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

एक दल से एक माननीय सदस्य के बोलने की बात थी । कई माननीय सदस्यों को मैंने सुन लिया है । अब आप बैठिये ।

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र की बात है । मेरी बात सुन लीजिए । चेक कट गया लेकिन धान का पैसा नहीं मिला ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप बैठिये ।

* खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

मान्यवर, मैंने सम्मानित सदस्यों की जिज्ञासा को बहुत ध्यान से सुना लेकिन मैं समझता हूं कि सम्मानित सदस्यों ने तथ्यों से परे कुछ बात कही है ।

जहां तक क्रय केन्द्रों का सवाल है तो दो बातें हैं । एक धान दूसरा गेहूं । प्रदेश में धान की 1605 क्रय केन्द्र खोले गये थे और मान्यवर, सदन के सभी मा० सदस्य ही नहीं पूरा प्रदेश इस बात से परिचित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

है । प्रदेश का किसान बहुत अच्छी तरह जानता है कि इस वर्ष धान की जितनी खरीद हुई है 5 लाख 40 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया है जो अपने आप में एक रिकार्ड है ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

मान्यवर, मैंने बहुत शांतिपूर्वक सभी साथियों की बात सुनी है । मैं अपेक्षा करूंगा कि वह कुछ सुनने की भी कोशिश करें । 1605 क्रय केन्द्र खोले गये हैं और 5 लाख 40 हजार मिट्रिक टन धान की खरीद हुई । पिछले वर्ष 62 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया था, इसके पिछले वर्ष 15 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया था, इसके पिछले वर्ष 12 हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया था । इस साल हमने धान की रिकार्ड खरीद की । जो किसान भाई क्रय केन्द्र पर धान बेचने ले गये उन्हें निश्चित तौर पर 200 रु० प्रति कुन्तल बाजार से अधिक कीमत मिली और जो लोग क्रय केन्द्रों पर नहीं भी गये उनको भी 125-150 रु० प्रति कुन्तल बाजार से अधिक कीमत मिली । अगर हम इतनी तादाद में धान नहीं खरीदते तो निश्चित तौर पर बाजार में धान की कीमत 300 रु० प्रति कुन्तल से अधिक न होती । मान्यवर, ये धान खरीद का ही परिणाम रहा कि हम 400 से 475 रु, धान का मूल्य खुले बाजार में ले जाने में सफल हुए ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मा० संसदीय कार्य मंत्री का धान भी क्रय केन्द्र पर नहीं गया, चाहे इनसे आप पूछ लीजिए ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में माधव गंज सेन्टर पर 4 करोड़ रु० की फर्जी खरीद हुई है । आप इसकी जांच करवा लीजिए । अगर हमारी बात गलत निकल जाए तो मुझे गोली मार दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायं । कृपया आप बैठ जाएं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस वर्ष धान की, जैसा मैंने निवेदन किया है रिकार्ड खरीद हुई है । उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की पूरी मदद की है यह सरकार किसान हितैषी है और मैं पूरी हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि किसानों के हित के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो कुछ कर सकती है जरूर करेगी । हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और जहां तक गेहूं की बात है (शोर)

श्री अधिष्ठाता–

जगदम्बिका पाल जी कृपया आप बैठ जाएं ।

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जाइये । पाल जी कृपया आप बैठ जाइयेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, मेरे जनपद गोण्डा में धान की खरीद नहीं हुई है ।

(शोर)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, हम लोग लोकतांत्रिक परम्परा के अन्तर्गत यह सदन चलाते हैं एक बार मंत्री जी ने किसी भी विषय पर नियमों का प्रतिपादन, किया है । सत्तापक्ष उसको सुनता रहा और अब जब माननीय मंत्री जी कुछ बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो क्या यह अन्याय नहीं है कि शोर गुल किया जा रहा है । कृपया सत्ता पक्ष को भी अपनी बात कहने दें ।

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । पूरी सदाशयता के साथ हमने सुन लिया है अब मा० मंत्री जी को आंकड़ों को, सही तथ्यों को रखने का अधिकार है । दोनों के पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक हैं, कृपया बैठ जायं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

हम किसानों की पूरी मदद कर रहे हैं यह जो कहा गया है कि बिचौलियों के द्वारा धान की खरीद की गई है मान्यवर, मैं इसको 100 परसेन्ट तो नहीं कह सकता हूं और हो सकता है कहीं-कहीं पर गल्तियां हुई हों, लेकिन जहां पर ऐसी शिकायतें आई हैं हमने वहां उन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाई की है हमने लगभग तीन दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों को मुअत्तल किया है और हमने उनके खिलाफ कार्यवाई की है आगे आने वाली ऐसी शिकायतों के खिलाफ भी कार्यवाई करेंगे हम किसी भी स्थिति में ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ कोई मुरव्वत नहीं करेंगे ।

जहां तक गेहूं का सवाल है गेहूं के क्रय के लिये 4600 क्रय केन्द्र खोले जायेंगे । इसमें से 4047 केन्द्र खोले जा चुके हैं । 600 केन्द्र खोलना बाकी है । जहां तक खरीद का सवाल है अभी तक 23807 मी० टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है तो यह कहना कि खरीद शुरू नहीं हुयी है यह उचित नहीं है । गतवर्ष अप्रैल के आखिर तक जो खरीद की गयी थी वह 1 लाख 25 हजार मी० टन की गयी थी । अब गेहूं खरीद में तेजी आ रही है । जैसे-जैसे गेहूं आयेगा खरीदा जायगा, इसमें दिक्कत नहीं है ।

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मंत्री जी जनपदों के नाम बता दें कि कहां-कहां खोले गये हैं ?

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

बहराइच में कहीं पर खरीद की जा रही हो तो बता दें ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं मैं विशेषाधिकार हनन की सूचना दे रहा हूं । अभी गेहूं की खरीद शुरू ही नहीं हुयी है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप लिखकर दीजिए ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री जी ने अभी घोषणा की कि 4600 केन्द्र खोले जायेंगे और 4047 केन्द्र खोले गये हैं । इसके अलावा 23 हजार मी० टन गेहूं खरीद लिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि किस एजेन्सी ने खरीदा है और किस जनपद में खरीदा गया है, यह बता दें । मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । सही बतायें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रश्न किया है कि किन-किन जनपदों में कितनी कितनी खरीद हुयी है इसकी सूचना शाम तक उनके कार्यालय में पहुंच जायगी ।

(शोर)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में कहां पर क्रय केन्द्र खोले गये है और कितना गेहूं खरीदा गया है ?

(व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने एक निश्चित मात्रा बता दी कि 23 हजार टन खरीद लिया गया तो मंत्री जी जनपद वाइज इसको बता दें । प्रदेश की जनता की नजर इस विधान सभा पर है सबको अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर जवाब देना पड़ेगा । जब आंकड़े सुनिश्चित हो गये कि इतना टन गेहूं खरीद लिया गया तो जनपद के हिसाब से फीगर बताने में क्या परेशानी है । यह गुमराह करने वाली बात है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहें । आप मंत्री जी की बात सुनना नहीं चाहते ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

पूरे सदन की जिज्ञासा है । अभी मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया कि 23 हजार टन गेहूं खरीद लिया गया । इस संबंध में कोई आंकड़े मंत्री जी के पास होंगे कि किस जनपद में कितना गेहूं खरीदा गया किस क्रय केन्द्र पर कितना खरीदा गया ? यह क्या बात हुई कि शाम को नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में आंकड़े भेज देंगे यह तो सदन का उपहास है । आप सदन में आंकड़े प्रस्तुत करें । हवा में तीर चलाना अच्छी बात नहीं है ।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

चौ० नरेन्द्र सिंह–

गुमराह करने की कोई बात नहीं है । न ऐसा सोचा जा सकता है क्योंकि सभी सम्मानित सदस्य अच्छी तरह से जानकार हैं वाकिफ भी हैं अभी मैंने यह बताया कि इतना गेहूं खरीदा गया । किस केन्द्र

पर कितना गेहूं खरीदा गया इसकी जानकारी हमारे पास इस समय नहीं है । इसलिए मैंने निवेदन किया था कि शाम तक इसकी जानकारी से नेता प्रतिपक्ष को अवगत करा देंगे ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी ने गेहूं के संबंध में जो आंकड़े दिए इस सदन का प्रत्येक सदस्य कह रहा है कि आंकड़े गुमराह करने वाले हैं ।

(व्यवधान के मध्य)

कल इसके लिए चर्चा का समय निश्चित कर दीजिए । मंत्री जी भी फीगर्स के साथ आ जायं और हम सभी अपने-अपने जिले से पूरी सूचना को आइडेन्टीफाई कर लेंगे । मैं चुनौती देता हूं केवल 500 क्रय केन्द्र भी नहीं खोले गये हैं । यह बिल्कुल मिथ्या सूचना दे रहे हैं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, एजेन्सी वार जो खरीद हुई है उसकी सूचना इस प्रकार है । खाद्य विभाग ने 3748 मी० टन, पीसीएफ ने 8458 मीट्रिक टन, यूपीएग्रो ने 5520 मीट्रिक टन, आवश्यक वस्तु निगम ने 1587 मीट्रिक टन, एसडब्लूसी ने 2938 मीट्रिक टन और यूपीएसएस ने 1500 मीट्रिक टन खरीदा है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

जनपद बतायें, यह फर्जी आंकड़े हैं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

आप सभी अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय नेता प्रतिपक्ष और सभी माननीय सदस्यगण यह जानते हैं कि यह चर्चा केवल सुनने के लिए आपने आग्रह किया था और उसके अन्तर्गत आपको सुना गया । जो तय हुआ था वह यह कि आपकी बात सदन में आ जाय । यदि पहले से यह तय होता या नियम 311 या 56 में यह सूचना स्वीकृत होती तो इसे संबंधित मंत्री के पास भेजा जाता और फिर विभाग से उत्तर सदन में आता सारे आंकड़े डिटेल में आ जाते । चूंकि यह बात अचानक आई है इसलिए जितने आंकड़े उपलब्ध थे उतने सदन में दे दिये गये । आपको यह आश्वासन भी दिया जा रहा है कि आपके पास शाम तक सारे आंकड़े पहुंच जायेंगे यदि इससे भी आप सहमत न हो तो विशेषाधिकार का नोटिस दे सकते हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह अचानक नहीं आया है कल विधिवत नोटिस आई थी और माननीय अध्यक्ष जी ने इसे लिए जाने का आश्वासन भी दिया था । अधिष्ठाता जी, मंत्री जी 25 हजार मीट्रिक टन का आंकड़ा दे रहे हैं तो इनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस जनपद का कितना है । यह सदन को गुमराह कर रहे हैं गलत आंकड़े देकर ।

श्री अधिष्ठाता–

यदि आपको ऐसा लगता है कि यह सदन को गुमराह कर रहे हैं तो नोटिस दे दीजिये । नियमों में व्यवस्था है कि अगर कोई मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं तो इसके लिये सदन की अवमानना का नोटिस आप दे सकते हैं । कृपया बैठ जायं । या तो आप अपनी बात कह चुके हैं और दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते हैं । यह आपकी आदत है । कृपा करके बैठ जायं । आपकी बात आ गयी है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं आपकी बात मान लेता हूं बैठ जाऊंगा लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जब यह मामला सदन में आ गया है मंत्री जी ने गोल मोल भाषा बोल दी कि 25 हजार मीट्रिक टन की खरीद की गयी। एक बात पूछी जा रही है कि वे जनपदवार ब्यौरा दे दें कि किस जनपद में कितना खरीदा ?

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने कहा कि जिलेवार सूचना उपलब्ध नहीं है जैसे ही आंकड़े उपलब्ध होंगे वे दे देंगे। कई बार होता है कि सूचना एकत्र नहीं होती है और यह सूचना पहले से नहीं थी नहीं तो वे सूचना उपलब्ध कराते। जब कहा जा रहा है कि उपलब्ध होते ही अवगत करा देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह जो आंकड़े बताये यह फर्जी हैं क्योंकि सबको जोड़कर भी वह 25 हजार मीट्रिक टन नहीं आ रही है ?

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

माननीय मंत्री जी बड़े विस्तार से जानकारी दे रहे थे और भी जानकारी देना चाहते थे। रही हिसाब की बात। तो आपका और हमारा हिसाब से क्या मतलब। हिसाब तो हिसाब होता है। मंत्री जी ने कहा कि हम आपको शाम तक उपलब्ध करा देंगे। जहां तक इस पर चर्चा की मांग है। हमको, इस सरकार को, किसी चर्चा से भागने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी आप चर्चा करा लें हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम स्वीकार करते हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हो गई चर्चा स्वीकार।

श्री अधिष्ठाता–

पहले बात आ जाने दीजिए। आप यह जानते हैं कि चर्चा स्वीकार करने के लिए पहले दोनों को सुनना पड़ेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

जब पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात के लिए तैयार हैं तो चर्चा स्वीकार हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता–

पहले पूरी बात तो सुन लें उसके बाद जो निर्णय आयेगा।

(व्यवधान)

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, नियम–311 के अन्तर्गत मैंने और हमारे तमाम साथियों ने किसानों के उत्पीड़न, शोषण और गेहूं के क्रय केन्द्र न खोले जाने के संबंध में बातें कहीं। श्रीमन्, पहली बात तो यह है कि आपने यह कहा कि चर्चा नहीं स्वीकार की है इसलिये जवाब दिया जा सकता है। श्रीमन्, चर्चा स्वीकार हो तो बात सत्तापक्ष से आनी चाहिए आपने कहा.....

श्री अधिष्ठाता–

यह नहीं कहा ।

श्री धनीराम वर्मा–

जब एक घंटे की चर्चा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार कर ली तो फिर औचित्य क्या रहा कि खाद्य रसद मंत्री जी कोई आंकड़े प्रस्तुत करें इसीलिए चर्चा स्वीकार हुई कि आंकड़े अधूरे थे जिसकी वजह से सदन को गुमराह करने की बात कही गयी । जब यह आंकड़े लावें चर्चा हो और तब सारी बात कहें अब कोई सूचना देने का औचित्य नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष आप जानते हैं कार्य मंत्रणा समिति ने जो तय किया उसके अनुसार नियम 311 का नोटिस आज नहीं लिया जाना था । कार्यमंत्रणा समिति ने तय किया एजेन्डे में 311 नहीं था विशेष उल्लेख के जरिए आज आपसे बात हो गई तो आपकी बात सुनने के लिए सदन ने अनुमति दे दी । जब सदन ने अनुमति दे दी, बात आने के पश्चात् निर्णय होगा कि क्या करना है । एक तरफ की बात आ जाए और एक तरफ की बात न आए यह उचित नहीं है । कार्यमंत्रणा समिति का निर्णय सदन पास कर चुका है । सदन ने तय कर लिया था कि नियम 311 आज नहीं सुनेंगे ।

श्री धनीराम वर्मा–

आपने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति ने तय कर दिया कि नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें नहीं ली जायेंगी । श्रीमन्, आज जो कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें छपी हैं उसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं है । दूसरी बात नियम 311 जो है यह अपरिहार्य परिस्थिति में नियमावली और संविधान दोनों के तहत किसी दिन उठाया जा सकता है । यह जरूर है ग्राह्यता पर सुन लिया जाए । इसमें चर्चा कराई जाए जब सत्तापक्ष सहमत है जब सत्तापक्ष ने एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली आपने ग्राह्यता पर सुन लिया, अब और कुछ सुनने का औचित्य नहीं है एक घंटे की चर्चा की सहमति सत्तापक्ष दे चुका है । अब और कुछ सूचना शेष नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

यह आपका विवेक है जो निर्देश आपके होंगे उसका पालन सत्तापक्ष और विपक्ष करेगा । ढाई घंटे से चर्चा इस पर चल रही है इसमें किसी सत्तापक्ष के सदस्य ने भागीदारी नहीं की है । माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा अपना पक्ष रखा जा रहा था । मैं एक आग्रह करना चाहता हूं जितना भाषण हुआ किसी के भाषण में टीका टिप्पणी इधर से नहीं हुई कम से कम सत्तापक्ष के मंत्री जी को यह अधिकार है कि वह अपना पक्ष रखें चाहे आप सहमत हों या न हों तो आज जो बातें आई हैं एक पक्षीय न रह जाएं इसलिए इन्हें चर्चा का अवसर दे दें उसके बाद आप चाहें तो एक घंटे की चर्चा करा लें ।

श्री लालजी वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर मंत्री जी पूरी तरह से तैयार हैं तो आज ही विचार रख दें लेकिन मंत्री जी ने कई बातों में यह जिक्र किया कि पूरी जानकारी हमें नहीं है इसलिए चर्चा होनी है, कल, इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के माननीय सदस्य भाग ले सकते हैं । मंत्री जी को पूरी जानकारी भी रहेगी तो सदन का समय न लेते हुए चर्चा कल होनी है तो यह ज्यादा सार्थक होगा कि मंत्री जी कल उत्तर दें तो पूरी तैयारी के साथ दें ताकि कुछ माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं तो मंत्री जी जवाब दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने चर्चा की मांग की इधर से कोई आपत्ति नहीं है। अब तो इस पीठ के विवेक पर छोड़ दीजिये। मेरा इतना कहना है कि पहले जितना माननीय मंत्री जी बताना चाहते हैं यह बता दें उसके बाद निर्णय ले लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पीठ की ओर से यह राय व्यक्त की जा रही है चूंकि नोटिस प्रापर्ली नहीं दी गयी, समयानुसार प्राप्त नहीं हुई.....

श्री अधिष्ठाता–

यह नहीं कहा गया है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सुनिश्चित करा लें पीठ की ओर से यह राय व्यक्त की गयी है चूंकि सूचना नियमानुसार नहीं दी गयी इसलिये मंत्री जी नहीं मंगवा सकते थे इसलिए सूचना इधर है। विपक्ष ने कहा कि यह इधर नहीं है यह फर्जी है। उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चर्चा के लिए तैयार हो गये। आप इसे चर्चा के लिए स्वीकार कर लें। माननीय मंत्री जी भी पूरी सूचना के साथ आ जायें, पूरी तैयारी के साथ इस सदन को जानकारी दें इसमें पीठ को क्या आपत्ति है। दूसरा मेरा कहना है कि ग्राह्यता पर आपने बात रख दी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तैयार हैं तो आपको क्या आपत्ति है। आप चर्चा कराने का समय निश्चित कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

जिन माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा उस पर पीठ ने समय दिया। सबकी बात सुनी। जहां तक यह प्रश्न है कि समय से नहीं दी गयी तो ऐसा नहीं है चूंकि कार्य मंत्रणा समिति में तय किया था कि नियम 311 की सूचना नहीं ली जानी है इसलिए विशेष उल्लेख में सुना गया। अगर माननीय मंत्री जी को समयानुसार कापी दी जाती तो वह तैयारी करके आते। चूंकि इतनी देर से सुना गया है और इधर से कोई बात न आये तो यह उचित नहीं है। जो प्रश्नों को खड़ा किया गया है वह उसका उत्तर दे सकते हैं वह दे भी देंगे। पहले उनको सुन लें। बाद में चर्चा के बारे में निर्णय ले लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, चर्चा के बारे में आपकी व्यवस्था हो जाय।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मेरे तीन चार बिन्दु हैं स्पष्टीकरण के लिए उन स्पष्टीकरणों का भी जवाब आ जाना चाहिए। पहला तो यह है कि क्या विगत वर्ष में गेहूं की खरीद का सम्पूर्ण भुगतान हो गया है,अगर नहीं हुआ है तो कितना बकाया शेष है। दूसरा बिन्दु यह है कि क्या विगत वर्ष में धान की खरीद की गयी। उसमें से कितना रुपया काश्तकार का देना शेष है। तीसरा यह है कि राज्य सरकार ने यह कहा कि केन्द्र एक दाना भी गेहूं का खरीदने के लिए राज्य सेक्टर के लिए तैयार नहीं है। एफ० सी० आई० खरीदना चाहे तो खरीदवाये। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एफ० सी० आई० ने गेहूं खरीदवाया है या राज्य की एजेन्सी ने खरीदवाया है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जहां तक भण्डारणों की बात कही गयी, भंडारण की पूरी व्यवस्था है आज की तारीख में 15 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता उपलब्ध है। (मेजों की थपथपाहट) इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। दूसरे गेहूं खरीद के लक्ष्य की जो बात कही गयी, अभी तक 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं

खरीदने का लक्ष्य है अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इससे भी अधिक गेहूं खरीदेंगे गेहूं खरीदने में कोई कठिनाई नहीं है । मान्यवर, पहले धान की खरीद की थी एक लाख मीट्रक टन की बात थी, किसानों के हित में यह तय किया गया जितना धान आयेगा हम उसे खरीदेंगे और 5 लाख 40 हजार मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया इसी तरह से गेहूं खरीदने की बात है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जितना भी गेहूं होगा गेहूं खरीदेंगे हमने तो किसानों से अपील भी की है बाजार में आप गेहूं को न बेचें क्रय केन्द्रों पर ही ले जायें 510 रु० समर्थन मूल्य वह आप वहां प्राप्त करें । हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है भारत सरकार से बात हुई है एफ० सी० आई० गेहूं ले रहा है । कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर गेहूं अधिक पैदा होता है या अधिक खरीद होती है जो भारत सरकार में बात हुई है, वहां पर एफ० सी० आई० में सीधे भंडारण किया जायेगा । मान्यवर, अन्तोदय अन्न योजना–50 परसेंट स्टेट पूल से वितरण होना था और 50 परसेंट भारत सरकार से अब यह भारत सरकार से तय हो गया है कि सारा अंश स्टेट पूल से ही दिया जायेगा । यह भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के बीच में तय हो गया । न तो भंडारण की कोई कठिनाई है न क्रय करने की कोई कठिनाई है । सरकार किसानों के हितों की पूरी रक्षा करेगी । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि क्षेत्र में जब जायें हम पत्र भी लिख रहे हैं और शासनादेश की प्रति भी भेज रहे हैं, क्रय केन्द्रों पर देखें और अगर कहीं पर कोई कठिनाई हो तो आप हमें अवगत करायें हम उसे दूर करेंगे । हम समस्याओं का निश्चित तौर पर निराकरण करेंगे आपके माध्यम से माननीय सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं । पैसे की जो बात है, 50 करोड़ रु० यह जो संस्थायें हैं क्रय करेंगी, दे दिया गया है । हमारे पास 1520 करोड़ रु० की सी० सी० लिमिट है । धन की कठिनाई नहीं है बोरों की कठिनाई नहीं है । हमारे यहां बोरों की भी कठिनाई नहीं है अगर कहीं से कोई कठिनाई आये तो हमारी जानकारी में लाने का कष्ट करें । एक बात और बताना चाहता हूं हमने एक कंट्रोल रूम आयुक्त कार्यालय में बनवा दिया है उसका नम्बर है 201246 और इस नम्बर पर आप कभी भी शिकायत कर सकते है तो सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था है सरकार किसानों के हितों की पूरी रक्षा करेगी यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह किसानों को लूटने वाली सरकार है, किसानों की हितैषी सरकार नहीं है बहुजन समाज पार्टी इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करती है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के साथ सदन का त्याग किया)

श्री धनी राम वर्मा–

मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं आया है । मैंने पूछा था कि विगत गेहूं खरीद का कितना रुपया बकाया है, क्या कोई धान खरीद का रुपया बकाया है इसका कोई उत्तर नहीं आया है इसको बताने का कष्ट करें ?

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश के अन्दर क्रय केन्द्र स्थापित हो गये हैं तो अभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की कटाई शुरू हुई है कहीं भी केन्द्र स्थापित नहीं है । यह सरकार किसानों की विरोधी है यहां पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि आलू के क्रय केन्द्र खोले जायेंगे लेकिन कहीं पर भी आलू की खरीद नहीं हुई । यह सरकार किसानों को उसकी उपज का वाजिब दाम नहीं दे रही है

इसके कारण किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है । इस सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, यह सरकार किसानों के हित का कार्य नहीं कर रही है । सरकार की इस किसान विरोधी नीति के कारण मैं अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री कौकब हमीद ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जहां तक गत वर्ष गेहूं के भुगतान का सवाल है तो सभी किसानों को उसका भुगतान किया जा चुका है कोई भुगतान बाकी नहीं है । जहां तक धान का सवाल है धान का भी पूरा भुगतान हो चुका है लेकिन कुछ जगहों से शिकायतें आई हैं कि किसानों का भुगतान नहीं हुआ है उसको दिखवा रहे हैं, 2-3 जिलों के कुछ केन्द्रों से शिकायतें आई हैं उसको दिखवा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कुछ माननीय सदस्यों ने चेक की फोटो स्टेट दिखाई है और कहा है कि बहुत पहले दे दी गयी है लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ है यह माननीय सदस्यों ने शिकायत की है इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने आपको बताया, निवेदन किया कि कुछ जगहों से शिकायत आई थी, हम उसे दिखवा रहे हैं, अगर कहीं कोई बकाया होगा तो उसका भुगतान कराया जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

स्पष्ट कहें, बकाया है अथवा नहीं ?

श्री अधिष्ठाता–

बता दिया, पूरी बात आ गई ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने मौखिक रूप से विशेषाधिकार हनन की सूचना दे दी है । इसकी लिखित सूचना कल दे दी जायेगी । माननीय मंत्री जी ने सदन को अवगत कराया है कि गेहूं की खरीद का एक भी पैसा बकाया नहीं रह गया है । जबकि बकाये की सूची कई माननीय सदस्यों के पास है, उनसे सूची निश्चित रूप से प्राप्त करके कल दे देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम तो यही है कि तत्काल लिखकर दीजिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

हम लिखित सूचना कल नामों के साथ देंगे, यह प्रदेशव्यापी मामला है । दूसरी बात, जो अन्तर्विरोध माननीय मंत्री जी की बातों में स्वतः है आपने स्वतः इशारा किया है कि बकाया है तो दिखवा लेंगे, इस

प्रकार जो सूचना दी गई है कि भुगतान नहीं हुआ है, उसे मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया, इसमें किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी में यह भी नैतिक साहस नहीं है कि वह यह कह सकें कि यह सही नहीं है, इसलिए यह अपने आपमें पुष्ट है। हम तो बाकायदा नाम लिखकर देने वाले हैं। माननीय मंत्री जी सदन में इस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो बात इस सदन में उनके द्वारा कही जाती है, उससे ज्यादा वजन की कोई बात और नहीं होती। गेहूं खरीद का कहीं कोई बकाया नहीं है, यह सूचना उनको जिस किसी ने उपलब्ध कराया है, आप उसकी जिम्मेदारी तय करने का काम करें।

श्री अब्दुल सलाम सदस्य, विधान सभा को केन्द्रीय कारागार नैनी इलाहाबाद में दाखिल किये जाने की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं। माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के संबंध में इस सचिवालय की बुलेटिन संख्या–90, दिनांक 19 अप्रैल, 2001 के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है। वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 22 अप्रैल, 2001 जो इस सचिवालय में दिनांक 23 अप्रैल, 2001 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री अब्दुल सलाम, सदस्य, विधान सभा (प्रतापगढ़) को दिनांक 21 अप्रैल, 2001 को केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में दाखिल किया गया है।

(मद संख्या–5 पुकारे जाने पर)

प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर प्रदेश सरकार की कथित उदासीनता से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी–

चर्चा का क्या हुआ ?

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो विशेषाधिकार नोटिस की बात कही है, उसमें सारी बात आ जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, विशेषाधिकार की नोटिस को इस चर्चा से जोड़ना उचित नहीं होगा। विशेषाधिकार के हनन पर कार्यवाही दूसरी चीज है। हम लोगों की जो 311 की नोटिस है, उस नोटिस पर सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि चर्चा हो जाय।

श्री अधिष्ठाता–

केवल तथ्यात्मक बातें आयेगीं, आधे घन्टे के लिये चर्चा कल स्वीकार है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

संसदीय कार्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया.....

श्री अधिष्ठाता–

स्वीकार कर लिया, आप बैठ जायें।

उ०प्र० तेरहवीं विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति (2000–2001) का तेरहवां प्रतिवेदन†

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश तेरहवीं विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति (2000–2001) का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रतियां वितरित कर दें।

मद संख्या 6 में कुछ नहीं है।

श्री उबैदुर्रहमान सदस्य, विधान सभा द्वारा अपने विरुद्ध कतिपय अधिकारियों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के संबंध में दी गई विशेषाधिकार की सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी माननीय सदस्य उबैदुर्रहमान की विशेषाधिकार की सूचना दी गई है। मान्यवर इस पर माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं आप सुन लें।

* श्री उबैदुर्रहमान–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, लोक निर्माण विभाग के सुशील कुमार, अधिशासी अभियन्ता और नगर कोतवाली बलरामपुर के बृजमोहन की सांठगांठ से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और मुझे लाकअप में बन्द किया गया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मैं बलरामपुर अपने क्षेत्र से कुछ समस्याओं को लेकर जिला मजिस्ट्रेट से मिलने गया था जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि जिला मजिस्ट्रेट आज लखनऊ हैं यहां मौजूद नहीं हैं। मैं अपनी बात को लेकर डी०आर०डी०ए० को गया। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 3-4 पुल बने थे लेकन गुमडीघाट, बुलइटई, मैदा सुन्दरघाट छितरपार लेकिन अप्रोच मार्ग नहीं बने हैं मैंने इसके बारे में सुशील कुमार, अधिशासी अभियन्ता से बात की और उन्होंने कहा कि आप मेरे आफिस आ जायें हम वहीं आप की बात सुन लेंगे। जब मैं उनके आफिस पहुंचा तो उन्होंने मेरे सामने ही एक फोन किया और फोन पर उन्होंने इतना कहा कि आप आ जायें। उसके बाद वहां पुलिस अपर अधीक्षक कैलाश नाथ व नगर कोतवाली प्रभारी बृजमोहन पहुंचे और यह कह कर मुझे अपने साथ ले गये कि उन्हें पुलिस कप्तान से बात करना है। मेरे सामने ही अपर पुलिस अधीक्षक व अधिशासी अभियन्ता ने तहरीर खुद लिखवाकर मुझे लाकअप में बन्द कर दिया गया। मान्यवर, मैंने सम्पर्क मार्ग के संबंध में नियम 51 में सूचना दी थी और आपकी पीठ से कार्यवाही के निर्देश भी हुये थे। मैंने अपने अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिये निर्माण मंत्री जी को भी लिखा था और इस संबंध में मैने कई प्रश्न भी विधान सभा में दिये थे। अधिशासी अभियन्ता सुशील कुमार ने यह भी कहा कि आपने मेरे खिलाफ कई पत्र लिखे हैं, विधान सभा में प्रश्न किया है, आपकी विधान सभा, आपकी विधायिका हमारा कुछ नहीं कर सकती। मुझे लाकअप में बन्द रखा गया 3 घण्टे के बाद जब बलरामपुर और अन्य लोगों को इसकी जानकारी हुई तो पब्लिक के दबाव में मुझे बाहर किया गया और कहा गया कि आप यहां से जा सकते हैं। मान्यवर, आप इसकी जांच करा लें, मेरे साथ जैसा दुर्व्यवहार किया गया, उसके लिये मैं अनुरोध करूंगा कि उस अधिशासी अभियन्ता सुशील कुमार को और अवर अधीक्षक कैलाश नाथ व नगर कोतवाली प्रभारी ब्रजमोहन को नोटिस दिया जाये और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और नियम 63

---

† छापा नहीं गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में हमारी इस सूचना को ग्राह्य किया जाये। भविष्य में विधान सभा के किसी सदस्य के साथ ऐसी घटना न हो इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस बारे में कार्यवाई की जाए।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया इसको लिखकर भेज दें और जो नियमानुसार आवश्यक होगा, इस पर कार्यवाई होगी।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 23 अप्रैल, 2001 को हुई अपनी बैठक में सदन के दिनांक 24 अप्रैल, से 1 जून, 2001 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

अप्रैल, 2001

24 मंगलवार

(1) निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना

(प्रश्नकाल के बाद)

(2) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

(3) 5-00 बजे अपराह्न से

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण–

(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001–आधा घंटा।

(2) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001–आधा घंटा।

25 बुधवार

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

(2) 5-00 बजे अपराह्न से

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(1) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001–आधा घण्टा।

(2) उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 2001–आधा घण्टा।

26 गुरुवार

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)।

27 शुक्रवार

(1) असरकारी दिवस (आधा दिन)।

(2) विधायी कार्य (आधा दिन)।

(3) (क) नियम–103 के अन्तर्गत श्री बालचन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाय।"

अप्रैल, 2001

(ख) नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय।"

(ग) नियम 103 के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, तथा (xxx) सदस्यगण, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पालीथीन बैग्स के कारण जन-स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे एवं पशुओं द्वारा उसे खा लिये जाने के कारण उत्पन्न लाइलाज बीमारी को देखते हुये प्रदेश में इसके उत्पादन और प्रयोग पर तत्काल पाबन्दी लगायी जाय।"

28 शनिवार 29 रविवार	बैठक नहीं होगी।	
30 सोमवार	(1) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। (2) 5-00 बजे अपराह्न --- विधायी कार्य।	

मई, 2001

1 मंगलवार 2 बुधवार 3 गुरुवार 4 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।	
5 शनिवार 6 रविवार 7 सोमवार 8 मंगलवार	(बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश) (हनुमान जी का मेला का अवकाश)	बैठक नहीं होगी।
9 बुधवार 10 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।	
11 शुक्रवार	असरकारी दिवस	(आधा दिन-आधा दिन 4 मई, 2001 के स्थान पर)

(*) श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा के उत्तरांचल विधान सभा का सदस्य होने के कारण उनका नाम हटाया गया है।

मई, 2001

12 शनिवार 13 रविवार	बैठक नहीं होगी ।	
14 सोमवार 15 मंगलवार 16 बुधवार 17 गुरुवार 18 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।	
19 शनिवार 20 रविवार	बैठक नहीं होगी ।	
21 सोमवार 22 मंगलवार 23 बुधवार 24 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।	
25 शुक्रवार	(1) असरकारी दिवस । (2) 5-00 बजे अपराह्न --- विधायी कार्य ।	(आधा दिन-आधा दिन 18 मई, 2001 के स्थान पर)
26 शनिवार 27 रविवार	बैठक नहीं होगी ।	
28 सोमवार 29 मंगलवार 30 बुधवार 31 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।	

जून, 2001

1 शुक्रवार	(1) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । (2) 4-00 बजे अपराह्न से --- उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।	

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को दी है, से सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री उबैदुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपने विरुद्ध कतिपय अधिकारियों द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में दी गयी विशेषाधिकार की सूचना (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा० मैं आपके संज्ञान में विशेषाधिकार नोटिस को लाना चाहता हूं। मान्यवर, आपने व्यवस्था दी है। मान्यवर, आपसे अनुरोध यह है कि जिस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है और जिस तरह से इनको अपमानित किया गया है उसे इसको देखते हुए विशेषाधिकार समिति को सौंप दें।

श्री अधिष्ठाता–

पहले लिखकर तो लायें।

श्री स्वामी प्रसाद मार्य–

मान्यवर, लिखित जा चुका है।

श्री लाल जी वर्मा–

मा० सदस्य ने सदन के पटल पर पहले ही दे दिया है। यह विशेषाधिकार की नोटिस को पहले दिया जा चुका है।

श्री अधिष्ठाता–

एक हफ्ते पहले सूचना प्राप्त हुई है। सूचना दी है उसका विधिवत् परीक्षण कराकर जो उचित कार्यवाही होगी किया जायेगा। आपकी अध्यक्ष जी से बात हो गयी है।

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले मंगलवार दिनांक 23 जून, 1998 को श्री अक्षयवर लाल के अतारांकित प्रश्न संख्या–54 के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा कृत कार्यवाही की सूचना

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले मंगलवार दिनांक 23 जून, 1998 को श्री अक्षयवर लाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–54 के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की सूचना उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या–166 के अन्तर्गत सदन को देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

(सदन की सहमति से शोधन वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[**विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पहले मंगलवार दिनांक 23 जून, 1998 का उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–54**

मूल प्रश्न संख्या–अतारांकित 54	त्रुटिपूर्ण उत्तर	शोधित उत्तर
विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के दूसरे मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–176 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अध्यापिका श्रीमती बीना देवी वर्तमान समय में कहां और किस पद पर (ग्रेड) पर कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उनको मूल पद पर वापस न करके ए०डी० राजकीय कन्या इण्टर कालेज, गोरखपुर में ही नियमित नियुक्ति दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब ?	श्रीमती बीना देवी, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, सरदार नगर, गोरखपुर में सहायक अध्यापिका सी०टी० ग्रेड के पद पर कार्यरत हैं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।	श्रीमती बीना देवी ए०डी० राजकीय कन्या इण्टर कालेज, गोरखपुर में सी०टी० ग्रेड शिक्षिका के पद पर निरन्तर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के उपरान्त इन्हें दिनांक 5-11-98 से प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम (एल०टी० ग्रेड) में संविलीन किया गया । इस प्रकार श्रीमती बीना देवी ए०डी० राजकीय कन्या इण्टर कालेज, गोरखपुर में ही दिनांक 5 नवम्बर, 1998 से प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम (एल०टी० ग्रेड) में कार्यरत हैं । जी नहीं ।]

वित्तीय वर्ष 2000–2001 के सिंचाई अनुदानों पर दिनांक 11 मई, 2000 के बजट भाषण में संशोधन हेतु सहकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत शोधन वक्तव्य

सहकारिता मंत्री (श्री पटेल राम कुमार वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 11 मई, 2000 को विधान सभा में वर्ष 2000–2001 के सिंचाई अनुदानों पर दिये गये बजट भाषण में संशोधन हेतु सिंचाई मंत्री का शोधन वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

पढ़ा हुआ मान लिया गया ।

सिंचाई विभाग के अनुदानों (2000–2001)पर सिंचाई मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के संबंध में शोधन वक्तव्य

आदरणीय अध्यक्ष जी–

विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) से प्राप्त सिंचाई विभाग से संबंधित बजट भाषण की टिप्पणी के संबंध में अवगत कराना है कि वर्ष 2000–2001 के सिंचाई अनुदानों पर दिनांक 11 मई, 2000 को हुई चर्चा में मेरे द्वारा सदन में निम्न तथ्य उल्लेख करना बताया गया कि–

"प्रदेश का कृषि क्षेत्र है 172.48 लाख हेक्टेयर"

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(पृष्ठ–165–पंक्ति 23)

"इस साल हमने 9 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। पथरई बांध मुख्य गंगा समान्तर हाथरस, पूर्वी गंगा, शारदा सहायक, चरखारी चम्बल डाल, मौदहा बांध व ज्ञानपुर परियोजना"

(पृष्ठ–168-9,10 व 11)

"शारदा सहायक योजना 2002 तक पूरी हो जायेगी"

(पृष्ठ 169 पंक्ति 3–)

"आठ हजार ट्रैक ड्रेन है जिसकी सफाई नहीं हुई है"

(पृष्ठ–170 पंक्ति 2)

"प्रथम वर्ष"

(पृष्ठ–171 पंक्ति 2)

"पिछले वर्ष कुछ वित्तीय संशोधनों में कमी होने के कारण एक हजार किलोमीटर की सफाई नहीं हो पाई है। केवल 450 कि०मी० ही करा पाये थे लेकिन इस बार फिर एक हजार कि०मी० की मशीनों द्वारा सफाई कराने की योजना बनाई है।"

क्या सरकार इसके लिये दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?	प्रश्न नहीं उठता।
	प्रश्न नहीं उठता।
क्या श्रीमती बीना देवी को उनके मूल नियुक्ति स्थान राजकीय कन्या इण्टर कालेज सरदार नगर गोरखपुर को वापस कर दिया जायेगा।	सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
यदि हां, तो कब तक ?	प्रश्न नहीं उठता।
यदि नहीं, तो क्यों ?	क्योंकि श्रीमती बीना देवी राजकीय कन्या इण्टर कालेज सरदार नगर, गोरखपुर से स्थानान्तरित होकर ए०डी० राजकीय कन्या इण्टर कालेज गोरखपुर में कार्यरत हैं।

(2) प्रश्नगत त्रुटिपूर्ण उत्तर के संबंध में दोषी तत्कालीन जिला निरीक्षक गोरखपुर श्री परशुराम प्रसाद, को उनकी चरित्र पंजिका में अंकन हेतु एक भर्त्सना प्रविष्टि दी गई है तथा संबंधित कार्यालय सहायक की गोपनीय पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गई है।

(पृष्ठ–171 पंक्ति 4,5,6,7)

"हमने पहली बार 20 हजार किलोमीटर नहरों की सफाई कराई थी"

(पृष्ठ–171 पंक्ति 10, 11)

"पूरे 104 खण्ड तोड़े हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं था।"

(पृष्ठ–232 पंक्ति 9)

2—उक्त कथन में त्रुटि हो गई थी जिसका पता बाद में चला। सही कथन इस प्रकार है :–

"प्रदेश का कृषि क्षेत्र है 203.00 लाख हेक्टेयर"

"इस साल हमने 07 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। पथरई बांध, मध्य गंगा नहर, पूर्वी गंगा, शारदा सहायक, चम्बल डाल, मौदहा व ज्ञानपुर परियोजना"

"शारदा सहायक योजना 2001 तक पूरी हो जायेगी"

"सात हजार ट्रंक ड्रेन हैं जिनकी सफाई नहीं हुई है ।"

"वर्ष 1999–2000"

"वर्ष 2000–2001 में 1000 कि०मी० ट्रंक ड्रेनों की सफाई मशीनों से कराने की योजना बनाई गई है जिससे माह 6/2000 तक 450 कि०मी० ट्रंक ड्रेनों की सफाई कराया जाना प्रस्तावित है ।"

"हमने पहली बार 23.28 हजार कि०मी० नहरों की सफाई कराई थी"

"पूरे 102 खण्ड तोड़े हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं था ।"]

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव †

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह सौभाग्य मुझे पिछले कई वर्षों से प्राप्त हो रहा है कि महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करूं । मान्यवर, लोकतंत्र में आदर्श अवधारणा यह है कि यह जनता का जनता के लिये और जनता द्वारा चलाया जाने वाला लोक कल्याणकारी राज्य होगा इस अवधारणा को लेकर लोकतंत्र विश्व के अनेकानेक देशों में कुछ अपवाद स्वरूप छोड़कर चल रहा है और सफलतापूर्वक चल रहा है । हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात् लोकतंत्रात्मक सत्ता को स्वीकार किया और एक संविधान की रचना की गई और अपने प्रदेश में सौभाग्य से लोकतंत्र सफलतापूर्वक स्वतंत्रता के पश्चात से चला आ रहा है । किन्तु जिस प्रकार का वातावरण पिछले वर्षों में रहा है लोकतंत्र, रुढ़ियों और परम्पराओं की बन्दी बनकर रखा गया । लोक कल्याण की संकल्पना तो थी, लोक कल्याण करने की इच्छा भी की मगर जाने अनजाने में कुछ ऐसी परम्परायें ऐसी रूढ़ियां बनती चली गई कि चाहकर भी सरकारें लोक कल्याण करने में असमर्थ रही पहली बार ऐसा हुआ है कि कई परम्पराओं को जो कल्याणकारी योजनाओं में बाधा बनती थी कई ऐसे तत्व जो जाने अनजाने सिस्टम के कारण लोकतंत्र की अवधारणा को झुठला रहे थे लोकतंत्र के सुपरिणाम प्राप्त करना अवरोध बन रहा था और जनता से सीधा संवाद नहीं हो पा रहा था ।

(इस मध्य 4 बजकर 15 मिटन पर अधिष्ठाता श्री लालजी वर्मा पीठासीन हुए)

जहां पर जनता का सीधा संवाद नहीं होगा, जहां पर जनता की कठिनाईयों को सुनने वाला नहीं होगा, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होंगे और एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार नहीं होगी वहां पर लोकतंत्र सफल नहीं होगा । यह पहली सरकार है कि जिसने आम जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित किया है । एक कहावत है कि लीक छोड़ तीनों चलें, राजा सिंह सपूत तो मान्यवर, मैं यह गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि वर्तमान मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने नई परम्परा स्थापित की है और पहली बार समाज के महत्वपूर्ण एवं आम वर्गों के साथ एक सीधा संवाद स्थापित किया है सीधा संवाद जोड़ने की चेष्टा की है । इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं । मान्यवर, जनता के साथ सीधा संवाद फैसला करने का आधार, इंसानियत और इंसाफ सच्चाई और पारदर्शिता हमारी सरकार की नीति है अगर इस नीति में कहीं कोई आप रचनात्मक सुझाव देते हैं तो हम उनको स्वीकार करेंगे । पहली बार यह परंपरा इस सरकार ने डाली है । मान्यवर, किसानों की पंचायत हुई । यह सत्य है कि देश और प्रदेश विशेषकर प्रदेश के किसानों के पास सुविधायें नहीं हैं । किसानों के पास संसाधन नहीं हैं । अगर कृषकों का कहीं से उत्पीड़न हो रहा है तो निश्चित रूप से विकास के पथ पर वह अग्रसर नहीं हो

---

† दिनांक 23 अप्रैल, 2001 की कार्यवाही से ।

पायेगा । वहां पर खुलकर बातें हुई और कुछ तथ्य सामने आये उनकी कुछ कठिनाइयां आयीं जिनका निराकरण करने की चेष्टा की गई । यह सत्य है कि अगर किसानों को सुविधाएं न दी जायं तो वह पिछड़े जायेंगे । किसानों को 12 घण्टे विद्युत आपूर्ति के लिये 300 मेगावाट बिजली एन०टी०पी०सी० से खरीदी गई । आज ऊधर बैठे हुये हमारे मित्र धान और गेहूं के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि खरीद नहीं हुई है । तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि न हुआ होता, सिंचाई न हुई होती तो उत्पादन कहां से होता और यदि उत्पादन रिकार्ड हुआ है तो इसका अर्थ है कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया है । अगर संसाधन उपलब्ध न कराये गये होते तो रिकार्ड उत्पादन कैसे होगा ? मान्यवर, यह जो रिकार्ड उत्पादन हुआ है तो यह सरकार के सहयोग से हुआ है ।

मान्यवर, इसी प्रकार से किसानों की ट्राली पर शुल्क जो लगता था उसको सरकार ने हटाया है । जो पोटैशियम उर्वरक थे उन पर 4 प्रतिशत व्यापार कर लगता था उसको समाप्त किया गया ।

मान्यवर, इसी प्रकार से किसानों के वाहनों के पंजीकरण के संबंध में किसानों को दिक्कतें होती थीं उनके वाहनों के पंजीकरण की प्रथा को समाप्त किया गया है । मुझे कहने में यह गौरव होता है कि चौधरी चरण सिंह के सम्मान में, उनके तथाकथित अनुयायी सदन में उपस्थित होते तो उनको प्रसन्नता होती । एक मित्र मेरे बैठे हुये हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि माननीय चौधरी चरण सिंह ने जो किसानों के लिये किया और प्रदेश की जनता का जो हित किया उसके लिये उनके जन्मदिन को हमने किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है ।

इसी प्रकार से व्यापारियों की पंचायत 6 दिसम्बर को की गई है । इसमें लगभग 15 सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया । व्यापारी मुख्य मंत्री जी के आवास पर उपस्थित हुये उनकी जो कठिनाइयां थीं उन पर चर्चा हुई । मुझे कहने में प्रसन्नता हो रही है कि पहली बार व्यापारियों ने खुलकर बात की है और नाम लेकर अधिकारियों पर आरोप लगाये । यह हमारी पारदर्शिता का चिन्ह है । मुक्त वातावरण में उन्होंने अपने पक्ष को रखा । अधिकारियों ने अपने पक्ष को रखा और समस्याओं का निराकरण हुआ । यह पहली सरकार है, इसके पहले की सरकारें बातें तो करती रहीं लेकिन काम नहीं किया । केवल डपोर शंख की तरह बदामि ददामि । ऐसी हमारी सरकार की मंशा नहीं है । जहां पर जो निर्णय लिये गये उनको लागू करने के आदेश दिये गये । मान्यवर, चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ है । चीनी का स्टाक करने में व्यापारियों पर नियंत्रण था और 5 सौ मी०टन की सीमा थी । मैं नियंत्रण को अच्छा नहीं मानता, मैं मानता हूं कि नियंत्रण जितना अधिक होगा उतना भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिलेगा । सरकार ने चीनी नियंत्रण समाप्त किया । व्यापारियों ने कहा कि 1 हजार क्विंटल हमने कहा कि आवश्यकता नहीं है, कितनी भी चीनी आप रखिये । यदि चीनी पर नियंत्रण लगाया जाता है तो उसका लाभ न तो व्यापारियों को और न जनता को मिलता उसका लाभ बिचौलिए उठाते । इसी तरह से धारा 3/7 को स्थगित किया गया इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा था इसको स्थगित करना आवश्यक था । पहले व्यापारियों को अगर वह दूसरी अपील करना चाहते थे तो उनको 10 हजार रुपये जमा करने पड़ते थे । कभी-कभी तो ऐसे प्रकरण आते थे कि कहीं पर उत्कोच लेने के लिये या ईर्ष्यावश व्यापारियों को तंग किया जाता था और उनको अपील में जाना पड़ता था अब इसके लिये शुल्क 21 सौ रुपया कर दिया गया है । बांट माप का निरीक्षण प्रतिवर्ष होता था जिसको 2 वर्ष पर कर दिया गया है । अब दो वर्ष में निरीक्षण होगा । इसी तरह से स्वतः कर निर्धारण की योजना थी इसमें सरकार ने सुधार किया है और राशि को दो गुना कर दिया गया है । इस सीमा तक व्यापारी स्वयं कर निर्धारण कर सकता है । एक कठिनाई पहले और थी कि ओवरलोडिंग के नाम पर व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को तंग किया जाता है और माल गन्तव्य जगह पर न पहुंच कर थाने या चेक पोस्ट पर गाड़ी में पड़ा रहता था और 9 टन की जगह पर 12 टन की सीमा कर दी गई है जिसमें व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को लाभ होगा ।

मान्यवर, एक वर्ग है शिक्षक जिसको गुरू कहा जाता है समाज के भारत के भविष्य के निर्माण का भार इन्हीं पर निर्भर है यह उपेक्षित वर्ग था और इसमें असंतोष था। इस संबंध में शिक्षकों की पंचायत की गई उसमें तय किया गया कि जो पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां हैं उनको प्रदेश में लागू किया जाय। 1986 से जो अध्यापक सेवानिवृत्त हुए थे उनकी पेंशन का पुनरीक्षण किया गया इसी प्रकार से प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की पेंशन में वृद्धि की गई। जो सामूहिक बीमा की राशि थी 25 हजार को बढ़ाकर 1 लाख रुपया किया गया। इसी प्रकार से यह भी निर्णय लिया गया कि जो तदर्थ शिक्षक थे, एडहाक पर नियुक्त थे उनकी कट आफ डेट 1996 की गई और न उनको रेगुलर किया गया। करने का निर्णय किया गया।

श्रमिकों के कन्धों पर देश का भविष्य टिका है प्रदेश का भविष्य टिका है श्रमिकों की पंचायत की गई और पंचायत में श्रमिकों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान की चेष्टा की गई। जिन समस्याओं का समाधान तत्काल किया जा सकता था उनका तत्काल किया गया और जिनका तत्काल नहीं किया जा सकता था उन पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लेकर उनका समाधान किया जायगा।

किसानों के लिये एक और काम किया गया। फसली ऋण के लिए जो जमीन बन्धक रखी जाती है उसमें स्टाम्प शुल्क में दो गुना से अधिक छूट दी गयी। 15 लाख किसान क्रेडिट कार्ड देने की योजना हमारी थी उसमें कुछ हद तक सफल भी रहे हैं। एक बात देर तक सदन में चर्चा में रही धान खरीद की मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं विपक्ष के मित्रों से आप अपने अन्तर्मन में झांक कर देखें। पिछले वर्षों का रिकार्ड क्या है ? सरकारें आती जाती रही हैं लेकिन कम से कम पिछले वर्षों का आंकड़ा तो देख लें जो पिछली सबसे अधिक खरीद हुई है वह 20 हजार मी० टन की हुई हमारी सरकार ने 5 लाख 40 हजार मी० टन की खरीद की। हमने पूरी ईमानदारी के साथ पूरी सदाशयता के साथ किसानों का हित करने की चेष्टा की है। अगर सरकार ने इतनी मात्रा में धान की खरीद न की होती तो धान मारा-मारा फिरता दो-ढाई रु० किलो० में बिकता और किसान भिखारी बन जाता तथा अगली बार धान बोने का साहस नहीं कर पाता। यह सरकार की हिम्मत थी यह सरकार का नियोजन था कि हमने इतनी बड़ी मात्रा में धान की खरीद की। अभी गेहूं की खरीद की बात कर रहे थे इसके बारे में मंत्री जी ने विस्तार से प्रकाश डाला मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं सरकार ने पूरी गम्भीरता के साथ पूरी ईमानदारी से 10 मंत्रियों की एक समिति बनाकर इसके एक-एक बिन्दु पर छोटी-छोटी बात पर विचार करने का निर्णय लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार इस सरकार के कार्यकाल में धान की रिकार्ड खरीद हुई उसी प्रकार गेहूं की भी रिकार्ड खरीद होगी तथा किसानों को पूरी राहत मिलेगी। हम किसानों का गेहूं मिट्टी मोल नहीं बिकने देंगे। आलू के बीज की आप बात करते हैं इसकी भी चर्चा की गयी यह सरकार आलू के बीज 300 रुपये प्रति कुन्तल से कम मूल्य पर उपलब्ध कराएगी हर किसान को आलू का बीज उपलब्ध होगा। गन्ना मूल्य की बात की गयी यह कैश क्राप है इसका नकद भुगतान मिल जाता है। यह सामान्य रूप से किसान के लिए वरदान है गन्ना उत्पादक किसानों के लिए यह वरदान है। गन्ना मूल्य में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी इस सरकार ने की है। एक क्रान्तिकारी कदम उठाने का इस सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर गन्ना मूल्य का भुगतान किसान का नहीं हुआ है तो सरकारी बकायों की वसूली उसके यहां से नहीं की जा सकेगी सरकारी बकाये की वसूली स्थगित रहेगी इसके पहले यह होता था कि किसानों का बकाया चाहे सरकारी क्षेत्र की मिलों पर हो या असरकारी क्षेत्र की मिलों पर या प्राइवेट क्षेत्र की मिलों पर हो सरकारी बकाये की रिकवरी सर्टीफिकेट किसान के यहां चली जाती थी और तहसील में जेल में उसके दिन बीतते थे। यह पहली सरकार है जिसने व्यवस्था की है कि अगर गन्ना मूल्य बकाया है तो सरकारी वसूली स्थगित कर दी जाएगी। यह सब करने के लिये केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है यहां के किसानों ने अपने साहस से और अपने परिश्रम से धान में रिकार्ड उत्पादन किया है तथा गेहूं में भी रिकार्ड उत्पादन होने जा रहा

है । हमने दुग्ध उत्पादन में भी नए कीर्तिमान बनाए हैं । चीनी के उत्पादन में हम देश में सबसे ऊपर खड़े हैं । यह सब सम्भव कैसे हो पाया यह इसलिए सम्भव हो पाया क्योंकि एक तरफ सरकार का प्रोत्साहन है दूसरी तरफ किसान का पुरुषार्थ है दूसरे उसको जो संसाधन चाहिये थे मुहइया कराये गये । चालू वित्तीय वर्ष में 12790 हेक्टेयर भूमि जो ऊसर पड़ी थी उसे भूमि सुधार निगम और अन्य के माध्यम से कृषि योग्य बनाया गया और इसमें 6.70 करोड़ रुपया खर्च किया गया । मैं मानता हूं कि किसी क्षेत्र में अपवाद स्वरूप टेल तक पानी नहीं पहुंच सका होगा परन्तु इस बार जिस तरह से जमकर नहरों, माइनरों की सिल्टिंग हटाई गई है सफाई की गई है । हमारे क्षेत्र में 20 साल से सफाई नहीं हुई है ।

गृह राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र–)

मान्यवर, [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जायगा ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, उद्योग के क्षेत्र में हम जिस प्रकार का उत्तरोत्तर विकास नहीं कर पाये इसका कारण है । पूर्व की सरकार के समय में तो यह स्थिति बन रही थी कि व्यापारी उद्योग लगाने से डर रहे थे । उद्योगपति पैसा कमाता है तो किसके लिये पकड़ करवाने के लिये या माफियाओं के लिये ? मैं उन सरकारों का नाम नहीं लेना चाहता हूं । हमने स्थिति को सुधारा और उसी का यह नतीजा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद समीपवर्ती उत्तर प्रदेश के इलाकों में मेरठ में, नोयडा में, बरेली में उद्योग लगते जा रहे हैं । हमने निजी क्षेत्र के उद्यमियों के लिये अनुमानित लागत का 75 प्रतिशत मात्र चार प्रतिशत ब्याज पर धन देने का निर्णय लिया है जो पूरे हिन्दुस्तान में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है यह एक क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश अब उद्योग प्रदेश के रूप में जाना जायगा । इसी प्रकार कृषि पर आधारित जितने उद्योग हैं और उनकी कोई समस्या है तो हमने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उनकी समस्या पर सात दिन के अन्दर निर्णय ले लिया जाय । मनोरंजन कर की स्थिति यह बन गई थी, जब से केबिल आया सारे सिनेमाघर बन्द होने की कगार पर थे । कर शतप्रतिशत था । यदि टिकट 5 रुपये है तो कर भी पांच रुपये था । हमने कहा सिनेमा हाल बन्द नहीं होना चाहिये । जनता का मनोरंजन भी हो रहा है और यह एक उद्योग भी है । हमने इस कर को घटाकर 100 से 60 प्रतिशत कर दिया और यह भी किया कि यदि कोई नया सिनेमाघर खुलता है तो उसको 5 वर्षों तक पूर्ण रूप से इस शुल्क में छूट देंगे । इसी प्रकार से न्याय और व्यवस्था में, मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि 8 हजार से ऊपर की संख्या में अपराधियों को रासुका में, गुण्डा एक्ट में जेल में बन्द किया है । हमने उनको सड़कों पर नहीं छोड़ दिया कि वे जनता को लूटें, व्यापारियों और उद्योगपतियों को धमकी दें । हमने उनको निरुद्ध कर दिया है जेल के पीछे । हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्यों को इसमें कष्ट होता हो । मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों का पक्ष राजनैतिक कारणों से नहीं करना चाहिये । जो गुण्डे, बदमाश, लुटेरे, डकैत, हत्यारे, स्मगलर, राष्ट्रद्रोही तत्व हैं इनके लिये कोई सहानुभूति मन में नहीं होनी चाहिये । उनको अवश्य सहयोग दीजिये जो राष्ट्रहित का काम कर रहे हों । उनकी प्रशंसा करनी चहिये । राष्ट्रद्रोही लोगों की न कोई जाति होती है, न कोई कौम होती है न कोई राजनैतिक दल होता है, ऐसे लोगों का समर्थन किसी भी कीमत पर सत्ता

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

में बैठे लोगों को, या प्रतिपक्ष के सदस्यों को किसी को भी नहीं करना चाहिये। तब ही हम अमन और चैन इस प्रदेश में ला सकेंगे और ला सकने में समर्थ होंगे। इसी प्रकार से बहुत से विवेचना के काम वर्षों से लटके हुए थे। अधिकारियों की संख्या में कमी थी। विवेचना का काम वर्षों से लटका हुआ था। इस सरकार ने यह कार्य हेड कान्स्टेबिल को दे दिया ताकि वर्षों से इस लम्बित कार्य को करके न्याय की प्रक्रिया प्रारम्भ हो सके। निवेदन करना चाहता हूं कि सुरक्षा बलों की कमी है उसके कारण भी बहुत सी विसंगतियां हैं। इस सरकार ने इसमें 5 हजार नई भर्ती करने का निर्णय लिया और आज प्रदेश के सुरक्षा बलों में जहां पुलिस का सहयोग है, जहां पुलिस खड़ी है जनता की सेवा के लिये वहीं होमगार्ड भी अपना योगदान दे रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विसंगति थी। होमगार्ड्स के वेतनमान बहुत कम था। सरकार ने निश्चय किया कि उनके वेतनमान को समयानुकूल संशोधित करेंगे। आज विश्व में कम्प्यूटर का युग है। इनफारमेशन टैक्नोलोजी का युग है। एक विस्फोट हुआ है इनफोरमेशन टैक्नोलोजी का पूरा विश्व सिमटकर एक गांव की तरह रह गया है। आज ई-मेल पर दुनिया के किसी भी कोने से बात कर सकते हैं। आप साधारण टेलीफोन पर साधारण सौफ्टवेयर के साथ दो रुपये में अमेरिका में बात कर सकते हैं।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

आप कह रहे हैं आपने कर लिया। वैसे आप जो कहेंगे हम सुनेंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं तो कह रहा हूं कि आज इस प्रकार की स्थिति बनी है। प्रदेश के बारे में अभी चर्चा नहीं की है। ईश्वर ने सौभाग्य दिया है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपके सामने बात रख रहा हूं। हमारा प्रदेश सूचना एवं प्रौद्योगिकी में पूरे भारत में दूसरे नम्बर पर है आपको यह स्वीकार करने में कष्ट क्यों हो रहा है। मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं कि इनफारमेशन एण्ड टैक्नोलोजी ने क्या तरक्की कर ली है। हम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। इनफारमेशन टैक्नोलाजी की अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो सके, अच्छे इन्जीनियर्स निकल सकें, विशेषज्ञ निकल सकें। हमने कानपुर में माइक्रो विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया। इस सदी का यह पहला कुम्भ मेला है। मान्यवर, कुम्भ मेला था।

श्री अधिष्ठाता–

25 मिनट हो गये हैं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

आप जो समय तय करेंगे उससे एक मिनट ज्यादा नहीं लिया जायेगा आप दस मिनट कहेंगे तो ठीक है आप कहेंगे आधा घंटा, तो आधा घंटा और एक मिनट आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। सरकार की उपलब्धियां हैं इस पर बहस होनी है मैं यह बता दूं ताकि प्रतिपक्ष के संज्ञान में रहे। कुम्भ मेले में जिसमें 10 करोड़ लोग उपस्थित रहे कुशलता के साथ निपटी है मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को, मंत्रियों अधिकारियों और कर्मचारियों को सबको साधूवाद और बधाई देना चाहा हूं। जिस प्रकार से बिना किसी दुर्घटना के यह सम्पन्न हो गया। इसी तरह से सिंचाई विभाग ने 55,257 निःशुल्क बोरिंग कराई। 563 गहरे नलकूपों का निर्माण कराया। श्रीमन् 25 हजार किलो मीटर सफाई का हमारा लक्ष्य था लेकिन 25,228 लक्ष्य से बढ़कर सिल्ट सफाई कराई। माननीय यादव जी बिना कारण बात बीच में खड़े हो जाते हैं यह हमारे दाढ़ी क्लब के मेम्बर हैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता हूं। (हंसी) इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आबकारी निगम में 1910 से ठेकेदारी प्रथा चल रही थी इसमें माफिया लोगों का राज्य हो गया था धनाढ्य लोगों का राज्य चल रहा था। बीच में एक सरकार ने

प्रयत्न किया प्रदेश के निगमों को काम दिया जाए। वह प्लान पूरी तरह से फ्लाप हो गया और निगम बन्द होने की स्थिति में आ गए। मैं साधुवाद देना चाहता हूं पूरी सरकार को, नई आबकारी नीति के माध्यम से ठेकेदारी का वर्चस्व काफी हद तक टूटा। अभी भी काम बाकी है। जो शिकंजा कसा था आबकारी उद्योग पर वह टूटा है। और एक दिन ऐसा आयेगा जब आबकारी उद्योग माफिया और धनाढ्य लोगों के शिकंजे से निकल जायेगा। इसी तरह से शीरे के बारे में कहना चाहूंगा 90 प्रतिशत शीरा नियंत्रण मुक्त कर दिया है किसानों को और चीनी मिलों को इससे लाभ होगा। शीरा उद्योग चलाने वालों को लाभ होगा। जनता अदालत और तहसील दिवस को और प्रभावी किया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक अधिकारियों की टीम बनाई गई है ताकि जो जनता से जुड़ी हुई समस्यायें हैं उसका समाधान हो सके। सात दिन से अधिक समय तक एक स्तर पर लम्बित न रहे। मैं विशेष रूप से सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं सैनिकों का स्मरण रखने के लिए। शहीद सैनिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा स्नातक स्तर तक की है। भूतपूर्व सैनिकों को 391 सस्ते गल्ले की दुकानें तथा 80 गैस एवं पेट्रोल पम्प आवंटित किये गये हैं। मान्यवर, महिला बाल कल्याण के लिए नये कदम उठाये हैं। 1984 में जो दंगे हुए थे उसके बाद विधवा या पीड़ित लोगों के लिए किसी सरकार ने कदम नहीं उठाया लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी सरकार को इन विधवाओं के पुनर्विवाह इनके पुत्र पुत्रियों के विवाह के लिए 5 लाख का अनुदान इस सरकार ने तय किया है और लागू किया है। इसी प्रकार से जो दहेज पीड़ित महिलाएं थीं उनको मासिक अनुदान 100/- रुपया मिलता था इसने उसे बढ़ाकर 125/- रुपया किया है। जो उनकी मासिक आय सीमा थी वह 250/- रुपया थी हमने उसे बढ़ाकर एक हजार रुपया कर दिया है। इस सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग की भी चिन्ता की है। अल्पसंख्यकों को पिछले वर्ष 106.90 लाख की छात्रवृत्ति बांटी। 317 अरबी मदरसों को अनुदान सूची में रखा, 180 अल्पसंख्यक संस्थाएं घोषित कीं। 735 मदरसों का आधुनिकीकरण किया। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बाहुल्य क्षेत्रों में तीन करोड़ 75 लाख की लागत से 14 छात्रावासों एवं दो विद्यालयों का निर्माण किया गया। इस चालू वर्ष में 31 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति, 1 से 10 तक के बच्चों को दिये जाने का लक्ष्य है। यह काम करने वाली सरकार है। और करने वाले लोग वो हैं जो वोटों का सौदा करते हैं और उनके हितैषी नहीं है। इसी प्रकार से हज मुसलमान का कर्तव्य, शबाब और पवित्र कार्य माना जाता है। हमने हज यात्री के लिए बीमा सुरक्षा की दृष्टि से किया है। हज सम्बन्धित जो अभिलेख थे उनको कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। अनुसूचित जाति के बच्चों को 82 करोड़ की छात्रवृत्ति बांटी। उत्पीड़न और अत्याचार के शिकार लोगों को 788 लाख का अनुदान दिया गया। साथ ही 8 लाख 38 हजार 125 वृद्धों एवं किसानों को 75 लाख 44 हजार रुपये की पेंशन दी है। जो गरीबी की रेखा के नीचे के अनुसूचित जाति के व्यक्ति है उनको 20 करोड़ 31 लाख रुपया का अनुदान, लगभग छः करोड़ 12 लाख रुपये की मार्जिन मनी तथा लगभग 38 करोड़ बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराया है। स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत दो हजार तिरासी परिवारों को वर्ष 1999-2000 में लाभान्वित किया गया तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए 21000 का भौतिक लक्ष्य रखा गया है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा घोषित लगभग 580 करोड़ रुपये की पंचवर्षीय "उत्तर प्रदेश हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना" प्रारम्भ की गयी है। पूरे प्रदेश के बजट को 4.4 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2002-2003 तक 6.5 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। इससे जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सकेगी। अस्पतालों को औषधि उपलब्ध हो सके, पट्टी, रूई, सामान्य उपकरण उपलब्ध हो सके। यह हमने किया है। इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा के लिए 2000-2001 में ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास कम्प्यूटर शिक्षा तथा ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है। इसके लिए 15 करोड़ रुपये की धनराशि

की व्यवस्था की गयी है और अब पाठ्यक्रम में भी हमने एक सुनियोजित नीति रखी है । अब केवल 3 वर्गों के पाठ्यक्रम है । वाणिज्य, विज्ञान आदि । बालिकाओं (संस्थागत की परीक्षा के लिए स्वकेन्द्र और गैर संस्थागत के लिए निकट स्थान का केन्द्र) प्राथमिक शिक्षा में 5 लाख 11 हजार अतिरिक्त बालक बलिकाओं का नामांकन कराया गया है । हम यह संख्या बढ़ाना चाहते है ताकि ऐसा कोई न हो जो साक्षर न हो । मलिन बस्ती सुधार के लिए कई योजनायें लागू की है कुछ केन्द्र की हैं कुछ राज्य की । स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना में 1 लाख 26 हजार लाभार्थियों को 16 करोड़ 15 लाख रुपये खर्च करके लाभान्वित किया गया है । राजकीय मलिन सुधार कार्यक्रम–इसमें 30 करोड़ 53 लाख रुपये खर्च करके कार्य करने की योजना है मान्यवर, स्वच्छकारों की विमुक्ति योजना है, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान है । हमारी दृष्टि सबकी तरफ है कोई वर्ग अछूता नहीं रह गया है । भू-माफियाओं ने प्रदेश की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है इस सरकार ने 17.5 हैक्टेयर जमीन जिसकी कीमत 17 करोड़ 45 लाख होती है कब्जा मुक्त कराया है । सड़कों के विकास में 30 जिला मार्ग राज्य मार्गों में परिवर्तित किये गये हैं इसी तरह से 6 राज्य मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं 37 नये सेतुओं का निर्माण हुआ है । श्यामाप्रसाद मुखर्जी नगरीय योजना में–37 जनपदों में 55 नगरीय विकास कार्य पूर्ण हुए हैं । स्वीकृति दी गयी । 56 जनपदों में 35 कार्य पूर्ण हुए हैं । मान्यवर, 7 किलोमीटर लम्बा नोयडा दिल्ली मार्ग पर बने सेतु को राष्ट्र को समर्पित करके जनता को लाभान्वित किया गया है आज उत्तर प्रदेश के लोग उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जो नगर का न हो जो इस सरकार की नजर से ओझल हो । मान्यवर, इसके लिए सबसे बड़ी कठिनाई जो है वह संसाधनों की है मान्यवर, यह संसाधनों की कठिनाई, यह आर्थिक विपन्नता, यह गरीबी विरासत में मिली है । वित्त मंत्री जी को साधूवाद देना चाहता हूं कि न केवल राजस्व के एकत्रीकरण का प्रयास है बल्कि कठोर वित्तीय अनुशासन करके विकास की गति को अवरूद्ध नहीं होने दिया है । विभिन्न प्रशासकीय विभागों के बजटीय अनुशासन में इसकी चिन्ता की गयी इसके लिए टास्कफोर्स बनाया गया मैं आशा करता हूं कि आने वाले वर्षो में प्रदेश की आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर सुधरेगी तभी हम इस प्रदेश की जनता की समुचित रूप से सेवा कर सकेंगे ।

मान्यवर, एक बात का उल्लेख न करूंगा तो मेरी बात अधूरी रह जायेगी । इस प्रदेश में प्रदेश के मुखिया ने औचक निरीक्षण करना शुरू किया । यह काम मंत्री का नहीं है, मुख्यमंत्री का नहीं है यह काम अधिकारियों का है जिनका उत्तरदायित्व उनके ऊपर है । लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई स्थानो पर औचक निरीक्षण करके जो अधिकारी अपराधी पाये गये हैं उनको दंडित करने का काम किया है और एक संदेश भेजा है कि याद रखो कि तुम सोये हो तो प्रदेश का मुखिया नहीं सोया हुआ है । इस संदेश को अधिकारी समझे । मैं अपेक्षा करता हूं मेरा विश्वास है कि इस संदेश को बड़ी गम्भीरता से अधिकारीगण लेंगे और आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस बात की आने वाले समय में, आने वाले कालखण्ड में इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी स्वयं लोग अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत होंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बार-बार आपका संकेत देख रहा हूं । मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव करते हुए सभी माननीय सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पूरे ध्यान से और धैर्य से मेरी बात 26 तारीख को जब अवसर मिलेगा तो माननीय सदस्यों द्वारा जो शंकाए प्रस्तुत की जायेंगी उनका उत्तर देने की चेष्टा करूंगा ।

* मेजर जी० पी० सिंह–

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर डा० सरजीत सिंह डंग जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का कृतज्ञता पूर्वक समर्थन करता हूं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है जहां 75 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। सरकार की अवधारणा है कि किसान खुश होंगे तभी उद्योग पनपेंगे, व्यापारी, वकील, डाक्टर, समाज के सभी वर्ग खुशहाल रहेंगे। प्रदेश में आदर्श राज्य होगा तथा गांव व किसान विकास योजना का केन्द्र बिन्दु बनेगा।

मान्यवर, सरकार की जो प्राथमिकताएं और संकल्प हैं उसमें चुस्तदुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मुक्त वातावरण, भ्रष्टाचार उन्मूलन, समग्र विकास, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। जो विगत लम्बे समय से चले आ रहे जाति व समुदाय को बांटने का प्रयास दूर किया जाय व सरकार पूरी निष्ठा से समाज के सभी वर्गों को विश्वास में लेकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाय। प्रत्यक्ष को प्रमाण ही क्या, माननीय मुख्य मंत्री जी के चुनाव में यह कृत्य देखने को मिला जब कि सभी वर्गों ने सहृदय से समर्थन देकर भारी मतों से विजयश्री दिलाई।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है अमन चैन से राज्य की स्थापना, समाज के सभी वर्गों के साथ सीधा संवाद, किसान समग्र विकास की धुरी, गांव व पंचायतें विकास का मूल आधार, व्यापार उद्योग एवं आधार भूत सुविधाएं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं विद्युत सुधार। स्वजन हिताय स्वजन सुखाय। पारदर्शी कार्य प्रणाली स्वच्छ तथा संवेदी प्रशासन। विकास के विविध आयाम संकल्प।

मान्यवर, सरकार ने अमन चैन व सुरक्षा का वातावरण बनाया है। कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार लाकर माफिया, तस्कर, दुराचारी तथा कमजोर वर्गों का उत्पीड़न करने वालों के हौसले पस्त हुए हैं।

मान्यवर, सरकार ने पंचायतों के चुनाव तथा उप चुनाव शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न करायें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सम्मानित मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर जनता से सीधा संवाद कर किसान पंचायत, व्यापारी पंचायत, शिक्षक पंचायत एवं जनता दर्शन कर उनकी समस्याओं का समाधान किया।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय सदन में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं बड़ी गम्भीरता से व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ हुई है और मेजर साहब उसका समर्थन कर रहे हैं, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को बोलना है। ऐसे समय पर सदन में सभी जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं और खास चीजों को नोट करते हैं लेकिन आप कदाचित देख लीजिये, राज्यपाल दीर्घा, अधिकारी दीर्घा खाली है। संसदीय कार्य मंत्री जी इसका संज्ञान लें अन्यथा ऐसी चर्चाओं की कोई सार्थकता नहीं रह जायेगी।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन और मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, पाल साइब बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। दीर्घा में कौन लोग बैठे हैं, इसका संज्ञान नहीं लिया जाता है। यह परम्परा यहां की रही है, आपने इशारा कर दिया, इतना काफी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मंत्री जी ने कह दिया, संज्ञान नहीं ले सकते ।

श्री अधिष्ठाता–

हां संज्ञान तो नहीं ले सकते, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी इसको देख लेंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आज एक तरफ तो संकेत किया जा रहा है, आप दूसरी तरफ भी देख लें । मैं खेद के साथ कह रहा हूं । लोकतांत्रिक परम्परायें कितनी गम्भीरता से ली जा रही हैं, इसके लिये आप इधर भी और उधर भी संख्या देख लें । कठिनाई यह है कि अब इन परम्पराओं का पालन कराना पड़ेगा ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, सत्ता पक्ष में कुछ लोग ज्यादा बैठे हैं, इधर कुछ कम बैठे हैं लेकिन विपक्ष के लोग समस्यायें उठायेंगे और आप उनकी आलोचना को सही मानेंगे, आपको सुनना चाहिये और जो गलतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यह तब हो सकेगा, जब सम्बन्धित मंत्री हों, सम्बन्धित अधिकारी हों, जब कोई सुनेगा ही नहीं, नोटिस ही नहीं लेगा, तो फिर हम चाहें अकेले कहें अथवा 4–6 लोग और कहें, कहने का कोई मतलब नहीं है । यह तो वही बात हो गई, "भैस के आगे बीन बाजे, भैंस खड़ी पगुराये"

डा० सरजीत सिंह डंग–

यही तो मेरी भी पीड़ा है । यह ऐसा विषय था, जिस पर दोनों तरफ संख्या होनी चाहिये । मैं तो लोकतांत्रिक परम्पराओं के कमजोर होने की बात कह रहा हूं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

मेजर जगत पाल सिंह–

मुख्य मंत्री जी ने अपने आवास पर जनता से सीधा संवाद कर किसान पंचायत, व्यापारी पंचायत, शिक्षक पंचायत, श्रमिक पंचायत एवं जनता दर्शन कर उनकी समस्याओं का समाधान किया । यहां तक कि ट्रैक्टर ट्राली कर समाप्त किया गया तथा वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 समाप्त कर दी और सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन के पुनरीक्षण की व्यवस्था करते हुये श्रमिकों के लिये श्रमबन्धु का गठन किया ।

मान्यवर, प्रदेश में रबी, खरीफ, गन्ना एवं आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ । सरकार ने धान खरीद हेतु 1600 केन्द्रों को सक्रिय कर 3.40 लाख टन धान खरीद कर 150 रुपये प्रति कुन्टल किसानों को लाभ पहुंचाया । इसी प्रकार सरकार ने गन्ना मूल्यों में भारी वृद्धि कर किसानों को सामान्य प्रजाति पर 90 रुपये तथा अगैती प्रजाति पर 95 रुपये तथा 250 करोड़ रुपये देकर किसानों को अतिरिक्त लाभ पहुंचाया । आलू की फसल उत्पादन का 10 लाख टन अन्य प्रदेशों में भेजने की सरकार की नीति है तथा भण्डारण सुविधा के अतिरिक्त मूल्य अच्छा मिल रहा है । मान्यवर, सरकार द्वारा नहरों व नलकूपों की सुनिश्चित व्यवस्था की गई है । कृषकों को नलकूप निर्माण हेतु 50 प्रतिशत या 1 लाख रुपये अनुदान निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम में, लघु एवं सीमान्त कृषकों को 3000-4000 तथा अनुसूचित जाति के लोगों को 5 हजार का अनुदान कराया जा रहा है । नहरों में सफाई एवं आखिरी छोर तक पानी की व्यवस्था की गई है । मान्यवर, सहकारिता के क्षेत्र में सरकार ने 12.69 लाख टन उर्वरक तथा 900 करोड़ रुपये अल्पकालीन ऋण और 4 लाख 38 हजार किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय, यह पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

मेजर जे० पी० सिंह–

पढ़े-लिखे ही पढ़ते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मेजर साहब, आप इसका सहारा तो ले सकते हैं, आप प्वाइंट देख सकते हैं।

मेजर जे० पी० सिंह–

माननीय, गरीबी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत 76 लाख 65 हजार परिवारों को सुनिश्चित रोजगार के अन्तर्गत, इन्दिरा आवास, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा एवं बायोगैस परियोजना जैसे प्रभावी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। माननीय, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने पंचयतों को 2900 करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध कराये हैं तथा प्रधान मंत्री द्वारा ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत हर ग्राम जिसकी आबादी 1000 है उसे 2003 तक तथा 500 की आबादी वाले ग्राम को 2007 तक जोड़े जाने की योजना है। माननीय, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त गांव संतृप्त कर दिये हैं तथा अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल खड़ञ्जा, गली, इन्दिरा आवास विद्यालय की समुचित व्यवस्था की गई है। विधवा, किसान, वृद्धावस्था पेंशन तथा छतरी रोजगार योजना के अन्तर्गत गत 4,82,286 युवकों को रोजगार सृजित कराया जायेगा।

माननीय, सरकार ने दुग्ध परियोजना के अन्तर्गत 1266 समितियों का गठन कर 34570 लीटर प्रतिदिन दुग्ध उपार्जित किया। औद्योगिक विकास में 3 हजार से अधिक भूखण्ड आवंटित किये हैं तथा औद्योगिक इकाइयों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गयी। माननीय, सरकार द्वारा समस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया गया था नवीन मार्गों हेतु नाबार्ड द्वारा सहयोग लिया जा रहा है। माननीय, मलिन बस्तियों में स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय मलिन बस्ती स्वच्छकार विमुक्त योजना, आश्रय योजना, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान योजना जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। नगरीय आश्रय योजना के अन्तर्गत 53019 आश्रय उपलब्ध कराये गये हैं। माननीय, विद्युत के क्षेत्र में हर विधायक को 5 गांव विद्युतीकरण हेतु उपलब्ध कराये गये हैं तथा किसानों को 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की योजना है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में स्कूल चलो अभियान में 54 लाख 71 हजार बच्चों का नामांकन कराया तथा 110 लाख बच्चों को निशुल्क पुस्तकें बांटी तथा बीस हजार शिक्षा मित्र को संविदा पर रखा जाना सरकार का सराहनीय कदम है। माननीय, माध्यमिक शिक्षा में विद्यालय सुदृढ़ीकरण हेतु 15 करोड़ रु० की धनराशि दी गई है तथा बालिका विद्यालयों के लिए 20 ब्लाकों में 20 लाख रु० प्रति ब्लाक सरकार द्वारा दिया गया है। माननीय, सरकार की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में विश्व बैंक द्वारा पोषित 580 करोड़ रु० की पंचवर्षीय उ० प्र० हेल्थ डेवलपमेंट परियोजना प्रारम्भ की गई है। माननीय, सरकार द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण योजना पर लगभग 82 करोड़ रु० की छात्रवृत्ति दी गई है तथा अल्पसंख्यक कल्याण हेतु 106.40 करोड़ रु० की छात्रवृत्ति दी गई है। इसके अतिरिक्त माननीय, एक योग्य निष्ठावान, कर्मठ, निःस्वार्थी, मेहनती मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में समस्त हिन्दू और अल्पसंख्यकों के त्योहारों को सौहार्दपूर्वक मनाया गया। माननीय, मुख्य मंत्री जी का संकल्प है सरकार द्वारा सुनियोजित एवं बेहतर प्रबन्ध वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन, भ्रष्टाचार पर अंकुश तथा जवाबदेही पर जोर देंगे तथा बहुमुखी विकास का एक नया वातावरण सृजित करेंगे। माननीय, मैं डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा प्रस्तुत महामहीम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मा० नेता विरोधी दल संशोधन प्रस्तुत करें।

नेता, विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है। पांच बजे से ऊपर हो रहा है .....

श्री अधिष्ठाता–

आप आज संशोधन प्रस्तुत कर दें।

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में निम्नांकित संशोधन करता हूं :–

(1) प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किये जाने हेतु किसी प्रभावी रूप-रेखा की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,

(2) प्रदेश के अवरुद्ध विकास को पुनः चालू करने की प्रभावी घोषणा किये जाने के संबंध में,

(3) कृषि नीति की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,

(4) बेरोजगारों को रोजगार देने और रोजगार न दे पाने पर रोजगार भत्ता देने की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,

(5) औद्योगिक विकास के लिए किसी प्रभावी रूपरेखा का उल्लेख किये जाने के सम्बन्ध में,

(6) मण्डी समिति और ऊसर भूमि सुधार निगम द्वारा बनाई गयी सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव किये जाने के सम्बन्ध में,

(7) प्रदेश की प्रमुख नदियों में जल-प्रदूषण को रोकने हेतु किसी कार्य योजना की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,

(8) औरैया और नवसृजित जनपदों में प्रशासनिक भवनों के निर्माण हेतु घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,

(9) नवसृजित जनपदों के पत्रकारों को नियमानुसार पत्रकारिता की मान्यता देने की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,

(10) भवन रहित राजकीय अस्पतालों के अधूरे बने भवन पूर्ण कराने एवं भवनहीन अस्पतालों के भवन बनवाकर डाक्टरों की नियुक्ति करने तथा दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर प्रदेश की गरीब जनता को चिकित्सीय सुविधा दिलाने की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में,

(11) प्रदेश में शत-प्रतिशत लोगों को साक्षर बनाये जाने की प्रभावी घोषणा किये जाने के संबंध में,

(12) बाढ़ और वर्षा तथा आग आदि दैवी आपदाओं में धन-जन की हानि पर पर्याप्त और अविलम्ब सहायता देने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(13) बेसहारा, वृद्ध तथा विकलांग और विधवाओं को अनिवार्य रूप से पेंशन देने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(14) प्रदेश के खानाबदोश लोगों को बसाकर और उन्हें रोजगार दिलाकर उनके और उनके बच्चों के उज्जवल भावी जीवन बनाये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(15) चकबन्दी प्रक्रिया समयबद्ध कराये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(16) समान शिक्षा नीति की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(17) हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(18) आलू किसानों की बरबादी रोकने हेतु आलू को 300/–रुपये कुन्तल समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(19) यूरिया की बढ़ी हुई दरों को प्रदेश स्तर पर वापस लेने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(20) स्थायी मान्यता प्राप्त असहायित विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(21) सरकारी और अर्द्धसरकारी सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश प्राप्त करने के दिन ही उनके प्राविडेन्ट फण्ड और अन्य देयों की धनराशि दिलवाए जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(22) धर्म स्थल विधेयक को वापस लेने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(23) प्रदेश के छात्रों से बढ़ी दरों पर शिक्षा शुल्क वसूलने का आदेश वापस लेने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(24) यूरिया, डीजल व विद्युत की बढ़ी हुई कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए गेहूं का समर्थन मूल्य 750/–रुपया और धान का समर्थन मूल्य 600/–रुपया तथा इसी अनुपात में अन्य खाद्यान्नों और तिलहन तथा दलइन के समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(25) प्रदेश के हर गांव में पेयजल उपलब्ध करवाए जाने हेतु किसी प्रभावी कार्य योजना की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(26) पुलिस द्वारा जुल्म और उत्पीड़न की जांच, की प्रक्रिया को बदलकर पुलिस उत्पीड़न की जांच पुलिस द्वारा ही न कराकर किसी अन्य विभाग से कराये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(27) नहरों/रजवहों पर लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा सड़कें बनायी गयी हैं, परन्तु उनमें नहरों से सिंचाई हेतु कुलावों की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है । नहर की पटरी के आखिरी किनारे तक कुलावे रखवाकर पटरियों की कटान तथा मार्ग दुर्घटना रोकने के संबंध में कोई घोषणा किये जाने के संबंध में,

(28) अधूरी सड़कों जिन पर मिट्टी पड़ चुकी है अथवा मिट्टी और मोटी गिट्टी डाली जा चुकी है या मोटी गिट्टी डामरयुक्त गिट्टी सड़कों के किनारे लगा दी गयी है, उसे सड़कों पर डलवाकर डामरीकरण करने के संबंध में कोई घोषणा किये जाने के संबंध में,

(29) प्रदेश में विद्युत व्यवस्था पूर्णतया ध्वस्त हो गयी है । किसानों को कृषि कार्य हेतु बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है । कुटीर उद्योग भी विद्युत अभाव में अधिकांशतः बन्द हैं और जो बचे हैं वह भी बन्द होने की कगार पर है, विद्युत व्यवस्था सुधार हेतु कोई घोषणा किये जाने के संबंध में,

(30) घाटे में चल रहे निगमों को बेचने अथवा समाप्त करने की सरकार बार-बार घोषणा कर रही है परन्तु उनकी प्रशासनिक कमियों को दूर करके संचालित करने की घोषणा किये जाने के संबंध में.

(31) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कोई प्रभावी घोषणा किये जाने के संबंध में,

(32) वेतन वितरण के अन्तर्गत जो विद्यालय हैं, उनमें अतिरिक्त विषय की मान्यता कोई विद्यालय लेता है तो उस विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक को, विद्यालय के अन्य अध्यापकों की भांति वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत वेतन दिये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(33) जिन विषयों के अध्यापकों के पद चाहे अवकाश ग्रहण के कारण, प्रोन्नति के कारण अथवा स्वर्गवासी होने के कारण रिक्त हुए हों, उन्हें विषयों के आधार पर भरे जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(34) गड्ढामुक्त सड़कों की जांच टी०ए०सी० से कराये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(35) बी०एड० ट्रेनिंग प्राप्त बेरोजगार अध्यापकों की नियुक्तियों हेतु घोषणा किये जाने के संबंध में,

(36) प्रदेश की बद्तर आर्थिक स्थिति के सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(37) जिन खेतों की सिंचाई नहीं होती है, उनकी सिंचाई महसूल न वसूलने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(38) प्रदेश पर लगभग 81 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है और प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ रुपया बढ़ता जा रहा है । इस समस्या का समाधान कैसे हो, इसकी कोई प्रभावकारी घोषणा किये जाने के संबंध में,

(39) प्रदेश के 44% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, उन्हें ऊपर उठाने के लिए कोई प्रभावकारी घोषणा किये जाने के संबंध में,

(40) प्रदेश की आर्थिक विकास दर विगत वर्ष क्या रही है और इस वर्ष क्या होगी, इसकी घोषणा किये जाने के संबंध में,

(41) प्रदेश की औद्योगिक विकास दर विगत वर्ष क्या रही है और इस वर्ष क्या रहेगी, इसकी घोषणा किये जाने के संबंध में,

(42) प्रदेश में कृषि सिंचित क्षेत्र बढ़ाये जाने की कोई प्रभावकारी घोषणा किये जाने के संबंध में,

(43) बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप कृषि उत्पादन बढ़ाने और रोजगारपरक योजनाओं की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(44) कृषकों के उत्पादों का मूल्य उत्पादन लागत मूल्य के अनुरूप यदि केन्द्र सरकार निर्धारित नहीं करती है और खरीददारी नहीं करती है, तो प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश स्तर से बोनस देकर खरीदने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(45) दैवी आपदाओं जैसे ओला, पाला, बाढ़ और सूखा से फसल नष्ट होने पर औसत उत्पादन लागत का कम से कम 50 प्रतिशत मूल्य की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(46) तिलहन, दलहन और गन्ने की उपज बढ़ाने हेतु किसी प्रभावी योजना की घोषणा किये जाने के संबंध में,

(47) जलभराव से कृषि क्षेत्र की लाखों हेक्टेयर भूमि को मुक्त कराये जाने की घोषणा किये जाने के संबंध में,

श्री अधिष्ठाता–

अन्य माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत किये हुए माने जायेंगे । धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2001 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं अपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, सुबह प्रश्न प्रहर के दौरान आबकारी नीति के संबंध में काफी चर्चा हुई मैं केवल आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि कल्याणकारी राज्य के तीन कर्तव्य होते हैं । पहला आम जनता में अमन चैन और सुरक्षा । दूसरा शिक्षा की व्यवस्था, तीसरा स्वास्थ्य की देख-भाल और उसकी व्यवस्था करना । मैं शिक्षा और सुरक्षा के संबंध में यहां पर नहीं कहना चाहता हूं केवल स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहता हूँ क्योंकि स्वास्थ्य का संबंध आबकारी नीति से भी है । आज प्रश्न प्रहर के दौरान भी इसका जिक्र हुआ था जहां एक तरफ आबकारी नीति के संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री और माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये वहीं पर एक प्रकरण आया कि शासन की नीति मद्यनिषेध की होनी चाहिए । मान्यवर, संविधान के आर्टिकल 47 की ओर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग आफ द लेविल आफ न्यूटीशन एण्ड द स्टैण्डर्ड आफ लिविंग आफ इट्स पीपुल एण्ड इम्प्रूवमेन्ट आफ पब्लिक हैल्थ एज अमन्ग इट्स प्राइमरी ड्यूटीज एण्ड इन पर्टीकुलर द स्टेट शैल इन्डीवर टू ब्रिंग एबाउट प्राहिबिशन आफ द कन्सम्पशन एक्सेप्ट फार मेडिसिनल परपज आफ इन्टोक्सीकेटिंग ड्रिन्क्स एण्ड आफ ड्रग्स व्हिच आर इन्जूरियस टू हैल्थ,

मान्यवर, इसका अर्थ यह है कि संविधान में जहां पर संवैधानिक अधिकारों की व्यवस्था की गयी है वहीं पर नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गयी है । इसके अंतर्गत आर्टिकल 47 में प्राविधान किया गया है कि राज्य सरकार का दायित्व है कि वह जनता के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखेगी और इन्टाक्सिकेटिंग और मद्यनिषेध के बारे में प्रयास करेगी । जहां मेडिसिन के लिये आवश्यकता है उसको छोड़ कर मद्य निषेध का प्रयास करेगी । मान्यवर, यह अध्यादेश 5 मार्च 2001 को प्रस्तुत किया गया है । सदन पहले 9 फरवरी को आहूत किया गया और 15 मार्च तक के लिये स्थगित कर दिया गया । उसके बाद 13 मार्च को सदन आहूत किया गया 20 मार्च तक के लिये 13 मार्च और 15 मार्च को सदन जो आहूत किया जाने वाला था उसका निरस्तीकरण कर दिया गया । मान्यवर, जब एक बार सदन आहूत करने का प्रासेस चल रहा था और सदन आहूत था और 20 मार्च को सदन बुलाने का नोटीफिकेशन किया गया तो किसी भी स्वस्थ डेमोक्रेटिक सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह संविधान के अनुसार कार्य करे । जब सदन आहूत हो गया है तो उसके बाद 5 मार्च को इस अध्यादेश को लाने की क्या आवश्यकता थी । अगर आवश्यकता थी तो मुख्य मंत्री जी ने सदन को पहले क्यों नहीं आहूत किया ? वह इस विधेयक को सीधे सदन में लाते मैं कहना चाहता हूँ कि यह अध्यादेश 1 अप्रैल, 2001 को, और इसका इफेक्ट 1 अप्रैल को माना गया इससे साबित होता है कि इस अध्यादेश को लाने के बारे में सरकार की नीयत ठीक नहीं थी सरकार ने जिस तरह का रवैया अपनाया उससे प्रजातांत्रिक मूल्यों और संविधान का अतिक्रमण हुआ है । मान्यवर, इस विधेयक के जो उद्देश्य हैं उसमें यह दिया हुआ है कि लाइसेंस फीस और उत्पाद शुल्क के आधार पर मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन की नई प्रणाली को लागू करने का विनिश्चय किया गया । मान्यवर, फीस का इसमें जिक्र नहीं है । जहां तक दरों की जो बात की गयी है उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, केवल

यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश की गरीब जनता खेतिहर मजदूर और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले के हितों का सरकार को ध्यान रखना चाहिये। यह सच है कि बिना राजस्व के सरकार अपना कार्य नहीं कर सकती है लेकिन जब नीति निर्देशक तत्वों में यह दिया हुआ है तो सरकार की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि इस दिशा में कार्य करे और मद्यनिषेध लागू करे। मेरा कहना है कि दरों को और बढ़ाया जाय तो इसका लाभ होगा और सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा। गरीब जनता और मजदूरों के पास पैसा नहीं होगा और शराब मंहगी होगी तो वह पीना छोड़ देंगे।

अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि अगर कोई सुझाव दें तो सुझाव के आधार पर अपनी नीति बदलेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपने लाटरी सिस्टम प्रारम्भ किया है उसमें प्रदेश में कई जगहों पर बेइमानी हुयी है। और बेइमानी वह हुई है कि जो शराब माफिया थे तथा उनके इर्द गिर्द घूमने वाले जो लोग थे उन्हीं के हक में लाटरी निकल गई इसमें कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की और कहीं न कहीं शराब माफियाओं का घालमेल अवश्य रहा। क्योंकि ज्यादातर शिकायतें इस तरह की आई कि मान लीजिए किसी लाटरी में ए नम्बर एलाट कर दिया गया तो एक माफिया ने सारे ए नम्बर के टिकट खरीद लिए इस तरह की बेइमानी हुई। अतः इस तरह की व्यवस्था में पारदर्शिता की जाए जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। दूसरी बात यह है कि यह जो एडल्ट्रेटेड शराब है इसका चलन भी बहुत है जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा था शाही जी ने भी कहा था कि इस तरह का उदाहरण मिले। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मैनपुरी में होली के अवसर पर एडल्ट्रेट शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई। यह नम्बर दो की शराब धड़ल्ले से बिक रही है। इसमें ऐसा हुआ कि जहाँ पर शराब माफिया ठेका नहीं ले पाए जिन दुकानों को कमजोर टाइप के लोग प्राप्त कर गए उन्हीं के पास उन लोगों ने ओपन दुकान देशी शराब की खोल दी है वह अवैध रूप से शराब बिक रही है जो मानक रेट है उस रेट से लो रेट पर वह इस शराब को बेच रहे हैं जिससे कमजोर लोग कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं तथा अवैध शराब का धंधा चल रहा है। जो मानक के हिसाब से शराब रखते हैं वह कंपटीशन में नहीं आते वह इसमें फेल हो जायेंगे इस तरह की धांधली नजर आई है। मैं ज्यादा लम्बा न कहकर यह कहना चाहता हूँ कि यह जो सारी खामियाँ मैंने इंगित कराई हैं मुख्य रूप से नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो बात कही है उसकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है कल्याणकारी राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह जनता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे शराब पीने से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है तथा उसके मारल में भी गिरावट आती है। इन थोड़ी सी चीजों का समावेश नहीं हुआ है इसलिए मैं अपने संकल्प के माध्यम से इस अध्यादेश का अननुमोदन करता हूँ।

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

मान्यवर, मैं अपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय।

श्रीमन् उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक 2001 आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभी तक 1910 से यह व्यवस्था प्रदेश मे चली आ रही थी कि ठेके के आधार पर नीलामी की प्रक्रिया के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में शराब के व्यवसाय का संचालन होता था। ठेकेदारी प्रथा स्थापित थी धीरे–धीरे इसका एकाधिकार का स्वरूप बनता चला गया और सिंडीकेट स्थापित हो गए और शराब माफियाओं का शिकंजा उन सिंडीकेटों पर बढ़ता गया परिस्थिति ऐसी आ गयी कि अनेक जनपदों में जहाँ अपेक्षित राजस्व की अपेक्षा करते थे वह राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था राजस्व के बहुत बड़े हिस्से पर वह अपने प्रभाव से काबिज हो जाते थे और उसका दुरुपयोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में किया करते थे धीरे–धीरे उनका राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ता चला जा रहा था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम

लोगों ने चली आ रही प्रारम्भिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने का फैसला किया इसमें हमारी ही सरकार ने नीतिगत आधार पर कार्य करने की हिम्मत करी । मुझे वह दिन याद है जब इनके प्रभाव के कारण किस प्रकार से 1994–95 में लक्ष्य से बहुत कम प्राप्ति हुई तथा 26 जनपदों में उस वर्ष नीलामी नहीं हो पाई और पूरे प्रदेश में 28 करोड़ की राजस्व की वृद्धि उस वर्ष हो पाई थी ।हमने जो व्यवस्था कायम की है उससे उनका एकाधिकार टूटा है । सिंडिकेट का एकाधिकार हुआ हमने व्यवस्था की है कि न ठेका होगा न ठेकेदार होंगे । हमने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया है । निर्धारित लाइसेन्स के आधार पर दुकानों के व्यवस्थापन की व्यवस्था की गई डिस्टलरी से उसी पाइन्ट पर उत्पाद शुल्क लिया जायगा और वह सीधे सरकारी खजाने में जमा हो जायगा । नई नीति में आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है । हमने एक समिति बनायी है जिसके सदस्य डी० एम०, पुलिस अधीक्षक और आबकारी विभाग के दो अधिकारी होंगे साथ ही प्रेस के लोगों व जनता की उपस्थिति में इस समिति के सामने आवेदकों में से कोई आवेदक पर्ची निकालेंगे और जिसकी पर्ची लाटरी निकालेंगे और आवंटी का नाम घोषित करेंगे जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी । शाक्य जी के आरोप से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि लाटरी में गड़बड़ी की है मेरे पास अभी तक केवल 8–10 शिकायतों के अलावा और कोई शिकायत नहीं आयी है । 50 हजार रुपये में दुकान मिल रही है अब इस व्यापार के ऊपर अमीरों का ही नहीं गरीबी का भी वर्चस्व कायम होगा आज नये लोगों की संख्या चार से साढ़े चार हजार से अधिक है । हमने ड्यूटी अधिभार 90 की जगह 60 रुपये निर्धारित किया है । जिससे कि मिलावटी, कच्ची और स्मग्लिंग की शराब को प्रोत्साहन नहीं मिल सकेगा यानी कि नाजायज शराब को हम अब पनपने नहीं देंगे । हमने नई नीति को सरल बनाने का प्रयास किया है । एकाधिकार सिन्डीकेट के माध्यम से था और वे मनमाने तरीके से जो शराब की कीमत थी । वे निर्धारित करते थे । मूल्य निर्धारित करने का अधिकार ठेकेदार को होता था । लखनऊ के भीतर 30 रुपये 32 रुपये में पाउच मिल रहा था हमने जिसको अब इस नीति के माध्यम से रेट तय करके 13.50 रुपये और 20 रुपये में उपलब्ध कराया है । हमारी इस नीति की वजह से शराब सस्ती हुई और उसकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है । इसकी मिलावट में भी हमने रोकथाम लगाई है । हमने जो अधिकतम मूल्य निर्धारित किया है उससे अधिक दाम पर बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी, उन्हें दण्डित किया जायेगा । मद्य निषेध की चर्चा हुई । इस बारे में भी हम चिन्तित हैं और इस दिशा में ध्यान दे रहे हैं । इस नाते हमने फैसला किया है कि 2001-2002 में प्रदेश के भीतर एक भी अतिरिक्त दुकान खोले जाने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी । इस वर्ष हमने इसकी संख्या को फ्रीज कर दिया है । दूसरा एक प्रयास किया है कि यहां जो उपभोग की मात्रा थी उस मात्रा को भी 24 करोड़ बल्क लीटर ले जाकर फिक्स कर दिया है और उससे अधिक मात्रा का उल्लंघन नहीं करेंगे । कोई अतिरिक्त प्रत्याभूत मात्रा की स्वीकृति नहीं दी है । लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं । कुंभ के मेले में मद्य निषेध के बारे में एक प्रदर्शनी लगाकर लोगों में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जो कि काफी सफल रहा । अम्बेडकर जयन्ती पर भी पूरे प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम हेड क्वार्टर स्तर पर चलाये । नई नीति में तकलीफ कुछ लोगों को जरूर है । कुछ राजनैतिक दलों को भी तकलीफ है जिनके लोग आज तक सिन्डीकेट के माध्यम से शराब के व्यवसाय पर काबिज थे । उन्हें उनसे पैसा उगाही करते थे, ज्यादा चन्दा लेते थे उनका एकाधिकार और वर्चस्व था । अपनी पार्टी चलाने के लिए उनको उनसे पैसा मिलता था अब वह नहीं मिलेगा इसलिये वे इसकी आलोचना कर रहे हैं । इसका पूरे प्रदेश में स्वागत हुआ है । मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान करें ।

श्री अधिष्ठाता–

राम औतार जी आप अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में प्रस्तुत किये जायेंगे)।

मान्यवर, बहुत कुछ विचार संकल्प के माध्यम से प्रस्तुत कर चुके हैं। सिर्फ एक दो बातें इसलिये कहना चाहता हूं कि मुझे तो लगता था कि शायद यह कल्याणकारी राज है लेकिन शाही जी की बहस और जवाब से यह साबित हो गया कि यह अकल्याणकारी राज है। इनको पीने वालों और पिलाने वालों की बड़ी चिन्ता है और मैंने कहा इसीलिए इसमें तमाम दोष और खामियां हैं। इसलिये यह जरूरी हो गया था कि इसको एक प्रवर समिति को सौंप दें ताकि वे इस पर अच्छी तरह से समीक्षा करके अपना निर्णय दें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार करने के लिये आपने अनुज्ञा दी, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आबकारी नीति में एक बदलाव हुआ है और इन्होंने एकाधिकार तोड़ा है जिसका सबने स्वागत किया है। नई व्यवस्था और प्रणाली लागू की है इसलिये जरूरी है कि इसमें कुछ कमियां और खामियां होंगी जिसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी सुझाव आयेंगे उस पर दृष्टिपात करेंगे और उसको भी शामिल करेंगे। जहां तक एकाधिकार तोड़ने की बात है यह स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार किया है जब वे विचार रख रहे थे कि लगभग 50 प्रतिशत लोग यानी 4 हजार 5 सौ लोग इस व्यवसाय में आये हैं। चार हजार साढ़े चार हजार लोगों का एकाधिकार जो सिंडीकेट शराब का था वह बना है। जो उनकी दुकान पर मुनीम रहता था उनके नाम से हैसियत प्रमाण-पत्र बनवाकर एक-एक दुकान के लिए 25–25 आदमियों से आवंटन करवा दिया जब उनके 20–25 आदमियों ने एप्लाई किया इसलिए उनको ज्यादा दुकानें मिल गईं। सरकार को इस नीति को लागू करना है तो भविष्य में विचार करना होगा क्योंकि उनकी मूल भावना जो है वह एकाधिकार को तोड़ना है। इसमें दो सुझाव हैं एक तो जिस एरिये में दुकान खुलती है मैं समझता हूं वह उस एरिये के व्यक्ति को दी जाए तो उनके मुनीम नौकर चाकर हैं वह किसी जगह एप्लाई करें लेकिन वह स्थानीय स्तर के व्यक्ति को मिलेगी। जिस इलाके की दुकान है उसको अपना हैसियत प्रमाण-पत्र उस इलाके का दिखाना होगा और आपको यह भी देखना होगा कि जो कर्मचारी है उसकी स्वभाविक स्थिति ऐसी है कि वह व्यवसाय कर सके तो इन बातों पर माननीय आबकारी मंत्री जी विचार करें तो जो 50 प्रतिशत दुकानें सिंडीकेट के हाथों चली गई हैं वह एकाधिकार टूटेगा। एक तरफ आप मद्य निषेध की बात करते हैं लेकिन व्यवहारिक पक्ष क्या हो इसको देखना होगा। सरकार में कोई पार्टी बैठी हो सरकार चलाने के लिए आय के दो स्रोत हैं एक तो आबकारी और दूसरा रजिस्ट्री। शराब अवैध रूप से न बने, खराब न बने जहरीली शराब न बने इस पर आप रोक लगाएं अगर आप आय के श्रोत पर रोक लगाएंगे तो आय देने के लिए, वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं रह जाएगा। हमें आय के घटते हुए श्रोतों पर, संसाधनों पर चिन्ता करनी चाहिए। इसके लिए देखना होगा इस आबकारी नीति में आय घटने न पाए। अन्यथा यह बात उठेगी कि सिंडीकेट के हाथों में ज्यादा फायदा था, तो सिंडीकेट योजना करके आपकी नीति को असफल न कर दें आप उत्तर भाषण में इस शंका का समाधान अवश्य कर दें। भविष्य में आबकारी नीति के परिवर्तन के बाद कितनी आय की बढ़ोत्तरी होगी। अगर बढ़ोत्तरी में इस तरह की स्थिति हुई इसमें सरकार का क्या उपाय होगा ? कुछ कठिनाइयां हैं जो इस नीति के व्यवहारिक पक्ष में हैं। इन्होंने

दो बातों को कहा जब यह प्रश्नकाल में उत्तर दे रहे थे इन्होंने कहा कि हम उन चीजों का अध्ययन कर रहे हैं श्रीमन् जिस तरह से डिस्टलरीज को दिया है गोदाम तोड़ा है इसमें कठिनाई आई है । दुकानदारों को आसपनियों को या जो भी आपूर्ति होनी है वह नहीं हो पा रही है । गरीब या बेरोजगार व्यक्तियों ने दुकानें की हैं अगर इनको सहयोग नहीं मिलेगा तो न तो यह सरकार को राजस्व की प्रतिपूर्ति करेंगे और न इनको लाभ होगा तो जो आबकारी नीति इन्होंने बनाई है यह नीति कारगर हो इसमें कदम उठायें ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया । मैं माननीय राम औतार शाक्य जी द्वारा आबकारी नीति के संशोधन के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि आज जो नयी बात माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि एक सिन्डीकेट को तोड़ने की कोशिश की है और वहीं आधी दुकानों को खुद एडमिट कर रहे हैं कि इसमें उनका कब्जा है । तो मेरा मानना है कि इसमें जो नये लोग आये हैं अगर उनको सरकार ने अच्छी सुविधायें नहीं दीं तो जैसी अभी दिक्कतें आ रही हैं, जो नये लोग हैं उनको माल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और जो सिन्डीकेट के लोग कब्जा जमाये हुए हैं उनको माल नहीं दे रहे हैं और वे लोग उनको अपनी दुकानें उनके हवाले करते चले जा रहे हैं । तो यह उनकी विफलता हो जाती है । इसमें जो खामियां हैं उनको देखने की जरूरत है । सरकार ने होलोग्राम सिस्टम चलाया है यह माननीय मंत्री जी बता रहे थे । इससे नकली शराब नहीं बिकेगी और दिक्कतें दूर होंगी । अच्छा माल मिले यह सही बात है । जो दिक्कतें आ रही हैं जहां-जहां पर डिस्ट्रिलरियां हैं उनके लिए होलोग्राम बनाया है, जिसकी आपूर्ति एक आदमी जो इलाहाबाद में है, उसको दी गयी है । एक-एक मैनेजर उन डिस्ट्रिलरियों का वहां पर चक्कर लगा रहा है । उसको मिलने में दिक्कत आ रही है । होलोग्राम सिस्टम रहे नकली शराब न बिके लेकिन सारी चीजों को सरल बनाने की जरूरत है । आज शराब कम बिक रही है और होलोग्राम ज्यादा ब्लैक हो रहा है । जब तक स्टीकर नहीं होता है तब तक पैकिंग नहीं हो पाती है । हर बोतल और पेटी पर होलोग्राम की जरूरत है और उसकी आपूर्ति जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर नहीं हो पा रही है । इसमें दो नम्बर का पैसा देकर आपूर्ति कर रहे हैं । मेरा सुझाव यह है कि हर कमिश्नरी लेबिल पर आपूर्ति करायी जाय । अगर यह नहीं किया गया तो इससे आय कम हो जायेगी । अभी पाल जी कह रहे थे तो यह सही है कि आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए एक बाधा होलोग्राम भी है । मेरी जानकारी में है कई-कई दिनों तक पैकिंग बन्द रही है तो इसको सुनिश्चित कराया जाय । मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर भाषण दें तो उसमें इस बात पर भी प्रकाश डालें । आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका आभारी हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, हम अपने संकल्प और संशोधन पर बल देते हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, श्री राम औतार शाक्य, श्री जगदम्बिका पाल जी, श्री भाटी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर भाग लिया और अपने बहुमूल्य सुझाव दिये । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने इसमें रुचि ली । इनकी रुचि लेने से हमारे उपभोक्ताओं का संरक्षण भविष्य में होता रहेगा । बहुत पुरानी यह व्यवस्था चली आ रही है उसमें परिवर्तन नितान्त कठिन काम था कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उ० प्र० से ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो सकती है, सिण्डिकेट निष्प्रभावी हो सकता है । हमें धमकी दी जाती थी कि नीति में परिवर्तन हुआ तो सरकार चली जायेगी लेकिन हमारी सरकार ने बड़ी हिम्मत के साथ इस नई नीति को प्रभावी कर दिया । शत

प्रतिशत हमने ठीक तरह से निष्पक्षता के साथ पारदर्शिता के साथ हमने इसे प्रभावी कर दिया सिण्डिकेट ध्वस्त हो गया । हमने यह नीति में व्यवस्था कर दी कि चाहे देशी हो विदेशी या बियर की दुकान–दो से अधिक दुकान किसी को नहीं दी जायेगी और इस नीति को क्रियान्वित किया है । साल्वेंसी पर चिन्ता व्यक्त की गयी अगर वह नियम रहता तो जो नया लाइसेंसी आया है वह कभी प्रवेश नहीं कर सकता था । हमने कहा कि इसके लिए कोई साल्वेंसी की आवश्यकता नहीं होगी । साधारण आवेदन-पत्र कर दिया । सारे प्रमुख अखबारों में एक-एक दुकान की एम० जी० डी० को बताया और यदि उसी पर आवेदन ने आवेदन लगा कर दिया है तो उसे भी स्वीकार है हमने कहा कि आवेदन-पत्र को तकनीकी कारणों से निरस्त न किया जाय एक भी निरस्त नहीं किया गया । अगर कहीं 50 आवेदन थे तो 50 को खड़ा करके उनके बीच लाटरी निकाली गयी लाटरी के बारे में एक भी शिकायत नहीं आयी है अगर आपके संज्ञान में कोई बात हो तो लिख कर दे दें हम स्पेसिफिक केस की जांच करा देंगे । अधिकांश दुकानें व्यवस्थित हो गयी हैं 85 प्रतिशत दुकानें व्यवस्थित हो गयी हैं । संसाधनों के बारे में चिन्ता व्यक्त की गयी आबकारी, बिक्रीकर और अन्य कुछ कर राज्य के संसाधन के स्रोत सीमित हैं । उत्तरांचल को छोड़कर आबकारी विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1829 करोड़ रु० की आय हुई है अब हम 1800 करोड़ रु० की जगह 2100 करोड़ की आय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं । नीति में सुधार करने की और राजस्व प्राप्ति सुरक्षित हो सके उसकी भी चिन्ता हमने की है । ड्यूटी स्ट्रक्चर और लाइसेंस फीस पर ध्यान दिया गया है । यह बात भी आयी कि अधिकतर दरों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए उपभोक्ताओं को सही दर पर उपलब्ध हो जाये इसकी भी चिन्ता हमने की है । जो होलोग्राम के बारे में भाटी साहब ने कहा है प्रारम्भिक दिनों में होलोग्राम की कुछ कठिनाई भी इसलिये थी कि 31 मार्च तक जिस शराब की निकासी हो रही थी वह पुरानी व्यवस्था थी 2 अप्रैल से नयी व्यवस्था की बात थी । लागू की गयी । बड़े परिवर्तन के कारण प्रारम्भ में कुछ कठिनाई थी किन्तु स्थिति सामान्य हो गयी है । अब कहीं भी कठिनाई नहीं है होलोग्राम सुलभ है और करोड़ों की संख्या में हमने डिस्टलरियों को उपलब्ध करा दिया है और अब कहीं भी कठिनाई नहीं है उस व्यवस्था को ठीक कर रहा हूं । आपने कहा कि मण्डल पर डिसेन्ट्रलाइज कर दीजिए, यह कठिन काम है इसकी आवश्यकता इसलिये नहीं है कि होलोग्राम ही ऐसा है जो हमारी ड्यूटी को संकलित करेगा । इलाहाबाद में सीधे आबकारी आयुक्त कार्यालय के भीतर एक विंग खाली कराकर वहां पर सिक्योरिटी का अलग प्रबन्ध करके वहां हमने यह व्यवस्था की है जिससे होलोग्राम फर्जी न बन सके उनकी गलत तरीके से निकासी न हो सके जितना गलत तरीके से चला जायेगा उतनी ड्यूटी में क्षति हो जायेगी । इसलिये राजस्व को बचाने की दृष्टि से वह व्यवस्था की गयी है अब कोई कठिनाई नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि एक नई नीति है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह परिपक्व हैं और उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है । इसमें जैसे-जैसे आपके सुझाव आते जायेंगे उसका अमल करेंगे और जो लागू होने वाला होगा उसको लागू करेंगे । इसलिये राम औतार शाक्य जी से अनुरोध है कि जो प्रवर समिति में रखे जाने का प्रस्ताव है उसको वापिस ले लें इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार किया जाय ।

श्री राम औतार शाक्य–

मा० मैं बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।

(2) यह पहली अप्रैल, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910 की धारा 12 का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 12 में, उपधारा (3) निकाल दिया जायगा ।

धारा 28 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (3) में, खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 12(1) के उपबन्धों के अनुसार आयात किये गये उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थों पर प्रति-शुल्क

मद संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	2	3
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट–	

1	2	3
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60.00 रुपये प्रति ब्लक लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा पसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(इ) ब्रांडी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।	600.00 रुपये प्रति ब्लक लीटर
3	भांग	75.00 रुपये प्रति किलोग्राम

(ख) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये उत्पाद-शुल्करोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क

मद संख्या	उत्पाद-शुल्कारोभ्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अलकोहलिक पेय को छोड़कर)	90.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, (बियर को छोड़कर)–	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
3	भारत में यवासवित बियर	60.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
4	भांग	75.00 रुपये प्रति किलोग्राम

(ग) परिवहन किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क या प्रति शुल्क

मद संख्या	उत्पाद-शुल्कारोभ्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	2	3
1	देशी शराब (ताड़ी की छोड़कर)	90.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट–	

1	2	3
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(इ) ब्रांडी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
3	भांग	75.00 रुपये प्रति किलोग्राम

(घ) धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित, कर्षित या संग्रहीत उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क

मद संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	90.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट–	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर

1	2	3
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(इ) ब्रांडी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो ।	
3	भांग	75.00 रुपये प्रति किलोग्राम

(ङ) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाइसेंस प्राप्त किसी आसवनी या यवसवनी में निर्मित उत्पाद शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क

मद संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	2	3
1	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर)	90.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो, और शोधित स्प्रिट–	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	60.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(बी) सुगंधित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(सी) वाइन	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर

1	2	3
	(इ) ब्रांडी, जिन, व्हिस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।	600.00 रुपये प्रति बल्क लीटर

निरसन और अपवाद।	4—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2001
	(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।	

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उ० प्र० आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 2001

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ –

यह सदन उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, यह विभाग माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास काफी पहले से चला आ रहा है और जब भी कोई सत्र बैठता है तो कोई न कोई संशोधन अवश्य आ जाता है और यह संशोधन भी मान्यवर, यह अध्यादेश के जरिये आया है मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ जो पिछले विधेयक के संबंध में मैंने कही है लेकिन इतना जरूर पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या औचित्य था

5 मार्च, 2001 को इस अध्यादेश को महामहिम राज्यपाल के द्वारा पारित कराने का । इसमें ऐसी कौन सी आवश्यकता थी ऐसा कौन सा इस प्रदेश में घाटा हुआ जा रहा था ? यह अध्यादेश लाना बहुत जरूरी है और सीधे सदन में विधेयक नहीं लाया जा सकता है, एक सवाल तो यह पूछना चाहता हूँ । दूसरा यह है कि इसको पढ़ने से मालूम पड़ता है कि जहाँ 50 पैसे था वह इन्होंने एक रुपया कर दिया है और केबिल आपरेटर को भी थोड़ा सा परिधि में लाने का काम किया है । मैं समझता हूँ कि संभवतः इनका यह विचार रहा होगा कि केबिल आपरेटर को कर की श्रेणी में ले आयेंगे तो राजस्व बढ़ जायेगा, लेकिन वहीं पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आमोद की परिभाषा क्या है । जैसा कि इस विधेयक में परिलक्षित है, घुड़दौड़, क्रीड़ा, विनोद, खेल, तमाशा, प्रदर्शन सब इसमें शामिल है । कहीं ऐसा न हो कि यह सब पर इतना टैक्स लगाते चले जायें कि जो हमारी मूलभूत संस्कृति है, विरासत है, वह कम न हो जाय । तमाशा जादूगरी यह सब तो हमारी भारतीय विरासत है, यदि यह ज्यादा डेवलप होगा तो हमारा देश और जाना जायेगा, वैसे भी दुनिया में हमारा देश इन्हीं सब चीजों से जाना और माना जाता है । अब जो बड़े होटल हैं, उन पर कर लगा दें, यह तो ठीक है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है कि इसको आखिर संशोधन करने का औचित्य क्या है, क्यों इसे लाये हैं या तो एकदम खत्म ही कर देते और यदि बढ़ाना ही था तो और बढ़ा देते कम से कम हमारी भारतीय साँस्कृतिक विरासत जीवित तो रहती । इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हम जो संकल्प लाये हैं , उसको पारित करा दें और यह जो विधेयक है, इसको वापस ले लें ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ।

माननवर, मैं केवल कुछ शब्दों में अपनी बात स्पष्ट करना चाहूँगा । राम औतार शाक्य जी विद्वान तो हैं लेकिन टेक्निकल ज्यादा हैं । यदि दोनों में संतुलन हो जाय तो ज्यादा अच्छा हो । यदि इन्होंने इसे पढ़ लिया होता तो इन्हें पता चल गया होता कि क्यों लाया गया है । माननवर, यह मूल अधिनियम 1979 का है और 1979 में केबिल का प्रश्न ही नहीं था और रेगुलेशन एक्ट बन गया 1995 में । यह केवल रेगुलेट करने के लिये था, उसमें कर लगाने की बात नहीं थी । अब केवल केबिल आपरेटर की परिभाषा देने के लिये परिभाषित तो कर दिया, परिभाषा भी वही है, केबिल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट में, उसके अतिरिक्त इसमें कुछ है नहीं । दूसरी बात, होटलों में अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिये, अतिरिक्त सुविधा देने के लिये केबिल पर प्रदर्शन किया जाता है, उसको भी कहीं न कहीं परिधि में लाना होगा, क्या प्रति कमरा होगा, क्या प्रति सेट होगा, उसको भी कोडीफाई कर दिया है ताकि कोई असमंजस की स्थिति न रहे । हाँ, भारतीय संस्कृति वाली जो बात आपने कही है, भारतीय संस्कृति से संबंधित किस आइटम के ऊपर हमने टैक्स लगाया ? आप घुड़सवारी करते, लेकिन हमारा उस पर कोई टैक्स नहीं है । माननवर, दूसरा मेरा ख्याल है यह केबिल टेलीविजन के माध्यम से भारतीय संस्कृति पर इतना बल दिया जा रहा है और उसके एक मात्र सबसे बड़े गवाह हैं तो यह राम औतार शाक्य हैं क्योंकि बार–बार केबिल के माध्यम से भारतीय संस्कृति पर आक्रमण किया जा रहा है । आप बुद्धिमान हैं कुछ पढ़ भी लिया करें तो अच्छा रहेगा । हमने एक रुपया लगाने की बात कही है, वह केवल कैलकुलेशन की बात थी यदि कोई फ्रैक्शन होगा तो हम 50 पैसे को एक रुपया मान लेंगे । पहले यदि 12.40 है तो उसे 12.50 मानकर कैलकुलेशन करते थे, अब हम उसे 13 मानकर कैलकुलेशन करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

शाक्य जी आप संशोधन प्रस्तुत करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि यह तो टेक्निकल बात थी, छोटी सी बात थी। मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब यह छोटा सा और टेक्निकल मामला था तब अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी। यदि इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं था और रेवेन्यू प्रभावित नहीं हो रहा था तो क्या एक आदत बना ली जाए कि हर एक चीज के लिए अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया जाय। मैं जरूर स्पष्टीकरण चाहूँगा। इसलिए मैं इस संशोधन पर बल देता हूँ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं बताना चाहूँगा। कई जगह मामला न्यायालयों में था और पूछा जा रहा था कि केबिल आपरेटर की परिभाषा क्या है, इस कारण इस मामले में अर्जेंसी थी और आर्डिनेंस लाना पड़ा।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, 10 दिन इन्तजार कर लेते उसके बाद यह सीधे विधेयक ले आते, इनको अध्यादेश लाने की जरूरत ही नहीं थी। यह बार–बार अध्यादेश के जरिये इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को क्यों खत्म कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक है और टैक्स से संबंधित है और संशोधन किया है 1979 की ऐक्ट में। 1979 के ऐक्ट में केबिल आपरेटर्स की परिभाषा नहीं थी। परिभाषा न होने की वजह से जब कर लेने की बात आती थी तो इन लोगों द्वारा न्यायालयों में चुनौती दी जाती थी कि इसे ऐक्ट में शामिल नहीं किया गया है तो टैक्स कैसे लेंगे ? 1995 का ऐक्ट बना हुआ है केबिल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन ऐक्ट, 1995। उसमें परिभाषा दी गयी है उसी परिभाषा को एडाप्ट कर लिया। कई जगह विवाद चल रहा था, विवाद न चले इसी लिए इस अध्यादेश के माध्यम से इस परिभाषा को स्वीकार किया गया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाक्य जी अपना संकल्प वापस ले रहे हैं।

श्री राम औतार शाक्य–

मैं अपना संकल्प इसलिए वापस नहीं ले रहा हूँ कि 5 मार्च और 20 मार्च के बीच 15 दिन का समय था 20 मार्च से सदन बुलाया गया तो अध्यादेश के जरिये परिभाषा देना उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और अपने संशोधन पर बल देता हूँ।

श्री हुकुम सिंह–

आज 24 अप्रैल है, 5 मार्च और 24 अप्रैल, 2001 के बीच में देखिये कितना समय गुजर गया। सदन के बुलाने का अर्थ यह नहीं होता है कि पहले दिन ही यह विधेयक पास हो जायेगा। कार्य-मंत्रणा समिति बैठती है वह बिजनेस पर विचार करती है। इतने दिनो में तो न जाने कितने विवादों में पड़ सकते थे ?

श्री राम औतार शाक्य–

आप सदन क्यों नहीं बुलाते हैं, अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–5 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।

(2) यह 5 मार्च, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,–

(क) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ङ ङ) केबिल आपरेटर का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो केबिल टेलीविजन नेटवर्क के माधयम से केबिल सेवा प्रदान करता हो या अन्यथा उसे नियंत्रित करता हो या केबिल टेलीविजन नेटवर्क के प्रबंध और प्रचालन के लिए उत्तरदायी हो और इसके अन्तर्गत किसी होटल का ऐसा स्वामी भी है जो अपने निजी केबिल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से होटल में केबिल सेवा की व्यवस्था करता हो।"

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(न) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो केबिल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1995 में क्रमशः उनके लिए दिये गये हैं।"

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में,——

(क) उपधारा (1) में, परन्तुक में शब्द "सिनेमा" के स्थान पर शब्द "सिनेमा या केबिल आपरेटर" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में शब्द "पचास पैसे" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "एक रुपया" रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:–

"(7) जहां किसी होटल में, कमरों या अन्य स्थानों में, केबिल सेवा के रूप में आमोद की व्यवस्था की जाय, वहां प्रत्येक कमरा या अन्य स्थान में इस प्रकार की गई आमोद की व्यवस्था को पृथक आमोद समझा जायगा और ऐसे प्रत्येक आमोद में प्रवेश के लिए अंशदान उस अंशदान की धनराशि के बराबर समझा जायेगा जो होटल के केबिल सेवा की व्यवस्था कर रहे केबिल आपरेटर द्वारा होटल के आस-पास के ग्राहकों से प्रभारित की जाती हो और ऐसे अंशदान के आधार पर कर का उद्ग्रहण और भुगतान किया जायगा :

परन्तु जहां केबिल आपरेटर स्वयं होटल का मालिक हो, वहां ऐसे प्रत्येक आमोद में प्रवेश के लिए अंशदान उस अंशदान की धनराशि के बराबर समझा जायगा जो किसी अन्य केबिल आपरेटर द्वारा होटल के आस-पास के किसी ग्राहक से प्रभारित की जाती हो।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा और धारा–2 के खण्ड (ङ ङ) के प्रयोजनों के लिए 'होटल' के अन्तर्गत कोई आवासीय इकाई भी है जिसमें ग्राहकों को किराये पर कमरे दिये जाते हों किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार के पर्यटन विभाग की 'पेइंग गेस्ट योजना' के अधीन अनुमोदित इकाइयां नहीं हैं।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1995 का निरसन

4–उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन और अपवाद

5–(1) उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–9 सन् 2001

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत था।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–5 तक खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 24-4-2001 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई–पहली सूचना श्री संजय गर्ग की प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मेरठ–चण्डीगढ़ व सहारनपुर करनाल तथा सहारनपुर लोनी मार्गों पर संचालित परिवहन निगम की बसों के साथ निजी बसों के संचालन को परिवहन विभाग द्वारा बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, है दूसरी सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है प्रदेश के आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत है तीसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की हैं प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में 400 पूर्णकालिक एवं 400 अंशकालिक प्रवक्ता पद पर सवेतन स्वीकृति के बावजूद सरकार द्वारा नियुक्ति न किये जाने के विरुद्ध किये जा रहे अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन एवं आमरण अनशन के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना डा० पूर्णमासी पंकज की जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरयांवा स्थित पानी की टंकी जमनीपुर अटगवा मोट से जलापूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेदकर नगर के लोक निर्माण विभाग के प्रान्तीय खण्ड द्वारा निर्मित की जा रही सड़कों का निर्माण मैक्स फाल्ट न होने के कारण समुचित रूप से न हो पाने के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, छठी सूचना श्री रामतेज यादव एडवोकेट की जनपद बहराइच के कैसरगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अग्निकाण्डों से पीड़ित परिवारों को समुचित राहत एवं सहायता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है, सातवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की है जनपद गौतम बुद्ध नगर के अन्तर्गत नोएडा प्राधिकरण द्वारा 50 क्यूसेक गंगा जल परियोजना का नोएडा क्षेत्र का ठेका दिये जाने में कथित रूप से की गयी अनियिमितताओं के संबंध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा के पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थल राधाकुण्ड अक्टसखी कुण्ड एवं ललिता कुण्ड की जमीनों पर की जा रही अवैध कब्जेदारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण

हेतु स्वीकृत है, नौवीं सूचना श्री उदयराज यादव की सिंचाई खण्ड जनपद उन्नाव के अन्तर्गत पारा माइनर के लगभग एक किलो मीटर भाग को बराबर कर उस पर अवैध कब्जेदारी किये जाने तथा विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से सफाई के नाम पर फर्जी भुगतान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं–श्रीमती माया प्रसाद, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री रघुबर दयाल दर्मा, श्री शिव सिंह चक, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री विजय पाल सिंह, श्री भीम प्रसाद सोनकर एवं श्री अम्बिका चौधरी।

श्री अधिष्ठाता–

अब सचिव, विधान सभा घोषणा करेंगे।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि–

(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि–

(2) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 2001 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि–

(3) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 2001, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं और कल ग्यारह बजे पूर्वाह्न फिर बैठेगें।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 24 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 24 अप्रैल, 2001।

नत्थी 'क

(देखिये अता० प्र० सं०–166 का उत्तर पीछे पृष्ठ–87 पर)

भारतीय वन सेवा के अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के अधिकारियों की सूची :–

सर्वश्री

1–आर० सी० गौतम	वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ।
2–सी० एल० मणिकान्त	क्षेत्रीय प्रबन्धक, वन, निगम, नैनीताल ।
3–आर० पी० भारती	प्रभागीय वनाधिकारी, मेरठ ।
4–एम० एस० भुप्पल	प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस ।
5–सी० वी० नाथ	प्रभागीय वनाधिकारी, सीतापुर ।
6–सुरेश चन्द्र	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर ।
7–एम० पी० सिंह	उप वन संरक्षक, कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग, बहराइच ।
8–के० वी० लक्ष्मण मूर्ति	केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर ।
9–एल० आर० वैरवा	प्रभागीय वनाधिकारी, बिजनौर ।
10–रमेश चन्द्र–II	कार्य योजना अधिकारी, ओबरा ।
11–मुकेश कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी, वृक्षारोपण प्रभाग, बिजनौर ।
12–वी० शिवनाथराव	उप वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं जांच, लखनऊ ।
13–विद्या सागर प्रसाद	प्रभागीय वनाधिकारी, बस्ती ।
14–सुनील चौधरी	उत्तरांचल में तैनात हैं ।
15–वी० के० चोपड़ा	उप वन संरक्षक, फायर फाइटिंग (पालिसी सेल) लखनऊ ।
16–अरविन्द कुमार सिंह	अभी उत्तरांचल से अवमुक्त नहीं ।
17–एस० एस० रसेली	प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल (उत्तरांचल) ।
18–कमल किशोर	प्रभागीय वनाधिकारी, शाहजहांपुर ।
19–राम कुमार रामजी	प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर ।
20–एन० रवीन्द्र (पिछड़ी जाति)	उत्तरांचल में तैनात ।
21–तुषार कान्ति बेहेरा	प्रशिक्षण पर (इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून) ।
22–नरेश कुमार जान (पिछड़ी जाति)	उक्त

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–172 का उत्तर पीछे पृष्ठ –89 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के 1ले मंगलवार के लिए निर्धारित मा० सदस्य विधान सभा श्री मुराद लारी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–172 के उत्तर में उल्लिखित सूची :–

नाम	पद
1	2
1–श्रीमती शेल बाजपेई पत्नी श्री के० सी० बाजपेई, सहायक वन संरक्षक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।	सहायक शिक्षिका, रानीशंकर सहाय बालिका इन्टर कालेज, उन्नाव ।
2–श्रीमती शान्ति पत्नी श्री छेदी लाल वरिष्ठ लिपिक, कार्या० प्रमुख वन संरक्षक, (मूल्यांकन एवं कार्ययोजना), उ० प्र०, लखनऊ ।	सहायक अध्यापिका, प्राविधिक विद्यालय ईश्वरी खेड़ा, सरोजनी नगर, लखनऊ ।
3–श्रीमती रीता त्रिपाठी पत्नी श्री जीवन चन्द्र त्रिपाठी, ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	निजी सचिव, सचिवालय प्रशासन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
4–श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री राज कुमार मिश्रा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	ज्येष्ठ आलेखक, प्रालेखक, पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
5–श्री मोहम्मद शारिक पति श्रीमती जौहरा जमाल, उर्दू अनुवादक/कनिष्ठ लिपिक, कार्या० प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	सहायक अध्यापक, सीतापुर ।
6–श्रीमती एल० एन० ब्राउन पत्नी श्री निर्मल ई० ब्राउन, ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक, कार्या० प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	सिस्टर ग्रेड–1, पी० जी० आई०, लखनऊ ।
7–श्रीमती रश्मि उप्रेती पत्नी श्री दिनेश चन्द्र उप्रेती, सांख्यकीय सहायक, कार्या० प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	परियोजना अधिकारी, अनौपचारिक शिक्षा, बाराबंकी ।
8–श्रीमती गीता श्रीवास्तव पत्नी श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सहायक, कार्या० प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।	प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय, मड़ियांव–2, लखनऊ ।
9–श्रीमती उमा गुप्ता पत्नी श्री शिव नारायण गुप्ता, कनिष्ठ लिपिक कार्या० प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।	अहलमद, कार्या० राजस्व परिषद् भूमि अध्यापित अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

1–श्री के० सी० बाजपेई	सहायक वन संरक्षक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2–श्री छेदी लाल	वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, (मूल्यांकन एवं कार्ययोजना), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

1	2
3–श्री जीवन चन्द्र त्रिपाठी	ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4–श्री राज कुमार मिश्रा	वरिष्ठ सहायक कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5–श्रीमती जौहरा जमाल	उर्दू अनुवादक/कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6–श्री निर्मल ई० ब्राउन	ज्येष्ठ सम्प्रेक्षक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7–श्री दिनेश चन्द्र उप्रेती	सांख्यिकीय सहायक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8–श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव	वरिष्ठ सहायक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9–श्री शिव नरायन गुप्ता	कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 272 विधान सभा (480)–24-10-2001–813 (डी०टी०पी०) ।